Eighteenth Series, Vol. XV No. 30

Friday, April 17, 2026
Chaitra 27, 1948 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Seventh Session

(Eighteenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XV contains Nos. 21 to 31)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Chander Mohan

Additional Secretary

Nisha Sharma

Director

Narad Prasad Kimothi

Manoj Kumar Pankaj

Joint Director

Maneesha Bhushan

Deputy Director

© 2026 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

CONTENTS

Eighteenth Series, Vol. XV, Seventh Session, 2026/1948 (Saka)
No. 30, Friday, April 17, 2026/ Chaitra 27, 1948 (Saka)

SUBJECT	PAGES
PAPERS LAID ON THE TABLE	7-8
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE	
45th to 47th Reports	9
STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL	
23rd Report	10
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 5978 DATED 30.03.2026 REGARDING "PLANTATION ACTIVITIES UNDER GREEN INDIA MISSION" ALONGWITH REASONS FOR DELAY	11-51
STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL FOR AMENDING THE EIGHTH SCHEDULE TO THE FINANCE ACT, 2002	52
STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL FOR AMENDING THE SIXTH SCHEDULE TO THE FINANCE ACT, 2018	53-54
CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND THIRTY-FIRST AMENDMENT) BILL,2026 AND UNION TERRITORIES LAWS (AMENDMENT) BILL, 2026 AND DELIMITATION BILL, 2026	58-298
Shrimati Kanimozhi Karunanidhi	58-71

Dr. Shashi Tharoor	71-78
Shri P. V. Midhun Reddy	78-81
Shri Rajiv Ranjan Singh *alias* Lalan Singh	81-86
Shri Kalyan Banerjee	86-93
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	93-100
Shrimati Dimple Yadav	100-104
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	105-108
Shrimati Anupriya Patel	108-112
Shri Mohmad Haneefa	112-117
Shri Hibi Eden	117-120
Dr. Gumma Thanuja Rani	120-122
Shri A. Raja	122-127
Shri Joyanta Basumatary	127-130
Adv. Chandra Shekhar	130-134
Shri H. D. Kumaraswamy	134-140
Shrimati Sandhya Ray	140-142
Sushri S. Jothimani	142-147
Shrimati Hema Malini	147-151
Shri Anand Bhadauria	151-153
Shri Bhausaheb Rajaram Wakchaure	153-154
Shri Rahul Gandhi	155-174
Dr. Nishikant Dubey	174-182
Shri Mian Altaf Ahmad	182-183

Adv. Priya Saroj	183-186
Shrimati Annpurna Devi	186-192
Dr. Raj Kumar Chabbewal	192-194
Prof. Varsha Eknath Gaikwad	194-199
Shrimati Ruchi Vira	199-202
Shri Pratap Chandra Sarangi	202-205
Kumari Priyanka Satish Jarkiholi	205-207
Shri Appalanaidu Kalisetti	208-209
Shrimati Shobhanaben Mahendrasinh Baraiya	209-212
Shri Chamala Kiran Kumar Reddy	212-214
Shri Neeraj Maurya	214-216
Shri Ravindra Shukla Alias Ravi Kishan	216-219
Dr. Bachhav Shobha Dinesh	219-222
Shrimati D. K. Aruna	222-225
Shrimati Krishna Devi Shivshankar Patel	225-226
Shrimati Geniben Nagaji Thakor	226-228
Shri Dilip Saikia	228-230
Shrimati Satabdi Roy Banerjee	230-232
Shri Shyamkumar Daulat Barve	232-234
Shrimati Nimuben Jayantibhai Bambhaniya	234-236
Shri Ajendra Singh Lodhi	236-238
Shrimati Pratibha Suresh Dhanorkar	238-240
Shri Balabhadra Majhi	241-242

Shrimati Bag Mitali	242-243
Kumari Sudha R.	243-246
Shri Amit Shah	246-268
Motion-Negatived	297

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri A. Raja

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

<u>Friday, April 17, 2026/ Chaitra 27, 1948 (Saka)</u>

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : आज महिलाओं का दिन है तो महिलाओं के बारे में बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, जो नोटिफाई हो गया है, क्या उस पर चर्चा हो सकती है? … (व्यवधान)

11.0½ hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर – 1, श्री श्रीपाद येसो नाईक।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : अध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.1738(अ) जो दिनांक 6 अप्रैल, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ.5665(अ) दिनांक 8 दिसंबर, 2025 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 6909/18/26]

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर – 2.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल – उपस्थित नहीं।

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप व्यवस्था बनाए रखिए।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6910/18/26]

(3) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6911/18/26]

11.01 hrs

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

45th to 47th Reports

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2025-26):-

(1) Forty-fifth Report of the Public Accounts Committee (2025-26) on the subject ‘Parking of Funds outside the Government Account’.

(2) Forty-sixth Report of the Public Accounts Committee (2025-26) on the subject ‘Construction of 5th and 6th line between Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT)-Kurla Station’.

(3) Forty-seventh Report on Action Taken by the Government on the observations/recommendations of the Public Accounts Committee contained in their Hundred and Third Report (Seventeenth Lok Sabha) on the subject ‘Revision of Financial Limits for determining the cases relating to New Service/New Instrument of Service’.

11.02 hrs

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL

23rd Report

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): Sir, I rise to present the Twenty-third Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel (2025-26) on the subject 'National Mineral Exploration and Development Trust (NMEDT) – Performance and Review' relating to the Ministry of Mines.

<u>11.03 hrs</u>

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 5978 DATED 30.03.2026 REGARDING "PLANTATION ACTIVITIES UNDER GREEN INDIA MISSION" ALONGWITH REASONS FOR DELAY

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Sir, I rise to lay a Statement (Hindi and English versions) correcting the reply given on 30.03.2026 to Unstarred Question No.5978 asked by Shri Anurag Sharma, MP regarding 'Plantation Activities under Green India Mission'.

Question	Previous Reply	Revised Reply
(a) whether the Government is aware of the shortfall in plantation activities under the National Mission for a Green India recorded between the years 2015 and 2025 and the manner in which this decline has affected the forest and green cover in the country, State/UT-wise along with the status of such activities, particularly in Bharatpur, Nabarangpur and Keonjhar and Bhopal Lok Sabha Constituencies; (b) if so, the steps being taken by the Government to address the said shortfall and accelerate plantation activities along with the progress made under the said mission	(a) & (b) The National Mission for a Green India (GIM) is one of the nine Missions under the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) and aims to protect, restore and enhance forest and tree cover while contributing to climate change mitigation and adaptation through plantation and ecosystem restoration in identified landscapes. Under GIM, activities are undertaken based on the approved Perspective Plans and Annual Plans of Operation submitted by the respective States and approved by the National Executive Council. GIM has significantly contributed to the overall increase in India's forest & tree cover. According to the India State of Forest Reports, forest and tree cover have increased from approximately 794245.00 sq km in 2015 to 827356.95 sq km in 2023, representing a net increase of about 33111.95 sq km. These gains are attributable to various afforestation and restoration initiatives carried out at both state and central levels, including the Green India Mission. The State/UT wise details of forest and tree cover as per ISFR 2015 & 2023 is given in Annexure-I. Moreover, under the overarching theme *"Ek Ped Maa Ke Naam"*, a voluntary initiative launched on 5th June 2024 to promote tree planting as an environmental and emotional commitment through	Annexure I revised.

Authenticated
K.V.S.

(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment, Forest and Climate Change
Govt. of India
Indira Paryavaran Bhawan, N...

in the said Constituencies;	public participation and convergence with existing Central and State Government schemes. The details of overall tree plantation done under *Ek Ped Maa Ke Naam* in the Bharatpur, Nabarangpur and Keonjhar and Bhopal district is detailed in Annexure-II.	
(c) the details of specific role of the weightage (including rewards for increased forest area and open forest inclusion) assigned by the 16th Finance Commission in incentivising States to increase their forest cover, State/UT-wise, including Bharatpur and Dewas-Shajapur regions;	The Finance Commission recommends the devolution of funds to States based on various criteria, including forest and ecology. The weightage assigned to forest and ecology in the horizontal devolution formula provides incentives to States for maintaining and enhancing forest cover. The distribution of funds under Finance Commission recommendations is done State-wise and not constituency-wise. Accordingly, no separate allocation is made for Bharatpur or Dewas-Shajapur regions.	-
(d) whether the Government has successfully integrated carbon sequestration monitoring using Geographic Information System (GIS) and remote sensing into the design of the Green India Mission and if so, the details thereof,	Monitoring of forest and tree cover, including assessment of forest carbon stock, is carried out biennially by the Forest Survey of India (FSI) using remote sensing, GIS-based tools and ground-based inventory methods. These assessments include the impact of afforestation and restoration activities undertaken under various schemes including the Green India Mission. State/UT-wise details of forest carbon stock as per ISFR 2023 are given in Annexure-III.	Annexure III revised

Authenticated

(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment, Forest and Climate Change
Govt. of India
Indira Paryavaran Bhawan, New Delhi

State/UT-wise including the said Constituencies/regions along with its impact on forest and plantation activities; and		
(e) the details of funds allotted and utilized by the Karnataka during the last three years and the current year under the said Mission, city-wise, particularly in Bengaluru?	Funds under the Green India Mission are released to the States/UTs based on approved Annual Plans of Operation. In the State of Karnataka, funds have been released during the last three years and the current year for implementation of approved activities under GIM. The Mission is implemented in selected landscapes namely Siddapura(Uttar Kannada), Arkalgud(Hassan) and Chincholi (Kalburgi). The Year-wise details of funds released and utilized by the State of Karnataka are given in Annexure-IV.	-

The correcting statement may be brought to the notice of the House.

Authenticated
K.V. Singh
(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment, Forest and Climate Change
Govt. of India
Indira Paryavaran Bhawan, New Delhi

CORRECTED REPLY

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 5978
TO BE ANSWERED ON 30.03.2026

Plantation Activities under Green India Mission

5978. SHRI ANURAG SHARMA:
SHRI CHAVAN RAVINDRA VASANTRAO:
SHRI PARBHUBHAI NAGARBHAI VASAVA:
SHRI VIJAY BAGHEL:
SHRI BALABHADRA MAJHI:
SMT. MALA RAJYA LAXMI SHAH:
SHRI RAMESH AWASTHI:
SHRI BHOJRAJ NAG:
SHRI DULU MAHATO:
SMT. KAMALJEET SEHRAWAT:
SHRI MANISH JAISWAL:
SHRI SUDHEER GUPTA:
SMT. SANJNA JATAV:
DR. NISHIKANT DUBEY:
SHRI DHAIRYASHEEL SAMBHAJIRAO MANE:
MS KANGNA RANAUT:
SHRI MAHENDRA SINGH SOLANKY:
SHRI ANOOP PRADHAN VALMIKI:
SMT. HIMADRI SINGH:
SHRI ANANTA NAYAK:
SHRI ALOK SHARMA:
SHRI RAJIV PRATAP RUDY:
SHRI CHANDRA PRAKASH CHOUDHARY:
SHRI CHANDRA PRAKASH JOSHI:
DR. K SUDHAKAR:
SHRI SATISH KUMAR GAUTAM:
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB:

Authenticated
K. V. Singh
(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment, Forest and Climate Change
Govt. of India
Indira Paryavaran Bhawan, New Delhi

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether the Government is aware of the shortfall in plantation activities under the National Mission for a Green India recorded between the years 2015 and 2025 and the manner in which this decline has affected the forest and green cover in the country, State/UT-wise along with the status of such activities, particularly in Bharatpur, Nabarangpur and Keonjhar and Bhopal Lok Sabha Constituencies;

(b) if so, the steps being taken by the Government to address the said shortfall and accelerate plantation activities along with the progress made under the said mission in the said Constituencies;

(c) the details of specific role of the weightage (including rewards for increased forest area and open forest inclusion) assigned by the 16th Finance Commission in incentivising States to increase their forest cover, State/UT-wise, including Bharatpur and Dewas-Shajapur regions;

(d) whether the Government has successfully integrated carbon sequestration monitoring using Geographic Information System (GIS) and remote sensing into the design of the Green India Mission and if so, the details thereof, State/UT-wise including the said Constituencies/regions along with its impact on forest and plantation activities; and

(e) the details of funds allotted and utilized by the Karnataka during the last three years and the current year under the said Mission, city-wise, particularly in Bengaluru?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(SHRI KIRTI VARDHAN SINGH)

(a) & (b) The National Mission for a Green India (GIM) is one of the nine Missions under the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) and aims to protect, restore, and enhance forest and tree cover while contributing to climate change mitigation and adaptation through plantation and ecosystem restoration in identified landscapes. The Mission adopts a landscape-based approach, focusing on integrated restoration and management of forests and allied ecosystems at the landscape and micro-ecosystem level, while addressing ecological, hydrological, and socio-economic dimensions. GIM is implemented through a convergence-based framework, aligning with various Central and State Government schemes and programmes, including CAMPA, MGNREGS, State Forestry Plans, and other afforestation and watershed initiatives. This approach ensures optimal utilization of resources, avoids duplication of efforts, and enables scaling up of restoration interventions across large landscapes with community participation. Activities under GIM are undertaken based on approved Perspective Plans and Annual Plans of Operation submitted by the States and approved by the National Executive Council.

thenticated

TI VARDHAN SINGH
Minister of State
ment, Forest and Climate Change
Govt. of India
aryavaran Bhavan

GIM has significantly contributed to the overall increase in India's forest and tree cover. As per the India State of Forest Report (ISFR), forest and tree cover has increased from 7,94,245 sq km in 2015 to 8,27,356.95 sq km in 2023, registering a net increase of 33,111.95 sq km. These gains are attributable to sustained afforestation, eco-restoration, and coordinated efforts of Central and State Governments under various schemes, including GIM. The State/UT-wise forest and tree cover details as per ISFR 2015 and 2023 are placed at **Annexure-I**.

Further, under the overarching theme of *"Ek Ped Maa Ke Naam"*, a nationwide voluntary plantation initiative was launched on 5th June 2024 to promote tree planting as an environmental and emotional commitment through public

participation and convergence with ongoing schemes. The details of overall plantation activities undertaken in Bharatpur, Nabarangpur, Keonjhar, and Bhopal districts under *Ek Ped Maa Ke Naam* are provided in **Annexure-II.**

(c) The Finance Commission recommends the devolution of funds to States based on various criteria, including forest and ecology. The weightage assigned to forest and ecology in the horizontal devolution formula provides incentives to States for maintaining and enhancing forest cover. The distribution of funds under Finance Commission recommendations is done State-wise and not constituency-wise. Accordingly, no separate allocation is made for Bharatpur or Dewas-Shajapur regions.

(d) Monitoring of forest and tree cover, including assessment of forest carbon stock, is carried out biennially by the Forest Survey of India (FSI) using remote sensing, GIS-based tools and ground-based inventory methods. These assessments include the impact of afforestation and restoration activities undertaken under various schemes including the Green India Mission. State/UT-wise details of forest carbon stock as per ISFR 2023 are given in **Annexure-III.**

(e) Funds under the Green India Mission are released to the States/UTs based on approved Annual Plans of Operation. In the State of Karnataka, funds have been released during the last three years and the current year for implementation of approved activities under GIM. The Mission is implemented in selected landscapes namely Siddapura (Uttar Kannada), Arkalgud (Hassan) and Chincholi (Kalburgi). The Year-wise details of funds released and utilized by the State of Karnataka are given in **Annexure-IV.**

Authenticated

(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment, Forest and Climate Change
Govt. of India
Indira Paryavaran Bhawan, New Delhi

*****

Authenticated
C. V. Singh
(KIRTI VARDHAN SINGH
Minister of State
Environment, Forest and Climate Change
Govt. of India
Indra Paryavaran Bhawan

Annexure-I

Annexure referred to in reply of part (a) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 5978 regarding 'Plantation Activities under Green India Mission" raised by Shri Anurag Sharma, Shri Chavan Ravindra Vasantrao, Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava, Shri Vijay Baghel, Shri Balabhadra Majhi, Smt. Mala Rajya Laxmi Shah, Shri Ramesh Awasthi, Shri Bhojraj Nag, Shri Dulu Mahato, Smt. Kamaljeet Sehrawat, Shri Manish Jaiswal, Shri Sudheer Gupta, Smt. Sanjna Jatav, Dr. Nishikant Dubey, Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane, Ms Kangna Ranaut, Shri Mahendra Singh Solanky, Shri Anoop Pradhan Valmiki, Smt. Himadri Singh, Shri Ananta Nayak: Shri Alok Sharma: Shri Rajiv Pratap Rudy: Shri Chandra Prakash Choudhary, Shri Chandra Prakash Joshi, Dr. K Sudhakar, Shri Satish Kumar Gautam, and Shri Bhartruhari Mahtab due for reply on 30.03.2026.

Table: State/UT wise details of forest and tree cover as per ISFR 2015 & 2023

S. No.	State	2015 (in sq.km.)	2023 (in sq.km.)
1	Andhra Pradesh	28389	35424.98
2	Arunachal Pradesh	68009	67083.2
3	Assam	29236	30415.01
4	Bihar	9470	9902.66
5	Chhattisgarh	59215	62350.45
6	Delhi	299.77	371.31
7	Goa	2549	2523.54
8	Gujarat	22574	21648.93
9	Haryana	2939	3307.28
10	Himachal Pradesh	15453	16435.42
11	Jammu & Kashmir	31342	25013.36
12	Jharkhand	26261	27403.33
13	Karnataka	41973	47033.42
14	Kerala	22190	24965.3
15	Madhya Pradesh	85235	85723.58
16	Maharashtra	60186	65383.41
17	Manipur	17237	16795.28
18	Meghalaya	17927	17687.4
19	Mizoram	19283	18558.26
20	Nagaland	13347	12616.49
21	Odisha	54340	58597.01
22	Punjab	3315	3321.24
23	Rajasthan	24440	27389.33
24	Sikkim	3392	3406.73
25	Tamil Nadu	30850	31820.94
26	Telangana	24140	24696.7
27	Tripura	8044	7832.33
28	Uttar Pradesh	21505	23996.72
29	Uttarakhand	24992	25534.97
30	West Bengal	18916	19770.45
31	A&N Islands	6788	6759.89
32	Chandigarh	31.03	46.18
33	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	263.61	262.45
34	Ladakh*	0	3178.94
35	Lakshadweep	31.06	27.26
36	Puducherry	82.38	73.2
	Total	**794244.85**	**827356.95**

** UT of Ladakh came into being on 31.09.2019*

Annexure-II

Annexure referred to in reply of part (a) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 5978 regarding 'Plantation Activities under Green India Mission" raised by Shri Anurag Sharma, Shri Chavan Ravindra Vasantrao, Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava, Shri Vijay Baghel, Shri Balabhadra Majhi, Smt. Mala Rajya Laxmi Shah, Shri Ramesh Awasthi, Shri Bhojraj Nag, Shri Dulu Mahato, Smt. Kamaljeet Sehrawat, Shri Manish Jaiswal, Shri Sudheer Gupta, Smt. Sanjna Jatav, Dr. Nishikant Dubey, Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane, Ms Kangna Ranaut, Shri Mahendra Singh Solanky, Shri Anoop Pradhan Valmiki, Smt. Himadri Singh, Shri Ananta Nayak: Shri Alok Sharma: Shri Rajiv Pratap Rudy: Shri Chandra Prakash Choudhary, Shri Chandra Prakash Joshi, Dr. K Sudhakar, Shri Satish Kumar Gautam, andShri Bhartruhari Mahtab due for reply on 30.03.2026.

Table: Details of overall tree plantation done under 'Ek Ped Maa Ke Naam' in the Bharatpur, Nabarangpur, Keonjhar and Bhopal district as per MeriLIFE portal

S. No	District	Urban Seedling	Rural Seedling	Total Number of Seedlings	Number of Sites
1	Bharatpur	508962	4261566	4770528	148939
2	Nabarangpur	72505	1931333	2003838	12852
3	Kendujhar (Keonjhar)	407694	4845878	5253572	5033
4	Bhopal	91531	682934	774465	694

Authenticated

K. V. Singh

(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment, Forest and Climate Change
Govt. of India
Indira Paryavaran Bhawan ...

Authenticated
K.V. Singh
(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment, Forest and Climate Change
Govt. of India
Indira Paryavaran Bhawan

Annexure-III

Annexure referred to in reply of part (d) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 5978 regarding 'Plantation Activities under Green India Mission" raised by Shri Anurag Sharma, Shri Chavan Ravindra Vasantrao, Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava, Shri Vijay Baghel, Shri Balabhadra Majhi, Smt. Mala Rajya Laxmi Shah, Shri Ramesh Awasthi, Shri Bhojraj Nag, Shri Dulu Mahato, Smt. Kamaljeet Sehrawat, Shri Manish Jaiswal, Shri Sudheer Gupta, Smt. Sanjna Jatav, Dr. Nishikant Dubey, Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane, Ms Kangna Ranaut, Shri Mahendra Singh Solanky, Shri Anoop Pradhan Valmiki, Smt. Himadri Singh, Shri Ananta Nayak: Shri Alok Sharma: Shri Rajiv Pratap Rudy: Shri Chandra Prakash Choudhary, Shri Chandra Prakash Joshi, Dr. K Sudhakar, Shri Satish Kumar Gautam, andShri Bhartruhari Mahtab due for reply on 30.03.2026.

Table: State/UT wise details of forest carbon stock as per ISFR 2023

S. No.	State	Forest Carbon Stock in '000 t
1	Andhra Pradesh	233592
2	Arunachal Pradesh	1021160
3	Assam	272310
4	Bihar	58451
5	Chhattisgarh	504614
6	Delhi	1221
7	Goa	25513
8	Gujarat	108322
9	Haryana	10476
10	Himachal Pradesh	255016
11	Jammu & Kashmir	371629
12	Jharkhand	186434
13	Karnataka	408255
14	Kerala	214084
15	Madhya Pradesh	608420
16	Maharashtra	464682
17	Manipur	175925
18	Meghalaya	183230
19	Mizoram	168477
20	Nagaland	132629
21	Odisha	453678
22	Punjab	13595
23	Rajasthan	110171
24	Sikkim	56827
25	Tamil Nadu	217560
26	Telangana	161732
27	Tripura	74254
28	Uttar Pradesh	120134
29	Uttarakhand	376612
30	West Bengal	154366
31	A&N Islands	108817
32	Chandigarh	199
33	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	1962
34	Ladakh	30651
35	Lakshadweep	217
36	Puducherry	315
	Total	**7285530**

Annexure-IV

Annexure referred to in reply of part (e) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 5978 regarding 'Plantation Activities under Green India Mission" raised by Shri Anurag Sharma, Shri Chavan Ravindra Vasantrao, Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava, Shri Vijay Baghel, Shri Balabhadra Majhi, Smt. Mala Rajya Laxmi Shah, Shri Ramesh Awasthi, Shri Bhojraj Nag, Shri Dulu Mahato, Smt. Kamaljeet Sehrawat, Shri Manish Jaiswal, Shri Sudheer Gupta, Smt. Sanjna Jatav, Dr. Nishikant Dubey, Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane, Ms Kangna Ranaut, Shri Mahendra Singh Solanky, Shri Anoop Pradhan Valmiki, Smt. Himadri Singh, Shri Ananta Nayak: Shri Alok Sharma: Shri Rajiv Pratap Rudy: Shri Chandra Prakash Choudhary, Shri Chandra Prakash Joshi, Dr. K Sudhakar, Shri Satish Kumar Gautam, andShri Bhartruhari Mahtab due for reply on 30.03.2026.

Table: The Year-wise details of funds released and utilized by the State of Karnataka during the last three year and current year

Financial Year	Fund Release (Rs. In Lakhs)			Total Funds Utilized (Rs. In Lakhs)
	Central (60%)	State (40%)	Total	
2022-23	292.842	195.228	488.07	438.50
2023-24	233.00	161.89	394.89	444.83
2024-25	499.00	326.39	825.39	792.85
2025-26	95.00	63.336	158.33	108.47
Total	**1119.842**	**746.844**	**1866.68**	**1784.65**

*****

Authenticated

(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment,Forest and Climate Change
Govt. of India
Indira Paryavaran Bhavan

ORIGINAL REPLY

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 5978
TO BE ANSWERED ON 30.03.2026

Plantation Activities under Green India Mission

5978. SHRI ANURAG SHARMA:
SHRI CHAVAN RAVINDRA VASANTRAO:
SHRI PARBHUBHAI NAGARBHAI VASAVA:
SHRI VIJAY BAGHEL:
SHRI BALABHADRA MAJHI:
SMT. MALA RAJYA LAXMI SHAH:
SHRI RAMESH AWASTHI:
SHRI BHOJRAJ NAG:
SHRI DULU MAHATO:
SMT. KAMALJEET SEHRAWAT:
SHRI MANISH JAISWAL:
SHRI SUDHEER GUPTA:
SMT. SANJNA JATAV:
DR. NISHIKANT DUBEY:
SHRI DHAIRYASHEEL SAMBHAJIRAO MANE:
MS KANGNA RANAUT:
SHRI MAHENDRA SINGH SOLANKY:
SHRI ANOOP PRADHAN VALMIKI:
SMT. HIMADRI SINGH:
SHRI ANANTA NAYAK:
SHRI ALOK SHARMA:
SHRI RAJIV PRATAP RUDY:
SHRI CHANDRA PRAKASH CHOUDHARY:
SHRI CHANDRA PRAKASH JOSHI:
DR. K SUDHAKAR:
SHRI SATISH KUMAR GAUTAM:
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB:

Authenticated
(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment, Forest and Climate Change
Govt. of India
Indira Paryavaran Bhawan

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether the Government is aware of the shortfall in plantation activities under the National Mission for a Green India recorded between the years 2015 and 2025 and the manner in which this decline has affected the forest and green cover in the country, State/UT-wise along with the status of such activities, particularly in Bharatpur, Nabarangpur and Keonjhar and Bhopal Lok Sabha Constituencies;

(b) if so, the steps being taken by the Government to address the said shortfall and accelerate plantation activities along with the progress made under the said mission in the said Constituencies;

(c) the details of specific role of the weightage (including rewards for increased forest area and open forest inclusion) assigned by the 16th Finance Commission in incentivising States to increase their forest cover, State/UT-wise, including Bharatpur and Dewas-Shajapur regions;

(d) whether the Government has successfully integrated carbon sequestration monitoring using Geographic Information System (GIS) and remote sensing into the design of the Green India Mission and if so, the details thereof, State/UT-wise including the said Constituencies/regions along with its impact on forest and plantation activities; and

(e) the details of funds allotted and utilized by the Karnataka during the last three years and the current year under the said Mission, city-wise, particularly in Bengaluru?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI KIRTI VARDHAN SINGH)

Authenticated
K.V. [signature]
(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment, Forest and Climate Change
Govt. of India
Indira Paryavaran Bhawan, New Delhi

(a) & (b) The National Mission for a Green India (GIM) is one of the nine Missions under the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) and aims to protect, restore, and enhance forest and tree cover while contributing to climate change mitigation and adaptation through plantation and ecosystem restoration in identified landscapes. The Mission adopts a landscape-based approach, focusing on integrated restoration and management of forests and allied ecosystems at the landscape and micro-ecosystem level, while addressing ecological, hydrological, and socio-economic dimensions. GIM is implemented through a convergence-based framework, aligning with various Central and State Government schemes and programmes, including CAMPA, MGNREGS, State Forestry Plans, and other afforestation and watershed initiatives. This approach ensures optimal utilization of resources, avoids duplication of efforts, and enables scaling up of restoration interventions across large landscapes with community participation. Activities under GIM are undertaken based on approved Perspective Plans and Annual Plans of Operation submitted by the States and approved by the National Executive Council.

GIM has significantly contributed to the overall increase in India's forest and tree cover. As per the India State of Forest Report (ISFR), forest and tree cover has increased from 7,94,245 sq km in 2015 to 8,27,356.95 sq km in 2023, registering a net increase of 33,111.95 sq km. These gains are attributable to sustained afforestation, eco-restoration, and coordinated efforts of Central and State Governments under various schemes, including GIM. The State/UT-wise forest and tree cover details as per ISFR 2015 and 2023 are placed at **Annexure-I**.

Further, under the overarching theme of *"Ek Ped Maa Ke Naam"*, a nationwide voluntary plantation initiative was launched on 5th June 2024 to promote tree planting as an environmental and emotional commitment through public participation and convergence with ongoing schemes. The details of overall plantation activities undertaken in Bharatpur, Nabarangpur, Keonjhar, and Bhopal districts under *Ek Ped Maa Ke Naam* are provided in **Annexure-II**.

(c) The Finance Commission recommends the devolution of funds to States based on various criteria, including forest and ecology. The weightage assigned to forest and ecology in the horizontal devolution formula provides incentives to States for

maintaining and enhancing forest cover. The distribution of funds under Finance Commission recommendations is done State-wise and not constituency-wise. Accordingly, no separate allocation is made for Bharatpur or Dewas-Shajapur regions.

(d) Monitoring of forest and tree cover, including assessment of forest carbon stock, is carried out biennially by the Forest Survey of India (FSI) using remote sensing, GIS-based tools and ground-based inventory methods. These assessments include the impact of afforestation and restoration activities undertaken under various schemes including the Green India Mission. State/UT-wise details of forest carbon stock as per ISFR 2023 are given in **Annexure-III**.

(e) Funds under the Green India Mission are released to the States/UTs based on approved Annual Plans of Operation. In the State of Karnataka, funds have been released during the last three years and the current year for implementation of approved activities under GIM. The Mission is implemented in selected landscapes namely Siddapura (Uttar Kannada), Arkalgud (Hassan) and Chincholi (Kalburgi). The Year-wise details of funds released and utilized by the State of Karnataka are given in **Annexure-IV**.

*****

Authenticated
K.V. Singh

(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment, Forest and Climate Change
Govt. of India
Indira Paryavaran Bhawan, New Delhi

- 3 -

(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment, Forest and Climate Change
Indra Paryavaran Bhawan

Annexure-I

Annexure referred to in reply of part (a) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 5978 regarding 'Plantation Activities under Green India Mission" raised by Shri Anurag Sharma, Shri Chavan Ravindra Vasantrao, Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava, Shri Vijay Baghel, Shri Balabhadra Majhi, Smt. Mala Rajya Laxmi Shah, Shri Ramesh Awasthi, Shri Bhojraj Nag, Shri Dulu Mahato, Smt. Kamaljeet Sehrawat, Shri Manish Jaiswal, Shri Sudheer Gupta, Smt. Sanjna Jatav, Dr. Nishikant Dubey, Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane, Ms Kangna Ranaut, Shri Mahendra Singh Solanky, Shri Anoop Pradhan Valmiki, Smt. Himadri Singh, Shri Ananta Nayak: Shri Alok Sharma: Shri Rajiv Pratap Rudy: Shri Chandra Prakash Choudhary, Shri Chandra Prakash Joshi, Dr. K Sudhakar, Shri Satish Kumar Gautam, andShri Bhartruhari Mahtab due for reply on 30.03.2026.

Table: State/UT wise details of forest and tree cover as per ISFR 2015 & 2023

S. No.	State	2015 (in sq.km.)	2023 (in sq.km.)
1	Andhra Pradesh	28389	35424.98
2	Arunachal Pradesh	68009	67083.2
3	Assam	29236	30415.01
4	Bihar	9470	9902.66
5	Chhattisgarh	59215	62350.45
6	Delhi	299.77	371.31
7	Goa	2549	2523.54
8	Gujarat	22574	21648.93
9	Haryana	2939	3307.28
10	Himachal Pradesh	15453	16435.42
11	Jammu & Kashmir	31342	27403.33
12	Jharkhand	26261	47033.42
13	Karnataka	41973	24965.3
14	Kerala	22190	85723.58
15	Madhya Pradesh	85235	65383.41
16	Maharashtra	60186	16795.28
17	Manipur	17237	17687.4
18	Meghalaya	17927	18558.26
19	Mizoram	19283	12616.49
20	Nagaland	13347	58597.01
21	Odisha	54340	3321.24
22	Punjab	3315	27389.33
23	Rajasthan	24440	3406.73
24	Sikkim	3392	31820.94
25	Tamil Nadu	30850	24696.7
26	Telangana	24140	7832.33
27	Tripura	8044	23996.72
28	Uttar Pradesh	21505	25534.97
29	Uttarakhand	24992	19770.45
30	West Bengal	18916	6759.89
31	A&N Islands	6788	46.18
32	Chandigarh	31.03	262.45
33	Dadra & Nagar Haveli	234	25013.36
34	Daman & Diu	29.61	3178.94
35	Lakshadweep	31.06	27.26
36	Puducherry	82.38	73.2
	Total	794244.85	827356.95

Annexure-II

Annexure referred to in reply of part (a) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 5978 regarding 'Plantation Activities under Green India Mission" raised by Shri Anurag Sharma, Shri Chavan Ravindra Vasantrao, Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava, Shri Vijay Baghel, Shri Balabhadra Majhi, Smt. Mala Rajya Laxmi Shah, Shri Ramesh Awasthi, Shri Bhojraj Nag, Shri Dulu Mahato, Smt. Kamaljeet Sehrawat, Shri Manish Jaiswal, Shri Sudheer Gupta, Smt. Sanjna Jatav, Dr. Nishikant Dubey, Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane, Ms Kangna Ranaut, Shri Mahendra Singh Solanky, Shri Anoop Pradhan Valmiki, Smt. Himadri Singh, Shri Ananta Nayak: Shri Alok Sharma: Shri Rajiv Pratap Rudy: Shri Chandra Prakash Choudhary, Shri Chandra Prakash Joshi, Dr. K Sudhakar, Shri Satish Kumar Gautam, andShri Bhartruhari Mahtab due for reply on 30.03.2026.

Table: Details of overall tree plantation done under 'Ek Ped Maa Ke Naam' in the Bharatpur, Nabarangpur, Keonjhar and Bhopal district as per MeriLIFE portal

S. No	District	Urban Seedling	Rural Seedling	Total Number of Seedlings	Number of Sites
1	Bharatpur	508962	4261566	4770528	148939
2	Nabarangpur	72505	1931333	2003838	12852
3	Kendujhar (Keonjhar)	407694	4845878	5253572	5033
4	Bhopal	91531	682934	774465	694

Authenticated
K.V. Singh

(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment,Forest and Climate Change
Govt. of India
Indira Paryavaran Bhawan, New Delhi-110003

Annexure-III

Annexure referred to in reply of part (d) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 5973 regarding "Plantation Activities under Green India Mission" raised by Shri Anurag Sharma, Shri Chavan Ravindra Vasantrao, Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava, Shri Vijay Baghel, Shri Sukhbhadra Majhi, Smt. Mala Rajya Laxmi Shah, Shri Ramesh Awasthi, Shri Bhojraj Nag, Shri Dulu Mahato, Smt. Kamaljeet Sehrawat, Shri Manish Jaiswal, Shri Sudheer Gupta, Smt. Sanjna Jatav, Dr. Nishikant Dubey, Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane, Ms Kangna Ranaut, Shri Mahendra Singh Solanky, Shri Anoop Pradhan Valmiki, Smt. Himadri Singh, Shri Ananta Nayak: Shri Alok Sharma: Shri Rajiv Pratap Rudy: Shri Chandra Prakash Choudhary, Shri Chandra Prakash Joshi, Dr. K Sudhakar, Shri Satish Kumar Gautam, andShri Bhartruhari Mahtab due for reply on 30.03.2026.

Table: State/UT wise details of forest carbon stock as per ISFR 2023

S. No.	State	Forest Carbon Stock in '000 t
1	Andhra Pradesh	233592
2	Arunachal Pradesh	1021160
3	Assam	272310
4	Bihar	58451
5	Chhattisgarh	504614
6	Delhi	1221
7	Goa	25513
8	Gujarat	108322
9	Haryana	10476
10	Himachal Pradesh	255016
11	Jammu & Kashmir	186434
12	Jharkhand	408255
13	Karnataka	214084
14	Kerala	608420
15	Madhya Pradesh	464682
16	Maharashtra	175925
17	Manipur	183230
18	Meghalaya	168477
19	Mizoram	132629
20	Nagaland	453678
21	Odisha	13595
22	Punjab	110171
23	Rajasthan	56827
24	Sikkim	217560
25	Tamil Nadu	161732
26	Telangana	74254
27	Tripura	120134
28	Uttar Pradesh	376612
29	Uttarakhand	154366
30	West Bengal	108817
31	A&N Islands	199
32	Chandigarh	1962
33	Dadra & Nagar Haveli	371629
34	Daman & Diu	30651
35	Lakshadweep	217
36	Puducherry	315
	Total	7285530

Authenticated

KIRTI VARDHAN SINGH
Minister of State
Environment, Forest and Climate Change
Government of India
Indira Paryavaran Bhawan, New Delhi-110003

Annexure-IV

Annexure referred to in reply of part (e) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 5978 regarding 'Plantation Activities under Green India Mission" raised by Shri Anurag Sharma, Shri Chavan Ravindra Vasantrao, Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava, Shri Vijay Baghel, Shri Balabhadra Majhi, Smt. Mala Rajya Laxmi Shah, Shri Ramesh Awasthi, Shri Bhojraj Nag, Shri Dulu Mahato, Smt. Kamaljeet Sehrawat, Shri Manish Jaiswal, Shri Sudheer Gupta, Smt. Sanjna Jatav, Dr. Nishikant Dubey, Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane, Ms Kangna Ranaut, Shri Mahendra Singh Solanky, Shri Anoop Pradhan Valmiki, Smt. Himadri Singh, Shri Ananta Nayak: Shri Alok Sharma: Shri Rajiv Pratap Rudy: Shri Chandra Prakash Choudhary, Shri Chandra Prakash Joshi, Dr. K Sudhakar, Shri Satish Kumar Gautam, andShri Bhartruhari Mahtab due for reply on 30.03.2026.

Table: The Year-wise details of funds released and utilized by the State of Karnataka during the last three year and current year

Financial Year	Fund Release (Rs. In Lakhs)			Total Funds Utilized (Rs. In Lakhs)
	Central (60%)	State (40%)	Total	
2022-23	292.842	195.228	488.07	438.50
2023-24	233.00	161.89	394.89	444.83
2024-25	499.00	326.39	825.39	792.85
2025-26	95.00	63.336	158.33	108.47
Total	1119.842	746.844	1866.68	1784.65

*****

Authenticated
C.V. [signature]

(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment,Forest and Climate Change
Govt. of India
Indira Paryavaran Bhawan, New Delhi

- 7 -

STATEMENT INDICATING THE REASONS FOR DELAY IN MAKING STATEMENT CORRECTING THE ANSWER GIVEN ON 30.03.2026 TO UNSTARRED QUESTION NO. 5978

The statement correcting the answer given on 30.03.2026 to the Unstarred Question No. 5978 raised by Hon'ble Members of Parliament, Shri Anurag Sharma, Shri Chavan Ravindra Vasantrao, Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava, Shri Vijay Baghel, Shri Balabhadra Majhi, Smt. Mala Rajya Laxmi Shah, Shri Ramesh Awasthi, Shri Bhojraj Nag, Shri Dulu Mahato, Smt. Kamaljeet Sehrawat, Shri Manish Jaiswal, Shri Sudheer Gupta, Smt. Sanjna Jatav, Dr. Nishikant Dubey, Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane, Ms Kangna Ranaut, Shri Mahendra Singh Solanky, Shri Anoop Pradhan Valmiki, Smt. Himadri Singh, Shri Ananta Nayak: Shri Alok Sharma: Shri Rajiv Pratap Rudy: Shri Chandra Prakash Choudhary, Shri Chandra Prakash Joshi, Dr. K. Sudhakar, Shri Satish Kumar Gautam, and Shri Bhartruhari Mahtab regarding 'Plantation Activities Under Green India Mission' could not be made within seven days as the inaccuracy was detected subsequently after passage of the stipulated time.

(KIRTI VARDHAN SINGH)
Minister of State
Environment, Forest and Climate Change
Govt. of India

Authenticated

(Kirti Vardhan Singh)
Minister of State for Environment, Forest and Climate Change
Government of India

+प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर
(क) क्या सरकार को वर्ष 2015 और 2025 के बीच राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के अंतर्गत दर्ज पौधरोपण कार्य में आई कमी की जानकारी है और इस गिरावट ने देश में वन और हरित क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है और इस प्रकार के कार्यकलापों की विशेषकर भरतपुर, नबरंगपुर, क्योंझर और भोपाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है; (ख) यदि हां, तो उक्त कमी को दूर करने और पौधरोपण कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त मिशन के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है;	(क) और (ख) हरित भारत मिशन (जीआईएम) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसी) के तहत नौ मिशनों में से एक है और इसका उद्देश्य अभिज्ञात भूदृश्यों में वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के उपशमन और अनुकूलन में योगदान करते हुए वन और वृक्ष आवरण की सुरक्षा, पुनर्बहाली और संवर्धन करना है। यह मिशन पारिस्थितिकीय, जल विज्ञान और सामाजिक-आर्थिक आयामों पर ध्यान देते हुए परिदृश्य आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जो परिदृश्य और सूक्ष्म-पारिस्थितिकी तंत्र स्तर पर वनों और संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के एकीकृत पुनर्स्थापन और प्रबंधन पर केंद्रित है। जीआईएम को एक अभिसरण-आधारित कार्यढांचे के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो काम्पा, मनरेगा, राज्य वानिकी योजनाओं और अन्य वनीकरण और जलविभाजक पहलों सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुरूप है। यह दृष्टिकोण संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है, प्रयासों के दोहराव से बचाता है और सामुदायिक भागीदारी के साथ बड़े परिदृश्य में पुनर्बहाली संबंधी कार्यों के स्तर को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। जीआईएम के तहत कार्यकलाप राज्यों द्वारा प्रस्तुत और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजनाओं और वार्षिक संचालन योजनाओं के आधार पर की जाती हैं। जीआईएम ने भारत के वन और वृक्ष आवरण में समग्र वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत वन राज्य रिपोर्ट (आईएसएफआर) के अनुसार, वन और वृक्षों का आवरण वर्ष 2015 में 7,94,245 वर्ग किमी से बढ़कर वर्ष 2023 में 8,27,356.95 वर्ग किमी हो गया है, जो 33,111.95 वर्ग किमी की निवल वृद्धि दर्शाता है। ये उपलब्धियां निरंतर वनीकरण, पारि-पुनर्बहाली और	**अनुलग्नक-I संशोधित** अधिप्रमाणित कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री भारत सरकार इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

	जीआईएम सहित विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के कारण संभव हो पाई हैं। आईएसएफआर 2015 और 2023 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वन और वृक्ष आवरण का ब्यौरा **अनुलग्रक-I** में संलग्न है। इसके अलावा, "एक पेड़ माँ के नाम" की व्यापक थीम के तहत, सार्वजनिक भागीदारी और चल रही योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से एक पर्यावरणीय और भावनात्मक प्रतिबद्धता के रूप में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 05 जून 2024 को एक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक वृक्षारोपण पहल शुरू की गई थी। एक पेड मां के नाम के तहत भरतपुर, नबरंगपुर, क्योंझर और भोपाल जिलों में किए गए समग्र वृक्षारोपण कार्यकलापों का ब्यौरा **अनुलग्रक-II** में दिया गया है।	
(ग) भरतपुर और देवास-शाजापुर क्षेत्रों सहित राज्यों को अपने वन क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु 16वें वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए गए वेटेज (वन क्षेत्र में वृद्धि और खुले वन समावेशन के लिए पुरस्कारों सहित) की विशिष्ट भूमिका का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या हैं;	(ग) वित्त आयोग वन और पारिस्थितिकी सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों को निधि के हस्तांतरण की सिफारिश करता है। क्षैतिज हस्तांतरण फॉर्मूले में वन और पारिस्थितिकी को दिया गया भार राज्यों को वन आवरण बनाए रखने और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निधि का वितरण निर्वाचन क्षेत्र-वार नहीं बल्कि राज्य-वार किया जाता है। तदनुसार, भरतपुर या देवास-शाजापुर क्षेत्रों के लिए कोई अलग आवंटन नहीं किया गया है।	- अधिप्रमाणित कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री भारत सरकार इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003
(घ) क्या सरकार ने हरित भारत मिशन के डिजाइन में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और	(घ) वन कार्बन स्टॉक के आकलन सहित वन और वृक्ष आवरण की निगरानी, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा रिमोट सेंसिंग, जीआईएस-आधारित उपकरणों और जमीनी स्तर पर सूचीकरण विधियों का उपयोग करके द्विवार्षिक रूप से की जाती है। इन मूल्यांकनों में हरित	**अनुलग्रक-III संशोधित**

सुदूर संवेदन का उपयोग करते हुए कार्बन पृथक्करण निगरानी को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है और यदि हां, तो उक्त निर्वाचन क्षेत्रों/क्षेत्रों सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार ब्यौरा क्या है और वन और पौधरोपण कार्यों पर इसका प्रभाव क्या है; और	भारत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए वनीकरण और पुनर्बहाली संबंधी कार्यकलापों का प्रभाव शामिल है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार वन कार्बन स्टॉक का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।	
(ङ) उक्त मिशन के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक द्वारा आवंटित और उपयोग की गई निधि का विशेषकर बेंगलुरू सहित शहर-वार ब्यौरा क्या है?	(ङ) हरित भारत मिशन के तहत निधि को अनुमोदित वार्षिक संचालन योजनाओं के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया जाता है। कर्नाटक राज्य में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जीआईएम के तहत अनुमोदित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए निधि जारी की गई है। मिशन का कार्यान्वयन चयनित परिदृश्य जैसे सिद्धपुरा (उत्तर कन्नड़), अर्कालगुड (हसन) और चिंचोली (कलबुर्गी) में किया जा रहा है। कर्नाटक राज्य द्वारा जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।	- अधिप्रमाणित कीर्तवर्धन सिंह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री भारत सरकार इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

सुधारात्मक वक्तव्य को सदन के संज्ञान में लाया जा सकता है।

संशोधित उत्तर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5978
30.03.2026 को उत्तर के लिए

हरित भारत मिशन के अंतर्गत पौधरोपण कार्य

5978. श्री अनुराग शर्मा:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री प्रभुभाई नगारभाई वसावा:
श्री विजय बघेल:
श्री बलभद्र माझी:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री रमेश अवस्थी:
श्री भोजराज नाग:
श्री दुलू महतो:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्रीमती संजना जाटव:
डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
सुश्री कंगना रनौत:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री अनन्त नायक:
श्री आलोक शर्मा:
श्री राजीव प्रताप रूडी:
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
डॉ. के. सुधाकर:
श्री सतीश कुमार गौतम:
श्री भर्तृहरि महताब:

अधिप्रमाणित

कीर्तिवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 2015 और 2025 के बीच राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के अंतर्गत दर्ज पौधरोपण कार्य में आई कमी की जानकारी है और इस गिरावट ने देश में वन और हरित क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है और इस प्रकार के कार्यकलापों की विशेषकर भरतपुर, नबरंगपुर, क्योंझर और भोपाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी को दूर करने और पौधरोपण कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त मिशन के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है;

(ग) भरतपुर और देवास-शाजापुर क्षेत्रों सहित राज्यों को अपने वन क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु 16वें वित आयोग द्वारा प्रदान किए गए वेटेज (वन क्षेत्र में वृद्धि और खुले वन समावेशन के लिए पुरस्कारों सहित) की विशिष्ट भूमिका का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने हरित भारत मिशन के डिजाइन में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और सुदूर संवेदन का उपयोग करते हुए कार्बन पृथक्करण निगरानी को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है और यदि हां, तो उक्त निर्वाचन क्षेत्रों/क्षेत्रों सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार ब्यौरा क्या है और वन और पौधरोपण कार्यों पर इसका प्रभाव क्या है; और

(ड) उक्त मिशन के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक द्वारा आवंटित और उपयोग की गई निधि का विशेषकर बेंगलुरु सहित शहर-वार ब्यौरा क्या है?

अधिप्रमाणित

कीर्तवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) हरित भारत मिशन (जीआईएम) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसी) के तहत नौ मिशनों में से एक है और इसका उद्देश्य अभिज्ञात भूदृश्यों में वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के उपशमन और अनुकूलन में योगदान करते हुए वन और वृक्ष आवरण की सुरक्षा, पुनर्बहाली और संवर्धन करना है। यह मिशन पारिस्थितिकीय, जल विज्ञान और सामाजिक-आर्थिक आयामों पर ध्यान देते हुए परिदृश्य आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जो परिदृश्य और सूक्ष्म-पारिस्थितिकी तंत्र स्तर पर वनों और संवद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के एकीकृत पुनर्स्थापन और प्रबंधन पर केंद्रित है। जीआईएम को एक अभिसरण-आधारित कार्यढांचे के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो काम्पा, मनरेगा, राज्य वानिकी योजनाओं और अन्य वनीकरण और जलविभाजक पहलों सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुरूप है।

यह दृष्टिकोण संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है, प्रयासों के दोहराव से बचाता है और सामुदायिक भागीदारी के साथ बड़े परिदृश्य में पुनर्बहाली संबंधी कार्यो के स्तर को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। जीआईएम के तहत कार्यकलाप राज्यों द्वारा प्रस्तुत और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजनाओं और वार्षिक संचालन योजनाओं के आधार पर की जाती हैं।

जीआईएम ने भारत के वन और वृक्ष आवरण में समग्र वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत वन राज्य रिपोर्ट (आईएसएफआर) के अनुसार, वन और वृक्षों का आवरण वर्ष 2015 में 7,94,245 वर्ग किमी से बढ़कर वर्ष 2023 में 8,27,356.95 वर्ग किमी हो गया है, जो 33,111.95 वर्ग किमी की निवल वृद्धि दर्शाता है। ये उपलब्धियां निरंतर वनीकरण, पारि-पुनर्बहाली और जीआईएम सहित विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के कारण संभव हो पाई हैं। आईएसएफआर 2015 और 2023 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वन और वृक्ष आवरण का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

इसके अलावा, "एक पेड़ माँ के नाम" की व्यापक थीम के तहत, सार्वजनिक भागीदारी और चल रही योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से एक पर्यावरणीय और भावनात्मक प्रतिबद्धता के रूप में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 05 जून 2024 को एक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक वृक्षारोपण पहल शुरू की गई थी। एक पेड मां के नाम के तहत भरतपुर, नबरंगपुर, क्योंझर और भोपाल जिलों में किए गए समग्र वृक्षारोपण कार्यकलापों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) वित आयोग वन और पारिस्थितिकी सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों को निधि के हस्तांतरण की सिफारिश करता है। क्षैतिज हस्तांतरण फॉर्मूले में वन और पारिस्थितिकी को दिया गया भार राज्यों को वन आवरण बनाए रखने और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। वित आयोग की सिफारिशों के तहत निधि का वितरण निर्वाचन क्षेत्र-वार नहीं बल्कि राज्य-वार किया जाता है। तदनुसार, भरतपुर या देवास-शाजापुर क्षेत्रों के लिए कोई अलग आवंटन नहीं किया गया है।

(घ) वन कार्बन स्टॉक के आकलन सहित वन और वृक्ष आवरण की निगरानी, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा रिमोट सेंसिंग, जीआईएस-आधारित उपकरणों और जमीनी स्तर पर सूचीकरण विधियों का उपयोग करके द्विवार्षिक रूप से की जाती है। इन मूल्यांकनों में हरित भारत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए वनीकरण और पुनर्बहाली संबंधी कार्यकलापों का प्रभाव शामिल है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार वन कार्बन स्टॉक का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है।

(ङ) हरित भारत मिशन के तहत निधि को अनुमोदित वार्षिक संचालन योजनाओं के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया जाता है। कर्नाटक राज्य में पिछले तीन वर्षो और वर्तमान वर्ष के दौरान जीआईएम के तहत अनुमोदित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए निधि जारी की गई है। मिशन का कार्यान्वयन चयनित परिदृश्य जैसे सिद्धपुरा (उत्तर कन्नड), अर्कालगुड (हसन) और चिंचोली (कलबुर्गी) में किया जा रहा है। कर्नाटक राज्य द्वारा जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

अधिप्रमाणित

कीर्तिवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

अनुलग्नक-I

'हरित भारत मिशन के अंतर्गत पौधरोपण कार्य' के संबंध में दिनांक 30.03.2026 को उत्तर के लिए श्री अनुराग शर्मा, श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव, श्री प्रभुभाई नगारभाई वसावा, श्री विजय बघेल, श्री बलभद्र माझी, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्री रमेश अवस्थी, श्री भोजराज नाग, श्री दुलू महतो, श्रीमती कमलजीत सहरावत, श्री मनीष जायसवाल, श्री सुधीर गुप्ता, श्रीमती संजना जाटव, डॉ. निशिकान्त दुबे, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे, सुश्री कंगना रनौत, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री अनन्त नायक, श्री आलोक शर्मा, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, डॉ. के. सुधाकर, श्री सतीश कुमार गौतम, श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 5978 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

तालिका : आईएसएफआर 2015 और 2023 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार से वन और वृक्ष आवरण का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2015 (वर्ग किमी में)	2023 (वर्ग किमी में)
1	आंध्र प्रदेश	28389	35424.98
2	अरुणाचल प्रदेश	68009	67083.2
3	असम	29236	30415.01
4	बिहार	9470	9902.66
5	छत्तीसगढ़	59215	62350.45
6	दिल्ली	299.77	371.31
7	गोवा	2549	2523.54
8	गुजरात	22574	21648.93
9	हरियाणा	2939	3307.28
10	हिमाचल प्रदेश	15453	16435.42
11	जम्मू एवं कश्मीर	31342	25013.36
12	झारखंड	26261	27403.33

अधिप्रमाणित

कीर्तवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

13	कर्नाटक	41973	47033.42
14	केरल	22190	24965.3
15	मध्य प्रदेश	85235	85723.58
16	महाराष्ट्र	60186	65383.41
17	मणिपुर	17237	16795.28
18	मेघालय	17927	17687.4
19	मिजोरम	19283	18558.26
20	नागालैंड	13347	12616.49
21	ओडिशा	54340	58597.01
22	पंजाब	3315	3321.24
23	राजस्थान	24440	27389.33
24	सिक्किम	3392	3406.73
25	तमिलनाडु	30850	31820.94
26	तेलंगाना	24140	24696.7
27	त्रिपुरा	8044	7832.33
28	उत्तर प्रदेश	21505	23996.72
29	उत्तराखंड	24992	25534.97
30	पश्चिम बंगाल	18916	19770.45
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6788	6759.89
32	चंडीगढ़	31.03	46.18
33	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	263.61	262.45
34	लद्दाख*	0	3178.94
35	लक्षद्वीप	31.06	27.26
36	पुडुचेरी	82.38	73.2
	कुल	**7,94,244.85**	**8,27,356.95**

लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन 31.09.2019 को हुआ।

अधिप्रमाणित

कीर्तिवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

अनुलग्नक-II

'हरित भारत मिशन के अंतर्गत पौधरोपण कार्य' के संबंध में दिनांक 30.03.2026 को उत्तर के लिए श्री अनुराग शर्मा, श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव, श्री प्रभुभाई नगारभाई वसावा, श्री विजय बघेल, श्री बलभद्र माझी, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्री रमेश अवस्थी, श्री भोजराज नाग, श्री दुलू महतो, श्रीमती कमलजीत सहरावत, श्री मनीष जायसवाल, श्री सुधीर गुप्ता, श्रीमती संजना जाटव, डॉ. निशिकान्त दुबे, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे, सुश्री कंगना रनौत, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री अनन्त नायक, श्री आलोक शर्मा, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, डॉ. के. सुधाकर, श्री सतीश कुमार गौतम, श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 5978 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

तालिका : 'एक पेड़ माँ के नाम' के तहत भरतपुर, नबरंगपुर, क्योंझर और भोपाल जिले में पोर्टल के अनुसार किए गए कुल वृक्षारोपण का ब्यौरा :

क्र. सं.	जिला	शहरी अंकुर	ग्रामीण अंकुर	पौधों की कुल संख्या	साइटों की संख्या
1	भरतपुर	5,08,962	42,61,566	47,70,528	1,48,939
2	नबरंगपुर	72,505	19,31,333	20,03,838	12,852
3	क्योंझर	4,07,694	48,45,878	52,53,572	5,033
4	भोपाल	91,531	6,82,934	7,74,465	694

अधिप्रमाणित

कीर्तिवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

अनुलग्नक-III

'हरित भारत मिशन के अंतर्गत पौधरोपण कार्य' के संबंध में दिनांक 30.03.2026 को उत्तर के लिए श्री अनुराग शर्मा, श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव, श्री प्रभुभाई नगारभाई वसावा, श्री विजय बघेल, श्री बलभद्र माझी, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्री रमेश अवस्थी, श्री भोजराज नाग, श्री दुलू महतो, श्रीमती कमलजीत सहरावत, श्री मनीष जायसवाल, श्री सुधीर गुप्ता, श्रीमती संजना जाटव, डॉ. निशिकान्त दुबे, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे, सुश्री कंगना रनौत, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री अनन्त नायक, श्री आलोक शर्मा, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, डॉ. के. सुधाकर, श्री सतीश कुमार गौतम, श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 5978 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

तालिका : आईएसएफआर 2023 के अनुसार वन कार्बन स्टॉक का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा के अनुसार ब्योरा

क्र. सं.	राज्य	वन कार्बन स्टॉक '000 टन में
1	आंध्र प्रदेश	233592
2	अरुणाचल प्रदेश	1021160
3	असम	272310
4	बिहार	58451
5	छत्तीसगढ़	504614
6	दिल्ली	1221
7	गोवा	25513
8	गुजरात	108322
9	हरियाणा	10476
10	हिमाचल प्रदेश	255016
11	जम्मू एवं कश्मीर	371629

अधिप्रमाणित

कीर्तवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार

12	झारखंड	186434
13	कर्नाटक	408255
14	केरल	214084
15	मध्य प्रदेश	608420
16	महाराष्ट्र	464682
17	मणिपुर	175925
18	मेघालय	183230
19	मिजोरम	168477
20	नागालैंड	132629
21	ओडिशा	453678
22	पंजाब	13595
23	राजस्थान	110171
24	सिक्किम	56827
25	तमिलनाडु	217560
26	तेलंगाना	161732
27	त्रिपुरा	74254
28	उत्तर प्रदेश	120134
29	उत्तराखंड	376612
30	पश्चिम बंगाल	154366
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	108817
32	चंडीगढ़	199
33	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1962
34	लद्दाख	30651
35	लक्षद्वीप	217
36	पुडुचेरी	315
	कुल	**72,85,530 ('000 टन)**

अधिप्रमाणित

कीर्तवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

अनुलग्नक-IV

'हरित भारत मिशन के अंतर्गत पौधरोपण कार्य' के संबंध में दिनांक 30.03.2026 को उत्तर के लिए श्री अनुराग शर्मा, श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव, श्री प्रभुभाई नगारभाई वसावा, श्री विजय बघेल, श्री बलभद्र माझी, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्री रमेश अवस्थी, श्री भोजराज नाग, श्री दुलू महतो, श्रीमती कमलजीत सहरावत, श्री मनीष जायसवाल, श्री सुधीर गुप्ता, श्रीमती संजना जाटव, डॉ. निशिकान्त दुबे, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे, सुश्री कंगना रनौत, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री अनन्त नायक, श्री आलोक शर्मा, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, डॉ. के. सुधाकर, श्री सतीश कुमार गौतम, श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 5978 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

तालिका : पिछले तीन वर्षों और इस वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य द्वारा जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधि (लाखों रुपये में)			कुल उपयोग की गई निधि (लाखों रुपये में)
	केंद्रीय (60%)	राज्य (40%)	कुल	
2022-23	292.842	195.228	488.07	438.5
2023-24	233	161.89	394.89	444.83
2024-25	499	326.39	825.39	792.85
2025-26	95	63.336	158.33	108.47
कुल	**1119.84**	**746.844**	**1866.68**	**1784.65**

अधिप्रमाणित

कीर्तिवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

मूल उत्तर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5978
30.03.2026 को उत्तर के लिए

हरित भारत मिशन के अंतर्गत पौधरोपण कार्य

5978. श्री अनुराग शर्मा:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री विजय बघेल:
श्री बलभद्र माझी:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री रमेश अवस्थी:
श्री भोजराज नाग:
श्री दुलू महतो:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्रीमती संजना जाटव:
डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माने:
सुश्री कंगना रनौत:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री अनन्त नायक:
श्री आलोक शर्मा:
श्री राजीव प्रताप रूडी:
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
डॉ. के. सुधाकर:
श्री सतीश कुमार गौतम:
श्री भर्तृहरि महताब:

अधिप्रमाणित

कीर्तिवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 2015 और 2025 के बीच राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के अंतर्गत दर्ज पौधरोपण कार्य में आई कमी की जानकारी है और इस गिरावट ने देश में वन और हरित क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है और इस प्रकार के कार्यकलापों की विशेषकर भरतपुर, नबरंगपुर, क्योंझर और भोपाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी को दूर करने और पौधरोपण कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त मिशन के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है;

(ग) भरतपुर और देवास-शाजापुर क्षेत्रों सहित राज्यों को अपने वन क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु 16वें वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए गए वेटेज (वन क्षेत्र में वृद्धि और खुले वन समावेशन के लिए पुरस्कारों सहित) की विशिष्ट भूमिका का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हरित भारत मिशन के डिजाइन में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और सुदूर संवेदन का उपयोग करते हुए कार्बन पृथक्करण निगरानी को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है और यदि हां, तो उक्त निर्वाचन क्षेत्रों/क्षेत्रों सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और वन और पौधरोपण कार्यों पर इसका प्रभाव क्या है; और

(ङ) उक्त मिशन के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक द्वारा आवंटित और उपयोग की गई निधि का विशेषकर बेंगलुरु सहित शहर-वार ब्यौरा क्या है?

अधिप्रमाणित

उत्तर

कीर्तवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) हरित भारत मिशन (जीआईएम) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसी) के तहत नौ मिशनों में से एक है और इसका उद्देश्य अभिज्ञात भूदृश्यों में वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के उपशमन और अनुकूलन में योगदान करते हुए वन और वृक्ष आवरण की सुरक्षा, पुनर्बहाली और संवर्धन करना है। यह मिशन पारिस्थितिकीय, जल विज्ञान और सामाजिक-आर्थिक आयामों पर ध्यान देते हुए परिदृश्य आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जो परिदृश्य और सूक्ष्म-पारिस्थितिकी तंत्र स्तर पर वनों और संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के एकीकृत पुनर्स्थापन और प्रबंधन पर केंद्रित है। जीआईएम को एक अभिसरण-आधारित कार्यढांचे के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो कास्पा, मनरेगा, राज्य नानिकी योजनाओं और अन्य वनीकरण और जलविभाजक पहलों सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुरूप है। यह दृष्टिकोण संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है, प्रयासों के दोहराव से बचाता है और

सामुदायिक भागीदारी के साथ जुड़े परिदृश्य में पुनर्बहाली संबंधी कार्यों के स्तर को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। जीआईएम के तहत कार्यकलाप राज्यों द्वारा प्रस्तुत और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित परिप्रेक्ष्य योजनाओं और वार्षिक संचालन योजनाओं के आधार पर की जाती हैं।

जीआईएम ने भारत के वन और वृक्ष आवरण में समग्र वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत वन राज्य रिपोर्ट (आईएसएफआर) के अनुसार, वन और वृक्षों का आवरण वर्ष 2015 में 7,94,245 वर्ग किमी से बढ़कर वर्ष 2023 में 8,27,356.95 वर्ग किमी हो गया है, जो 33,111.95 वर्ग किमी की निवल वृद्धि दर्शाता है। ये उपलब्धियां निरंतर वनीकरण, पारि-पुनर्बहाली और जीआईएम सहित विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के कारण संभव हो पाई हैं। आईएसएफआर 2015 और 2023 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वन और वृक्ष आवरण का ब्यौरा अनुलग्नक-I में संलग्न है।

इसके अलावा, "एक पेड़ माँ के नाम" की व्यापक थीम के तहत, सार्वजनिक भागीदारी और चल रही योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से एक पर्यावरणीय और भावनात्मक प्रतिबद्धता के रूप में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 05 जून 2024 को एक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक वृक्षारोपण पहल शुरू की गई थी। एक पेड़ मां के नाम के तहत भरतपुर, नबरंगपुर, क्योंझर और भोपाल जिलों में किए गए समग्र वृक्षारोपण कार्यकलापों का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) वित्त आयोग वन और पारिस्थितिकी सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों को निधि के हस्तांतरण की सिफारिश करता है। क्षैतिज हस्तांतरण फॉर्मूले में वन और पारिस्थितिकी को दिया गया भार राज्यों को वन आवरण बनाए रखने और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निधि का वितरण निर्वाचन क्षेत्र-वार नहीं बल्कि राज्य-वार किया जाता है। तदनुसार, भरतपुर या देवास-शाजापुर क्षेत्रों के लिए कोई अलग आवंटन नहीं किया गया है।

(घ) वन कार्बन स्टॉक के आकलन सहित वन और वृक्ष आवरण की निगरानी, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा रिमोट सेंसिंग, जीआईएस-आधारित उपकरणों और जमीनी स्तर पर सूचीकरण विधियों का उपयोग करके द्विवार्षिक रूप से की जाती है। इन मूल्यांकनों में हरित भारत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए वनीकरण और पुनर्बहाली संबंधी कार्यकलापों का प्रभाव शामिल है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार वन कार्बन स्टॉक का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है।

(ङ) हरित भारत मिशन के तहत निधि को अनुमोदित वार्षिक संचालन योजनाओं के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया जाता है। कर्नाटक राज्य में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जीआईएम के तहत अनुमोदित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए निधि जारी की गई है। मिशन का कार्यान्वयन चयनित परिदृश्य जैसे सिद्धपुरा (उत्तर कन्नड़), अर्कलगुड (हसन) और चिंचोली (कलबुर्गी) में किया जा रहा है। कर्नाटक राज्य द्वारा जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

अधिप्रमाणित

कीर्तिवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

अनुलग्नक-I

'हरित भारत मिशन के अंतर्गत पौधरोपण कार्य' के संबंध में दिनांक 30.03.2026 को उत्तर के लिए श्री अनुराग शर्मा, श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव, श्री प्रभुभाई नगारभाई वसावा, श्री विजय बघेल, श्री बलभद्र माझी, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्री रमेश अवस्थी, श्री भोजराज नाग, श्री दुलू महतो, श्रीमती कमलजीत सहरावत, श्री मनीष जायसवाल, श्री सुधीर गुप्ता, श्रीमती रंजना जाटव, डॉ. निशिकान्त दुबे, श्री धैर्यशील संभाजीराव माने, सुश्री कंगना रनौत, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री अनन्त नायक, श्री आलोक शर्मा, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, डॉ. के. सुधाकर, श्री सतीश कुमार गौतम, श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 5978 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

तालिका : आईएसएफआर 2015 और 2023 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार से वन और वृक्ष आवरण का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2015 (वर्ग किमी में)	2023 (वर्ग किमी में)
1	आंध्र प्रदेश	28389	35424.98
2	अरुणाचल प्रदेश	68009	67083.2
3	असम	29236	30415.01
4	बिहार	9470	9902.66
5	छत्तीसगढ़	59215	62350.45
6	दिल्ली	299.77	371.31
7	गोवा	2549	2523.54
8	गुजरात	22574	21648.93
9	हरियाणा	2939	3307.28
10	हिमाचल प्रदेश	15453	16435.42
11	जम्मू और कश्मीर	31342	27403.33
12	झारखंड	26261	47033.42
13	कर्नाटक	41973	24965.3
14	केरल	22190	85723.58
15	मध्य प्रदेश	85235	65383.41
16	महाराष्ट्र	60186	16795.28
17	मणिपुर	17237	17687.4
18	मेघालय	17927	18558.26
19	मिजोरम	19283	12616.49

अधिप्रमाणित

कीर्तिवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

20	नगालैंड	13347	58597.01
21	ओडिशा	54340	3321.24
22	पंजाब	3315	27389.33
23	राजस्थान	24440	3406.73
24	सिक्किम	3392	31820.94
25	तमिलनाडु	30850	24696.7
26	तेलंगाना	24140	7832.33
27	त्रिपुरा	8044	23996.72
28	उत्तर प्रदेश	21505	25534.97
29	उत्तराखंड	24992	19770.45
30	पश्चिम बंगाल	18916	6759.89
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6788	46.18
32	चंडीगढ़	31.03	262.45
33	दादरा और नगर हवेली	234	25013.36
34	दमन और दीव	29.61	3178.94
35	लक्षद्वीप	31.06	27.26
36	पुदुचेरी	82.38	73.2
	कुल	794244.85	827356.95

अधिप्रमाणित

कीर्तिवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

अनुलग्नक-II

'हरित भारत मिशन के अंतर्गत पौधरोपण कार्य' के संबंध में दिनांक 30.03.2026 को उत्तर के लिए श्री अनुराग शर्मा, श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव, श्री प्रभुभाई नगारभाई वसावा, श्री विजय बघेल, श्री बलभद्र माझी, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्री रमेश अवस्थी, श्री भोजराज नाग, श्री दुलू महतो, श्रीमती कमलजीत सहरावत, श्री मनीष जायसवाल, श्री सुधीर गुप्ता, श्रीमती संजना जाटव, डॉ. निशिकान्त दुबे, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे, सुश्री कंगना रनौत, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री अनन्त नायक, श्री आलोक शर्मा, श्री राजीव प्रताप रुडी, श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, डॉ. के. सुधाकर, श्री सतीश कुमार गौतम, श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 5978 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

तालिका : 'एक पेड़ माँ के नाम' के तहत भरतपुर , नबरंगपुर , क्योंझर और भोपाल जिले में पोर्टल के अनुसार किए गए कुल वृक्षारोपण का ब्यौरा :

क्र. सं.	ज़िला	शहरी अंकुर	ग्रामीण अंकुर	पौधों की कुल संख्या	साइटों की संख्या
1	भरतपुर	508962	4261566	4770528	148939
2	नबरंगपुर	72505	1931333	2003838	12852
3	क्योंझर	407694	4845878	5253572	5033
4	भोपाल	91531	682934	774465	694

अधिप्रमाणित

कीर्तिवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

अनुलग्नक-III

'हरित भारत मिशन के अंतर्गत पौधरोपण कार्य' के संबंध में दिनांक 30.03.2026 को उत्तर के लिए श्री अनुराग शर्मा, श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव, श्री प्रभुभाई नगरभाई वसावा, श्री विजय बघेल, श्री बलभद्र माझी, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्री रमेश अवस्थी, श्री भोजराज नाग, श्री दुलू महतो, श्रीमती कमलजीत सहरावत, श्री मनीष जायसवाल, श्री सुधीर गुप्ता, श्रीमती संजना जाटव, डॉ. निशिकान्त दुबे, श्री धैर्यशील संभाजीराव माने, सुश्री कंगना रनौत, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री अनन्त नायक, श्री आलोक शर्मा, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, डॉ. के. सुधाकर, श्री सतीश कुमार गौतम, श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 5978 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

तालिका : आईएसएफआर 2023 के अनुसार वन कार्बन स्टॉक का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा के अनुसार ब्यौरा

सत्यप्रमाणित

कीर्तवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

क्र. सं.	राज्य	वन कार्बन स्टॉक '000 टन में
1	आंध्र प्रदेश	233592
2	अरुणाचल प्रदेश	1021160
3	असम	272310
4	बिहार	58451
5	छत्तीसगढ़	504614
6	दिल्ली	1221
7	गोवा	25513
8	गुजरात	108322
9	हरियाणा	10476
10	हिमाचल प्रदेश	255016
11	जम्मू और कश्मीर	186434
12	झारखंड	408255
13	कर्नाटक	214084
14	केरल	608420
15	मध्य प्रदेश	464682
16	महाराष्ट्र	175925
17	मणिपुर	183230

18	मेघालय	168477
19	मिजोरम	132629
20	नगालैंड	453678
21	ओडिशा	13595
22	पंजाब	110171
23	राजस्थान	56827
24	सिक्किम	217560
25	तमिलनाडु	161732
26	तेलंगाना	74254
27	त्रिपुरा	120134
28	उत्तर प्रदेश	376612
29	उत्तराखंड	154366
30	पश्चिम बंगाल	108817
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	199
32	चंडीगढ़	1962
33	दादरा और नगर हवेली	371629
34	दमन और दीव	30651
35	लक्षद्वीप	217
36	पुदुचेरी	315
	कुल	7285530

अधिप्रमाणित

कीर्तिवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

-8-

अनुलग्नक-IV

हरित भारत मिशन के अंतर्गत पौधरोपण कार्य के संबंध में दिनांक 30.03.2026 को उत्तर के लिए श्री अनुराग शर्मा, श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव, श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा, श्री विजय बघेल, श्री बलभद्र माझी, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्री रमेश अवस्थी, श्री भोजराज नाग, श्री दुलू महतो, श्रीमती कमलजीत सहरावत, श्री मनीष जायसवाल, श्री सुधीर गुप्ता, श्रीमती संजना जाटव, डॉ. निशिकान्त दुबे, श्री धैर्यशील संभाजीराव माने, सुश्री कंगना रनौत, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री अनन्त नायक, श्री आलोक शर्मा, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, डॉ. के. सुधाकर, श्री सतीश कुमार गौतम, श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 5973 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

तालिका : पिछले तीन वर्षों और इस वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य द्वारा जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधि (लाखों रुपये में)			कुल उपयोग की गई निधि (लाखों रुपये में)
	केंद्रीय (60%)	राज्य (40%)	कुल	
2022-23	292.842	195.228	488.07	438.50
2023-24	233.00	161.89	394.89	444.83
2024-25	499.00	326.39	825.39	792.85
2025-26	95.00	63.336	158.33	108.47
कुल	1119.842	746.844	1866.68	1784.65

*****

अधिप्रमाणित

कीर्तिवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

-9-

वक्तव्य: दिनांक 30.03.2026 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5978 के उत्तर में सुधार संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत करने में हुई विलंब के कारणों का विवरण

दिनांक 30.03.2026 को **'ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत वृक्षारोपण गतिविधियां'** विषय पर माननीय संसद सदस्यों—श्री अनुराग शर्मा, श्री चव्हाण रवीन्द्र वसंतराव, श्री परभुभाई नागरभाई वसावा, श्री विजय बघेल, श्री बलभद्र माझी, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, श्री रमेश अवस्थी, श्री भोजराज नाग, श्री डुलू महतो, श्रीमती कमलजीत सेहरावत, श्री मनीष जायसवाल, श्री सुधीर गुप्ता, श्रीमती संजना जाटव, डॉ. निशिकांत दुबे, श्री धैर्यशील संभाजीराव माने, सुश्री कंगना रनौत, श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री अनन्त नायक, श्री आलोक शर्मा, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, डॉ. के. सुधाकर, श्री सतीश कुमार गौतम तथा श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5978 के उत्तर में सुधारार्थ वक्तव्य निर्धारित सात दिवस की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जा सका, क्योंकि उक्त उत्तर में विद्यमान त्रुटि का संज्ञान निर्धारित समय-सीमा व्यतीत होने के पश्चात् हुआ।

अधिप्रमाणित

(कीर्तवर्धन सिंह)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

भारत सरकार

कीर्तवर्धन सिंह
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
भारत सरकार
इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003

11.04 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL FOR AMENDING THE EIGHTH SCHEDULE TO THE FINANCE ACT, 2002

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3ख के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 11 अप्रैल, 2026 की अधिसूचना संख्या 14/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, [सा.का.नि.272 (अ), 11 अप्रैल, 2026], जिसका आशय हाई स्पीड डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क दर को बढ़ाकर 24 रुपये प्रति लीटर करने के लिए वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची का संशोधन करना है, का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3ख के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 11 अप्रैल, 2026 की अधिसूचना संख्या 14/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, [सा.का.नि.272 (अ), 11 अप्रैल, 2026], जिसका आशय हाई स्पीड डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क दर को बढ़ाकर 24 रुपये प्रति लीटर करने के लिए वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची का संशोधन करना है, का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अच्छा, वे सदस्य जो 'नो' कह रहे हैं, वे बता दें कि आपका विरोध किसलिए है? यह संसद है। आप यह बताइए कि आपका विरोध क्यों है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, सदन में आप देश की सबसे सर्वोच्च संस्था के संसद सदस्य हैं इसलिए 'हाँ' और 'ना' आपका अधिकार है, लेकिन कई विषय ऐसे होते हैं, जिन पर सर्वसम्मति होती है।

… (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : सर, मैं उर्दू में एक शेर सुनाना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, सुनाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक बात बताऊं, जब मैं ओवैसी साहब को बोलने देता हूं, तो हमारे माननीय सांसद जावेद साहब कहते हैं कि आप ओवैसी साहब को बोलने देते हैं, लेकिन हमें यह आजादी नहीं है। आप यह आरोप लगाते हैं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सर, उनका आरोप बिल्कुल सही है।

माननीय अध्यक्ष : तो ठीक है, अब मैं आपको नहीं बोलने नहीं दूंगा।

आइटम नंबर 7, श्री पंकज चौधरी जी।

<u>11.05½ hrs</u>

STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL FOR AMENDING THE SIXTH SCHEDULE TO THE FINANCE ACT, 2018

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क तथा वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 111 और 112 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3ख के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 11 अप्रैल, 2026की अधिसूचना संख्या 15/2026-

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (सा.का.नि.273 (अ), 11 अप्रैल, 2026), जिसका आशय हाई स्पीड डीजल पर सड़क और अवसंरचना उपकर को बढ़ाकर 36 रुपये प्रति लीटर करने के लिए वित्त अधिनियम, 2018 की छठी अनुसूची का संशोधन करना है, का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क तथा वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 111 और 112 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3ख के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 11 अप्रैल, 2026की अधिसूचना संख्या 15/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (सा.का.नि.273 (अ), 11 अप्रैल, 2026), जिसका आशय हाई स्पीड डीजल पर सड़क और अवसंरचना उपकर को बढ़ाकर 36 रुपये प्रति लीटर करने के लिए वित्त अधिनियम, 2018 की छठी अनुसूची का संशोधन करना है, का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपके कई सदस्य भी कहते हैं कि नोटिस में नाम हमारा था, आपने वेणुगोपाल जी को कैसे बुला दिया?

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : सर, आपका मूड आज अच्छा है।

माननीय अध्यक्ष : मैं तो इस मत का हूं कि पूरे देश का मूड आज अच्छा होना चाहिए।

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, in an extraordinary situation, an extraordinary Gazette Notification had come yesterday at 9:55 pm. … (*Interruptions*) There are two issues. … (*Interruptions*)

Yesterday morning, the hon. Law Minister introduced the Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026. This Gazette

Notification clearly states:

> "S.O. 1922 (E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, the Central Government hereby appoints the 16th day of April, 2026 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force."

माननीय अध्यक्ष : यह विषय आपकी तरफ से माननीय सदस्य ने दिया है।

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, I have only one question. … (*Interruptions*) Without notifying, how can the hon. Minister move an amendment? … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप इस पर बोलना चाहते हैं?

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): We want a clarification. … (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): We need a clarification. … (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI: Sir, the Government should clarify. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं स्पष्टीकरण कर दूंगा। आप कृपया कनीमोझी जी को बोलने दीजिए। आप दूसरे सदस्य को मत रोकें।

कनीमोझी जी, क्या आप बोलना नहीं चाहती हैं?

… (व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I want to speak, but the House is not in order. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप कृपया महिला सांसद को बोलने दीजिए। विषय बहुत गंभीर है। यदि आप बोलने नहीं देंगे तो मामला और अधिक गंभीर हो जाएगा। मैंने व्यवस्था दे दी है। श्रीमती कनीमोझी जी बोलेंगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती के.कनिमोझी जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या मैं अगले वक्ता को बुलाऊँ? आप बोलना चाहती हैं तो बोलना शुरू कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इस पर आपको व्यवस्था देता हूँ। मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। मैं अभी व्यवस्था दे रहा हूँ। अभी इसकी व्यवस्था करते हैं। कृपया बैठिए। अभी इसकी व्यवस्था करते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप आपस में डिबेट मत कीजिए।

कनिमोझी जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Sir, the House is not in order. *... (Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

… (व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Thank you, Sir. The colleagues here have raised a very important point. The Government has notified it without passing of the Bill. What is the point? Last night, nearly around 10 o'clock you

issued it. What is the point of discussion over it, after you have notified it. We want a clarification on that. I stand before this House not just as a Member of Parliament, and not as a member of the Dravida Munnetra Kazhagam party. *... (Interruptions)*

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, Parliament is supreme. They are not supreme. *... (Interruptions)* सर, यह ठीक नहीं है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओवैसी साहब, मैंने आपसे हां भर रखी है। मैं इस पर व्यवस्था दे रहा हूँ। अभी इस पर बात करते हैं। हम सब चीज करा देंगे। अभी इस पर बात करते हैं। किनमोझी जी के भाषण के बाद इस पर बात करेंगे। मैं इस पर अभी कुछ देर में व्यवस्था देता हूँ। अभी आप लोग कनिमोझी जी को बोलने दें।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सर, मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप उनको बोलने की अनुमति दें। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गौरव जी, अभी इस पर बात करते हैं।

… (व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Sir, what is the logic of this Bill. How can we debate it when it is gazetted. *... (Interruptions)*

SHRI ASADUDDIN OWAISI : We are discussing a Bill, and they are issuing a Gazette Notification. *... (Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : कनिमोझी जी, आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

… (व्यवधान)

<u>11.13 hrs</u>

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND THIRTY-FIRST AMENDMENT) BILL, 2026
AND
UNION TERRITORIES LAWS (AMENDMENT) BILL, 2026
AND
DELIMITATION BILL, 2026----Contd.*

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): I stand before this House today not just as a Member of Parliament or as a representative of Dravida Munnetra Kazhagam, but as a voice of the eight crore people of Tamil Nadu who have been told, in the midst of State elections, that their votes will count for less and their voice in this Parliament will be diminished.

Furthermore, it is truly shocking that, since yesterday, we have been discussing a Bill here, and the Government has taken its own time to notify it. When Members were called for discussion on this Bill yesterday, what was the need and necessity to notify it on the same day? What does this mean? What respect does this reflect for this House? *... (Interruptions)*

The Government has introduced three Bills in this Special Session, called in haste and timed in a manner that disrupts the ongoing elections in many States, including mine. I rise to oppose these Bills on behalf of my party and my State. Let me begin by stating that these three Bills, disguised as if they are in support of the reservation of women, constitute the single greatest assault on the Indian federal structure.

---

* Further discussion on the motions for consideration of the Bills moved by Shri Arjun Ram Meghwal and Shri Amit Shah on 16th April 2026.

This Government often relies on the public not knowing the history. At the heart of this issue lies the history of delimitation, a history of a promise made by Parliament to the people of the Southern States – Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. These five States have resisted the onslaught of the Bharatiya Janata Party and have stood out as role models for inclusive development.

The delimitation process began in 1952, soon after the Republic was founded. It was a constitutional solution to a demographic problem - how to balance population growth with fair representation. All of us abided by the constitutional provisions in Articles 82 and 170. By 1973, when the Third Delimitation Commission had completed its work, there was also a push for population control. This National Population Policy was introduced across the country to contain the rapidly growing population.

The first freeze on delimitation took place in 1976. This was fixed for a period of 25 years, based on the 1971 Census. Let us not forget that it was the Congress Government, Madam Indira Gandhi's Government that recognised this issue and brought the Bill. In the 1976, by 42nd Amendment, Parliament froze the total number of Lok Sabha seats at 543. This freeze was not a technical detail. It was a constitutional compact, a promise made to every family in India and South India that compliance with objectives of the national policy would not cost them their political voice. Over time, Southern India - Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, and Andhra Pradesh - had begun to invest in schools, hospitals, women's health. We listened to the Union Government's

repeated call to control our population. We complied. Our fertility rates fell. Our families became smaller.

In 2001, understanding that some States, especially Southern States and other States like Punjab, had done a better job at these indicators and some other States had to catch up, there was a Union Government which listened to the voices of the people from the South. Yes, I have to give you credit when you deserve it. We are unlike you, always finding fault with us. When there is something to appreciate you, we always appreciate. So, under the Vajpayee Government, the Parliament extended that freeze through the 84^{th} Amendment until after the first Census following 2026, 24 more years of protection because then Parliament, in its collective wisdom, understood that this injustice had to be addressed. Why do we have to increase the seats now to 850? On what basis? The Statement of Objective states that there is a change in demographic profile. Yet, you are using a 15-year-old 2011 Census data to conduct delimitation. You are contradicting yourselves. Most of the MPs, after making the seats 850, might not even get a chance to speak in this Parliament for five years.

Sir, I want to tell this House about a family in Tamil Nadu, a mother and a father, first generation literates. They had only two children, not five, not six, because they believed in family planning, because the Government told them that was the right thing for the country, because they wanted their children to have a better life. That is the story of Tamil Nadu and the South Indian States. Today, Tamil Nadu's total fertility rate is 1.6, lower than France, lower than

Australia, lower than the United States, your friends. We have completed what the demographers call a demographic transition. Our population is stable. Our women are educated. By every measure of human development, Tamil Nadu is a success story that the country has to be proud of. But what does this Government say to that family in Tamil Nadu? It says, ‘sorry, you made a wrong choice. You made a mistake by listening to us. You made a mistake by listening to this, because you cared about this country’. Because you put the country first, you have to suffer. We are going to reduce your representation. Uttar Pradesh's population has grown by 120 per cent since 1971. Tamil Nadu's only by 15 per cent. And contrary to what the Home Minister said yesterday, Clause 4 of the Delimitation Bill clearly states that the allocations of seats will be on the basis of the latest Census figures. The Home Minister says one thing, the Bill says another thing. Now, the latest available Census is 2011 but again, according to the 2011 formula, UP gains 13 seats. Tamil Nadu loses 11 seats. But the Home Minister yesterday told us that by increasing 50 per cent seats, Tamil Nadu will gain 20 seats. Tamil Nadu has 39 seats, and will have 59 seats.

Sir, our ideological leader Periyar taught us, justice is not giving every person the same thing. Justice is giving every person what they need and what they deserve. But unfortunately, your Government thinks what it needs and what it deserves is what the whole nation deserves and what the whole nation needs.

Other than this, let me state two critical legal issues present in the Bill.

The Constitution Bill says that the delimitation will be based on such census as Parliament may by law determine. This is vague and leaves everything open. It literally means that whichever party has a majority in Parliament gets to decide which census is used to draw the electoral map of this country. Today, you might choose 2011, tomorrow you can choose 2031 and day after it can be 1991. This shows a non-application of mind or a mind determined to push its own agenda on this country.

Second, the Delimitation Commission will be chaired by a retired Supreme Court judge appointed entirely by the Union Government with no consultation with the Chief Justice of India, no consultation with any State Government and no parliamentary confirmation. As per Clause 5 of the Delimitation Bill, the States get so-called associate members, 5 MPs and 5 MLAs, who are not allowed to vote, who are not allowed to sign the Commission's decisions, not allowed to do anything except sit and watch from the wings. The Home Minister said, "50 per cent increase across the States." I want to know what happens when the Delimitation Commission does not agree to the Home Minister's suggestion. Are you going to bulldoze the Delimitation Commission also like what you are usually doing? Will the Government then challenge the orders of the Delimitation Commission? Clause 10(2) of the Delimitation Bill, 2026 says, "After the publication of the orders by the Delimitation Commission, these orders cannot be questioned in any court." Where should we go seeking fair delimitation in such a situation? Where is our guarantee? The Constitution in Article 368 says that amendments affecting the

representation of States in Parliament must be ratified by at least half the State Legislatures, not just passed by the Parliament, ratified by the States. If this Government is so confident that the Delimitation Bill is fair, why do you not place these Bills before the Tamil Nadu legislature, before the Kerala legislature, before the Karnataka legislature or before any legislature? If the Government truly believed in cooperative federalism -- the slogan it has used a thousand times on different stages -- why are you running away from the State Legislatures? Have you even called for a meeting? Have you even consulted with the Chief Ministers? Have you even spoken to the States? Have you bothered? The Government passed the Women's Reservation Bill in September, 2023 with great fanfare. The Prime Minister called it a civilisational commitment. But they put a condition in that very Act: the women's reservation would only work after the 2021 census, which is not scheduled to happen till next year. When was the 2021 census supposed to happen? In 2021. But what happened? You said because of COVID, you had to postpone the census. Then you said because of operational reasons, you could not hold the census. Then by simply not talking about it, you did not hold the census.

Sir, the largest democracy in the world, the country that invented modern census could not conduct census in this country. Now that it is politically convenient, they want to use 2011 census to redraw the map of the Indian democracy. They postponed the census and now they are rewarding themselves with the old census.

Sir, I really admire that you are the only Government which can turn its

failure into a political advantage. Look at when this special session has been called -- in the midst of elections in five States. And to speak about timing, because timing is everything in politics, the timing of this Bill is so nakedly, breathtakingly political that I am almost impressed by its audacity. The entire Opposition asked you to hold this session after the elections. You ignored it. And yesterday you told us that for giving women their rights, bringing these Bills are of utmost urgency. You cannot even wait for two weeks. You came to the Government in 2014. The entire Opposition has been requesting you to bring the Women's Reservation Bill. All the leaders in the Opposition have written to you. Our leader, our Chief Minister M.K. Stalin has written to the Prime Minister saying that the Bill should be passed. The DMK women's wing had a rally in Delhi asking for the Bill to be passed. We have raised this issue thousands of times in Parliament. And for more than a decade, you did not see or understand the urgency. But today, you cannot even wait for two weeks and you want to believe us that you care about women's rights.

Sir, this is not constitutional reform you are talking about. This is an electoral rescue strategy in these States because you are not going to do well in most of the States. The Constitution (106th Amendment) Act, 2023, the Women's Reservation Act was welcomed by most of the Opposition Parties here and the DMK also welcomed it. But we said it then and we are also saying it now -- tying the Women's Reservation Bill to delimitation is a trap. It was designed so that you could never have one without the other; so that the BJP can say: if you oppose delimitation, then you are opposing women's

rights; if you oppose the reduction of Tamil Nadu’s representation, you are against women.

The BJP is using women of India as a human shield for its electoral ambitions. The women of Tamil Nadu, who have the highest literacy rate in India, who have the highest female workforce participation in the country, who have fought and won in panchayats, cooperation councils and State Assemblies, will not allow their cause to be hijacked. The women of this country today deserve reservation in the existing 543 seats without waiting for anything else.

I ask the hon. Home Minister: why can you not simply amend Article 334A to remove the delimitation precondition? Why can you not give women one-third reservation in the existing constituencies through rotation starting from the 2029 election, without delimitation? If you really care about women’s representation, the path is clear and simple. Why do you refuse to take it? Sir, the women of this country have been starved of political power for decades, for centuries. There is a loaf of bread in front of us. We are saying we are starving, share it with us. But the Government is saying, “No, you cannot disturb this loaf. You cannot touch it. Wait, we will bake a huge cake and then we will bring it and then give you a small portion of that.” How does it make any sense? Is this your civilisational commitment?

The women of this country have been working hard all their lives. They protected their families. They protected this country. They have sacrificed for the nation. Yet all their hard work goes unrecognised and not respected

because you want to tie it with delimitation. Sir, my friends across the aisle will accuse me of creating fear. But the real dangers of this Bill are that our Constitution and Article 368 requires two-third majority in the Parliament to amend it. That is not a small number. It was designed to ensure that no single region, no single language group and no single community could change the fundamental rules of India without broad consent across this great nation. But what happens after this delimitation? Right now, in this House, we have 543 MPs. The two-third majority is 362. Let us say the seats are increased to a maximum of 850 MPs as per the Home Minister’s assurance, 50 per cent increase across the States. Then, the total number of seats would be around 816. With an increase across the States, the total number of seats would be around 816. States like Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Uttarakhand, Chhattisgarh and Jharkhand together would hold approximately 400 to 420 seats in such an expanded 816 seats of Lok Sabha. In an 816-seat House, the two-thirds threshold would be 544 seats. If you add smaller BJP-aligned States like Gujarat and Himachal Pradesh, the arithmetic becomes terrifyingly clear. The heartland can approach a Constitutional amendment majority without a single vote from Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Punjab, Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal or the North East. So, this is your plan. The collective bargaining power of the southern States will be effectively reduced. Their voices are not even required for fundamental changes in the Constitution. This will create an environment where the policies of the Union Government will be pushed down on the people who will believe

that this nation should remain a secular democracy. This Bill looks like a prelude and a facilitator for your future agendas.

Moreover, the southern States will stand to lose out on the President's election as well. Article 55 governs Presidential election vote values. Changing population definition here will alter the vote value of each MLA and MP in Presidential elections giving more electoral weight to MLAs from States that gain seats through delimitation. It directly affects the federal balance in the Presidential polls. This Bill is ambiguous in the least, misleading and it has no clarity or purpose.

Let us see an illustration through the Tamil Nadu share of seats in the Lok Sabha. At present, we have 39 seats. As per these Bills, which say that 2011 census will be followed, it will become 32 seats given there is no change to the 543 seats. If the maximum seats are increased to 850, as the Home Minister told us yesterday, Tamil Nadu will gain 48 seats. But if the seats are increased to 50 per cent across the States, as Home Minister says, it will get around 59 seats. Now, I ask the Home Minister as to which of the above scenarios will happen? Will it be 2011 census or will it be just increased based on 2011 census, what the Home Minister said? These are three different numbers. We would like to have a clarity on what will happen.

We have seen in this House during many decades that many promises have been made and many assurances have been given, and all that has melted into the polluted air of Delhi. Nothing has seen the light of the day. We request you to make it a part of the Bill, that is whatever assurances are there.

Data says that nearly 80 per cent to 90 per cent of the assurances given by this Government on the floor of the House are never seen through.

The Tamil Nadu Chief Minister, Shri M. K. Stalin has built a Joint Action Committee of democratic parties and State Governments to fight this delimitation. We have held all-Party meetings in Chennai, we have passed Resolutions, we have written to the Prime Minister, and we have demanded that the Parliament not rush these Bills through in a Special Session called without adequate notice or without Standing Committee examination or without even the courtesy of consulting the States whose future is being decided.

The Prime Minister has not met us. The Government has not convened a meeting of the National Development Council. The Inter-State Council, which exists exactly for this reason, has not been convened. Instead, they called a Special Session of Parliament and scheduled these Bills for passage in a matter of a few days. This is not cooperative federalism. This is just calculative politics.

In S. R. Bommai *versus* Union of India case of 1994, the Supreme Court has stated that States have an independent Constitutional existence and they have as important a role to play in the political, social, educational and cultural life of the people of the Union. They are neither satellites nor agents of the Centre.

In the Rameshwar Prasad *versus* Union of India case of 2006, the Supreme Court held that the basic principles of federalism are that the Legislative/Executive authority is partitioned between the Centre and the

States, not by any law to be made by the Centre, but by the Constitution itself. This is what the Constitution does. The States, under our Constitution, are in no way dependent upon the Centre for their legislative or executive authority. The Centre and the States are co-equal in this matter.

Unfortunately, this Government does not recognise the rights of the States. It simply thinks we are here to serve the masters in Delhi according to their dictate. The DMK is not here merely to oppose. We are here to govern, to protect and to propose. The Tamil Nadu and the DMK demand that this Government should implement the Women's Reservation Bill immediately in the existing 543 Lok Sabha seats through rotational reservation, and de-link it completely from delimitation exercise, and then we can support this Bill. The women of India should not be made to wait for a delimitation exercise that serves the BJP's political interests. Withdraw these three Bills immediately and refer them to a Joint Parliamentary Committee that includes representation from all States and all Parties. Do not rush a 25-year electoral map through a special Session in 48 hours. Convene a constitutional conference of all State Chief Ministers to deliberate on the delimitation framework before any legislation is enacted. India deserves the consultation.

Our Chief Minister, our Party President, yesterday promised the people of Tamil Nadu that not one seat will be lost on his watch. And yesterday, when the DMK Floor leader mentioned in Parliament that our leader, MK Stalin, hoisted a black flag, you dismissed it by saying that black flag or blue flag does not matter. You brushed it aside. … (*Interruptions*) Yes, Sir, you brushed it

aside by saying a black flag or a blue flag does not matter. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रोटेस्ट करें, यह आपका अधिकार है। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: A black flag is a sign of protest, a sign to say we will stand up and fight and we shall not give up. … (*Interruptions*) And it is the colour that Dr Babasaheb Ambedkar chose for his Party flag. … (*Interruptions*) It is the same blue colour which Dr. Babasaheb Ambedkar chose which you dismissed. He is the man who taught us that we should educate, agitate and organise. The man who wrote the Constitution chose this colour. You are trying to dilute and we here are trying to protect. … (*Interruptions*)

Yesterday, the Prime Minister, when he saw us in black, said that he was reminded of a black dot or a tika. It is there to drive away evil forces or evil eye or whatever. Sir, I am surprised that people here who are there to protect Hindutva were not reminded of Kali, the Goddess, the dark Goddess who wears black, the feminine power, the woman, the Goddess who is supposed to drive away ego, arrogance and ignorance. And the same black colour we have chosen to protest is the colour of Periyar, our intellectual leader. He taught us self-respect. He taught us never to bow. He taught us fight till the end and we will fight till the end.

We oppose these Bills, in the name of our leaders Arignar Anna and Kalaignar Karunanidhi who said, “States are not a unit of a unitary State but equal partners of a federation”, in the name of our Chief Minister, Muthuvel

Karunanidhi Stalin, who even in an article today has said, “This Bill should be withdrawn. A fresh Bill should be introduced and placed in the public domain for at least three months for wider consultation.” He says, "The moment calls for reflection, not expediency; deliberation, not haste. If the Constitution is to endure as a charter of trust, its amendment must be guided by principle anchored in fairness, restraint, and fidelity to the Republic's enduring integrity"

*"Tamil Nadu will fight for it's right and Tamil Nadu will win." * Thank you Vanakkam.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बधाई बाहर दीजिएगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन में डिस्टर्बेंस मत कीजिए।

… (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr Speaker. I must say that we all strongly endorse the very impressive presentation by the former speaker because this is a matter that touches the very soul of our democracy: the representation of half of our population in the hallowed halls of this Parliament. And for decades, the Women's Reservation Bill has been the long promised, frequently discussed, perpetually delayed like "Waiting for Godot of our political system”.

Today, we stand at a threshold where there is remarkably a near-

---

..... English translation of this part of speech was originally delivered in Tamil.

unanimous political consensus in favour of women's reservation. Every major Party in this House recognises that the time for tokenism is over and the era of equal partnership must begin. Yet, I find myself deeply perturbed by the legislative exercise before us. The Prime Minister says the Government has brought "Naari Shakti" a gift of justice, but he has wrapped it in the barbed wire, tethering the implementation of women's reservation to the expansion of Parliament, to numbers from the 2011 Census and an exercise of delimitation. Why, Mr. Speaker, must we entangle a moral imperative with a demographic minefield? Women's reservation is ready for harvest. खेत की फसल काटने के लिए तैयार हैं दोस्तों । It can, and should, be implemented immediately based on our existing parliamentary strength. To link it to delimitation is to hold the aspirations of Indian women hostage to one of the most contentious and complex administrative exercises in our nation's history.

Delimitation is not a mere bureaucratic rearranging of maps; it is a profound shift in political power that is intended. Linking women's reservation to it effectively holds the aspirations of Indian women hostage to one of the most contentious political exercises in our history. Such an exercise carries risks that could strain the very fabric of our federalism, as you heard from the previous speaker. Any delimitation exercise is fraught with complications that could tear at the very fabric of our federalism. We must be candid about what is at stake when Constituencies are redrawn based on current population figures or even the 2011 Census. Let us face it. Delimitation requires a serious discussion. We face a profound demographic divergence. There are at least

three major fault-lines in our country. First one is the balance between small States and big States. Second one is the balance between States, particularly in the South like Kerala and Tamil Nadu, which have diligently implemented national goals of population control and invested in inclusive human development, and those States, mainly in the North, which have not. Yet in future delimitations, States that have failed to curb population growth would be rewarded with greater political weight. We must ask if this is the message we wish to send that governance excellence leads to political irrelevance.

Third one is the balance between the States that are the engines of our economy, contributing more to the national exchequer than they receive, and those that are net recipients of Central funds. A delimitation based purely on population would further marginalise the voices of those States that provide the lion's share of the resources that keep our Union afloat. We risk creating a tyranny of the demographic majority, where a handful of large, poor States could theoretically determine the fate of the entire country, leaving smaller States and those with distinct linguistic and cultural identities and economic contributions feeling like bystanders in their own country.

Conversely, States with high population growth but lower economic productivity could gain outsized political power without corresponding fiscal responsibility. What happens to cooperative federalism? You have proposed delimitation with such haste, the same haste that you showed on demonisation. Unfortunately, we all know what damage that did to the country. Delimitation will turn out to be political demonisation. Do not do it, Sir.

Now, I would like to address the so-called 50 per cent formula that was presented yesterday by the Home Minister regarding the delimitation exercise. The assurance – given that no State will lose its current number of seats and that the total strength of the House will be increased by 50 per cent – remains, at best, a precarious political promise rather than a legislative certainty. This is because such a pledge is fundamentally at odds with the existing legal framework, which grants wide discretion to the Delimitation Commission appointed by the Government. Its decisions are final and cannot be challenged in a court of law. Since this formula has not been codified as a binding constitutional or statutory safeguard, it can be easily altered or even discarded by a simple parliamentary majority. Therefore, it offers no durable guarantee beyond the immediate term.

Furthermore, expanding the Lok Sabha to an 850-Member House would result in a legislature that is by far the largest in any democracy in the world. Such a body risks becoming unwieldy and difficult to manage. This concern becomes even more pressing in the present context, where the duration of parliamentary sittings has been steadily declining. While the first and second Lok Sabhas met for an average of around 125 days annually, the 16th and 17th Lok Sabhas saw this figure fall to below 60 days. In such a constrained schedule, how would meaningful participation be ensured? An 850-Member chamber would require at least a doubling of the current time allocated for Question Hour, Zero Hour, etc.

माननीय अध्यक्ष : अगर मेरे कार्यकाल में होगा, तो मैं सबको मौका दे दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल भी इसी महिला संशोधन बिल पर रात को 1 बजकर 25 मिनट तक सभी महिला सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया।

… (व्यवधान)

डॉ. शशि थरूर : सर, मुझे आपके बारे में भी चिंता है । A majority of Members of Parliament would have little or no opportunity to speak. You will have to double the time allotted to Question Hour and Zero Hour failing which a majority of Members of Parliament would be effectively silenced. How will you manage it with 850 Members? With the present strength of 543 Members, many of our Members sometimes do not get chance to ask questions… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : शशि थरूर जी, मैं आपको बोलने से रोकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं बोल सकता है कि मैं किसी को बोलने का मौका नहीं देता हूँ, चाहे शून्य काल हो, चाहे विधेयक हो । जो सदस्य जितनी देर बोलना चाहता है, उसे बोलने दिया जाता है । मैं रात को भी अंतिम रूप से लास्ट तक उपस्थित रहता हूँ कि अगर कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए बाकी रह गया है, तो मैं उसे भी बोलने देता हूँ।

डॉ. शशि थरूर : जब 850 सदस्य हो जाएंगे, तो आपका क्या हाल होगा, मुझे पता नहीं?

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): But time constraint will be there.

माननीय अध्यक्ष : राजा जी, मैं फर्स्ट टाइमर को विशेष रूप से बोलने का मौका देता हूँ। कोई भी फर्स्ट टाइमर माननीय सदस्य ऐसा नहीं बोल सकता है कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। जय प्रकाश जी, मैं बोलने का मौका देता हूँ ना?

DR. SHASHI THAROOR: Sir, let me continue. Another concern is that while the size of the Lok Sabha is being expanded under the Government's proposal, there is no corresponding increase in the strength of the Rajya

Sabha. This raises a serious structural issue as it alters the balance between the two Houses.

In the event of a joint sitting, the significantly larger Lok Sabha would inevitably dominate the voting process. This imbalance would also extend to the election of the President and Vice President, where each Member of Parliament casts an equal vote. So, we are effectively amplifying our own House and increasing our own weight, without, unfortunately, extending the same consideration to our colleagues in the Upper House. If the Rajya Sabha is indeed the Council of States, one can readily understand the concern among States that their weightage is not being respected.

These are not issues that can be resolved through arithmetic alone. They require a great compromise – a historic settlement that ensures no region feels disadvantaged or marginalised. Even though one of the hon. Members of BJP criticised me for referring to international examples, I would submit that there is no harm in examining how other diverse federations have addressed similar tensions.

In 1787, during the framing of the United States Constitution, the framers faced a deadlock between large and small States. This resulted in what is known as the Connecticut Compromise - a bicameral structure with a House of Representatives based on population, and a Senate where each State, irrespective of its size, has equal representation.

Thus, a smaller state like Goa or Sikkim would, in such a model, have the same number of seats in the Upper House as a much larger state like Uttar

Pradesh. I am not suggesting that we adopt this model but we should discuss it.

There is another idea, say, the European Parliament, where they use a system of principle of digressive proportionality, where larger States do have more seats than smaller ones; so, larger States will have more MPs, but smaller States are given more seats than a strict population ratio would justify. So, it is true that in the European Parliament, a Maltese MP will represent only 80,000 people; a German MP will represent 8 lakh people. But it does not matter; they stay united. So, we need to consider these options. We are a Union of States, and the whole idea is that we want to create a formula in a serious delimitation discussion where the smallest members of our country and our polity still have a voice loud enough to be heard.

These models teach us that in a complex Union, the principle of “one person, one vote, one value” which has been cited by the Ruling Party, must be balanced with the principle of “one State, one equal partner, one value” in a country like ours. As India approaches a new delimitation exercise, the Constitutional question is whether the spirit of cooperative federalism can be preserved through a model that respects demographic reality while preventing structural domination by a few large Hindi-speaking States. Digressive proportionality would not violate constitutional democracy. It would operationalise the Constitution's deeper commitment to the Indian principle of balancing unity with diversity.

सर, सीमांकन से जुड़े मुद्दों पर सभी हितधारकों, सभी राज्य सरकारों, सभी राजनैतिक

दलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है और न ही इसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लागू करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकार देश के निर्वाचन मानचित्र को पर्याप्त विचार-विमर्श और व्यापक परामर्श के बिना क्यों पुन:निर्धारित करना चाहती है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। I urge the Government, therefore, to decouple these issues, pass the Women's Reservation Bill today; we will support it. The Prime Minister spoke with passion about Nari Shakti; let it take effect already in the next general election using our current seat count. Show the women of India that your commitment is not a mere rhetorical flourish.

As for delimitation, let us defer it. Let us constitute a formal mechanism, perhaps a JPC, to debate a new federal settlement that protects the interests of all States. Let us ensure that a march towards a new India does not give us a disunited India. Let us not leave our most successful States behind. हमें भारतीय एकता के लिए काम करना चाहिए। Let us give women their due now, महिलाओं को नारी शक्ति ही दे दें or give our nation, our Union of States, the time it needs to solve its demographic challenges with wisdom and not just arithmetic. संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहता था। Thank you very much for listening to me. It is a plea to the Government. Please be sensible about the larger interests of the country and not the short-term interests of the ruling party. Jai Hind.

HON. SPEAKER: Shri P.V. Midhun Reddy.

11.54 hrs (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

SHRI P. V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Hon. Chairperson, Madam, yesterday we heard the Home Minister speak in the evening. He spoke about a

proportionate increase of seats based on the existing number of seats what every State has. So, we welcome this, but we have concerns. We have concerns because a mere oral commitment is not enough. I will tell you an example also. On this very floor of the House, during the partition of the State, both the Congress and BJP promised us, the then Prime Minister himself promised a special category status for the State. It was an oral promise and it was not kept up. So, we demand that whatever commitment was given yesterday evening, be incorporated in the Bill. I will tell you a reason also. One of the amendments brought by Owaisi Ji carries the same content. If that amendment is accepted, the same thing, whatever the hon. Home Minister has promised on the floor of the House, will be incorporated into the Bill. So, we demand that whatever promise was given, may be part of the Bill. A lot of Members spoke about regional imbalances.

Whenever we are addressing regional imbalances of the country, the regional imbalances of the States should also be taken into consideration. Each State has various regions and I think, after the delimitation process, the regional imbalances should not arise in any State. This is a very important aspect. Whatever yardstick you have taken for considering MP seats in the country should also be applied for the States. No regional imbalance should occur in the States.

There is one more condition in the delimitation process. It says that five associate Members will be picked up from the Parliament and five from the State Assemblies. Madam, we have a doubt. What if the States' Speaker does

not give the opportunity to even one Member from the opposition? Fair representation should be there for all the parties, be it the ruling party or the opposition parties. We demand that this should also be incorporated in the Bill. Some comfort should be given regarding this. Overall, this delimitation process should be a national building process. It should not be a tool to crush the Opposition.

Regarding women's reservation, I would like to mention that our party and our leader has also advocated empowering of women. We welcome the Women's Reservation Bill in any form and any time.

Madam, I would like to recall what Shri YS Jagan Mohan Reddy did in Andhra Pradesh as the Chief Minister of the State. He gave 50 per cent reservation for women in all the local bodies. He gave 50 per cent reservation for women in all the nominated works. He also gave maximum importance to women in all the social welfare schemes. He proposed that all the 32 lakh house site pattas which were given in the State to be registered in the name of women. All the social welfare schemes were given through the women.

We demand strict and stringent laws for safeguarding and protecting the women. Women's safety is also important. One of the MPs spoke yesterday regarding protection of women in the States. I would also add upon this. Recently, four MLAs were caught, video-taped in Andhra Pradesh, harassing women. They made video calls and harassed women. This is not just a vague allegation. If you type 'harassment by Andhra Pradesh ruling MLAs on women' on the internet, you will get all the videos. I had to pass an advisory also to

open it on your own risk. It is filthy and really horrible. What happened was that the women who complained and gathered the courage to complain against them were harassed and targeted, none of the MLAs were taken action upon. So, we demand stringent laws. Be it anybody, we demand all the MLAs should be taken to task. So, apart from empowering women, we demand that strict laws should be there to protect women. In principle, we support this Bill and demand the Government to consider all our concerns.

Thank you very much.

पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह) : महोदया, सदन के सामने एक संविधान संशोधन विधेयक और दो अन्य विधेयक विचार के लिए रखे गए हैं, जिस पर चर्चा हो रही है । मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक पहल जो ये तीन विधेयक लाकर उन्होंने सदन में की है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं और मैं उसका पूर्णत: समर्थन करता हूं।

महोदया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का शुरू से … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदया, प्रधानमंत्री जी का प्रारम्भ से एक विज़न रहा है और वह विज़न है - सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज जो ये तीन विधेयक- संविधान संशोधन विधेयक और दो अन्य विधेयक सदन में लाए गए हैं, वे उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लाए गए हैं।

महोदया, 50 प्रतिशत महिलाओं की आबादी हमारे देश में है। अगर 50 प्रतिशत आबादी के प्रति प्रधानमंत्री जी न्याय नहीं करेंगे तो उनका यह विज़न पूर्ण नहीं होगा। इसको ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी यह बिल लेकर आए हैं।

12.00 hrs

महोदया, पंचायतों में आज 33 प्रतिशत आरक्षण है। कई राज्यों ने 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायतों में किया है। मैं उस पर बाद में आऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कल कहा है और सारे गांवों में यह चर्चा है कि मैं पंचायतों में तो वर्षों से शासन चला रही हूं, लेकिन इस देश के कानून बनाने में, राज्यों के कानून बनाने में मेरी भागीदारी कब होगी? इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उन 50 प्रतिशत महिलाओं के प्रति न्याय किया है और न्याय करके यह बिल लाने का काम उन्होंने किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कानून बनाने में उनकी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए।

महोदया, प्रधानमंत्री जी ने संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में दो ऐतिहासिक कदम उठाए। पहला ऐतिहासिक कदम उन्होंने वर्ष 2023 में उठाया। वर्ष 2023 में जब वे नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए तो सबसे पहले उन्होंने इस देश की मातृत्व शक्ति के प्रति अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि मेरी मंशा है कि संसद और विधान सभाओं में भी आपकी 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित हो। यह उन्होंने लागू करने का काम किया। दूसरी पहल संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में आज की पहल है जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उसको सरजमीन पर उतारने के लिए, उसको सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक लाने का काम किया है। उनका यह प्रयास है, उनकी यह सोच है कि वर्ष 2029 में जो लोक सभा का चुनाव हो, उसमें 33 प्रतिशत महिलाएं इस सदन की सदस्य बनें।

महोदया, आप कल्पना कर सकती हैं कि 19 वीं लोक सभा का परिदृश्य क्या होगा, जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के संसद में 33 प्रतिशत महिलाएं आकर बैठी हैं और वे उसकी भागीदार हैं। सरकार के कामकाज में वे भागीदार हैं और सरकार में उनकी सहभागिता है। यह ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने परिसीमन आयोग बनाने के लिए अधिनियम लाया। अब परिसीमन आयोग का क्या काम है? परिसीमन आयोग का काम है कि देश की आबादी के आधार पर विधान सभाओं में 50 प्रतिशत सीट बढ़ा दी जाए। अगर 50

प्रतिशत सीट बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर लोक सभा में भी सीटें बढ़ जाएंगी और उसमें 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। इसमें कौन सा गुनाह है? सेंसस वर्ष 2011 का हो या सेंसस वर्ष 2026 का हो। इसमें क्या अंतर पड़ना है? महिलाएं तो महिलाएं हैं। महिला एक समाज है। महिला चाहे जिस वर्ग की भी हो वह महिला है। महिलाओं के साथ न्याय में यह आना-कानी और जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, महिला विरोधी होने के लिए जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, उसका इस देश की महिलाएं कभी समर्थन नहीं करेंगी। कल प्रधानमंत्री जी ने भी सचेत किया है।… (व्यवधान) आपको हम बता देंगे। अभी आप ठहर जाइए। अभी हम अखिलेश जी को भी बताते हैं। इससे विधान सभाओं और लोक सभा में सीटें बढ़ेंगी। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कल माननीय सदस्या प्रियंका गांधी जी के भाषण को सुन रहा था।

अभी किरेन रिजिजू जी चले गये, अभी मेघवाल साहब हैं, किरेन रिजिजू जी जा रहे हैं।

सभापति महोदया, हम उन्हीं को एक क्वोट करके साबित करना चाहते हैं, उन्होंने कल भाषण दिया, हम उनका भाषण बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने 3-4 बातों का उल्लेख किया। पहली बात उन्होंने कहा कि यह बिल जल्दबाजी में क्यों लाया गया? महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देना, जल्दबाजी का कदम नहीं हो सकता है, उनकी आबादी 50 प्रतिशत है और कानून में, संसद में, विधान सभाओं में बैठने का हक देने का अगर कोई कानून माननीय प्रधान मंत्री जी लाए हैं, तो वह जल्दबाजी का कानून नहीं है। वर्ष 2023 में यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और आज 2026 है, 3 साल के बाद उसकी पूरी तैयारी करके और पूरे सोच-समझकर यह बात कही गयी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी इसे पास नहीं होने देगी। अरे, हम सभी को मालूम है, इस पूरे देश को मालूम है कि किसी भी परिवर्तन को, किसी भी सामाजिक परिवर्तन को आप नहीं लागू होने देना चाहते हैं, आपकी मंशा बहुत साफ है, इसलिए आपने यह बात कही है। अब यह बात अगर कांग्रेस का कोई दूसरा सदस्य कहता, तो मुझे लगता कि हो सकता है कि अनजाने में कह दिया हो, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में श्रीमती प्रियंका

गांधी जी जब यह बात सदन में बोल रही हैं कि हम इसे कभी नहीं लागू होने देंगे, तो मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी की सोची-समझी राजनीति है । यह उनकी रणनीति है कि कोई भी ऐतिहासिक कदम, जो इस देश में सामाजिक क्रांति लाने वाला कदम है, उसका समर्थन कभी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, यह उनकी मंशा स्पष्ट करती है । उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलायी गयी, अखबारों में खबर छपती रही, अखबारों में खबर सुनते रहे और अचानक सदन में बिल लेकर आ गये । श्री किरेन रिजिजू जी चले गये, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी यहां बैठे हैं, वे भी संसदीय कार्य मंत्री हैं, वे बताएं कि सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी थी कि नहीं? सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी थी और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल नहीं हुआ, बार-बार आग्रह करने के बावजूद बैठक में शामिल नहीं हुआ । आपकी मंशा पहले से स्पष्ट है, आपकी मंशा तो दिख रही थी कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं? आप कोई भी सामाजिक क्रांति के कदम का समर्थन नहीं कर सकते हैं । हां, यह अलग बात है और मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है । अरे भाई, अगर मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है और इस देश की जनता को पसंद आ रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? आप देश की जनता के साथ जुड़ जाइए और मोदी जी के चेहरा को न चाहते हुए भी कहिए कि वाह बहुत अच्छा है । यह काम तो कीजिए । उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह भी कहा कि यह संविधान संशोधन अगर पास होगा, तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा । आप क्या लोकतंत्र की परिभाषा बता रही हैं? अगर 50 प्रतिशत आबादी इस संसद में बैठेगी, तो लोकतंत्र कहां से समाप्त हो जाएगा? अरे, लोकतंत्र समाप्त करने का प्रयास तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार किया था, तो इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को नेस्तानाबूत करने का काम किया । इस देश में लोकतंत्र की जड़ इतनी मजबूत है कि कोई चाहकर भी इस देश के लोकतंत्र को समाप्त नहीं कर सकता है । आप इस गलतफहमी न रहिए । उनके सभी तर्क, उनके जो सभी कल तर्क थे, मैंने कल उनका भाषण बहुत विस्तार से सुना, थोड़ी मीठी आवाज में बोलती हैं ।

मैडम, अभी खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी सिर मत हिलाइए, अभी बहुत भाषण बचा हुआ है, इसलिए कोई तथ्य नहीं है । कल मैंने प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, प्रधान मंत्री जी ने आपको सचेत किया है कि अगर आपने इसका विरोध किया, तो आपको वर्षों तक इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा । प्रधान मंत्री जी ने आपको सचेत किया है, लेकिन फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हैं तो अलग बात है । मैं उनको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं । पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू था । वर्ष 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने । वर्ष 2006 में उन्होंने कहा कि हम 33 प्रतिशत नहीं मानते हैं । इस देश में और इस राज्य में महिलाओं की आबादी 50 प्रतिशत है । हम 50 प्रतिशत का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय में देंगे । उन्होंने सिर्फ पंचायतों और नगर निकाय में आरक्षण नहीं दिया, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एकल पद, जो प्रमुख का पद होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष का पद होता है, सरपंच का पद होता है, उन्होंने उस पर भी आरक्षण दिया । लालू प्रसाद जी उस समय विरोध में थे । तब एनडीए की सरकार थी, लालू प्रसाद जी ने नीतीश जी के फार्मूले का विरोध किया और आज तक उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है । आज तक बिहार में एनडीए के साथ वहां की महिलाएं शत-प्रतिशत खड़ी होती हैं । आप इस बार के चुनाव का वोट पर्सेंट निकालकर देख लीजिए । अखिलेश जी, हम आपको कहेंगे, मेरे मित्र हैं, आप उनसे सचेत रहिए, उनके चक्कर में मत पड़िए, उनके चक्कर में पड़कर वे गायब हो चुके हैं । इस बार के विधान सभा चुनाव का आप रिजल्ट देखिए । ऐसी 84 सीट्स हैं, जिनमें पुरुषों से 10 प्रतिशत ज्यादा महिलाओं का वोट गिरा और एनडीए के पक्ष में गिरा । … (व्यवधान)

मैडम, आप ऐसा अन्याय क्यों कर रही हैं? आप ऐसा अन्याय मत करिए । मेघवाल जी कह रहे हैं कि आप उनकी पार्टी का कुछ टाइम इधर दे दीजिए । मेघवाल जी, बोलिए ।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : इनको टाइम दे दीजिए ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : वर्ष 2023 से मातृत्व शक्ति इंतजार कर रही है । वर्ष

2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, उस समय से इस देश की मातृत्व शक्ति इंतजार कर रही है कि उसको कब मौका मिलेगा। प्रधान मंत्री जी ने जब उनको मौका दिया, तो आप विरोध में खड़े हो गए। ऐसा क्या है? प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने, जो मातृत्व शक्ति वर्ष 2023 से इंतजार कर रही है, उसकी भावना के अनुरूप, उसकी भावना को संतुष्ट करने के लिए वे इस संविधान संशोधन विधेयक को इस सदन में लाए हैं। हम विपक्ष से अपील करेंगे कि वह हठधर्मिता छोड़ दे। आप हठधर्मी मत बनिए, रास्ता मत खोजिए। आप इधर-उधर, बायें-दायें जाने का रास्ता मत खोजिए। अगर आपने विरोध किया तो प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है, सच कहा है, अगले 20-25 वर्षों तक आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे लालू प्रसाद जी वर्ष 2005 से 2026 तक खामियाजा भुगत रहे हैं।

कल प्रियंका जी बोल रही थीं कि आपने क्यों नहीं पास कराया? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस सदन में चार बार यह प्रयास किया कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो। आप विपक्ष में थे, तब आपने समर्थन नहीं किया और उसके कारण यह बिल पास नहीं हो पाया। हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस चक्कर में मत पड़िए। अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, इस चक्कर में मत पड़िए। उनको झटका मारिए। अगर उनके साथ सटे रहेंगे, तो बिहार में इनका हाल आपको मालूम है, 27 से 19, 19 से 6 और 6 में से भी 3 लोग बाहर निकल गए हैं, अब 3 लोग ही बचे हैं। इनका हश्र वही होने वाला है।

इन्हीं शब्दों के साथ, इस संविधान संशोधन विधेयक का और जो अन्य विधेयक आए हैं, मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं और प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने 50 प्रतिशत आबादी के साथ न्याय करने का काम किया। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप इनको सुबुद्धि दीजिए, ताकि आने वाले जो दंश हैं, वर्षों तक ये उनसे बच सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Thank you hon. Chairperson Madam.

We are opposing all the three Bills and the reasons which we have, I will speak later.

Madam, our Prime Minister is having a great quality. The quality is that the moment he understands that he is going to lose the next election, he changes the rules of the game. इलेक्शन में हार जाएँगे, तो चलो, गेम के रूल्स को चेंज कर दो। गेम के रूल्स को चेंज करने के लिए यह लाया गया है। It is a political gimmick and nothing more than that. The present Bills are under discussion and product of such rules.

Madam, they say women, women, women, and it is a ploy. The original plan is something different. That is delimitation, that is seat adjustment and that is the original plan. थोड़ा सा सेंटीमेंट लगा दो भाई, थोड़ा सा वुमेन का सेंटीमेंट लगा दो। वुमेन का सेंटीमेंट लेकर हमें डीलिमिटेशन पास करना होगा। सीट बढ़ा दो।

रिजर्वेशन चाहिए? आज ही ले आइए। हम लोग राजी हैं। अभी जो स्ट्रैंथ है, उसमें 50 प्रतिशत वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए। आज कर दीजिए। आप पूरा ले आइए। हम लोग रात के बारह बजे तक इधर बैठे रहेंगे। उसके लिए डीलिमिटेशन की जरूरत नहीं है। नौटंकी बंद कीजिए। बहुत नौटंकी हो गई। एक दिन में हो जाएगा। 544 में 50 प्रतिशत वुमेन रिजर्वेशन, we will all pass the Bill.

हम सब लोग राजी हैं, आप कर दीजिए। आपमें हिम्मत नहीं है, आप जानते हैं। हम आपको आँकड़े बताते हैं। आप लोगों ने अपनी पार्टी में भी नहीं किया है। आप क्या करेंगे? आप अपनी पार्टी की बात सुनिए। हम आपकी पार्टी का आँकड़ा दे देते हैं। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप लोग वुमेन रिजर्वेशन के बारे में कितने कॉन्शियस हैं।

आपकी पार्टी बीजेपी के लोक सभा में कुल एमपीज़ 240 हैं, उनमें से 31 फीमेल्स हैं, जो कि 12.91 प्रतिशत है। राज्य सभा में आपके 106 एमपीज़ हैं, जिनमें 18 वुमेन हैं, जो कि 16.98

प्रतिशत है। आप तो अपनी पार्टी में ही महिला को सम्मान नहीं देते हैं। आप तो अपनी पार्टी में महिलाओं को लेकर नहीं आते हैं और इधर आकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि महाशक्ति, आदिशक्ति, आद्याशक्ति आदि। अरे आद्याशक्ति की पहले पूजा कीजिए।

टीएमसी के बारे में सुनेंगे? एआईटीसी के बारे में सुन लीजिए। In the Lok Sabha, we have 29 Members, female Members are 11. The percentage comes to 38.28 per cent. Not a single party in India has given it.

Now, in the Rajya Sabha, we have 13 Members. We have six female Members. The percentage comes to 46.15 per cent. We do it. Charity begins at home. Do it. अगर आद्याशक्ति के बारे में इतनी चिंता है, तो वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत विमेन कैंडिडेट लेकर आइए।

Madam, I was reading and I was really surprised. Is this our country? You never did it. I will read the constitutional provisions also. Do you know what is the voting percentage of women in India? Women voting percentage in this country is 65.78 per cent. ये जो सरकारें चल रही हैं, जो भी सरकार चल रही है, वह वुमेन वोट से चल रही है। आपने वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं की, आपने डिसरिस्पेक्ट की। … (व्यवधान)

क्या गलत है? बैठ जाइए। … (व्यवधान) Madam, please read the Constitution (131st Amendment) Bill. … (*Interruptions*) मोदी जी की …* टीम बहुत अच्छी है। … (व्यवधान) बहुत अच्छी है। मोदी जी की …* है न … (व्यवधान) श्री राम जी के तो हनुमान जी थे और मोदी जी के कपाल में, भाग्य में … * मिल गया। क्या करेंगे? … (व्यवधान)

Madam, we protested on that day in 2023. Why did we protest? … (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI (BAPATLA): Madam, to whom, the hon. Member, calling ... ** ?… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: Please analyse it yourself. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : यह शब्द अनुचित है, इसे रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए।

… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, when Article 334(A) was brought in the House, it mandated that 33 per cent reservation for women in the House of the People and State Assemblies, etc., shall come into effect only after a delimitation exercise is conducted, based on the first census published after the Act's commencement.… (*Interruptions*) Why have you done it at that time? Why have you said that it will be done after the delimitation? Why have you not implemented this reservation policy immediately? We have said so, but you have not done it. You have made the point "after the delimitation". The unfortunate part of it is that Article 334(A) was brought in 2023 which has been implemented in yesterday's midnight. I do not know why the Parliamentary Affairs Minister has made the entire system of Parliamentary democracy a mockery. The Act which has not even given effect to, cannot be amended. How can this be amended? I do not understand this point. अमेंडमेंट कब होता है? जिसकी लाइफ होती है, उसके बाद ही तो अमेंडमेंट होता है, आपने लाइफ ही नहीं दी और अमेंडमेंट लेकर चले आए । Somebody must have advised our Law Minister yesterday: "What are you doing? You have not given effect to the Act." तब रात में नोटिफिकेशन निकल गया। रात में ही नोटिफिकेशन निकल गया कि अफेक्ट दे दो, नहीं तो the

** Expunged as ordered by the Chair.

Government is carrying out totally a faulty procedure.

Now, as far as as Article 334 is concerned, you could have done it, but, it is not done. The evil intentions of the present Bills have been brought in the House by calling today's House to start the delimitation in the hottest manner. What is the problem? हमारा इलैक्शन चल रहा है, उधर हम लोगों को छोड़कर आना पड़ता है लेकिन जब गुजरात में इलैक्शन होगा तब तो एक भी दिन हाउस नहीं बैठेगा। … (व्यवधान) जब राजस्थान में इलैक्शन होगा तब तो एक महीने हाउस नहीं बैठेगा। हां, जब उत्तर प्रदेश में इलैक्शन होगा तब हाउस में नहीं बैठेंगे। बंगाल में है तो कर दो भाई, सबको ले आओ, तमिलनाडु को ले आओ, वह तो अपोजिशन में है इसलिए उन लोगों को ले आओ। … (व्यवधान) This is totally unfair. … (*Interruptions*) This is an attack on the democracy. This is not a level-playing field. This is unfortunate.

Madam, I have seen a picture. It is widely circulated. I think, everyone must have seen it. The hon. Chief Justice of India along with his wife, pushing a button of an app to register their names in the Census. The process of Census has begun. Until the process of Census finished, how can there be any delimitation? Is it not totally inconsistent? You have introduced it. You have begun it. Now, in the midst of it, you are saying "no, we will go by 2011 Census".

Madam, I will give you some data. The first delimitation had taken place in 1953, Census was held in 1951. The second delimitation had taken place in 1963, Census was held in 1961. The third delimitation had taken place in 1973, Census was held in 1971. The fourth delimitation had taken place 2002, Census was held in 2001. Now, you are relying upon the Census of 2011. You

are talking about this. From 2011 to 2026, 15 years have passed. You are making the law into a mockery. What right will you give to the people of this country? What right will you give? Madam, I do not have any objection. I am giving a suggestion, accept it. Fifty per cent reservation on the basis of this, let it be done. Secondly, 50 per cent of the Ministries should be reserved for women. The Prime Minister's seat should also be reserved for women by rotation. … (*Interruptions)* अरे, मोदी जी तो नहीं आएंगे, क्या चिंता है? वुमेन को 50 प्रतिशत दे दीजिए। I respect hon. Speaker, Shri Om Birla ji. मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। But unfortunately, BJP will not come back in power in 2029. स्पीकर पद को भी महिलाओं के लिए रिजर्व कर दीजिए… (व्यवधान) हम लोग राजी हैं। अरे, वो लोग राजी नहीं हैं, हम लोग राजी हैं … (व्यवधान) क्या हम लोग राजी नहीं हैं? … (व्यवधान) Fifty per cent should be reserved. … (*Interruptions)* Fifty per cent seats of Ministries should be reserved. … (*Interruptions)* Why only Nirmala Sitharaman? Make more women Cabinet Ministers. … (*Interruptions)* Let us see.

Madam, representation should be constitutional, not convenient. It should be done constitutionally. We oppose linking it with delimitation. Women reservation is not for bargaining. Today, you have brought it for the bargaining purpose to pass the Delimitation Bill. You are making this women representation Bill for the bargaining purpose. Why should it be accepted? We respect the women. हम लोग नारी शक्ति पर भरोसा करते हैं … (व्यवधान) मंत्री जी, थोड़ा मेरे पास आ जाएंगे … (व्यवधान) हम काली जी और दुर्गा जी को लेकर रहते हैं, आप तो सिर्फ 'जय श्री राम' लेकर रहते हैं। हम काली जी, दुर्गा जी के भक्त हैं। समझे? … (व्यवधान) हम लोग सब

हैं ।... (व्यवधान) और श्री राम जी ने भी किसकी पूजा की थी? दुर्गा जी की पूजी की थी । ... (व्यवधान) आप लोग सीता जी का नाम भी नहीं लेते हैं। अरे, सीता जी के नाम को छोड़कर राम जी कैसे होते हैं? हम लोग 'जय सियाराम' बोलते हैं, आप लोग 'जय श्री राम' बोलते हैं। यही तो डिस्टिंक्शन है। हम सीता जी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोग तो उनको भूल ही गए हैं।

Madam, give me some time. … (*Interruptions)*Madam, TMC came into the power in the State of West Bengal. Hon. Chief Minister Mamata Banerjee's first step was 50 per cent reservation in the local bodies. आप वहां देख लीजिए कि वहां क्या प्रावधान है। We have done it. … (*Interruptions)*) अरे बैठिए, सीपीआई(एम) के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं थी... (व्यवधान) बैठिए, वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी ले आए हैं। आप लोग क्या बात करते हैं, बैठिए... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य कंप्लीट कर लीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: There is no constitutional necessity to increase seats or undertake delimitation to implement women reservation. इसकी जरूरत नहीं है । The Bill empowers women in terms of seats but also empowers the executive in structure. Madam, what do we say? We will support the Bill on women's reservation, but not with delimitation. We reject the attempt to bundle delimitation with representation reforms.

I have another important constitutional question. The question is that you have bunched up everything, including Article 51, through the amendment. You are amending Article 51 along with this Bill. For passing the Bills, you need two-third majority. You do not have that. And for Article 51, you have to go to half of the States. How can you do it? This is a political gimmick; nothing

more than that. You do not have any intention to make reservation for women. प्रधानमंत्री जी पूरा नौटंकी कर रहे हैं, पूरा ड्रामा चल रहा है।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Madam, I represent Telugu Desam Party. On behalf of Telugu Desam Party, I am standing here; a party which is a regional party from Andhra Pradesh, which has a substantial number of Members in this House as well as in Rajya Sabha. On behalf of Telugu Desam Party, I stand here in support of women's reservation Bill. On behalf of Telugu Desam Party, I stand in support of delimitation also. A lot of people posed many questions. Mahua ji asked many questions. Of course, this is democracy. A lot of people will pose questions, and we have to answer. As a regional party, that too coming from South India, the first question is, as I am coming from South India, am I going to support this? The second question is, will TDP support delimitation as well as women's reservation if the seats are 543 or 850? Hon. Members asked whether TDP has considered losing its representation with an increase in seats. The fourth question was, why is TDP not asking for the 2011 Census or the latest census? The fifth question is, will delimitation be fair? Would it not be gerrymandering? These are the questions that people are posing. Hon. Members inside the House and the media outside are posing these questions to Telugu Desam Party, and it is our duty to answer these questions. And it is our duty to put it on record also in this House.

Madam, Telugu Desam Party is in support of the women's reservation Bill because we believe in what Ambedkar said. Ambedkar ji said, "A

constitution is a vehicle of life guided by the spirit of the age". Since yesterday, we saw a lot of women…* in anticipation that their representation will increase in Parliament and in the Assembly also. Until now, the policies were made for them mainly by men. The time has come for women to actually raise their voice and actually make the policies for themselves. This is the spirit with which we are supporting this women's reservation Bill. As I said, this is the spirit of the age, that people are asking for this, that women folk, which constitutes 50 per cent of the population in this country, are asking for this. So, we need to understand why they are mooting for this and fighting for this for so many years. Time has come, under the leadership of Narendra Modi Ji, that this important amendment has been brought forward, and we need to support this.

Madam, the other thing we should also accept is that change is constant. It is never going to be the same all throughout. With time, there will be changes that will happen, even in our Constitution. There are multiple amendments that have been brought in. After almost 77 years, we are discussing the 131st amendment, because we believe that Indian democracy is vibrant, our Constitution is a living thing, and Dr. Ambedkar also mentioned that. So, there are a lot of amendments that have been brought in. That is the reason why Indian democracy is thriving. When you compare countries around us, like Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, you will see a clear contrast. How many coups have taken place in these countries? How many armed revolutions have happened? How many times has the Constitution itself

* Not recorded.

collapsed? Why did it not happen in India, except for those three-four years during the Emergency? Why has democracy thrived in India? It is because we believe that change is constant.

We believe what Ambedkar ji has mentioned. So, this is the time we should respect that, and this is what the women folk of India are asking for. This is the change they are looking for. So, we need to support this. I request the opposition parties also to see through it and support this.

The second question that everyone is asking is whether you would support it even if it is 543 seats, or only if it is 815 seats. Let me remind this House that when we talk about women on behalf of the Telugu Desam Party, we do not see them merely as a vote bank. We actually look at it much more deeply. We look at it in a way that we need to empower them socially and economically, and also politically. That is the ethos that our founder, N.T. Rama Rao Garu, believed in. He was a man of different ideas. At that time, all the political leaders expected people to come to them, but he was the leader who would go to the people. He travelled thousands of kilometres in Andhra Pradesh during his first election campaign. He could see the troubles women were going through in rural areas. So, when he came to power and became the Chief Minister in 1983, he came up with very revolutionary ideas. Until then, property belonging to a member of the family was always going to the male in the family. But he brought in reform in the Hindu Succession Act in 1986 and made sure that 50 per cent of the property belongs to the girl child also. He also brought in 30 per cent reservation for women in Government

jobs. On top of that, he saw what would happen when Government schemes are actually delivered to women. So, what he did was that when housing had to be given to the poor, he made sure that the site was registered in the name of the woman in the family, rather than the male. So, he fought for their economic stability and social mobility. So, this is what we believed in. This is the ethos that our founder, N.T. Rama Rao Garu, believed in. Not only that, he saw that there was only 25 per cent literacy among women at that time. So, he came up with various initiatives and started a lot of schools mainly for girl children. He also started a women's university, Sri Padmavati University in Tirupati, specifically targeting women so that they can get educated and their literacy can go up. This is what N.T. Rama Rao Garu has done. After that, Chandrababu Naidu Garu followed suit and took it to the next level. He launched the DWCRA programme – the SHG programme that we talk about today, and the Lakhpati Didi scheme that we talk about now. He launched it in 1999. He made sure that women are not just dependent on the male in the family, but that they can also have ideas, come up with business initiatives, and support the family. That was the idea with which he launched the DWCRA programme. He also provided 33 per cent reservation for women in local body elections. On top of that, the Deepam LPG Cylinder scheme was launched in 1999, mainly for women, so that they can have economic stability. This has been continuous, even now. The main schemes that have been given to any family in Andhra Pradesh are targeting women, with Stree Shakti, Thalliki Vandanam, and Deepam 2.0. Because of this, and because we believed in the

empowerment of women, this is what, from the founder of the party to now, the Chief Minister, has been consistently upheld. So, whether it is 543 seats or 850 seats, the Telugu Desam Party is in support of women's reservation in the Women's Reservation Bill.

The third question that everyone is asking is whether there will be a loss of representation with the increase in seats. This is the question that everyone is asking, and the media is also presenting it in a very different way. Yesterday, the Home Minister clarified in the House itself that with a 50 per cent increase for every State, Andhra Pradesh, which right now has 4.6 per cent representation in Parliament, will see its representation increase to 4.66 per cent. So, there will be no loss.

I want to remind the House that a lot of Opposition parties are asking for the 1971 Census to be used as the base data. Right now, when seats are being increased by 50 per cent, on what basis is that happening? The freeze happened in 1971. On that freeze, 50 per cent of the seats are being increased. Whatever the Opposition is asking for is actually happening, but they are not able to see it. They simply want to oppose it politically in any manner, without seeing the logic.

The DMK has called for a meeting, and various other parties have also attended. On March 25, 2025, DMK passed a seven-point resolution demanding a 25-year extension of the 1971 freeze, effectively asking to keep India's representation tied to that number. In this JSC, CPM, BRS, AAP, Congress, and TMC participated. They asked for the freeze, and right now it is

on that very freeze that the 50 per cent increase is being made. I do not know why the Opposition is unable to accept this. There is nothing new happening. On the 1970 population freeze, where 543 seats were allocated, an additional 50 per cent is now being added, and this has been clearly clarified. 3.40

Even then, if this cannot be accepted, and if a false narrative continues to be spread that South India's numbers or representation will go down, it is necessary to understand what delimitation actually means and support the process *in toto*.

The fourth question being asked is why we are using the 2011 Census and not the latest Census. Take the example of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is a special case because not many have gone through this experience. When the last Delimitation happened, Andhra Pradesh and Telangana were together. During that process, three parliamentary segments were created in Telangana, and three were lost to Andhra Pradesh. In total, Andhra Pradesh lost one parliamentary segment to Telangana. Additionally, seven MLA seats were increased in the Telangana region, while Andhra Pradesh lost seven Assembly seats. The reason was not political; it was due to population migration to Telangana at that time.

If the same logic is applied using the latest Census of 2026, the data shows that Andhra Pradesh's fertility rate has been declining for almost one and a half decades, and migration has been increasing over the last two decades. If the latest Census or even the 2011 Census is used, there would be a loss. The best possible outcome is what has been proposed, where there is

no loss and instead an increase of 0.6 per cent. That is the reason why the TDP is supporting this.

The last question that everyone is asking is, would delimitation be fair, and would it not be gerrymandering? For example, yesterday even, Shri K.C. Venugopal spoke about it. I will give you an example of what happened in 2009 when delimitation happened. Kuppam constituency, which is in Chittoor, our CM's constituency, is in Chittoor Parliamentary constituency. So, at that time, Congress, which was in power, did the gerrymandering to make sure that the CM's constituency is targeted in such a way that no leader can come out of that and they reserved the seat to the SC candidate at that time. That is what they have done in 2009. That is the actual gerrymandering. But what happened, Madam? People saw through it. If you are smart, people are even smarter. From 2009 onwards - in 2009, after doing all this gerrymandering also - TDP has won. In 2014, the same seat, even TDP has won. In 2024, again TDP has won that seat. In four elections, after doing all this exercise, all this gerrymandering, even then the TDP has won three times. Madam, even in my district. … (*Interruptions*) As a senior member was asking. … (*Interruptions*) Gerrymandering is wherein you bring in all the voters in such a way that you will get advantage for the party in the ruling rather than the party in the Opposition. That is what gerrymandering actually is.

Even in my district in Guntur - they did the same exercise - Tadikonda constituency, where they thought, 'one cadre or one community was supporting and in support of Telugu Desam party, we should corner them'. So,

they made it a reserved seat. Even in Prathipadu constituency, they did it. But people saw through it, Madam. People are smarter. They cannot be fooled like how Opposition is expecting. When Congress was in power, they tried to fool the people. They tried to fool the people by doing this. Right now, they are raising this issue of delimitation because they know what theory they have done in 2009 delimitation. That is why, they think that can happen. …(*Interruptions*)

Yesterday, I have heard what Home Minister has mentioned. Yesterday Home Minister has mentioned, Prime Minister has mentioned, promised us, given a guarantee in the House, based on that, we are supporting this Bill. We are supporting women's reservation, we are supporting delimitation. Telugu Desam Party is supporting women's reservation and delimitation, Madam. Thank you very much.

श्रीमती डिम्पल यादव (मैनपुरी) : मैं महोदया का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

मैं सबसे पहली बात यह रखना चाहूंगी कि जो सत्ता पक्ष है, वह इस तरह की भूमिका बना रहा है कि विपक्षी लोग आरक्षण के साथ नहीं हैं, महिलाओं के आरक्षण के साथ नहीं हैं। सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह की भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि जब वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था, तो पक्ष और पूरे विपक्ष ने एक साथ मिलकर इस बिल को पास कराया था। यह सर्वसम्मति के साथ पास हुआ था। अब जो संशोधन लाया जा रहा है, उसमें सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार वाकई में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है या इस विधेयक और संशोधन को लोकर वह खुद के सशक्तिकरण की तरफ काम कर रही है?

महोदया, जब वर्ष 2023 में यह विधेयक आया था, तब स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जनगणना होगी। समाजवादी पार्टी का यह पक्ष था कि जातिगत जनगणना हो। कल होम मिनिस्टर साहब ने भी यह बात कही कि वह जनगणना कराएंगे, लेकिन अभी वे घरों की गिनती कर रहे हैं। पिछले तीन सालों में केवल घरों की गिनती ही कर पाए हैं। जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और आरक्षण लागू होगा। सभी लोग इस बात से सहमत थे, लेकिन वर्ष 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो वह पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई और सहयोगियों के साथ सरकार बनाई गई। जब यह सरकार आई, तो वर्ष 2024 में ही आपने जनगणना क्यों नहीं शुरू कराई? हमारा यह सवाल है। आपने लगभग ढाई साल निकाल दिए हैं, लेकिन जनगणना नहीं कराई है। अगर जनगणना हो जाती, तो आज हम परिसीमन की स्टेज में होते और आरक्षण वर्ष 2029 तक लागू हो जाता, लेकिन आपकी मंशा ही नहीं थी कि महिलाएं आएं और इस सदन में बैठें। अब अचानक सरकार यह जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? वर्ष 2026 में, जहां अप्रैल का महीना चल रहा है तो सरकार लगातार जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? इस बात पर भी सवाल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि सरकार जल्दबाजी इसलिए दिखा रही है, क्योंकि जो डिलिमिटेशन है, यह जो पूरी एक्सरसाइज है, उसे सरकार एक हथियार के रूप में खुद को सशक्त करने के लिए प्रयोग करना चाहती है।

हमने कल देखा कि हमारे कांग्रेस के सांसद ने कहा कि असम में डिलिमिटेशन कमीशन का प्रयोग न होकर किस तरह वहां पर चुनाव आयोग जाकर परिसीमन कर रहा है? जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया, उसमें जो सेंसस यूज हुए, वह वर्ष 2011 के इस्तेमाल हुए। यह कहीं न कहीं सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न उठाता है कि सरकार आखिरकार संविधान में संशोधन क्यों ला रही है? सरकार संविधान को क्यों बदलना चाहती है? सरकार क्यों चाहती है कि हमारा संविधान कमजोर हो और सरकार हमेशा सत्ता में बनी रहे।

हमारे संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय नेता जी ने जब उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज में महिला आरक्षण लागू किया तब जहां एससी, एसटी महिलाओं को आरक्षण मिला, वहीं हमारी

ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिला और हमारी जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी आरक्षण मिला। अब समाजवादी पार्टी यह चाहती है कि इस आरक्षण में हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले। आप आधी आबादी में बंटवारा क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, हर वर्ग की, हर समाज की, हर धर्म की महिलाएं आगे बढ़ें। आज हमारी यह मांग है कि आप ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दें और हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दें। सामने बैठे हुए लोगों को अल्पसंख्यक महिलाओं से किसी तरह का द्वेष, किसी तरह की चिढ़ है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो यूपी के सांसद हैं, वह ओबीसी महिलाओं के लिए मना नहीं करेंगे। अगर वाकई में आपको संशोधन लाना था, अगर आपको कॉन्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट करना था, तो आप इस बात का अमेंडमेंट करते कि आप ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे।

आप अल्पमत में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो वोट है, वह कहीं न कहीं खिसकता जा रहा है। आप इस तरह का भ्रम फैलाने के लिए यह संशोधन बिल लेकर आए हैं। चूंकि आपका केवल एक ही लक्ष्य है कि जो कास्ट सेंसस का डेटा है, जातिगत जनगणना का डेटा आएगा, जिससे सब की भागीदारी सुनिश्चित होगी, उससे आप भागना चाह रहे हैं। इसलिए आप डिलिमिटेशन की प्रक्रिया से सेंसस को हटाना चाहते हैं और आप 20-25 साल के सेंसस का प्रयोग करना चाहते हैं।

आप कहते हैं कि आप महिलाओं के हितैषी हैं। आप महिलाओं के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज जब मैं यहां खड़ी हुई हूं और पिछले कुछ दिनों पहले संसद का जो सत्र चला, उसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज बिल आया। जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, आपने उनको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया। आपने उन शहीदों की महिलाओं के बारे में, उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा। आप जब यह विधेयक लेकर आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि उन महिलाओं के सम्मान के लिए, आप उन शहीदजनों को, शहीद जवानों को शहीद का दर्जा दें और साथ में आप उन्हें पेंशन देने का भी कार्य करें। अब जब

महिलाओं की बात हो रही है तो आप आंगनवाड़ियों को क्यों छोड़ रहे हैं? वे इतने साल से संघर्ष कर रही हैं, गांव-गांव में संघर्ष कर रही हैं, आप उनका भी मानदेय बढ़ाने का कार्य करें।

आप वाकई में चाहते हैं कि महिलाएं सशक्त बनें तो आप उनकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए। यूपी में तो गांव-गांव में स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। स्वास्थ्य के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश में पोषण की जो व्यवस्था है, मैं समझती हूं कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ध्वस्त है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात तो क्या ही की जाए? हमने देखा है कि जिस तरह से हाथरस कांड हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, सेंगर जी का जो पूरा कांड हुआ, उत्तराखंड में जो कांड हुआ! जब हमारे सांसद ने एक कविता कह दी तब तो पक्ष दल की सब महिला सांसद खड़ी हो गईं, उनका विरोध करने लगीं। इन लोगों ने भरपूर तरीके से विरोध किया, लेकिन जब मणिपुर की घटना हुई तो भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला सांसद खड़ी नहीं हुई।

जब उत्तराखंड में 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी को मार दिया गया, तब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी महिला सांसद खड़ी नहीं हुई। पुरुषों से तो हमें अपेक्षा नहीं है, लेकिन हम कम से कम महिलाओं से तो यह उम्मीद करते हैं कि वे एटलिस्ट महिलाओं के लिए तो खड़ी हों। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का मोह हो गया है, जो यह छोड़ना नहीं चाहती। जिस तरह से ये डीलिमिटेशन लाना चाहते हैं, जिस तरह से ये जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते, जिस तरह से ये लोग चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें, लेकिन गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को उनका हक, सम्मान और अधिकार न दें, तो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने जिक्र किया था कि जब 2023 में यह बिल आया था, उस समय सबने साथ दिया था। साथ देने पर उनकी सरकार आई, लेकिव वह यह न भूलें कि जब 2023 में बिल पास हुआ था और 2024 में उनकी सरकार आई थी, तो पहले पूर्ण बहुमत की सरकार थी और अभी सहयोगियों के साथ इनकी सरकार बनी हुई है। अब एक भ्रम फैलाने के लिए, एक इस तरह की भूमिका निभाने के लिए दोबारा ये बिल लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब 2029 में चुनाव दोबारा आएंगे, तो मेरा मानना है

कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है।

कल गारंटी की बात की जा रही थी …(व्यवधान) यह तो समय बताएगा। ये कल गारंटी की बात कर रहे थे, बताइए क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप हमारे किसानों की आय दोगुनी करेंगे? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप हमारे जवानों के लिए, जो शहीद होते हैं, वन पेंशन लेकर आएँगे? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप दो करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि मुफ्त सिलेंडर देंगे? क्या आप यूपी में गारंटी देकर नहीं आए थे कि होली और दिवाली पर आप महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का कार्य करेंगे, वहाँ के आवारा पशुओं की जो समस्या है, उसे सुलझाने का काम करेंगे? आपने नोटबंदी में भी गारंटी दी थी कि आतंकवाद को खत्म करेंगे। आज सबसे ज्यादा घटनाएँ अगर आतंकवाद की हुई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई हैं, चाहे वह पुलवामा हो, चाहे वह पहलगाम की घटना हो, चाहे वे नक्सलवादियों की घटनाएं हों। सबसे ज्यादा अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के समय में शहीद हुए हैं। …(व्यवधान) नक्सलवाद खत्म हुआ, लेकिन क्या आप उन शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे? …(व्यवधान) मैं केवल यह बात कहना चाहती हूँ कि बचपन में हम सबने रेड राइडिंग हुड की कहानी सुनी थी। सब बच्चों ने यह कहानी सुनी है और इसे आज भी हम अपने जहन में रखते हैं कि किस तरह से एक नन्हीं सी बच्ची, जो अपनी दादी मां से बहुत खुशी के साथ मिलने जाती है, पर वह जंगल में भटक जाती है और उसे दादी मां के घर पहुंचने में रात हो जाती है। जब लड़की घर पहुंचती है, तो हम सभी जानते हैं कि दादी मां तो वहां नहीं होती है और उसकी जगह वहां पर कौन होता है, यह हम सभी जानते हैं। यह जो सरकार है, जो डीलिमिटेशन का और महिला आरक्षण का मुखौटा पहनकर महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य कर रही है, लेकिन वाकई में ये डीलिमिटेशन की आड़ में अपने आप को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें, ये नहीं चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, ये नहीं चाहते कि हमारी दलित, ओबीसी माताओं-बहनों को, हमारी अल्पसंख्यक बहनों को आरक्षण मिले और वे आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिण्डा) : शुक्रिया मैडम।

मैडम, 2014 और 2019 के मेनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था कि ये 33 प्रतिशत वुमन रिजर्वेशन बिल लेकर आएँगे, लेकिन साढ़े नौ साल बाद सितम्बर, 2023 में फाइनली स्पेशल सेशन बुलाकर ये बिल को लेकर आए और वह बिल भी जब लेकर आए, उस टाइम भी मैं आपके द्वारा पूरे देश को बताना चाहूँगी कि यह 33 प्रतिशत वुमन रिजर्वेशन बिल सर्वसम्मति से सितम्बर, 2023 में पास हो गया। जिस तरीके से ये बिल लेकर आए थे कि पहले सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगी और तब जाकर 33 प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा, उस टाइम भी सारे विरोधियों ने कहा था कि आप यह बिल 2024 से 6 महीने पहले लेकर आ रहे हैं। आप जैसे हैं, वैसे ही पार्लियामेंट में 33 प्रतिशत रिजर्वेशन आज ऐलान करिए और अगले जनरल इलेक्शन में करिए, लेकिन इस सरकार ने यह कहा कि सेंसस और डीलिमिटेशन के बिना नहीं हो सकता। वर्ष 2023 के बाद आज तीन साल हो गए, न तो इन्होंने 2021 में सेंसस शुरू किया, न 2023 में शुरू किया और अब 2026 में आकर ये ही नया बिल लेकर, अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं कि अब सेंसस की जरूरत नहीं है।

<u>13.00 hrs</u>

जब हम लोग वर्ष 2023 में कहते थे कि इसकी जरूरत नहीं है, आप यह ऐसे ही लागू कर दें, तो इन्होंने कहा कि उसकी जरूरत है। आज ये ही बुल्डोज करके कह रहे हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है। कौन गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, किसकी नीयत क्या है, यह देश देख रहा है। अभी दो महीने का बजट सेशन चला है। ये उस दो महीने में कुछ नहीं लेकर आए। बजट सेशन खत्म होने के बाद, 10 दिनों के बाद यह तीन दिनों का सेशन क्यों, क्योंकि दो बड़े राज्यों में कुछ ही दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं, वे उसमें मसरूफ हैं, तो क्या यह डिलिमिटेशन, वूमेन रिजर्वेशन की आड़ में यह लेकर आएंगे या फिर इनके बहुत बड़े पार्टियों के माननीय एमपीज नहीं होंगे तो ये यह भी पास कर देंगे। इसलिए मेरे कहने का भाव यह है कि आपकी नीयत को देश की जनता देख रही है। रिजर्वेशन बिल जिस तरीके से भी आए, हम उसका सपोर्ट करते हैं। मैं इस

चीज का शुकराना करती हूं कि कल जो सारे पार्टियों का यही कहना था कि प्रपोर्शन वही रहना चाहिए तो गृह मंत्री जी ने कहा कि प्रपोर्शन वही रहेगा, लेकिन वर्बल एश्योरेंस का क्या फायदा है, क्योंकि अदालत में no verbal assurance stands, only written assurance stands. Nowhere in any of the Bills does it say that the proportion will remain the same.

इन्होंने जो 50 फीसदी इंक्रीज किया है, यह फिगर कहां से आया है, किससे सलाह-मशविरा किया गया, किस-किस से कंसल्टेशन हुई और 50 फीसदी क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्या यह इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि जिस नारी शक्ति और मातृशक्ति की आप बात करते हैं, उसको आप इतना तवज्जो नहीं दे सकते हैं कि यहां पर पहले 50 प्रतिशत इंक्रीज करें ताकि कोई आदमी की सीट न हिल जाए और इंक्रीज्ड सीटों में से महिलाओं को सीट्स दें। मैं यही कहती हूं कि 545 सीट्स में से 180 सीट्स देनी है, तो यहां हम ऑलरेडी 74 लेडीज तो हैं और 100 लेडीज सीट्स की और बात है, तो आप जैसे है, वैसे ही करिए। हम रिजर्वेशन के लिए 80 सालों तक रुक सकते हैं तो क्या लोग चंद साल डिलिमिटेशन और सेंशस के लिए नहीं रुक सकते हैं?

मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हम पंजाबियों को वर्ष 1986 में आश्वासन मिला था कि हमें चंडीगढ़ मिल जाएगा। हमें यह आश्वासन मिला था कि हमारे बंदी सिख रिहा किए जाएंगे। हमें यह भी आश्वासन मिला था कि डीएम रंधावा का कत्ल आम आदमी के मंत्री ने किया है, वह मामला सीबीआई को दिया जाएगा। इसलिए वर्बल एश्योरेंस का कोई फायदा नहीं है।

आपने जो लिखा है, आप उसको कानूनी बिल में डालिए। क्योंकि बिल यह कहता है, संविधान यह कहता है कि जब सेंशस होगा, उसके बाद ही डिलिमिटेशन होगा। आप यह लेकर आना चाहते हैं कि न तो हम सेंशस के बारे में बताएंगे कि कौन-सा हो रहा है और डीलिमिटेशन के हिसाब से होगा, न ही हम वह बताएंगे। आपका निशाना यह है कि आप जो मर्जी सेंशस कराइए, जब मर्जी आप डिलिमिटेशन कराइए, आप अपने नंबरों के बलबूते पर, जैसे आप पिछले समय में करते रहे, You have been bulldozing each and every Bill, each and every law.

That is what you plan to do. आप इस वूमेन रिजर्वेशन की आड़ में जो डिलिमिटेशन का काम कर रहे हैं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम इसका साथ नहीं देते।

मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो कुछ कर रहे हैं, आप उसको बिल में डालिए। कौन-सा सेंशस यूज होगा । हां, हम मानते हैं कि proportion of Parliament should increase, but it should be done in a transparent manner, not in a manner that divides the nation, not in a manner that is disadvantageous to some States because federal democracy means equal representation to all. आपकी नियत क्या है, यह देश की जनता देख रही है।

हर बार जब इलेक्शंस आती हैं, तभी महिलाओं की याद आती है । जब वर्ष 2024 में इलेक्शन थी तो वर्ष 2023 में इनकी याद आ गई। कभी बिहार में कोड आफ कंडक्ट लगा है तो महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए जा रहे हैं। कभी हमारे राज्य में कहां जाता है कि हर महिला को 1000 रुपए मिलेंगे, लेकिन चार साल निकल जाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है।

छ: महीने में वे इलेक्शन में जाते हैं तो फिर वह बात होती है। कभी कांग्रेस कह देती है कि घर-घर नौकरी मिलेगी । कब तक महिलाओं को यह कैरट दिखा के उनको सपना दिखा कर, उनकी वोट्स लेकर और सारे देश में नारी शक्ति का ढिंढोर पिटते हैं, लेकिन 75 सालों के बाद आज महिलाओं को क्या शक्ति मिली है? जैसा यह पार्लियामेंट है, वह सभी को दिख रहा है । अगली पार्लियामेंट कैसी होगी, आपका यह बिल पास होता है या नहीं होता है, किसके साथ क्या समझौता किया गया है, वह चंद घंटों में सबके सामने आ जाएगा।

मैं यही कहूंगी, हमने महिलओं के 33 प्रतिशत रिजर्वेशन का सपोर्ट किया है और हम फुल्ली सपोर्ट करते हैं। आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। पहले आप वह कानून लेकर आए थे। अब आप उस कानून में बदलाव चाह रहे हैं। आप ही यह 33 प्रतिशत रिजर्वेशन लागू नहीं होने दे रहे हैं और डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन की आड़ में लेकर आ रहे हैं, हम सब इसके खिलाफ हैं। आप ट्रांसपैरेंट कानून बनाइए और महिलाओं को उनका हक दीजिए । तभी नारी-शक्ति मातृ-शक्ति की बात हो

सकती है, नहीं तो ये जुमले, हवा में सपने कई सदियों से औरतें देख रही हैं। ऐसे ही सपने कभी वे दिखा दें, कभी आप दिखा दें। औरतें तो जहां थीं, वहीं खड़ी हैं। आदमियों के खिलाफ लड़कर हम यहां पहुंच रहे हैं। हमें शक्ति की जरूरत नहीं थी। रिजर्वेशन के बिना हम यहां पहुंच गए और यदि हमें मौका दिया जाए, तो हम और आगे पहुंच जाएंगे। आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप 543 में ही हमें 33 परसेंट रिजर्वेशन दे दीजिए। हम यहां 33 परसेंट पर आकर दिखाएंगे, यदि हमें 33 परसेंट सीटें और टिकट्स देंगे। धन्यवाद।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) : धन्यवाद सभापति महोदया, आज इस ऐतिहासिक चर्चा का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी है। देश की आधी आबादी की निगाहें आज संसद पर टिकी हुई हैं और वह देख रही है कि भारतीय राजनीति में जिस बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है, क्या वह सही मायने में अपने वास्तविक अंजाम तक पहुंच पाएगा?

महोदया, तीन दशक से अधिक समय बीत चुका है और अनेक राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्रों का हिस्सा होने के बावजूद भी महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी का मसला इतने वर्षों से हाशिये पर ही रहा। यह सच है कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संयुक्त रूप से पारित किया, लेकिन अभी भी देश की आधी आबादी को इस बिल के क्रियान्वित होने का इंतजार है। हम जानते हैं कि देश की आधी आबादी के राजनैतिक सशक्तीकरण के बिना उसका आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण अधूरा है। अत: यह समय की मांग है कि जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम सभी ने मिलकर पारित किया था, उसे लागू करने के लिए भी आज हम सभी दल एक होकर इस नेक काम को करें।

महोदया, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की स्थिति यह है कि लोक सभा में आज भी हमारी संख्या महज़ 14 परसेंट है। राज्य सभा में हम 18 परसेंट हैं और देश की तमाम राज्य विधान सभाओं में यदि हम देखें, तो हम 10 प्रतिशत से अधिक कहीं भी नहीं हैं और यह आंकड़ा बहुत निराशाजनक है। आज समय है कि हम इस तस्वीर को बदलें, क्योंकि यदि देश की राजनीति

की तस्वीर बदलेगी, तो देश की राजनीति का चरित्र भी बदलेगा।

सभापति महोदया, मुझे यह कहते हुए खुशी नहीं है, लेकिन इस बात में काफी हद तक सत्यता भी है कि अनेक बार ऐसे मौके आते हैं कि तमाम राजनीतिक दल किसी दागी उम्मीदवार को, किसी बाहुबली को या किसी अपराधी तक को टिकट देने से गुरेज़ नहीं करती है, लेकिन यदि कोई सामान्य महिला हो, तो उसे एक जिताऊ प्रत्याशी नहीं समझकर उसे टिकट से वंचित रखती है। इस परिस्थिति को आखिर हम कब बदलेंगे? आज हमारे पास एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है कि हम-सब मिलकर ऐसी तस्वीर को बदल सकते हैं और इस देश तथा राज्यों के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। इस हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी ने सभी राजनीतिक दलों से यह अपील भी की है कि हम-सब मिलकर इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाएं। यह भी उतना ही सच है कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के मित्रों के अपने कुछ राजनीतिक कर्तव्य भी हैं तथा उनका कुछ धर्म भी है। अत: बहुत सारी चिंताएं, आशंकाएं, आरोप-प्रत्यारोप भी मैंने कल से इस चर्चा में देखे हैं।

सभापति महोदया, एक विषय, जिसे दक्षिण राज्यों के कई माननीय सांसदगणों ने उठाया कि दक्षिण के जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें शायद सीटों का नुकसान हो सकता है। हालांकि माननीय गृह मंत्री जी ने इसी सदन में खड़े होकर ऐसे तमाम सांसदगण की चिंताओं का समाधान भी किया और उनकी इस शंका को खारिज करते हुए यह भी बताया कि सभी राज्यों की बराबरी में 50 प्रतिशत सीटों की वृद्धि की जाएगी और जनसंख्या के आंकड़ों का किसी भी राज्य को सीटों की दृष्टि से कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। फिर भी कुछ सांसदगण कह रहे हैं कि आप केवल वर्बल अश्योरेंस दे रहे हैं। यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है।

महोदया, देश के गृह मंत्री जी संसद के फ्लोर पर खड़े होकर कह रहे हैं, लेकिन इन्हें भरोसा नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस शंका समाधान भी हमारी सरकार जरूर करेगी। सदन में हमारे बहुत सारे साथियों ने बार-बार एक बात कही कि हमारी संख्या 543 है। हम क्यों

नहीं इन्हीं 543 सीटों पर महिला आरक्षण के 33 परसेंट कोटे को लागू कर देते हैं?

महोदया, सबसे पहले तो मैं ऐसे सभी दलों से यह कहना चाहती हूँ कि जब आपके पास मौका था, तब आपने 543 की संख्या पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया? इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हमारे इस सदन के अंदर केवल बड़े दल ही नहीं हैं, बहुत सारे छोटे दल भी इस सदन के अंदर हैं। ऐसे भी दल हैं, जिनके पास महज एक या दो सांसद हैं। जब हम महिला आरक्षण को लागू करना चाहते हैं तो हमें बड़े दलों के साथ-साथ छोटे दलों की सहजता का भी ख्याल रखने की जरूरत है। जब हम इस लोक सभा की संख्या को बढ़ाकर 816 तक पहुँचायेंगे तो छोटे और बड़े दल, सभी के लिए इस 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू करना सहज हो जायेगा। इसका भी सभी दलों को ख्याल रखने की जरूरत है। मैंने यहां पर कुछ बातें जाति जनगणना को लेकर भी सुनी हैं।

महोदया, इस संबंध में भी मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने जाति जनगणना तब क्यों नहीं करायी, अब क्यों करायी, उसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, तमाम किस्म के सवाल यहां उठाए गए हैं। यहां एक सवाल मैं भी उठाना चाहती हूँ कि जो लोग आज जातीय जनगणना के इतने बड़े पैरोकार बन रहे हैं, जब उनके पास समय था, जब वे सत्ता संभाल रहे थे, तब उन्होंने देश के अंदर या अपने-अपने राज्यों के अंदर कास्ट सेंसस का निर्णय क्यों नहीं लिया? आखिर किसने उन्हें ऐसा करने से रोक रखा था?

महोदया, जब ये सारे दल सत्ता में थे और जिन मसलों को ये आज उठा रहे हैं, जिनका समाधान ये सत्ता में रहते हुए कर सकते थे, उस समय इन्होंने उनका समाधान नहीं किया। जो-जो मसले ये छोड़कर गए, आज हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार उन मसलों को संभाल रही है, आपके सारे छोड़े हुए मुद्दों पर हम निर्णय कर रहे हैं और कास्ट सेंसस का ऐतिहासिक निर्णय भी एनडीए की सरकार ने किया है। यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है। कास्ट सेंसस हमने सिर्फ अनाउंस ही नहीं किया है।… (व्यवधान) आपने क्यों नहीं किया?… (व्यवधान) आपने क्यों नहीं किया?… (व्यवधान) इन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश में

सत्ता संभाली है और इन्होंने राज्य के अंदर कास्ट सेंसस नहीं करायी है।... (व्यवधान) जब आप केन्द्र की सरकार में शामिल थे तब भी आपने कास्ट सेंसस के लिए दबाव नहीं डाला। ... (व्यवधान) आपका तो कहने का मुँह ही नहीं है।... (व्यवधान) न राज्य में, न केन्द्र में, आप जो काम नहीं कर पाए, वह काम हमारी सरकार ने किया है।... (व्यवधान) हमारी सरकार ने तय किया है, सेंसस एक्सरसाइज चल रही है।... (व्यवधान)

13.12 hrs (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : मंत्री जी, थोड़ा ओबीसी महिलाओं की भी बात कर लीजिए। ... (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : मैं सारी बातें करूँगी।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : धर्मेन्द्र जी, कृपया आप बैठ जाइए।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : महोदय, हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है, वह ऐतिहासिक है। जो आप नहीं कर पाए, वह हमने किया है और यह कास्ट सेंसस की प्रक्रिया चल रही है। यह एक्सरसाइज चल रही है और 31 मार्च, 2027 तक इसके आंकड़े भी आ जाएंगे।... (व्यवधान) जो ये नहीं कर पाए, वह हमारी सरकार ने करके दिखाया है। जो-जो काम ये नहीं कर पाए, ये नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं कर पाए, वह भी हमारी सरकार ने किया है। ये हमारे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाये। यह काम भी हमारी सरकार ने किया है। ओबीसी के हित में एक नहीं, अनेक काम हमारी सरकार ने किए हैं। मैं इनसे कहूँगी कि जब महिला आरक्षण लागू हो जाए तो ओबीसी की बहनों को टिकट देने में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि हमारी तरफ से तो ओबीसी की संख्या बढ़ती जा रही है। आपकी तरफ से भी ओबीसी की संख्या बढ़नी चाहिए। ... (व्यवधान)

महोदय, हमारे कुछ मित्र यह सवाल भी उठा रहे थे कि यह चुनावी लाभ के लिए है और हमने इस विशेष सत्र को, जब कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो उसके बीच बुलाया है। कुछ राज्यों के चुनाव तो 9 अप्रैल को ही खत्म हो गए थे। अब कुछ राज्यों के चुनाव बाकी हैं। जिन भी

हमारे मित्रों को लगता है कि इस काम से किसी को चुनावी लाभ होने जा रहा है, मैं उन सभी मित्रों से यह आग्रह करना चाहती हूँ कि आप भयभीत मत होइए, यह लाभ आप भी ले लीजिए। आप भी इस देश की आधी आबादी को यह संदेश दे दीजिए कि यह जो राज्यों और देश के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का पुण्य का काम इस महान सदन में होने जा रहा है, आप भी उसके समर्थक हैं और जिस तरीके से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पारित करने में आपने सहयोग किया है, आज इसको लागू करने में भी आप शामिल हैं। आप भी इसका फायदा उठा लीजिए और इस देश की नारी शक्ति को अंतत: उसका अधिकार देने में हमारा सहयोग कीजिए।

माननीय सभापति : मैडम, कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : महोदय, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज हमारे पास इतिहास बनाने का अवसर है। इस अवसर को मत गंवाइए। आइए, हम सब मिलकर इतिहास बनाते हैं और आधी आबादी को न्याय दिलाते हैं।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहम्मद हनीफ़ा (लद्दाख) : शुक्रिया, चेयरमैन सर।

महोदय, हमारी वर्षों से यह मांग थी कि जो हमारी आधी आबादी है, इसे संसद में गारंटीकृत रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जो वर्ष 2023 में ही सर्वसम्मति से पास किया जा चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि ख़वातीन को आरक्षण देने के मुद्दे पर न तो मुझे और न ही किसी और को कोई ऐतराज़ है, बल्कि सभी लोग इसकी हिमायत करते हैं।

महोदय, मैं आपकी तवज्जो इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो गारंटी पूरे मुल्क की ख़वातीन को देने की बात की जा रही है, लद्दाख की ख़वातीन इससे काफी हद तक महरूम रहेंगी, क्योंकि इस बिल में ख़वातीन के लिए राज्य विधानसभा में आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं। जब असेंबली ही नहीं है, तो लद्दाख की ख़वातीन को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिलेगा?

महोदय, लद्दाख के लोग काफी समय से शांतिपूर्वक तरीके से मांग कर रहे हैं कि इन्हें

डेमोक्रेटिक सेटअप और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए। ये डिमांड हमारे यूनिक कल्चर पर्यावरण और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं।

महोदय, एमएचए ने केडीए और एपेक्स बॉडी के साथ एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, ताकि उनकी बातचीत हो सके, लेकिन बदकिस्मती से ये मीटिंग रेगुलर तरीके से नहीं हो रही है।

महोदय, हमें मीटिंग की डेट लेने के लिए भी हमें प्रोटेस्ट और भूख हड़ताल करनी पड़ती है । मैं एमएचए से, केंद्र सरकार से और माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इन नेगोशिएशन्स को समयबद्ध तरीके से पूरा करें और लद्दाख के लोगों की इच्छा के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और लेजिस्लेटिव असेंबली दी जाए, जिससे इस बिल का फायदा लद्दाख की महिलाओं तक पहुंचे।

महोदय, लद्दाख रणनीतिक और भौगोलिक दोनों दृष्टियों से हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यह लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इस देश के कई राज्यों से भी ज्यादा बड़ा है। इतने बड़े इलाके के बावजूद लद्दाख के पास केवल एक लोक सभा सीट है। लद्दाख के ईस्ट कोने से वेस्ट कोने तक की दूरी तकरीबन 600-700 किलोमीटर है और नॉर्थ से साउथ तक की दूरी लगभग 400-500 किलोमीटर की दूरी पड़ती है । यदि हम टोपोग्राफिकली और मौसमी हालात पर नजर डालें, तो यह दुनिया का सबसे दुर्गम भूभाग है । लद्दाख में सर्दियों में कई महीनों तक सड़कें बंद रहती हैं और कई इलाके मुकम्मल तौर पर इनएक्सेसिबल रहते हैं।

महोदय, एक अकेले सांसद के लिए इतने बड़े और विविध क्षेत्र का प्रभावी प्रतिनिधित्व करना लगभग असंभव है। इसलिए मैं जोर देकर यह बात दोहराता हूं कि जब भी डिलिमिटेशन हो, लद्दाख के लिए दो लोक सभा सीटें, एक लेह के लिए और एक कारगिल के लिए होनी चाहिए।। यह मांग लद्दाख में पिछले कई वर्षों से चली आ रही है और केडीए और एपेक्स बॉडी द्वारा उच्चस्तरीय कमेटी के सामने भी कई बार यह मांग रख चुके हैं।

महोदय, इस बिल की असली रूह यह है कि ख़वातीन को केवल कागज पर नहीं, बल्कि

हकीक़त में एम्पावर किया जाए । लद्दाख की ख़वातीन के लिए तब मुमकिन होगा, जब इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और बेहतर प्रतिनिधित्व मिले।

महोदय, लद्दाख के लोग सब्र करते आए हैं। उन्होंने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के लिए अनशन किया है और हर डेमोक्रेटिक डोर पर दस्तक दी है। अब वह समय आ गया है कि इनकी बात सुनी जाए। मैंने हमेशा महिला आरक्षण का हिमायती रहा हूं और आज भी हिमायत में हूं।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लद्दाख को एक लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए। दो लोक सभा सीटें दी जाए, एक लेह के लिए और एक कारगिल के लिए, बातचीत को दोबारा से शुरू किया जाए । आज से एक साल पहले एमएचए और भारत सरकार ने लद्दाख के लिए कई डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट किया था, जिसके लिए में उनका एक बार फिर से शुक्रगुजार हूं, लेकिन अभी तक इन डिस्ट्रिक्ट्स का ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसलिए जल्द से जल्द फुल फ्लेश्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए और इन डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज़ को लेकर लोगों में काफी मतभेद है, खासकर कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लोगों में। मैं आपके माध्यम से एमएचए से गुजारिश करता हूं कि जब लद्दाख में बाउंड्रीज़ बनाई जाएं, तो उस वक्त कमीनल बेस्ड बांउड्रीज़ न बनाई जाए।

दूसरा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, लेह और कारगिल की बाउंड्रीज़ के अंदर ही बाउंड्री निकाली जाए और जल्द से जल्द ये डिस्ट्रिक्ट्स इम्प्लीमेंट किए जाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

[جناب محمد حنیفہ (لدّاخ): شکریہ چیرمین صاحب، جناب ہماری سالوں سے یہ مانگ تھی کہ جو ہماری آدھی آبادی ہے، اسے سنسد میں گارنٹی کرت ریپریزینٹیشن دیا جائے، جو سال 2023 میں سرو سمتی سے پاس کیا جا چکا ہے۔ اس لئے مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو آرکشن دینے کے مدعے پر نہ تو مجھے اور نہ ہی کسی اور کو کوئی اعتراض ہے، بلکہ سبھی لوگ اس کی حمایت

کرتے ہیں۔

جناب میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جو گارنٹی پورے ملک کی خواتین کو دینے کی بات کی جارہی ہے، لدّاخ کی خواتین اس سے کافی حد تک محروم رہیں گی، کیونکہ اس بل میں خواتین کے لئے راجیہ ودھان سبھا میں آرکشن کی بات کہی گئی ہے۔ لیکن لدّاخ میں لیجسلیٹیو اسمبلی ہے ہی نہیں۔ جب اسمبلی ہی نہیں ہے تو لدّاخ کی خواتین کو آرکشن کا پورا فائدہ نہیں ملے گا۔

جناب، لدّاخ کے لوگ کافی وقت سے پر امن طریقے سے مانگ کر رہے ہیں کہ انہیں ڈیموکریٹِک سیٹ اپ اور کانسٹی ٹیویشنل سیف گارڈ دیا جائے۔ یہ ڈیمانڈ ہمارے یونِک کلچر، پریا ورن اور آئیڈینٹِٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہے۔

جناب، ایم۔ایچ۔اے۔ نے کے۔ڈی۔اے۔اور اپیکس باڈی کے ساتھ ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی تھی، تاکہ ان کی بات چیت ہو سکے، لیکن بد قسمتی سے یہ میٹنگ ریگولر طریقے سے نہیں ہو رہی ہے۔

جناب، ہمیں میٹنگ کی ڈیٹ لینے کے لئے بھی ہمیں پروٹیسٹ اور بھوک ہڑتال کرنی پڑتی ہے۔ میں ایم۔ایچ۔اے۔ سے مرکزی سرکار سے اور مانئے ہوم منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان Negotiationsکو سمے بدھ طریقے سے پورا کرے اور لدّاخ کے لوگوں کی خواہش کے مطابق کانسٹی ٹیوشنل سیف گارڈ اور لیجسلیٹیو اسمبلی دی جائے، جس سے اس بل کا فائدہ لدّاخ کی خواتین تک پہنچے۔

جناب، لدّاخ رن نیتک اور بھوگولک دونوں نظریوں سے ہمارے ملک کے سب سے اہم علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہ لگ بھگ 60 ہزار ورگ کلو میٹر

کے شیتر میں پھیلا ہوا ہے، جو اس دیش کے کئی راجیوں سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اتنے بڑے علاقے کے با وجود لدّاخ کے پاس صرف ایک لوک سبھا سیٹ ہے۔ لدّاخ کے ایسٹ کونے سے ویسٹ کونے تک کی دوری تقریباً 600-700 کلو میٹر ہے اور نورتھ سے ساؤتھ تک کی دوری لگ بھگ 400-500 کلو میٹر کی دوری پڑتی ہے۔ اگر ہم ٹوپوگرافیکلی اور موسمی حالات پر نظر ڈالیں، تو یہ سب دنیا کا سب سے دُرگم بھو بھاگ ہے، لدّاخ میں سردیوں میں کئی مہینوں تک سڑکیں بند رہتی ہیں۔ اور کئی علاقے مکمل طور پر inaccessible رہتے ہیں۔

جناب، ایک اکیلے سانسد کے لئے اتنے بڑے اور وِودھ شیتر کا پربھاوی پرتی نِدھیتو کرنا لگ بھگ نا ممکن ہے۔ اس لئے میں زور دیکر یہ بات دوہراتا ہوں کہ جب بھی Delimitationہو، لدّاخ کے لئے 2 لوک سبھا سیٹیں، ایک لیہ کے لئے اور ایک کارگل کے لئے ہونی چاہئے۔ یہ مانگ لدّاخ میں پچھلے کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے اور کے۔ڈی۔اے۔ اور اپیکس باڈی کے ذریعہ ہائی لیول کمیٹی کے سامنے بھی کئی بار یہ مانگ رکھ چکے ہیں۔

جناب، اس بل کی اصلی روح یہ ہے کہ خواتین کو صرف کاغذ پر نہیں، بلکہ حقیقت میں ایمپاور کیا جائے۔ لدّاخ کی خواتین کے لئے یہ تب ممکن ہوگا، جب انہیں لیجسلیٹیو اسمبلی اور کانسٹی ٹیوشنل سیف گارڈ اور بہتر پرتی نِدھتو ملے۔

جناب، لدّاخ کے لوگ صبر کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے شانتی پوروک پروٹیسٹ کے لئے بھوک ہڑتال کی ہے اور ہر ڈیموکریٹک ڈور پر دستک دی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی بات سنی جائے۔ میں ہمیشہ مہیلا آرکشن کا حمایتی رہا ہوں اور آج بھی حمایت میں ہوں۔

اس کے ساتھ ہی، میں آپ کے ذریعہ سے سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ لوک تانترک ویوستھا کے تحت لداخ کو ایک لیجسلیٹیو اسمبلی اور کانسٹی ٹیوشنل سیف گارڈ دیا جائے۔ 2 لوک سبھا سیٹیں دی جائیں، ایک لیہ کے لئے اور ایک کارگل کے لئے۔ بات چیت کو دوبارہ سے شروع کیا جائے۔ آج سے ایک سال پہلے ایم۔ایچ۔اے۔ اور بھارت سرکار نے لدّاخ کے لئے کئی ڈسٹرکٹس کا اناؤنسمنٹ کیا تھا، جس کے لئے میں ان کا ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں، لیکن ابھی تک ان ڈسٹرکٹس کا گراؤنڈ لیول پر امپلی مینٹیشن نہیں ہوا ہے۔ اس لئے جلد سے جلد فل فلیجڈ ڈسٹرکٹس کے لئے امپلی مینٹ کیا جائے اور ان ڈسٹرکٹس کی باؤنڈریز کو لیکر لوگوں میں کافی مت بھید ہیں، خاص کر کارگل ڈسٹرکٹس کو لوگوں میں، میں آپ کے ذریعہ سے ایم۔ایچ۔اے۔ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب لداخ میں باؤنڈریز بنائی جائیں، تو اس وقت کمیونل بیسڈ باؤنڈری نہ بنائی جائے۔

دوسرا، ایسپریشنل ڈسٹرکٹس، لیہ اور کارگل کی باؤنڈری کے اندر ہی باؤنڈری نکالی جائےاور جلد سے جل یہ ڈسٹرکٹس امپلی مینٹ کئے جائیں۔ بہت بہت شکریہ]

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I would like to strongly oppose the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026 called as the Women's Reservation Bill, 2026, coupled with the delimitation drama.

Sir, your delimitation agenda, masked as the Women's Reservation Bill, is the loudest political statement by the BJP and Modi Government that you have already lost the 2029 elections, and you cannot win the game. So, you

are just trying to change the rules. But we would not let you do that. If women's reservation is your '*Niyat*', we would like to say that we are ready now here on this very floor.

The present Government only has a wafer-thin majority. In the last elections, the BJP was not fighting an Opposition but their fight was against the Constitution. The ordinary citizens of this country still believe and rely on – whenever they fail in the judicial system, whenever they fail in front of the Election Commission – the Constitution of our country. And that Constitution is being tweaked by this Government. That is where we are opposing this Bill.

Sir, the Bill is a blatant attack on the Constitution of our country. The Bill is a blatant attack on the cooperative federal structure of India. This is not just a Women's Reservation Bill. This is a constitutional redesign disguised as empowerment. The Women's Reservation Bill is merely a Trojan horse. Why are we making women's reservation conditional? Why must Indian women wait for delimitation, for a census, for a political process? Empowerment delayed is empowerment denied. If the intent is genuine, why is the delimitation not clearly defined in the Bill? Where is the guarantee that the share of States will remain protected? The Prime Minister of India said that no State will lose its share. Then, why is that assurance not written in the Bill, in the law? Why should we trust him? We were all told that 15 लाख रुपये हमारे बैंक अकाउंट्स में आ जाएंगे। क्या किसी को वे 15 लाख रुपये मिले हैं?… (व्यवधान)

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : ऐसा किसने बोला था?… (व्यवधान)

श्री हैबी ईडन : सर, मैं वह वीडियो आपको भेजूंगा ।… (व्यवधान) मैं आपको वह वीडियो

व्हाट्सएप्प से भेजूंगा।... (व्यवधान)

सर, डिमॉनेटाइजेशन के समय में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बोला था कि काला धन वापस लाएंगे और उसमें से इंडिया के सभी सिटीजेन्स के अकाउंट्स में 15 लाख रुपये मिल जाएंगे।... (व्यवधान)

Sir, I will give you the details. So, why should we trust him? That is not how democracies work. … (*Interruptions*)

Sir, India made a promise in 1976 that the States which controlled population would not be punished. That was a promise and not politics. It was fairness. The States that invested in education, healthcare, and women's empowerment reduced population growth. And today, those very States, which took risk, are losing representation. So, what are we telling India? That progress will cost you power. Even Atal Bihari Vajpayee *ji* understood this danger. That is why, his Government extended the freeze on delimitation in 2001.

So, the States that invested in human development would not be penalised politically. That was statesmanship, not strategy. Yes, countries like the United States used population for representation, but their development and population moved together. In India, development reduced population growth. So, applying the same formula here does not produce fairness; it produces an imbalance. Delimitation is not just arithmetic; it is power. It decides who speaks louder in the House and whose voice becomes smaller. When the power shifts without safeguards, democracy does not break in one day; it tilts slowly. Do not link women's rights to a process that can reshape the

federal balance.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI HIBI EDEN: Sir, I am concluding. Do not make women wait for political convenience. Give women representation today; protect the federal balance in law; and do not mix the two at the cost of India's future. Support for women's reservation is unanimous, but the concern over delimitation is national.

Sir, I would just like to conclude with one small example. When these Bills are clubbed in a constitutional manner, it does not work. In 2020 there was a Bill introduced in this august House which took away the microscopic minority rights, which was called an extension of the SC and ST law, but it denied the rights of a microscopic minority called the Anglo-Indian community. This is a classic example of why we should not club these laws together. That is why we are strongly opposing the law, the delimitation, and the reservation process. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member Shri Hibi Eden ji, you have mentioned Rs. 15 lakh and you also said that you will show the evidence thereof. Please provide the evidence; otherwise, it will be deleted from the record.

*__DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU):__ As a tribal woman I would like to express my heartfelt gratitude for giving me this opportunity to speak on historic women reservation bill. When we perceive that an ordinary woman is lagging in this country, we can imagine how backward would be a tribal woman in this country. With this background, I would like to thank our former Chief

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

Minister Y S Jagan Mohan Reddy and the people of Araku for sending me to Lok Sabha. There is no doubt that the women's reservation bill will change the future of women in this country. We all know that wherever women are respected we see the presence of goddesses. We all look at a woman as an embodiment of power. By providing 33 per cent reservation for women I believe that our country will progress further. There were struggles for many years for women's rights. In this context, I would like to refer to our great leader Dr. B.R. Ambedkar who took up the rights of women, he said that if you want to know the progress of a society you should look at the progress of women in that society. I am proud to state that our leader Y.S. Jagan Mohan Reddy implemented what Dr. B.R. Ambedkar stated about women in letter and spirit. Our leader not only conceived the idea of providing 50 per cent reservation for women but also implemented it in our state from 2019 to 2024.

First time in the history of Andhra Pradesh our leader made a woman Deputy Chief Minister, she was also made a Home Minister and there were four women ministers in his cabinet. In this manner he ensured respectful representation for women in Andhra Pradesh. He also provided opportunities for women in local body elections, nominated posts and service contracts by giving 50 per cent reservation. You also implemented many welfare schemes for women like Amma vodi, YSR cheyootha and YSR Asara.

I can proudly say that our leader Y.S. Jagan Mohan Reddy stood by the poor and provided ownership rights to women by issuing pattas. He ensured safety for women by establishing Disha police stations and Disha app. He

implemented many schemes for social and economic empowerment of women. He transformed the period between 2019 and 2024 as a golden age for women in Andhra Pradesh by providing dignity and self respect to the women. In the end, I would like to make an important point. At this juncture, when we are happy that the women's reservation bill is being implemented, I have apprehension about the safety and security of women in Andhra Pradesh. We get to know about many incidents of violence against women in Andhra Pradesh on a daily basis. The incident that happened in Muchimarri in Nandyal district is unfortunate and painful. When a woman victim complains about harassment by people's representatives belonging to a political party in power, police are not taking any action. This is unfortunate.

People's representatives belonging to the political party in power, did not discuss these issues in neither assembly nor parliament. Sir please allow me to speak for a minute.

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you very much, Sir.

Ms. Kanimozhi Karunanidhi, hon. Member from DMK spoke in detail about the legislative themes on these two Bills and also about the dubious measures being taken by the Government to push the Bills.

Sir, I do not want to comment more because the exhaustive speech was given by our party Member…. (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I have given time to him. He is speaking. He is from your Party.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Sir, Ms. Kanimozhi had made an exhaustive and elaborate speech.

HON. CHAIRPERSON: He is from your party. Do you not want him to speak? Please tell me. I have given time to him. He is from your Party. I will decide whether one has concluded or not and it is not you who decides about this.

… (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA: Sir, the House is not in order.

HON. CHAIRPERSON: It is in order and if it is not in order, it is because of your own party Members.

SHRI A. RAJA: Since a detailed and elaborative speech was delivered by Ms. Kanimozhi Karunanidhi from my Party where she explained the dubious activities covered by these two Bills which is piloted by this Government, I want to take very small time to exercise my right.

Sir, I never intended to take part in this debate. But I took a firm decision to say a few words before this House after hearing the speeches of the Prime Minister and the Home Minister.

Sir, it is very strange that two Bills having approved by the Cabinet under the Chairmanship of the Prime Minister have been placed on the Table and it is under consideration and both the executives none other than the Prime Minister and the Home Minister completely deviated from the pith and substance of the Bill and they are giving justification and putting other diabolical things. It is strange to the Parliament. It is not only strange but I also categorically accuse both, the Prime Minister and the Home Minister, and

this Government together for undermining the parliamentary democracy and parliamentary values. I will explain it.

Sir, having heard the speech of the Home Minister, our apprehension is that nothing will be done to the Tamil Nadu or the Southern States. Our apprehension is that Tamil Nadu would be put in trouble whereas the Home Minister said that “approximately 50 per cent increase would be there, and Tamil Nadu suffers no loss; The State of Kerala will have 30 MPs. It is an artificially created apprehension in the minds of the Southern States.”

Sir, the apprehension in the minds of Southern States had not come in the year 2010, 2011 or in 2026. This apprehension came in the minds of the Constitution makers itself. The States were formulated under the statutory provisions of the States Reorganisation Act. The States were reorganised by Dr. Ambedkar and other Committee Members on the basis of the linguistic lines. Please correct me if I am wrong. The States were formed in 1956 by statutory measures. When this linguistic idea was put forth before the Parliament, even prior to five years, Dr. Ambedkar wrote a book which is the bedrock and backbone of this statute. In that book he said: “There is a divide in North and South.” He said:

> “The North is Hindi speaking. The South is non-Hindi speaking. Most people do not know what is the size of the Hindi-speaking population. It is as much as 48 per cent of the total population of India. Fixing one's eye on this fact one cannot fail to say that the Commission's effort will result in the

consolidation of the North and the balkanization of the South. Can the South tolerate the dominance of the North? It may now not be a breach of a secret if I revealed to the public what happened in the Congress Party meeting when the Draft Constitution India was being considered, on the issue of adopting Hindi as the national language. There was no article which proved more controversial than Article 115 which deals with the question. No article produced more opposition. No article, more heat. After a prolonged discussion when the question was put, the vote was 78 against 78. The tie could not be resolved. After a long time when the question was put to the Party meeting the result was 77 against 78 for Hindi. Hindi won its place as a national language by one vote. I am stating these facts from my personal knowledge. As Chairman of the Drafting Committee I had naturally entry to the Congress Party enclosure. These facts reveal how much the South dislikes the North. This dislike may grow into hatred if the North remains consolidated and the South becomes disintegrated and if the North continues to exercise a disproportionate influence on the politics of India."

Sir, this is the disproportionate influence which was attempted by the North on the Southern States not by me or by my leader M.K. Stalin, but it was the Statement made by Dr. Ambedkar in the Committee. Now, in this

background, please look at the answer given by the Home Minister. The Home Minister said: “There will be only 50 per cent increase. There will be no damage for Tamil Nadu and Kerala or any Southern State.” In this case, what is the need of these legislations? If the Home Minister said in the House: “Do not worry. I will take care of everything, then, what is the purpose of these two Bills? Section 8 of the new Bill says that the seats will be allocated on the basis of the latest Census. That is as per the Bill which is introduced in this House. What our Constitution says? It says in Article 81(2):

“(2) For the purposes of sub-clause (a) of clause (1)--

(a) there shall be allotted to each State a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between that number and the population of the state is, so far as practicable, the same for all States;”

Sir, the word is very important. The Constitution says: “ratio between that number and the population of the state”. I do not want to recall all the incidents of the States Reorganisation Act.

When we formed the linguistic States, Dr. Ambedkar was very clear according to G.B. Pant and other members. When we are forming one State, one language, the reason is that the language, civilisation, culture and all ethnicity values of the particular State who speaks one language, who adopted one culture should be reflected in the Assembly. All codification of laws and whatever the rules are going to be framed, it should reflect the people

of the State, since they are adopting one language. If it is the collection of the States, is it not fair on the part of the Government to take all the wishes of the States? … (*Interruptions)* It should be collected from the linguistic States. … (*Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI A. RAJA: But whereas, the Prime Minister and the Home Minister says "do not worry, nothing will happen". But on the other hand, Constitution is against you, the present Bill is against you. It is very strange that number one and number two of this country are completely misguiding Parliament with wrong data without any reason.

Sir, I conclude. The Prime Minister wants to say that we want to protect women's rights. If anybody opposes this Bill, they will be anti-women. In the name of women's rights, the Government is going to promote discrimination among the States. By the discrimination, you want to promote North-South divide. By this divide, you want to have a perpetual rule in the Centre. By the perpetual power, you want to establish a theocratic State. By the theocratic State, you want to impose one nation, one language, one culture. We will not permit your dream to turn into reality. Our State, our Chief Minister will not permit it in Tamil Nadu. We will oppose it. Thank you, Sir.

श्री जयन्त बसुमतारी (कोकराझार) : सभापति महोदय, आपने मुझे संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बात बोडो भाषा में रखना चाहता हूँ।

*At the very beginning, hon. Chairperson Sir, I sincerely thank you for giving me the opportunity to speak on The Constitution (131st Amendment) Bill, 2026 and the Delimitation Bill, 2026. On behalf of myself and my party, UPPL, I also extend my gratitude and congratulations to the hon. Prime Minister and the Government for introducing these significant Bills in Parliament.

The decision to provide 33 per cent reservation for women in Parliament and State Legislative Assemblies through the Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, 2023 is a commendable and historic step. It is a matter of concern and reflection that in a democratic nation like India, nearly half of the population—women—were denied adequate legislative representation for such a long time. The prolonged disagreements between the Treasury Benches and the Opposition have delayed justice for women for years. Nevertheless, after this long wait, women will now finally receive 33 per cent reservation. On this occasion, I, along with the President of UPPL, Shri Pramod Boro, extend our heartfelt congratulations to the women of the country.

I also express my sincere appreciation to the Government for introducing the Delimitation Bill, 2026. However, I would like to draw attention to an important concern. If delimitation is carried out strictly on the basis of population, it may lead to unfair outcomes for the North-Eastern States, where a large proportion of the population belongs to Scheduled Tribes. The population growth rate among these communities is comparatively lower than that of others. Historically, since Independence, the North-Eastern States,

* English translation of the speech originally delivered in Bodo.

smaller states, and many tribal communities in these regions have faced inadequate representation.

This sense of deprivation stems from the fact that the North-East has often been treated with neglect. A closer look at the region reveals that several communities still lack representation in State Legislative Assemblies, Parliament, and even local governance bodies. Therefore, in matters of delimitation, the North-East requires special attention and consideration. Delimitation should not be based solely on population figures but must also ensure fair and balanced representation. In this context, the number of seats in the North-East should be increased. I respectfully place this demand before the Government and urge both the Treasury Benches and the Opposition to cooperate on this issue without politicizing it.

Hon. Chairman Sir, as a Member of Parliament representing a Sixth Schedule area—the Bodoland Territorial Region (BTR) of Assam—I strongly urge that the upcoming delimitation exercise ensure adequate representation for this region while maintaining geographical contiguity. Specifically, I request the provision of three Parliamentary constituencies and at least thirty State Legislative Assembly constituencies in the BTR. I place this demand firmly before the Government and hope that it will receive due consideration from the Government of India and this esteemed House, especially given the long-standing neglect faced by the North-East since Independence.

The majority of the population in the region belongs to Scheduled Tribes, whose population growth rate is relatively lower. If delimitation in the North-

East is conducted purely on population criteria, similar to other states, it would result in significant injustice. Therefore, I urge the Government of India to approach the increase in seats with sensitivity and fairness. Most importantly, I reiterate my request for the allocation of at least three Parliamentary seats and thirty State Legislative Assembly seats to the BTR region, and I sincerely hope this demand will be fulfilled.

Thank you, Sir. I am grateful for the opportunity to present my views.

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : धन्यवाद सभापति जी। मैं आज इस सदन में अत्यंत महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और संवेदनशील विषय पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह केवल एक विधेयक नहीं है, यह भारत की लोकतंत्र की आत्मा का प्रश्न है। यह उस न्याय की परीक्षा है, जिसकी नींव हमारे संविधान में रखी गयी थी और यह उस विश्वास का सवाल है, जो देश की करोड़ों महिलाओं के संरक्षण से जुड़ा हुआ है।

सभापति जी, मैं शुरुआत से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। हम इसे महिलाओं का संवैधानिक अधिकार मानते हैं। लोकतंत्र में समर्थन और सवाल दोनों साथ चलते हैं। मेरी तो सरकार से मांग है कि आधी आबादी 50 परसेंट है। इसे 33 परसेंट से बढ़ा कर 51 परसेंट कर देना चाहिए। जो बराबरी महिलाओं को सदियों से नहीं मिली, वह बढ़ कर मिलनी चाहिए। सरकार की और हाउस की यह मंशा होनी चाहिए।

सभापति जी, आरक्षण से पहले सुरक्षा के बारे में भी बताया जाना चाहिए कि एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? तमाम सरकारों में महिलाओं पर हिंसा हो रही है। इसका जवाब भी सरकारों को देना चाहिए कि जब महिला सुरक्षित नहीं होगी, तो उनके अधिकार की रक्षा कैसे होगी? जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो यह कोई नयी सोच नहीं है। यह इस परंपरा की निरंतरता है, जहां सावित्रीबाई फुले, माता रमा बाई, अहिल्या बाई होल्कर, फातीमा शेख, झलकारी बाई, उदा देवी पासी, अवन्ति बाई लोधी, मां फूलन देवी जैसी वीरांगनाओं के संघर्ष

हमारे सामने उदाहरण हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान बनाते हुए कहा था कि हम एक ऐसे संविधान को बना रहे हैं, जो हर नागरिक को चाहे वह पुरुष हो या महिला, सबको समान अधिकार देगा। हमें याद रखना चाहिए, उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी का जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था, वह हिन्दू कोड बिल था। उन्होंने उसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक में बराबरी, गोद लेने का पूरा अधिकार दिया था और जब वे इसमें सफल नहीं हो पाए, तो उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

महोदय, 73वें और 74वें संविधान संशोधन, जिसके तहत अनुच्छेद 243डी और 243टी में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। आज लाखों महिलाएं पंचायत और नगरपालिकाओं में नेतृत्व कर रही हैं। यह अलग बात है कि बहुत बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाती हैं, क्योंकि हमारे समाज ने अभी पुरुषों और महिलाओं की बराबरी को स्वीकार नहीं किया है। कहीं पिता, कहीं पुत्र और कहीं पति उनके निर्णय लेते हैं। ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया है। भाषण चाहे कुछ भी दिया जाए, लेकिन सत्यता यही है।

सभापति जी, मान्यवर कांशीराम साहब जी कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन्हीं विचारों की कसौटी पर अगर वर्तमान महिला आरक्षण कानून को परखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 33 परसेंट आरक्षण आधी आबादी के साथ पूर्ण न्याय नहीं करता है। यदि 33 परसेंट आरक्षण दे भी दिया, तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि एससी-एसटी, ओबीसी और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में कोटे के अंदर कोटा का कोई प्रावधान नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आरक्षण उन वर्गों तक सीमित रह सकता है, जिनके पास पहले से ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों तक पहुंच है। ऐसे में दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की महिलाएं, जो सबसे अधिक वंचित हैं, वे हाशिए पर रह जायेंगी और प्रतिनिधित्व से बाहर रह

जायेंगी । यह न केवल महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है, बल्कि सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है । आज जरूरत केवल आरक्षण देने की नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण और समावेशी आरक्षण सुनिश्चित करने की है। आप तो कोटे में उपवर्गीकरण यानी कोटे में कोटे की बात करने वाले हैं तो महिला आरक्षण में इसे लागू करने में पीछे क्यों रह गए, क्योंकि जब तक सबसे वंचित महिलाओं को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी आरक्षण अधूरा ही रहेगा । यह लड़ाई केवल आरक्षण की नहीं है, यह लड़ाई बराबरी, सम्मान और असली लोकतंत्र की है।

सभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से हो रही चर्चा के बीच एक मूलभूत प्रश्न उठाना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय की वास्तविक स्थापना कैसे होगी? हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों और वंचितों के समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी, उनका स्पष्ट मत था कि जब तक दलित समाज को अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक उनका वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं है । लेकिन परिस्थितिवश पूना पैक्ट के कारण यह मांग अधूरी रह गई क्योंकि गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे । मैं इतिहास को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन उस समझौते ने दलितों को आरक्षण तो दिया लेकिन स्वतंत्र राजनीतिक आवाज छीन ली।

माननीय सभापति जी, बहुजन आंदोलन के महानेता कांशीराम जी ने प्रसिद्ध पुस्तक 'चमचा युग' में भी व्यवस्था की सीमाओं को उजागर किया है कि कैसे वर्तमान राजनीतिक ढांचे में दलित प्रतिनिधि अक्सर स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं। अपने समाज से ज्यादा अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यही हाल पिछड़े वर्ग के नेताओं का भी है। अगर आप सही मायने में दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं और अगर आप वास्तव में उनको संसद सदस्य के रूप में लाना चाहते हैं तो वक्त आ गया है कि उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आरक्षण केवल एक संख्या बनकर रह जाएगा और सशक्तिकरण नहीं बन पाएगा । अगर हम सच में सामाजिक न्याय चाहते हैं तो हमें आधे-अधूरे समाधान नहीं बल्कि साहसिक और मूलभूत निर्णय लेने होंगे और उसके लिए पृथक

निर्वाचन की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

सभापति जी, लोक सभा की तरह राज्य सभा की सीटों में भी वृद्धि होनी चाहिए। वर्तमान में राज्य सभा की सीटें लोक सभा की सीटों की लगभग 45 परसेंट हैं, इसलिए लोक सभा की सीटों को बढ़ाने के बाद राज्य सभा की सीटें बढ़ाकर 850 का 45 परसेंट यानी लगभग 383 सीटें होनी चाहिए। सरकार ने अगली जनगणना में, जब गृह मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना कराएंगे। वायदा किया था कि अगली जनगणना में एससी, एसटी और ओबीसी की जनसंख्या की गणना के बाद अब समय आ गया है कि राज्य सभा, विधान सभा और विधान परिषद में भी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए, जहां-जहां भी लागू नहीं है। पिछड़े और अति-पिछड़ी जातियों को भी लोक सभा और विधान सभा में आरक्षण की व्यवस्था हो, जिस प्रकार से एससी-एसटी के लोगों को है।

सभापति जी, हमारा संविधान कहता है कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। साथ ही संघीय संतुलन भी बना रहेगा। वर्ष 1973 और वर्ष 2001 के परिसीमन को रोकने का निर्णय इसलिए लिया गया था, क्योंकि उस समय यह समझ थी कि अगर केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया तो जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे, वे नुकसान में चले जाएंगे। सरकार कहती है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष होगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इसके लिए सभी राज्यों के साथ व्यापाक परामर्श हुआ है, क्या कोई सर्वदलीय समिति बनायी गयी, क्या राज्यों की सहमति ली गयी और अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह प्रक्रिया सहमति से नहीं सख्ती से लागू की जा रही है। मेरी मांग है कि परिसीमन से पहले सर्वदलीय समिति बनायी जाए। राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कोई फार्मुला तैयार हो। मेरी मांग है कि राज्य पुनर्गठन के प्रस्ताव सरकार के पास है। परिसीमन से पहले राज्य पुनर्गठन के बारे में सोचा जाए, क्योंकि इतने बड़े-बड़े प्रदेशों में उनका भला नहीं हो सकता है। इसलिए बेहतर प्रदेश बनाने के लिए हमें पुनर्गठन के बारे में सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, महिला आरक्षण कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, अपितु यह महिलाओं

का अधिकार है। इसे वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि राजनीति में 'वन मैन, वन वोट। वन वोट, वन वैल्यू' के सिद्धांत पर लोकतंत्र टिका हुआ है। आप दिल्ली की आबादी देख सकते हैं, लेकिन उसको क्या मिल रहा है? हम साउथ के प्रदेशों की चिंता करते हैं, लेकिन क्या हमारे उत्तर भारत के प्रदेशों की तरफ नहीं देखना चाहिए? अगर हम लोग करीब से देखेंगे तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उस समय 20 करोड़ थी। 20 करोड़ का मतलब है कि हमें आज 140 सीटें मिलनी चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के साथ छल हो रहा है। मेरी मांग है कि हम राजनीतिक भाईचारा निभाते हुए यह न भूल जाएं कि हमारे प्रदेशों की क्या हालत है? आप यह समझ सकते हैं कि एक एमपी कितने क्षेत्र को कवर करता है कि इतनी बड़े-बड़े लोक सभा क्षेत्र बने हुए हैं। आज की यह आवश्यकता है कि हम उत्तर भारत का भी ध्यान रखें और ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं जिसमें उत्तर प्रदेश का जो बीस सीटों का नुकसान हो रहा है, अगर यह लागू हो जाएगा तो भी उन बीस सीटों के नुकसान की भरपायी कैसे होगी, इसके बारे में ध्यान रखते हुए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को, पिछड़े और अति पिछड़े समाज को लोक सभा और विधान सभा में भी आरक्षण की व्यवस्था करानी चाहिए। ऐसी मेरी मांग है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय भीम, जय भारत, जय संविधान, बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद! माननीय कांशीराम साहब अमर रहें!

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES; AND MINISTER OF STEEL (SHRI H. D. KUMARASWAMY): Hon. Chairperson, thank you for giving me the opportunity to speak in this august House on such a historic occasion.

I have said this before, and I say it again today, under the leadership of hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India is going through a phase of

deep and meaningful transformation. We are witnessing changes that will be remembered as defining milestones in our nation's journey. After nearly 75 years of Independence, our Government has taken a truly path-breaking step by ensuring fair and meaningful reservation for women in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies.

Today, the world is looking at India with admiration. At a time when many countries are grappling with conflict and instability, India is moving ahead with confidence, driven by reform, stability, and vision. Peace and reform have become the foundation of our growth. What makes me particularly proud is the recognition being given to women's power in the world's largest democracy. Alongside Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat, we are now building a strong and empowered Nari Bharat.

To me, a woman represents strength in its purest form. She balances multiple roles as a mother, a sister, a wife, and a daughter, and yet continues to be a pillar of support for our society. A woman is not just a role or a relationship, she is *Shakti* itself. This reservation should not be seen as a favour. It is, in fact, a recognition, a tribute to the strength and contribution of women in our society.

We have all grown up hearing that a mother is the first teacher and that educating a woman is like educating a family. By bringing women into the core of our legislative system, we are strengthening the very foundation of our democracy. On this historic day, I truly believe that Mother India must be proud of all of us.

I am very happy that the implementation of the Women's Reservation Bill is being advanced and that the strength of the Lok Sabha is being expanded to accommodate the women of India. There is a reason for my happiness. It was my party, the Janata Dal, and my father, Shri H.D. Devegowda ji, as Chief Minister of Karnataka, who first conceived the idea of 33 per cent reservation for women in State Assemblies and Parliament. This was in 1995. He wrote to the then Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao ji about it, and even created a small group of my party colleagues to meet leaders across party lines and canvass for his idea.

Shri Devegowda ji became the Prime Minister in 1996, and showed enormous courage and commitment in presenting his idea of women's reservation to Parliament as the 81st Constitutional Amendment in September 1996. His effort was ahead of its time. However, the Bill lapsed as he did not have the necessary political support to continue in Government. He ran a complex 13-party coalition Government, which fell.

The Congress, which was supporting his Government from outside at the time, did not tolerate any of his progressive measures and withdrew support. There is very little difference between the Congress party then and the Congress party now. It has reminded us that the grand old party can never give up its old ways.

Divine play has placed me in the Cabinet of hon. Prime Minister Shri Narendra Modiji when this historic amendment is being passed. Besides the small fact that it fulfils Shri H.D. Devegowda's dream in his own lifetime, the

even bigger achievement is that it fulfils the aspirations of the women of India and brings great joy to half of our nation's population. I thank the Prime Minister for advancing the implementation of this Bill and for making all of us in his team a part of history.

Let me tell you what has unnerved the Opposition about this amendment, especially the Congress.

<u>14.00 hrs</u>

They feel insecure because they are unprepared to handle this massive change which completely refreshes the Indian political landscape. They have lost touch with the people and do not know how to cope up with this transformation. They have always assumed that minorities and women are their vote banks, but ever since Prime Minister Narendra Modi ji has come to the helm, women in rural areas, among minorities and in tribal regions, have steadily come to believe in his leadership and the delivery capacity of the NDA Government. What the Congress could not achieve in half a century, PM and the NDA Government have achieved in a decade.

Next, I want to address the case being made on behalf of the Southern States that they will lose out in this exercise, that they will be overpowered by the Hindi heartland. This is nothing but fear-mongering. I have been the Chief Minister of Karnataka twice and I can say with certainty that the argument made by the DMK is their own. It does not represent the Southern States.

You should remember that the DMK has historically been uneasy with the Indian State. That has never been the case with other Southern States.

Shri N. Chandrababu Naidu ji has secured the support of all parties in Andhra Pradesh and passed a resolution in support of this Amendment. Is he a lesser patriot? Are people in Telangana, Karnataka, and Kerala reacting the same way as the DMK is reacting in Tamil Nadu?

Sir, the Congress Party which has lost the capacity to think independently, which has lost the ability to develop its own arguments, is now being led by DMK's narrative. Shri Rahul ji called himself the younger brother of Shri M. K. Stalin ji sometime back, but it appears after the seat-sharing disputes that the elder brother is angry with his younger brother, but the younger brother is still looking for some love from the elder brother. … (*Interruptions*) Can a national party like the Congress Party go to Uttar Pradesh or Bihar or Madhya Pradesh and make DMK's argument on either devolution of Central funds or decentralisation or delimitation of constituencies? Can they make the anti-India argument there? Perhaps, they can do it only if they have given up hope of contesting and winning in those States. Instead of getting the DMK to follow the national line, the Congress is sadly following the DMK's argument. Recently, when Congress-DMK seat-sharing talks for Assembly elections were happening, Congress leaders were pleading for respect from the DMK. They were pleading DMK to form a coalition Government and share power.

In Kerala, what do we see? What the Congress and CPI(M) are accusing each other of? It is in the media for everybody to see and read. That is the dissonance that we see in the INDI Alliance. Is there any such

dissonance that you see in the NDA? The Opposition under the Congress has got into the habit of scaring people and creating a doomsday scenario about everything our Government says and does. The people of India have begun to see through this. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Sir, kindly conclude.

SHRI H. D. KUMARASWAMY: Just look at the number of issues that the Congress and the Opposition has raised in the recent past and has conveniently forgotten about it in a short period of time. … (*Interruptions*) Shri Rahul ji, who does not understand the head or tail of caste-based reservation, argued at one point of time that reservation should be proportional to the size of the caste population. But now, he does not want to extend that same argument to parliamentary representation. He and his party do not want more MPs representing a smaller size of constituents. India is 13.5 times larger than the United Kingdom, but it has lesser number of MPs than the UK's House of Commons. They have 650. Even when the strength of the Lok Sabha goes up to 850 in terms of proportionality - proportionally representing India's population size - it will still be less than that of the UK, but it is a huge step forward. … (*Interruptions*) There is no reduction. We are getting 14 seats. Now, we are representing 28 seats. It will go up to 42. We are rising. When Prime Minister Modi ji planned the new Parliament building, it was obvious and it was stated clearly that infrastructure was being expanded to accommodate more MPs after the delimitation process. … (*Interruptions*) But now the Opposition behaves as if they knew nothing. The delimitation argument that

the Opposition had picked up is now irrelevant because our Government has assured a 50 per cent flat increase of Parliament seats across the States. That means no State loses what it already has. In fact, it will gain. This gain is not just for the States but for Indian democracy as a whole. That may remind the Opposition of the campaign to save democracy in 2024. Modi ji has shown the real way to strengthen democracy by empowering the women of this nation. I conclude by saluting his vision. Thank you, Sir.

श्रीमती संध्या राय (भिण्ड) : सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

नारी शंक्ति वंदन अधिनियम केवल एक विधेयक नहीं है, बल्कि यह भारत की आधी आबादी के सम्मान, अधिकार और सशक्त भागीदारी का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक पहल के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में आज यह सपना साकार हो रहा है।

भारत की संस्कृति में नारी को हमेशा शक्ति का स्वरूप माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है - "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:" अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। यह भी सच्चाई है कि समय के साथ महिलाओं को अपने अधिकारों और अवसरों के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज का यह विधेयक उस संघर्ष को सम्मान देने और उसे आगे बढ़ाने का एक ठोस कदम है।

महोदय, पिछले वर्षों में हमने देखा कि प्रधान मंत्री जी ने नारी सशक्तीकरण को शासन का केंद्र बनाया, उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों माताओं को धुएं से मुक्ति मिली, जन-धन योजना के माध्यम से हमारी बहनों को आर्थिक सशक्तीकरण मिला, स्वच्छ भारत मिशन कि तहत उनकी गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित की गई और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना ने समाज की

सोच बदलने का कार्य किया। यह सरकार महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की अग्रणी शक्ति मानती है।

महोदय, देश की अनेक महिलाएं आज अपने परिश्रम और समर्पण से समाज में परिवर्तन ला रही हैं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरा यह स्पष्ट अनुभव रहा है। स्थानीय स्तर पर मंडी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं की भागीदारी को निकट से समझने का अवसर मिला, महिला आयोग की सदस्य के नाते महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और न्याय से जुड़े मुद्दों पर कार्य करने का मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, विधायक के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर भी मुझे मिला और इस सदन में सांसद के रूप में देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलने पर हमारी मातृ शक्ति हर क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व दे सकती है।

महोदय, आज भी देश के अनेक हिस्सों में महिलाएं परिवार और समाज की जिम्मेदारी निभाती हैं, आर्थिक गतिविधियों में योगदान देती हैं, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित रहती है। यह विधेयक इसी असंतुलन को दूर करने का एक सशक्त प्रयास है। यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि संसद और विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, नीति-निर्माण में अधिक संवेदनशीलता और संतुलन आए और समाज की हर वर्ग की आवाज को उचित स्थान मिले। यह केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

महोदय, वर्षों तक इस विषय पर चर्चा होती रही, लेकिन ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। आज यह सदन इस बात का साक्षी है कि जब नेतृत्व दृढ़ होता है और नीयत स्पष्ट होती है तो परिवर्तन संभव होता है।

यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो महिलाओं की समान और सशक्त भागीदारी अनिवार्य है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार सशक्त होता है, समाज सशक्त होता है और राष्ट्र सशक्त होता है।

महोदय, यह विधेयक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि हर बेटी को नेतृत्व का अवसर मिले, हर महिला को निर्णय लेने का अधिकार मिले और भारत का लोकतंत्र और अधिक समावेशी बने।

माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि विपक्ष के कुछ माननीय सांसदों ने नारी को 'नारा' कहा था। नारी मात्र 'नारा' नहीं है। नारी 'नारा' नहीं, नारायणी है। नारी माँ दुर्गा भी है, नारी माँ लक्ष्मी भी है, नारी माँ सरस्वती भी है, नारी माँ काली भी है, नारी माँ सती भी है, सावित्री भी है, अनुसूइया भी है। नारी लक्ष्मीबाई बनकर देश की आजादी में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। नारी माँ पन्ना धाय भी है, नारी माँ अहिल्याबाई भी है, नारी माँ अन्नपूर्णा भी है, नारी जगत की जननी है।

मैं नारी शक्ति को वंदन करते हुए यह कहना चाहूँगी कि अब समय आ गया है। यही समय है और सही समय है कि देश की आधी आबादी मातृ शक्ति की नीतियों और देश के विकास के निर्णयों में भागीदारी हो। सभी विधेयकों को हम सब मिलकर सर्वसम्मति से पास करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस ऐतिहासिक विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूँ और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करती हूँ कि हम सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करें।

यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का संकल्प है। आज लिया गया निर्णय भारत के उज्ज्वल भविष्य की दिशा तय करेगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*__SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR):__ Hon Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for allowing me to speak on the Constitutional 131st Amendment Bill and other Bills in this august House. On behalf of Indian National Congress, I strongly oppose these Bills which are brought with an aim to politically destroy

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

the southern States, Tamil Nadu, Odisha, Punjab and North Eastern States. Yesterday Hon Prime Minister in this very august House delivered an emotional speech stressing the need for passing this Women's Reservation Bill. I am so surprised. Hon Prime Minister who always, without fail, takes credit for all the programmes brought out by the earlier Congress led UPA governments, this time, he was motivating us, the Opposition parties about the historical fame that would be showered on us if this Women's Reservation Bill is passed. Prime Minister forgot one thing to his convenience. In this very House, earlier in September 2023, this historic Women's Reservation Bill was passed only with the support of all the Opposition parties.

During that time, Opposition parties of the I. N. D. I. Alliance including Congress party told this Government not to link with the delimitation process or the Census. We also wanted this reservation to be implemented from the 2024 Lok Sabha election onwards. But BJP and the Hon Prime Minister did not pay heed to this suggestion. Now the Hon Prime Minister is reminded of such of Bill which was already passed in this House. Yesterday, after almost two and half years, all of a sudden you have issued a Gazette notification in this regard about the Act coming into force. You said 33 per cent reservation would be provided to women in the existing 543 constituencies. We are not opposing that. We also want the same. Only one simple thing you have to do now. You just bring the same Bill in this Parliament delinking that Bill with Census and Delimitation. If you do so, we are ready to provide support to this Bill. On the contrary you have been stressing about delimitation and increasing 50 per cent

of seats.

When such discussions were held in the past, keeping in view of the justifiable opposition from the southern States, Congress Party, BJP and other political Parties have supported the stand for providing constitutional protection that delimitation would be done only on the basis of 1971 Census. Why are you trying destroy this fabric? Have you ever thought about the consequences linked with this? Why are you not understanding that this very dangerous action will isolate the sensitive people like us who are now very much part of this country? Are you not bothered about this? Whatever it is, this nation is well aware of your dangerous power craving, which is the force behind, and is operating in you. That's why this nation took away the absolute majority given to you. BJP has been wiped out from the States like Tamil Nadu and even Uttar Pradesh. BJP lost seats in Ayodhya and the surrounding areas of Uttar Pradesh during Lok Sabha Elections. That fear is leading you to act in such a way.

Elections may come and go. But have in your mind that this nation is beyond elections or winning or losing elections. You are trying to make this country believe as if you introduced this Women's Reservation Bill only yesterday. But this is part of your long-planned conspiracy to politically destroy southern States like Tamil Nadu. While constructing this new Parliament building how did you construct it with 888 seats? You should explain now. You now want to fill those vacant seats. You are taking Women's Reservation Bill to your support to fulfil this wish of filling all these seats. You are making an

emotional appeal. Our people cannot be deceived by all such actions. Eight Crore Tamils have had their ears pierced meaning that they cannot to be befooled. You are bring a delimitation commission to your support. A Judge of the Hon Supreme Court would be the Chairman of this Commission. Who will appoint him? This Government will appoint. You propose that the Chief Election Commissioner or an Election Commissioner appointed by CEC will be a Member of this Delimitation Commission. Who is this Chief Election Commissioner? One person after Shri Amit Shah, who is working hard for BJP's victory in every election is none other than the 'S.I.R. famous' *…*[*] The whole world knows how fair he is. You expect us to support this Bill which includes his role.

Moreover, Elections are round the corner in two States Tamil Nadu and West Bengal. Hon MPs have to engage in election campaigning in all the areas of both these States. Why can't you convene this Parliament Session after the counting of votes on May 4 and after the results are declared? Will the heaven fall on you?

You have *…*[*] to work for you. But for Opposition parties like us, we have to meet the people and garner their support to win elections. You thought that you could easily pass this Bill, a conspiracy, as we would not be attending this Session and take part in Division due to election campaign in our States. But that did not happen. Tamil Nadu will get only 32 MP seats if delimitation

---

[*] Not recorded.

process for all the 543 MP seats is done. We will lose seven MP seats. It would be openly visible. That's why you came out with 50 per cent increase in seats. You are staging a political drama saying that the present 39 MP constituencies of Tamil Nadu would become as 59 MP constituencies. People of Tamil Nadu cannot be befooled rather they have been trained by the Rationalist Forums.

We have an extraordinary political wisdom. That is why we do not allow you inside the State of Tamil Nadu. Please keep in mind that you do not have a single MP in this august House from BJP or your ally AIADMK to support you in the passing of this Bill. Political wisdom of the people of Tamil Nadu is so deep. The same will happen in the current election too. Hon Prime Minister and Hon Minister of Home Affairs answered my question yesterday and assured that there is no danger awaiting the Southern States. Hon Prime Minister went a step ahead to say that he can give that assurance in Tamil as well. How can we believe you?

HON. CHAIRPERSON: Madam Hemamalini Ji

* **SUSHRI S. JOTHIMANI:** Sir, let me finish. Sir give me a minute. I will finish. Beyond the assurances of individuals, it is important that what is present in the Bill. Clause 4 of the Bill says that as per the recent Census and as per the ecosystem, the Delimitation Commission is empowered to make changes in the number of Constituencies. Southern States including Tamil Nadu had a control on our population in tandem with the policies of Union Government. We provided education to our girls. We are in the forefront as regards social

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

indicators and industrialisation.

Sir give me 30 seconds to complete. Thank you.

श्रीमती हेमा मालिनी (मथुरा) : आदरणीय सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज मैं इस संसद में वुमन रिजर्वेशन बिल और अमेंडमेंट बिल के बारे में बोलने वाली हूं, मैं सिर्फ एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि इस देश की करोड़ों महिलाओं की आवाज़ बनकर बोल रही हूं।

आज का दिन देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक दिन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक बिल नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं का संघर्ष, हिम्मत और शक्ति का सम्मान है। सदियों से महिलाएं बिना अपनी पहचान के अपने परिवार और अपने समाज को सशक्त करती रही हैं। आज यह बिल उन्हें सिर्फ एक रिप्रजेंटेशन ही नहीं, बल्कि उनकी आवाज उठाने के लिए भी एक मौका दे रही है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वह सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर आगे बढ़ती है। यह कदम आने वाली पीढ़ियों की बेटियों को हिम्मत और विश्वास दिलाने वाला कदम है जिससे वे भी निर्णायक और भागीदार बन सकती हैं और अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। यह आज का जो बिल है, यह केवल एक कानून ही नहीं, बल्कि इसके माध्यम से हम सम्मान, समानता और एंपावरमेंट के एक नए युग का स्वागत कर रहे हैं। ।

मैं आज इस सदन में गर्व के साथ कह सकती हूं कि वर्ष 2014 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, महिला सम्मान और सशक्तिकरण सरकार की नीतियों का प्रमुख हिस्सा रहा है। सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं, कानून बनाए हैं जिनका उद्देश्य सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान बढ़ाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन शक्ति, जन धन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आदि यह सारे प्रमुख उदाहरण हैं।

मैं कह सकती हूं कि सरकार ने यह इस उद्देश्य के साथ किया है कि योजनाएं लाना और

कानून बनाना ही नहीं, बल्कि सरकार ने उनको साकार भी किया है और हम आज हर क्षेत्र में परिवर्तन देख सकते हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणीं हैं चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, सैन्य क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र हो, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में ऊंचाई को छू रही हैं। आज पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां महिलाएं नहीं पहुंची हैं। आज की महिलाएं हर जगह सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। आज की महिलाएं रॉकेट चला रही हैं, फाइटर प्लेन चला रही हैं, मेट्रो चला रही हैं तो वही राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपने नेतृत्व से देश को नई दिशा दे रही हैं। यह सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच से, नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से और हमारी महिलाओं के साहस और सामर्थ्य से संभव हुआ है।

मैं एक कलाकार हूं, मुझे बहुत गर्व है कि मैं सांसद होने के साथ-साथ एक अभिनेत्री भी हूं और कला जगत से भी मैं रिप्रजेंट करती हूं। मैंने बहुत संघर्ष और मेहनत के साथ काम करके अपनी पहचान बनाई है, जिसके कारण आज मुझे इस संसद में खड़े होकर आप सबके सामने बोलने का अवसर भी मिल रहा है। एक जमाना था जब फिल्म बनाना शुरू किया था, उन दिनों लड़कियां फिल्मों में नहीं आ रही थी, तो पुरुष ही लड़कियों का भेष पहनकर लड़कियों की एक्टिंग करते थे। वह जमाना गया। जब से हमारी मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस जैसी बहुत सी सुंदर नारियां फिल्म जगत में आने लगी तो उनके आने से बाकी सभी महिलाओं को भी बहुत प्रोत्साहन मिला, तभी बहुत सारी महिलाओं ने फिल्मों को ज्वाइन किया। ऐसे ही संगीत जगत में भी हमारे देश की गौरव लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी जैसे महान कलाकारों ने बचपन से बहुत संघर्ष करके उन्होंने ऐसे स्थान को हासिल किया है। आज पूरा देश उनको नमन करता है और उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया जिसकी वजह से संगीत जगत में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लड़कियां आज फिल्मों में गाना गा रही हैं।

महोदय, हाल ही में आशा भोसले जी का निधन हुआ है, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं। कुछ दशक पहले मैं भी जब फिल्मों में आई थी तो मेरी पहली फिल्म थी- सपनों

का सौदागर। उसमें मैंने एक बंजारन का रोल किया था, वह भी आत्मनिर्भर, सेल्फ इंडिपेंडेंट रोल किया था अपनी फर्स्ट फिल्म में। उसके बाद मैंने फिल्म 'सीता और गीता' में काम किया। आपको मालूम है कि उसमें गीता का रोल कैसा था और ऑफ कोर्स, बसंती का रोल शोले में, तांगा चलाकर वह अपना जीवन यापन करने लगी। ऐसे आत्मनिर्भरता वाले कैरेक्टर्स मैंने बहुत किये, जिनकी वजह से हमारी ग्रामीण महिलाओं को भी बहुत ही प्रोत्साहन मिला। वे लोग भी बहुत आगे बढ़ने लगीं। इसके अलावा, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का भी रोल किया, उससे भी बहुत इफेक्ट हुआ है।

इसके अलावा, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी। क्लासिकल डांस इंस्टिट्यूट के क्षेत्र में रुक्मणी अरुंडेल जी का नाम एक बहुत बड़ा नाम है,जिन्होंने चेन्नई में एक बहुत बड़ा कला-क्षेत्र स्थापित किया। एक जमाना था जहां पर सिर्फ देवदासी लोग ही मंदिरों में डांस किया करती थीं। बड़े घर की लड़कियां डांस नहीं सीखती थीं, उसे अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन रुक्मणी अरुंडेल जी ने इतना प्रोत्साहित किया और आगे बढ़कर बहुत सारी लड़कियों को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण आज स्टेज पर भी वे लोग भरनाट्यम करती हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल जी से प्रेरणा लेकर महिलाएं नृत्य के क्षेत्र में आगे आईं। आज शास्त्रीय नृत्य कला को डिवाइन आर्ट कहा जाता है और नृत्यांगना को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

माननीय सभापति जी, 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स द्वारा महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया गया है। बाद में कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। पहले स्थानीय शासन में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम थी। अब वह सरपंच, पार्षद और मेयर के रूप में सक्रिय हैं और हर क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। इससे जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता मिली, जो सीधे आम जीवन से जुड़े हैं। 50 प्रतिशत महिला आरक्षण ने स्थानीय शासन को अधिक समावेशी, संवेदनशील और प्रभावशाली बनाया है। यह केवल महिलाओं के लिए अवसर नहीं बल्कि पूरे समाज के लोकतांत्रिक विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम रहा है।

संसद और विधान सभाओं में अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। संसद में

15 प्रतिशत और विधानसभा में 10 प्रतिशत से भी कम है।

इसे पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया और अब उससे जुड़ा संविधान संशोधन बिल लाया गया है ताकि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सके। इससे लोकसभा की सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं। इसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी क्षेत्र की महिलाओं को अवसर दिया जाएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। विपक्ष के लोग जो मांग कर रहे हैं, यह बात में उनके लिए मैं कह रही हूं। यह नरेंद्र मोदी जी ही संभव कर सकते हैं। उन्होंने अपने संकल्प से यह संभव किया है। मैं उन्हें बार-बार नमन करती हूं।

मैं आज इस सदन में उन अनगिनत महिलाओं की ओर से कहना चाहती हूं, जिन्होंने कभी संसद देखा भी नहीं है, लेकिन वे अपने घर और समाज के लिए हर दिन संघर्ष करती हैं, जिनकी आवाज कभी इस सदन तक नहीं पहुंच पाई। यह बिल उनके लिए है, उनकी आशाओं के लिए है, उनके अधिकारों के लिए है। यह उन बेटियों के लिए है, जो अपने गांव से निकलकर देश की सेवा करना चाहती हैं। यह विधेयक उस मां के लिए है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देख रही हैं। यह बिल हर उस महिला के लिए है जो अपनी पहचान-सम्मान के लिए लड़ रही हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण केवल कानून बनाने से नहीं होगा। हमें समाज की सोच बदलनी होगी। हमें बेटियों को बराबर अवसर देना होगा। हमें परिवार और समाज में सम्मान देना होगा।

HON. CHAIRPERSON: Madam, kindly conclude.

… (*Interruptions*)

श्रीमती हेमा मालिनी: हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने।

HON. CHAIRPERSON: Madam, I will call the next speaker. Kindly conclude.

… (*Interruptions*)

श्रीमती हेमा मालिनी : महोदय, मैं अंत में आपके माध्यम से इस सदन के सभी साथियों से यह अनुरोध करती हूं कि हम सभी सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन करें। मेरी यही मांग है।

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : सभापति जी, मैं सबसे पहले मेरे नेता व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इस सदन में रखी गई उनकी बातों से अपने आपको संबद्ध करता हूं। इसके साथ ही साथ, मैं संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 का पुरजोर विरोध करता हूं।

हास्यास्पद यह है कि सर्वसम्मति से वर्ष 2023 में महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पारित हो गया था, उसे आपने नोटिफाई ही नहीं किया है। कल आधी रात में नोटिफाई करके उसे एक्ट बनाया गया है। क्या इसी से आप महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं? इससे आपकी नीयत का पता चलता है।

सभापति जी, कल बड़ी खूबसूरती से माननीय प्रधानमंत्री जी अपना राजनैतिक एजेंडा सेट करके चले गए कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोधी है।

मैं इस सदन के माध्यम से देश की आधी आबादी से साफ तौर से यह कहना चाहता हूं कि हम डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को मानते हैं, जनेश्वर मिश्रा जी, आदरणीय नेता जी व पीडीए के ध्वजवाहक माननीय अखिलेश यादव जी के लोग हैं, हम आधी आबादी को आरक्षण देने के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं।

परंतु सत्ता पक्ष इतिहास बनाने की सनक में लोक सभा क्षेत्रों का भूगोल बदलने पर आमादा है। आपकी मंशा नारी शक्ति के वंदन की नहीं है, बल्कि आप नारी शक्ति के कंधे पर बंदूक रखकर लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि परिसीमन के नाम पर नई सियासी सरहदें खींची जाएंगी, नए समीकरण बनाए जाएंगे और जिनके हाथ में हुकूमत है, उन्हीं के रास्ते आसान किए जाएंगे।

आदरणीय सभापति जी, क्या इसमें हर तबके की नुमाइंदगी है? क्या इसमें 80 फीसदी

ओबीसी मुस्लिम बहनों का हक शामिल है? जो सबसे पीछे छूटे हैं, उन्हें गिने बिना यह तकसीम कैसी, यह इंसाफ कैसा तथा तहक़ीक़ के बगैर तहरीर कैसी?

सभापति जी, सत्ता पक्ष की तरफ से यहां कहा गया है कि हम मुस्लिम बहनों को आरक्षण नहीं देंगे। आप कैसे आरक्षण देंगे? मुझे याद है कि विपक्ष के एक सदस्य ने एक बार कहा था कि हमारे यहां से हाई कोर्ट की बेंच बहुत दूर है, उससे नजदीक तो पीओके है। उस तरफ से आवाज आई कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। क्यों वहां चले जाएं? यहां की मिट्टी में हम सभी का खून शामिल है। किसी के बाप का हिन्दुस्तान थोड़ी है।

सभापति जी, चूंकि कल कानून मंत्री जी ने अपनी बात का समापन एक कविता से किया था। इसलिए मैंने रात के दो बजे तक कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मैं उनको आपके सामने रखना चाहूंगा। चूंकि समय कम है, इसलिए अब मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा -

“यदि शोषित, पीड़ित, वंचित को नहीं हिस्सेदार बनाओगे,
कैसे महिला आरक्षण से उसका हक उसे दिलाओगे,
जो संसद के दरवाजे तक सदियों से पहुंच न पाए हैं,
जो नाम के पीछे भी अक्सर अपनी पहचान छुपाए हैं,
उनकी आवाज दबाकर तुम कैसे उत्सव कर पाओगे,
केवल कुछ चेहरों को लाकर सामाजिक न्याय मिटाओगे,
जो मीलों पीछे छूट गए, उनको आगे आना होगा,
इस महिला आरक्षण में भी पीडीए को लाना होगा,
महलों में तो उजियारा है, झोपड़ियों में अंधियारा है,
उन बहनों को बुला रहा संसद का यह गलियारा है,
छोड़ो परिसीमन-जनगणना, इतना-सा उद्बोधन कर दो,
हम सबका तुम्हें समर्थन है, बस बिल में संशोधन कर दो,
अगर नीयत साफ तुम्हारी है, अध्यक्ष जी संरक्षण दे दो,

जो संख्या अभी है संसद की, उसमें ही आरक्षण दे दो,

अब बंद करो यह चीरहरण, तुम मन व दिल से काले हो,

हम मां सीता के अनुयायी, तुम राम को ठगने वाले हो।"

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : महोदय, इन्होंने कविता पढ़ी है। इन्होंने कानून मंत्री जी का जिक्र किया है। कल कानून मंत्री जी ने अपनी पत्नी को डेडिकेट करते हुए एक कविता पढ़ी थी। कल हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई और हमें बहुत डांट पड़ी थी। मुझसे कहा गया कि यदि कानून मंत्री जी अपनी पत्नी के लिए एक कविता पढ़ सकते हैं, तो आप लोग भी कविता क्यों नहीं पढ़ते हैं? मुझे तो व्यक्तिगत रूप से कल बहुत डांट पड़ी थी।

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। डीलिमिटेशन एक्ट के बारे में मैं कुछ संक्षिप्त बातें रखना चाहता हूं। डीलिमिटेशन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई प्रकार की चुनौतियां होती हैं। नए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण, पुराने क्षेत्रों का पुनर्गठन, मतदाता सूची में परिवर्तन, प्रशासनिक सीमाओं के साथ समन्वय - इन सभी कार्यों को सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से करना आवश्यक है। जनता की भागीदारी और जागरुकता इसमें शामिल होनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि इस प्रक्रिया में जनता को शामिल किया जाए। लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में क्या बदलाव हो रहे हैं और उनके प्रतिनिधित्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जनता की भागीदारी से लोकतंत्र और मजबूत होता है।

माननीय सभापति महोदय, आज जो निर्णय लिया जाएगा, उसका प्रभाव कई वर्षों तक रहेगा। इसलिए हमें दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेना होगा। हमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा और बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को समझना होगा। मैं इस सदन के माध्यम से कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। डीलिमिटेशन प्रकिया को पूरी

तरह पारदर्शी बनाया जाए। सभी राज्यों और संबंधित पक्षों से व्यापक परामर्श किया जाए। विशेष परिस्थितियों वाले क्षेत्रों को अलग से ध्यान में रखा जाए। केवल जनसंख्या ही नहीं बल्कि कारकों को भी महत्व दिया जाए। जनता की भागीदारी और जागरुकता सुनिश्चित की जाए। प्रक्रिया को चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि डीलिमिटेशन विधेयक हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण विषय है। इसे न तो जल्दबाजी में लिया जाना चाहिए और न ही किसी एक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। हमें संतुलन, न्याय और समानता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा, ताकि देश के हर नागरिक को यह महसूस हो कि उसकी आवाज इस लोकतंत्र में समान रूप से महत्वपूर्ण है। महोदय, केंद्र शासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 के बारे में मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर व्यापक चर्चा कराई जाए। संबंधित क्षेत्रों के लोगों और प्रतिनिधियों की राय ली जाए। प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन को बनाए रखा जाए। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाए। अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि केंद्र शासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। इसे न तो केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और न ही केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से। हमें इसे संतुलन, न्याय और जनहित के आधार पर समझना होगा और निर्णय लेना होगा।

इसी आशा के साथ, कि जो भी निर्णय लिया जाए, वह देश और नागरिकों के हित में हो, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करता हूं कि मेरे पास जो विश्लेषण है, यदि मुझे उसे ले करने की परमीशन दी जाए, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंक-यू, सर।

<u>14.37 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल गांधी जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके हाथ में क्या हो गया?

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी (रायबरेली): सर, चोट लग गई थी । अंगूठे में थोड़ी चोट लग गई थी । … (व्यवधान) Thank you, hon. Speaker Sir, for letting me speak on a very important topic. Women are a central force, a driving force in our national imagination, in our national perspective. Every single person in this room has been influenced by, taught by, and learnt a lot from women in their lives, mothers, sisters and wives, as Rijiju Ji said. Of course, the Prime Minister and myself do not have that wife issue. So, we do not get that input. But we have our mothers and sisters. Yesterday, I was watching my sister achieve something in five minutes that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah Ji smile. That is something that I also need to practise and learn. I was feeling very proud as an elder brother as she was delivering the speech in a way that was different than mine.

I remember when I was a little boy, I used to be very scared of darkness. We used to have a huge dog who used to attack my sister and me all the time. We were very scared of going out into the garden at night. We were scared of the dog. One day, my grandmother somehow found out about this. I am saying this because this was one of the most powerful lessons taught to me in my life by a woman, my grandmother. My parents had gone out for dinner. I still remember it, she came, caught my hand and took me out into the dark garden at night with no lights. Government houses have quite a big garden. She took

me there. She left me there and said, “Now you stay here, do not move.” Then, she left. I watched my grandmother go away. I remember she was wearing a yellowish saree. मेरी हवा निकल गई। मतलब, आज तो मैं गया। I did not have the courage to tell my grandmother that I did not want to stay there. So, I stayed and she went away. She went away probably for one or two minutes. But for me, it was like two-three hours. I was imagining the dog coming to bite me. I was imagining ghosts. I was imagining snakes. I was imagining everything. I remember my legs were even shaking a little bit. Then after some time, I saw my grandmother come. She came and asked me, what was I scared of? I said, “you know, *Dadi*, I am scared of that dog. I do not know, that he might come and bite me. I am scared of somebody being in the garden that I do not know. I am scared of bats. I am scared of snakes. I am scared of things I cannot see.” She said, “No, Rahul, you are not scared of all those things. You are not scared of the darkness. You are not scared of the dog. You are not scared of the bats. You are only scared of your mind. You are only scared of your imagination and what you are thinking.” Then, she said, “You should not be scared of the darkness because the truth, most often, is in the darkness. If you do not have the courage to face your fear, you do not have the courage to go into darkness, you will not be able to understand the truth. You will not be able to fight for the truth.” This had been one of the biggest lessons in my life. I use it. It is a political lesson. I did not realize then. Now, as I get older, I realize it was not only a political lesson, but more fundamentally, it was a religious lesson. I did not understand it then. What she was saying to me was सत्यम,

शिवम, सुंदरम । That is what she said. She said that she wanted me to be able to go into the darkness. She wanted me to be able to go where I was scared and she wanted me to see what the truth looks like. Later, I realized that by taking me into the garden, she was explaining *Shiva* to me. She was explaining the central tenet of our religion. She was explaining *Satya* to me. In many ways, she was explaining *Ahimsa* to me. She also said to me, I remember, that truth is painful sometimes. Do not worry about it. Deal with it. There are some truths that need to be told here today in this House.

The first truth is that this is not a Women's Bill. This has nothing to do with the empowerment of women. There is a Women's Bill and it was passed in 2023 in this House itself. My friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the Women's Bill. This is an attempt to change the electoral map of India, using and hiding behind India's women. Actually, it is a shameful act. Instead of giving them women's reservation you are doing something else. Giving women's reservation is very easy and every single Opposition person will support it. Bring that old Bill back right now and we will help you pass it for implementation from this second. Now, that is the Women's Bill. This is something else. The truth needs to be told about what this is. There is a central truth in India's history, in India's past and present. I have become more and more aware of this truth, and that is the brutal, cruel, unforgiving treatment of the OBC community, Dalit community, other communities, minorities and women. This is a historical fact. This need not be argued here. Everybody knows how Indian society treated OBCs and Dalits,

what was done to them, what was done to their women, what they were allowed to do, what they were not allowed to do, how they were blinded when they read certain documents, how metal was poured into their ears when they heard certain verses. This is a fact. Now, what is being attempted here is a bypass of the caste census. What they are trying to do is that they are trying to avoid giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters and to take away power from them. This is the agenda over here. That is the first agenda – *Manuvaad* over *Samvidhaan*.

Now, Amit Shah *ji* says that the caste Census has begun. He repeated it twice yesterday, trying to be clever, saying that Houses do not have castes. The point is not whether the Houses have castes or do not have castes. The point is whether the caste Census is going to be used for representation in Parliament and Vidhan Sabhas. What you are trying to do now is trying to make sure that caste Census has nothing to do with representation for the next 10-15 years, so that you can kick the ball down the street. That is the first thing that is being done.

The second thing that is being done is equally a bad thing, but a very dangerous thing. You are doing this because you are scared of what is happening in the politics of this country. You are scared of the erosion of your strength. You are trying to rejig the Indian political map. You have done it in Assam. You have done it in Jammu and Kashmir. And now, you are imagining that you can do it in India, and you need a Constitutional Amendment to do that.

Now, let me explain what you are doing. You are telling the South Indian States; you are telling the North Eastern States; you are telling the small States in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an ... *. This is what you are doing. And under no circumstances are we going to allow you to do it. So, I am telling you very clearly right now that the entire Opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the Nation State and deprive OBCs and *Dalits* of their rightful place in society.

I want to ask one thing. In the corporate India, in the entire financial structure of India, and in the top bureaucracy of this country, where are the *Dalits*, where are the OBCs, and where are the Adivasis? … (*Interruptions*) आपकी गलती है।

Where are they? Where are they in the Judiciary, private sector, private hospital sector, healthcare sector, education sector? Earlier, there used to be something called the public sector. Public sector provided space for *Dalits* and OBCs. You have removed it and demolished it, and, handed it over to your friends.

You call OBCs Hindus. You call *Dalits* Hindus. But you do not give them any space in the power structure of this country. And you can ask this to any *Dalit*. You can ask it to any OBC. This is a fact. You call them Hindus but you do not give them any place in this country. … (*Interruptions*) And you are … (*Interruptions*) सच्चाई आपको अच्छी नहीं लगती है। … (व्यवधान) I am not yielding. …

---

* Expunged as ordered by the Chair.

(*Interruptions*) I am not yielding. … (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: I am just asking you. As you have made a misleading statement, I have to make a clarification. … (*Interruptions*)

SHRI RAHUL GANDHI: Speaker Sir, I am not yielding. … (*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: Shri Rahul Gandhi *ji* is talking about reservation in Assemblies and in Parliament for OBCs and for religious minorities. … (*Interruptions*) That is not permissible. … (*Interruptions*) When the Congress ruled this country for more than 60 years, why did the Congress Party not provide the Constitutional reservation for OBCs? … (*Interruptions*) राजीव गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध किया था। … (व्यवधान) राजीव गांधी जी ने, जब वह प्रधान मंत्री थे और जब प्रधान मंत्री नहीं थे, तो भी उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को अपोज़ किया था।… (व्यवधान) राहुल गांधी जी उसका जवाब दे सकते हैं कि राजीव गांधी जी ने ओबीसी रिजर्वेशन क्यों अपोज़ किया था।… (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: So, I want to assure my friends, brothers, and sisters across the country – Southern States, smaller States, North Eastern States – that do not worry; we are not going to allow them. We are not going to allow them to attack the Union of India. You are equal participants in the Union of India. They will not dare to touch your representation in the Union of India. Sir, the same question was faced by Shrimati Indira Gandhi ji and also by Shri Atal Bihari Vajpayee ji; both of them faced this question. They understood the dangers, and they did not take the action the Prime Minister has taken. You can check - it was done by Indira Gandhi ji, and it was done by Vajpayee ji. I am going to explain later in the speech why Modi ji is doing it; then you can

have your answer. Wait, it is coming; it is loading. Now, let me again go back to my childhood. When I was a small child, once we had a famous magician who had come to do a magic show. A lot of children went to watch that show. Around 300-400 people were there; my sister and I were also there. It was a fantastic magic show….(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जादू की जगह बिल पर बोलिए, यह अच्छा रहेगा।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, मैं पेंटिंग बना रहा हूं।… (व्यवधान) सर, मैं आपको समझाता हूं। मैं चित्र बनाता हूं। मैं आर्टिस्ट हूं। सर, आप मजा लीजिए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बिल पर बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, अंत में यह पूरा फिट होगा।…(व्यवधान) यह आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह अंत में पजल जैसा फिट हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : संसद ऐसे नहीं चलती है।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, आप मेरी बात सुनिए। आपको मजा आएगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पार्लियामेंट मर्यादा से चले यह मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, जादू का शो गार्डेन में था और वहां पर तीन सौ बच्चे बैठे हैं। जादूगर ने लाल रंग का कैप पहना था। उसके सामने दो-तीन टेबल्स थे। एक टेबल पर टोपी थी। दूसरे टेबल पर दो-तीन बॉल्स थीं और उसके इक्विप्मेंट्स थे। उसने जादू शुरू किया। उसने पहले टोपी उठाई और टोपी से खरगोश निकाला।…(व्यवधान)

सर, आप मेरी बात सुनिए। यह टोटली कनेक्टेड है। उसने खरगोश निकाला। बच्चों को

बहुत मजा आया। हम वह देख रहे थे। उसके बाद उसने जगलिंग शुरू की। उसने जगलिंग में छ: बॉल्स में से एक बॉल गायब कर दी। बच्चे बिल्कुल हैरान। हम हंस-हंस कर तालियां बजा रहे हैं। उसके बाद वह मेज पर ऐसे खड़ा हुआ और उसके असिस्टेंस ने आकर उस पर तीन-चार चेन बांध दीं एवं उन्होंने ताले लगा दिए। साहब ऐसे खड़ा हो गए। सभी जगह चेन लग गई और उसके ऊपर उन्होंने काला-सा कैप लगा दिया। Sir, artistic freedom.

15.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। पुराने समय की बातें, पुरानी बातें करना, यह ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, मुझे कृपया बोलने दीजिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं।

श्री राहुल गांधी : सर, वह खड़ा हुआ और उस पर कैप लगा दिया गया। उसके बाद स्टॉप वॉच शुरू कर दी गई। 3 मिनट का टाइम दिया गया। … (व्यवधान) 3 मिनट वह ऐसे-वेसे अंदर कर रहा था। 3 मिनट बाद उसने अपने असिस्टेंट्स बुलाने शुरू कर दिए और कहा-इधर आओ, इधर आओ। वे आए, उन्होंने कैप उतारी। … (व्यवधान) उसके ताले वहीं के वहीं, वह फंसा पड़ा था। हम हंस-हंसकर मर गए कि यह हो क्या रहा है? 300 बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। यह विषय उससे कनेक्टेड है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राहुल गांधी जी।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, कृपया बोलने दीजिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या मैंने किसी को बोलने से टोका? सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी। यह देश की सर्वोच्च संस्था है। आप नेता, प्रतिपक्ष हैं। आप कृपया चेयर को एड्रेस करें।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, उसके बाद बहुत इंट्रेस्टिंग बात हुई। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : सर, सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं उनको भी टोक रहा हूं।

... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : सर, मेरा अनुरोध है कि चूंकि आपने बार-बार कहा, अत: हम भी चाहते हैं कि हमारे यहां से कोई डिस्टर्ब न करे और आपके यहां से भी कोई डिस्टर्ब न करे। नेता, प्रतिपक्ष से केवल इतना अनुरोध है कि लीडर ऑफ अपोजीशन में आपका टाइम हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष जी ने आपको टाइम दिया है, लेकिन आप कृपया पृष्ठभूमि ज्यादा लंबी मत बनाएं। हमारे यहां से कोई डिस्टर्ब न करे, इसके लिए मैं इनसे भी कह रहा हूं। ... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : स्पीकर सर, अब जादू वाली कहानी खत्म हो गई। उसमें यह हुआ कि जैसे ही वह फंस गया और उसके ऊपर से वह चेन उतारी गई, लेकिन उसकी चेन हटी नहीं थी। उसके बाद बच्चे हंसने लगे। उसने दो-तीन और ट्रिक्स ट्राई कीं। बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे। उसने खरगोश के साथ जादू करने की कोशिश की, सब हंसने लगे। हुआ यह कि वह बेचारा उसके बाद कोई भी ट्रिक करे, बच्चे हंसते ही गए, हंसते ही गए। उसका पूरा जादू का ढांचा भड़ाक से खत्म हो गया।

सर, अब एक इंट्रेस्टिंग बात थी। उस टाइम तो मैं बहुत हंसा, सब हंसे। उसके बाद मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। सीरियस बात हुई थी। ...* को बीमारी थी और वह बहुत टेंशन में था। वह दबाव में आ गया। उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, लेकिन वह निकल नहीं पाया और वह वहीं खत्म हो गया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या यह कोई तरीका है? क्या आप सदन में इसी तरह की चर्चा करना चाहते

---

* Expunged as ordered by the Chair.

हैं? आपका दल इतना बड़ा है। आप कृपया विधेयक पर बोलें।

श्री राहुल गांधी : ओके सर, मैं कनक्लूड करता हूं। वह टेंशन में आया। उसने एक गलती की और उसके बाद उसका जादू नहीं चला। मुझे लगता है कि शायद उसके बाद वह जादू कर ही नहीं पाया।

सर, मैं आपको वापस गार्डन ले जाना चाहता हूं। मेरी दादी ने उस समय मुझसे एक बात और बोली थी।... (व्यवधान) दादी ने गार्डन में मुझे एक बात और समझायी थी, जो मैंने पहले नहीं बोली।... (व्यवधान) उन्होंने कहा था।

स्पीकर सर, मैं बोलूँ।

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है। मैं कभी किसी माननीय सदस्य को टोकता नहीं हूँ।

श्री राहुल गांधी : सर, मुझसे दादी ने उस टाइम एक बात और बोली थी। She said to me: "Listen Rahul, I want you to be able to see in the dark. I want you to be able to see in the dark like the central idea of Shiva." I will request my brothers and sisters to see in the dark, see what others cannot see, and go close to your fears. That is the central idea of Shiva. She was telling me that. She said: "I want you to see in the dark." I said: "Why do you want this? She said: "Because Rahul, the real strength always hides in the dark. Real power, real strength hides in the darkness." It was a fantastic political lesson. First, look for your truth, stick by it, and second, real power, real strength always hides. It never shows itself. ... (*Interruptions*) जो असली ताकत होती है, वह छिपकर काम करती है, वह अपने आपको दिखाती कभी नहीं है। अब यह मैं यह आपको बता क्यों रहा हूँ? As

everybody knows, there is a partnership between our friend, the ... * and the businessman. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री राहुल गांधी : सर, मैंने नाम नहीं लिया है।… (व्यवधान) सर, मैंने ... * बोला है।… (व्यवधान) Sir, I said: ...*

माननीय अध्यक्ष : नो। माननीय, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं।

श्री राहुल गांधी : सर, मुझे बोलने दीजिए। सर, मैंने क्या गलती की है?… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको संसद की गरिमा के अनुसार बोलने का अधिकार है, लेकिन संसद की गरिमा बनाये रखना भी मेरी जिम्मेदारी है।

श्री राहुल गांधी : सर, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : यह उचित नहीं है।

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, इसमें अनपार्लियामेन्टरी कुछ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : अनपार्लियामेन्टरी नहीं है, लेकिन यह संसद है। ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे पर बोलो, वही संसद में बोलोगे। संसद की अपनी मर्यादा, गरिमा होती है।

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, let me speak. I will finish.

Sir, what has happened is that there is a partnership and then there is a hidden power. It is massive, extremely strong, but completely hidden. That force does not show itself, but it is there and knows the entire history of the ...*. It knows every single detail about the ...*, from when he first came into politics till when he arrived as the ...*. About the ...*. From when he first came into politics till when he arrived as ...*.… (*Interruptions*) It is using that information, it is using the information to shape. … (*Interruptions*)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

माननीय अध्यक्ष : नहीं। यह क्या है? नो-नो।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राहुल गांधी जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ।

श्री राहुल गांधी : सर, मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ?… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, ... *. Let him complete. … (*Interruptions*) Home Minister is going to reply soon.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बताऊँ, होम मिनिस्टर साहब जो बोलते हैं, वह विधेयक पर बोलते हैं। जो भी बोलता है, वह विधेयक पर बोलता है। आप भी बोले हैं, हमने किसी को टोका नहीं है। प्रियंका जी बोली हैं। क्या हमने किसी को टोका है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की गरिमा, मर्यादा बनाने की जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की है।

… (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल : ... * ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो।

श्री राहुल गांधी : सर, मुझे बोलने तो दीजिए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने दे रहा हूँ। आप विधेयक पर बोलिए।

श्री राहुल गांधी : ...*… (व्यवधान) सर, ठीक है । मैं उधर नहीं जाऊँगा । Sir, please understand what has happened here, it is important that everyone understands. The BJP knew it. They knew very clearly that this Bill actually cannot be passed. They knew it. They are not stupid. Every Opposition

---

* Expunged as ordered by the Chair.

Member would oppose it. This Bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one is that he needed to change the electoral map of India. Number two is that he needed to send the message again that he is pro-women. Why is he doing that, I will leave to your imagination. But the powers that be, know exactly why he is doing it. ... * … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : महोदय, हमने बार-बार राहुल गांधी जी से अनुरोध किया। … (व्यवधान) आप नेता, प्रतिपक्ष होने के नाते बोलिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : महोदय, इस देश के 140 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में अनाप-शनाप बात करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? … (व्यवधान) आप जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में स्पीकर सर ने बार-बार कहा कि आप बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोल सकते हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, हां, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : महोदय, यहां ऐसे नहीं चलता है। … (व्यवधान) हम आशा करते हैं कि राहुल गांधी जी मैच्योर हो गए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि नेता, प्रतिपक्ष कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। … (व्यवधान) यह कोई तरीका होता है। … (व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

माननीय अध्यक्ष : मैं इसको रिकॉर्ड से निकालता हूं। यह गलत तरीका है।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : महोदय, देश के 140 करोड़ लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री को चुना है और आप इस तरह से अनाप-शनाप बातें करते हैं। … (व्यवधान) यह आपको शोभा नहीं देता है। … (व्यवधान) आप किस तरह की बातें करते हैं। क्या नेता, प्रतिपक्ष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? … (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं होता है। … (व्यवधान)

महोदय, रक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। … (व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता, प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। … (व्यवधान) इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेन्थ दी है, इस स्ट्रेन्थ के कारण, वे प्रधानमंत्री बने हैं। ये ... * कहकर किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। … (व्यवधान)

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, उसे सदन की कार्यवाही से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी जी को देश से क्षमा मांगनी चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इन शब्दों को निकाल दिया गया है।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : सर, हम श्री राहुल गांधी जी के भाषण देने में आपत्ति नहीं करना चाहते थे, हम पूरा सुनना चाहते थे। … (व्यवधान) राहुल गांधी जी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा कि ... * किया है। … (व्यवधान) बालाकोट स्ट्राइक में हमारे वीर जवानों ने जो कार्यवाही की, वे उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। … (व्यवधान) 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री को चुना है, ये उनको ...*

---

* Expunged as ordered by the Chair.

कहते हैं। ... (व्यवधान) यह कोई तरीका है। ... (व्यवधान)

सर, रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है और हम भी कह रहे हैं कि आपने कई बार निर्देश दिए हैं कि आप भाषण दीजिए, लेकिन नियम के तहत भाषण दीजिए। ... (व्यवधान) हम शांति से सुन रहे थे, पर आप बार-बार जो नाम लेकर प्रधान मंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं, यह देश का मजाक है। ... (व्यवधान) प्रधान मंत्री देश का होता है, प्रधान मंत्री सिर्फ आपका और मेरा नहीं है, इसलिए सदन की कार्यवाही से इनके आपत्तिजनक शब्दों को हटा दिया जाए। ... (व्यवधान) आपको स्पीकर के डायरेक्शंस को मानना चाहिए।... (व्यवधान) हम लोग आज एक विशेष बिल पर चर्चा कर रहे हैं, आप उस पर बोलिए।... (व्यवधान) उसे रोकने का हमारा अधिकार नहीं है, मगर तरीके से भाषण होना चाहिए।... (व्यवधान)

आप तो नेता, प्रतिपक्ष हैं, आपसे लोगों को सीखना चाहिए।... (व्यवधान) आपकी पार्टी में नए-नए एम.पीज़. आए हैं।... (व्यवधान) जब नेता ही ऐसा व्यवहार करेंगे, तो वे क्या सीखेंगे?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय राहुल गांधी जी, मेरी इसमें आपत्ति है। मैंने ऐसी सभी बातें रिकॉर्ड से निकाल दी है। मेरी इसमें घोर आपत्ति है।

मैं सदन के आसन से भी यह बोल रहा हूं कि जो विधेयक है, आप उस विधेयक पर बोलें, उसके इधर-उधर न बोलें। आप ऐसा न करें।

... (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, there is a central confusion in the mind of the BJP. ... (*Interruptions*)

श्री किरेन रिजिजू : सर, मैं सदन के बेनिफिट के लिए बता रहा हूं।... (व्यवधान) रूल्स में जो कीवर्ड्स एण्ड एक्सप्रेशन्स हैं, जो अनपार्लियामेंट्री है, “even .. * referred to the Minister is unparliamentary”. ... (*Interruptions*) यह रूल है और रूल को तो मानना पड़ेगा।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

… (व्यवधान) मैं आपको रूल की किताब भेज देता हूं, आप भी देख लीजिए ।… (व्यवधान) 'अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन्स' - यह हमने नहीं बनाया, यह आपके समय की किताब है । … (व्यवधान) क्या आप उसको नहीं मानते हैं?… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राहुल जी, आप एक मिनट के लिए बैठिए।

मैं सदन में कभी भी किसी माननीय सदस्य को, चाहे वे किसी भी दल के हों, उनकी बात पर आपत्ति नहीं करता। लेकिन, मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है कि सभी माननीय सदस्य, चाहे कोई माननीय सदस्य हो, चाहे वह अपने दल का एक ही सदस्य हो, वह भी सम्माननीय है। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए।

… (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, there is a central confusion, and I have to put this right, in the minds of the BJP and its leadership, and the confusion is that they think that they are the 'people of India'. You are not the 'people of India'. The 'people of India' is something else. They also think that they are 'the Armed Forces'. You are not 'the Armed Forces'. 'The Armed Forces' is something else. You are a political organisation. You are not India and you are not the Armed Forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the Armed Forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the Armed Forces. So, they have to stop hiding like cowards behind the Armed Forces and the people of India. Come out, and talk to us and have a discussion with us.

Now, going back to my speech, as I said, "the ...* had..." … (*Interruptions*)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप फिर वही बोल रहे हैं। 'नो'।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं ऐसे शब्दों का उपयोग इस सदन में नहीं करने दूंगा, चाहे सत्ता पक्ष इससे सहमत न हो। सत्ता पक्ष वाले यह नहीं बोल रहे हैं, पर मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करने दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अगर नहीं मानते हैं, तो मैं ऐसी भाषा और ऐसे शब्दों के उपयोग को एलाउ नहीं करूंगा।

… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : सर, क्या … ** वर्ड अनपार्लियामेंट्री है?… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, आप यहां पर कैसी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं? यह दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, सर्वोच्च संस्था है। इसकी भाषा संयमित होनी ही चाहिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए। अगर आप विषय पर बोलेंगे तो मैं आपको एलाउ करूंगा।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, मैं ... * नहीं बोलूंगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर आप विषय पर बोलेंगे तो मैं आपको अलाऊ करूंगा।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: सर, मैं ... * शब्द यूज नहीं करूंगा।… (व्यवधान) Sir, the individual in my story…. (*Interruptions*)

Sir, the last Session of Parliament completely destroyed the structure because a deal was signed with the United States that, under no

---

** Not recorded as ordered by the Chair.

* Expunged as ordered by the Chair.

circumstances, would have been signed by any Prime Minister of this country unless he was compromised. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: क्या यह विधेयक का विषय है?

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, you also see what Shri Kumaraswamy ji said in his speech. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: अगर मैं इस सीट पर बैठा हूं तो चाहे कुमारस्वामी जी हो या कोई भी हो, मैं विधेयक पर ही बोलने दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर मैं सीट पर बैठा हूं तो विधेयक पर ही बात होगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जब मैं आसन पर हूं तो विधेयक पर ही चर्चा होगी। आप विधेयक के विषय पर बोलें। मैंने किसी को विषय पर बोलने से रोका नहीं है। विधेयक के विषय पर मैंने कभी भी किसी को टोका नहीं है। मैंने विषय पर बोलने के लिए कभी भी किसी को नहीं रोका है। क्या मैंने आपको रोका है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह सब के लिए अलाऊ है। आप बिल के संदर्भ में ही बोलें।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: सर सॉरी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: मैं आपसे इंस्ट्रक्शन चाहता हूं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: सर, आपका कहना है कि मुझे यूएस डील पर कुछ नहीं बोलना है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बिलकुल। आपको सिर्फ महिला विधेयक पर बोलना है।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: सर, मैं नहीं बोलूंगा।… (व्यवधान)

Sir, what happened was very obvious to everybody. Now what they are attempting is to take away the constitutional rights and snatch that from the people of India. We are not going to allow that. They will see that we will defeat this Bill right here in the next half an hour or 45 minutes. … (*Interruptions*)

Now I want to conclude with an idea. … (*Interruptions*) I want to give you a sense because you have to understand something. I know more than I am saying. You must understand that I know much more than I am saying in this House. So, I am going to give you, and everyone else, a nice puzzle. The people of India can try and see if they can solve this puzzle. Yesterday, I was watching the Prime Minister speak. He seemed low on energy, broken, and transmitting nothing. Then, I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April. … (*Interruptions*) I was sitting here, watching him speak, and he was not able to engage. … (*Interruptions*) He was not able to engage because clearly, trying to pass this Bill was a mistake, as everybody knew that was a panic reaction, as I had said. While I was watching him speak, I noticed on my phone that it was 16th of April. I was like – Oh my God, how crazy! That was the number, ‘16’. The whole answer to the riddle is in the number ‘16’. … (*Interruptions*) Everything is in the number ‘16’. Now, if anybody understands

what I am saying, please send me a message. You can respond on Twitter. But the answer to your problems – you will find out very soon – lies in the number ‘16’. Thank you.

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इस पार्लियामेंट में पिछले दो दिन से लगातार बैठकर चर्चा हो रही है।… (व्यवधान)

15.25 hrs (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : सर, पॉइंट ऑफ आर्डर के बारे में बताना है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप किस नियम की बात कर रहे हैं?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, यह नियम कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपना भाषण समाप्त किया है, अगले भाषण तक उसको सदन में रुकना है। सदन में राहुल गांधी जी बार-बार भाषण देते हैं और यहां से भाग लेते हैं। … (व्यवधान) वह सुनने के लिए कभी तैयार नहीं रहते हैं। वह यहां पर असत्य बोलकर जाते हैं और उसके बाद यहां से भाग खड़े होते हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : सुप्रिया जी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग बैठ जाएं, अगर किसी को बाहर जाना है, तो चले जाएं।

The House must be in order. I request you all to occupy your seats. खड़े मत रहिए। कृपया बैठ जाएं।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले दो दिन से लगातार हमारी पूरी पार्टी माताओं को अधिकार देने के लिए, बहनों को अधिकार देने के लिए, दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ों को अधिकार देने के लिए 33 परसेंट रिजर्वेशन के लिए चिंतित है। रात डेढ़ बजे तक पूरे संसद के सदस्य और खासकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य यहां लगातार जमे हुए थे।

मैं जब आज यहां आया, तो मुझे लगा कि कांग्रेस के लीडर ऑफ दि अपोजिशन से माताओं और बहनों के लिए कुछ सुनने को मिलेगा। उन्होंने जब भाषण शुरु किया और जब खत्म किया, तो

मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो देख लिया या माइकल जैक्शन का डांस देख लिया। मैं कन्फ्यूज हूँ कि वह पीसी सरकार थे या माइकल जैक्शन थे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज कौनसी तारीख है। आज 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल को दो घटनाएं हुई। 17 अप्रैल, 1987 को पहली बार राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स की कमीशनखोरी का आरोप लगा और यहां के फ्रंट पेज पर छपा। … (व्यवधान) जिस ओबीसी की यह बात कर रहे हैं, 17 अप्रैल, 1998 वह दिन था, जब सीताराम केसरी की … * सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई। … (व्यवधान) 17 अप्रैल, 1999 वह दिन था, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जबरदस्ती क्रिश्चियन लॉबी के दबाव में गिरिधर गमांग को वोट दिला कर यहां इस्तीफा दिलाया गया। यह 17 अप्रैल है, इसीलिए उनका पीसी सरकार और माइकल जैक्शन होना लाजिमी है।

दूसरा, यहां 543 की बहुत बात हो रही है। यह देश संविधान से चलता है। मैं सबसे पहले कास्ट सेंसस पर आ जाता हूँ। आजकल यह रोज कह रहे हैं कि कौन दलित है, कौन पिछड़ा है और कौन आदिवासी है? इस देश में यदि सबसे मजबूत कोई बिजनेसमैन है, जिसकी बहुत इज्जत है, तो वह टाटा परिवार है। राहुल गांधी जी को यही पता नहीं है कि टाटा माइनॉरिटी से हैं। वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल जी ओबीसी हैं। सुजलॉन के मालिक तुलसी तांती शेड्यूल कास्ट से हैं। मैं आपको बता दूं कि माइकल सेन बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके सीईओ अरुण उरांव आदिवासी हैं। जिसे जो अपॉर्चुनिटी मिली, उसने उस अपॉर्चुनिटी में काम किया, लेकिन आपने क्या किया?

संविधान सभा में, आपने अभी बात की है, ओबीसी रिज़र्वेशन की बात हो रही है न, रिज़र्वेशन विदइन रिज़र्वेशन की बात हो रही है। ओबीसी को संवैधानिक अधिकार हमारे प्रधान मंत्री ने दिया। आप मांग रहे हैं, आपकी डिमांड क्या है? अपोज़िशन के लोगों ने, अखिलेश यादव जी से ले कर सारे लोगों ने कहा कि ओबीसी महिलाओं को रिज़र्वेशन चाहिए। इसी ओबीसी रिज़र्वेशन के लिए वर्ष 2010 में जब राज्य सभा में यह कानून पास हो रहा था तो जो सदन के नेता थे, प्रणव मुखर्जी साहब और जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधान मंत्री थे, डॉ. मनमोहन सिंह जी,

* Not recorded as ordered by the Chair.

उनका स्टेटमैंट मैं ले कर आया हूँ। उन्होंने कहा कि मरते दम तक कांग्रेस किसी ओबीसी में महिला को आरक्षण नहीं दे सकती है। इसी तरह से शिड्यूल्ड कास्ट एवं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रमोशन में रिज़र्वेशन के लिए जब इसी लोक सभा में कानून आया तो समाजवादी पार्टी के, अखिलेश जी सुनिएगा, आपके सांसद यशवीर सिंह जी, जो शिड्यूल्ड कास्ट थे, उनको इसी वेल में मैडम सोनिया गांधी ने पीटा। आप आदिवासी की बात करते हो, शिड्यूल्ड कास्ट की बात करते हो। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? … (व्यवधान) वर्ष 2011 में जब जातिगत जनगणना के आधार पर। … (व्यवधान) ठीक है, बोलिए अखिलेश जी।

श्री अखिलेश यादव : सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि महिला आरक्षण के हम पक्ष में है। दूसरा, हम पार्टी के अनुसार आरक्षण चाहते हैं। तीसरा, हम जातिगत जनगणना चाहते हैं। आप इस सदन में कहिए कि जातिगत जनगणना करेंगे कि नहीं करेंगे और क्या ओबीसी महिलाओं को आप शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे?

श्री किरेन रिजिजू : सभापति महोदय, अभी तो भाषण चल रहा है। क्लैरिफिकेशन मांगना है, जब होम मिनिस्टर साहब का प्रॉपर रिप्लाई होगा, तब रिप्लाई आ जाएंगे, अभी भाषण होने दीजिए।

श्री अखिलेश यादव : सभापति महोदय, हमारा निवेदन है कि बहुत ज्यादा इतिहास के पन्ने न पलटें।

डॉ. निशिकान्त दुबे : सर, हम जिस संस्कार को मानने वाले लोग हैं, वे एक मंत्र को पढ़ते हैं – ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥

हमारे लिए शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड सब बराबर हैं। हम सबके कल्याण के लिए काम करते हैं।

सभापति महोदय, मैं बताना चाह रहा था कि इसी वर्ष 2011 में जब जनगणना स्टार्ट हुई, जिसका कि यह बेस ईयर है, उसके लिए मुलायम सिंह यादव जी, तब अखिलेश जी मुख्य मंत्री बन कर चले गए थे, लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव जी और हमारी पार्टी से गोपीनाथ मुंडे जी, हम लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे। लगातार इस पार्लियामेंट को ठप्प करते रहे

और उसमें सोनिया गांधी जी का बयान है, प्रणब मुखर्जी जी का बयान है, मनमोहन सिंह जी का बयान है, चिदंबरम जी का बयान है। ये चार बयान ले कर मैं आया हूँ। उन चारों ने कहा कि यह जातिगत जनगणना। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी लोग बैठ जाइए, मैं तभी अखिलेश जी को बोलने के लिए अलाऊ करूंगा, वर्ना नहीं तो मैं निशिकान्त जी को खड़ा करूंगा। आपको अलाऊ नहीं करूंगा, लेकिन अवधेश जी आप बैठ जाइए। वीरेंद्र जी, सरोज जी आप बैठ जाइए। मैं अखिलेश जी को समय दे रहा हूँ, पहले हाऊस को इन ऑर्डर कर लीजिए।

श्री अखिलेश यादव : सभापति महोदय, मैंने उनका श्लोक सुना, मैं श्लोक पर कहना चाहता हूँ। सभापति महोदय, विवाद की बात नहीं है, संवाद की बात हो रही है। कोई बात माननीय सदस्य ने कही, मैंने जवाब दिया। माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा, उस श्लोक पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज में एक मंदिर में गया था। लेकिन मेरे बाद वह मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए कि क्यों धुलवाया गया था। … (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, जिसने भी गंगाजल से धुलवाया, उसने गलत काम किया और वे सभी अपराधी हैं। उनके ऊपर अपराध करने की सजा होनी चाहिए। कानून के हिसाब से न्याय होना चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, ठीक है। अब आपकी बात आ गई है।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, क्या हमसे कान पकड़कर माफी मांगेंगे? मैं कान पकड़कर भी माफी मांग लूंगा। मैंने तो गंगाजल से नहीं धुलवाया था। गंगाजल से जिसने भी धुलवाया था, उसने गलत काम किया था। हमारा इससे क्या संबंध है? अपराधी तो अपराधी है। यदि किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या संप्रदाय का व्यक्ति अपराधी है तो उसे कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Dr. Nishikant

Dubey has said.

… (Interruptions) …[*]

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, ये लोग मेरा समय व्यर्थ कर रहे हैं। मैं जातिगत जनगणना की बात कर रहा था। सोनिया गांधी जी ने कहा था कि जातिगत जनगणना संविधान के दायरे में नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। मैं वर्ष 2011 की बात कर रहा हूँ। चिदंबरम साहब ने कहा कि जातिगत जनगणना इस देश को डिवाइड करेगी। उस समय प्रणब मुखर्जी जी लीडर थे। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना 1931 के बाद से नहीं हुई है इसलिए किसी कीमत पर नहीं होगी और अंत में मनमोहन सिंह जी ने तो और भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उन्होंने इसी सदन में कहा था कि हमारी सरकार रहे या न रहे, लेकिन हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। गोपीनाथ मुंडे जी, लालू प्रसाद यादव जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके प्रयास से उस वक्त की कांग्रेस सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना हुई, जिसका डाटा कई गलतफहमियों के कारण अभी तक रिलीज नहीं हुआ और जातिगत जनगणना अब हमारी सरकार करवा रही है। वर्ष 2028-29 तक उसका आँकड़ा आ जाएगा। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह फैक्ट है, जो वे कह रहे हैं।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : अब इस अमेंडमेंट पर मैं यह कह रहा हूँ कि सभी लोगों ने कहा है कि सर्वसम्मति से हमने महिला रिजर्वेशन को पास किया है। मैंने कल्याण बनर्जी साहब का भी आज भाषण सुना और मनीश तिवारी जी का भी सुना। ये लोग बड़े विद्वान हैं। यहां पर पी.पी. चौधरी साहब ने भी बयान दिया। यह भारत का संविधान है, जो बाबा साहेब अंबेडकर जी ने लिखा है। हमने वर्ष 2023 के एक्ट के बाद आर्टिकल 334(ए) बनाया और आर्टिकल 334(ए) यह कहता है कि डिलिमिटेशन जब लिया जाएगा तो रेलीवेंट फिगर होगा। The first census is to be

---

[*] Not recorded.

conducted after the commencement of the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023. पापुलेशन को क्राइटेरिया बनाया जाएगा, यह हम और आप सब लोगों ने मिलकर पास किया। अब आप पापुलेशन को यदि क्राइटेरिया मानेंगे, यदि आप ही की बात सही है और चूँकि इसे सभी ने पास किया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी समेत जितनी भी पार्टियां हैं, वे सब इसके दोषी हैं। उनके हिसाब से आप मेरी बात लिख लीजिए, क्योंकि आप अमेंडमेंट तो नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि आप विरोध कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यूपी में 87 सीट्स होंगी। … (व्यवधान) जो पापुलेशन है, जो 2011 का सेंसस है, जिसे आपने पेश किया था। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : निशिकान्त जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, इन्होंने 2011 का सेंसस पेश किया था। मैंने तो 2026 का सेंसस लिया ही नहीं है। मैं 2011 के सेंसस के आधार पर बता रहा हूँ। यूपी में 87 सीट्स होंगी। बिहार में 47 सीट्स होंगी। महाराष्ट्र में 49 सीट्स होंगी। वेस्ट बंगाल में केवल 38 सीट्स होंगी। मध्य प्रदेश में 34 सीट्स होंगी। राजस्थान में 32 सीट्स होंगी। तमिलनाडु के सांसद काले कपड़े पहनकर जो इतना हंगामा कर रहे हैं, वहां केवल 29 सीट्स होंगी। गुजरात में 28 सीट्स होंगी। कर्नाटक में 26 सीट्स होंगी। आंध्र प्रदेश में 20 सीट्स होंगी। ओडिशा में 18 सीट्स होंगी। मेरे राज्य झारखंड में 16 सीट्स होंगी। मैं अभागा एक ऐसे राज्य का सांसद हूं, जहां वर्ष 2000 में बंटवारा होने के बाद डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं और डिलिमिटेशन क्यों नहीं हुआ? इस यूपीए ने डिलिमिटेशन क्यों नहीं होने दिया? भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हुआ, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की संख्या घट गई थी। एक आदिवासी की लोक सभा की सीट और तीन विधान सभा की आदिवासियों की सीट डिलिमिटेशन में घट रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमें डिलिमिटेशन नहीं चाहिए। आप देश चलाने की बात करते हैं। आप लोकतंत्र

की बात करते हैं। आपने तो बांग्लादेशी वोट बैंक को बनाने के लिए हमारे राज्य को तहस-नहस कर दिया। हमारी कॉन्स्टिटुएंसी 350 किलोमीटर लंबी है। वह तीन जिलों में विभक्त है। आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। यदि वर्ष 2023 का एक्ट, जो की भारत सरकार ने नोटिफाई किया है, लागू हो जाता है, तो साउथ इंडिया में केरल की सीट 20 से 14 हो जाएगी। तमिलनाडु में 39 से केवल 29 हो जाएगी। साउथ इंडिया का जिम्मेवार कौन होगा? हम कल 543 की संख्या पर रिजर्वेशन लागू करने को तैयार हैं, लेकिन वह पॉपुलेशन के आधार पर होगा। इससे साउथ इंडिया की सीट्स घटेंगी और कांग्रेस के राहुल गांधी इसके जिम्मेवार होंगे।

सर, अब ये एक्ट की बात कर रहे हैं। अभी बहुत लोगों ने कहा कि आप 815 का फीगर कहां से लाए हैं, 816 का फीगर कहां से लाए हैं? मुझे लगता है कि '31' की संख्या का रिजर्वेशन से और सीट बढ़ाने से काफी जुड़ाव है। संविधान का 31वां संशोधन 1973 में हुआ और आज हम लोग 131वें संशोधन पर बात कर रहे हैं। वर्ष 1973 के संशोधन पर अभी बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दे कर गए कि इंदिरा जी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया और उन्होंने सीटों को फ्रीज कर दिया। 525 से 550 सीट हो रही थीं। डिलिमिटेशन आयोग वर्ष 1971 में बना गयी थी। इससे पहले की एक कहानी है कि जब वर्ष 1952 में डिलिमिटेशन आयोग बना, तो डिलिमिटेशन आयोग ने कहा कि हम इस तरह से किसी भी एरिया का परिसीमन नहीं कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि डिलिमिटेशन आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर कांग्रेस ने सारे फेडरल स्ट्रक्चर को तार-तार कर दिया, पूरा संविधान संशोधन कर दिया और वर्ष 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डिलिमिटेशन एक्ट के आधार पर बना। बंगाल की कुछ जगह बिहार में आ गयी और बिहार की कुछ जगह बंगाल में चली गयी। आंध्र की कुछ जगह केरल में चली गयी, केरल की कुछ जगह आंध्र में चली आयी। तमिलनाडु की कुछ जगह बेंग्लुरु में चली गयी और कर्नाटक की कुछ जगह तमिलनाडु में चली गयी। आज भी महाराष्ट्र बेलगांव की लड़ाई लड़ रहा है। यह डिलिमिटेशन आयोग के कारण हुआ। उन्होंने तय कर दिया कि हमारे टोटल एमपी 489 होंगे। प्रेमचंद्रन जी, डिलिमिटेशन आयोग की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा, उन्होंने कहा कि 526 लोग होने चाहिए,

लेकिन नेहरू जी ने यह तय कर दिया कि 489 ही होगी। उन्हीं की बेटी इंदिरा जी ने, मैं वर्ष 1973 का 31वां संविधान संशोधन लेकर आया हूं। डिलिमिटेशन आयोग वर्ष 1971 में बन गया। डिलिमिटेशन आयोग ने कहा कि टोटल सीटे 603 होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो तय करने वाले? अभी बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे कि आप अपना जज बना लेंगे, आप अपना एमपी बना लेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ये वर्ष 1952 से लेकर अब तक सब कुछ लीडर ऑफ अपोजीशन से पूछ कर अपना आयोग बनाते रहे हैं। उन्होंने संविधान संशोधन करके कहा कि 525 से 550 ही सीट्स होंगी। उन्होंने तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीट्स होंगी, मध्य प्रदेश में कितनी सीट्स होंगी, गुजरात में कितनी सीट्स होंगी और महाराष्ट्र में कितनी सीट्स होंगी? आज आप हमें भाषण देने की बात कर रहे हैं।

दूसरी बात, ये झूठ की दुकान हैं। दोनों भाई-बहन की बातों को मैंने बहुत सुना है। मैं आपको बताऊं, मैं वर्ष 1976 का 44वां संविधान संशोधन लेकर आया हूं। जब कांग्रेस ने सारे नेताओं को जेल में भेज दिया, तो वर्ष 1976 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। संशोधन क्या हुआ - लोक सभा 6 वर्ष के लिए और प्रिएंबल में सेक्युलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया। उसका भाषण देते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि हम 1920-21 से माइनॉरिटी के लिए लड़ रहे हैं। जिस मोती लाल नेहरू कमिटी की रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा, जो कि 1929-30 की रिपोर्ट है, उसको इसमें उन्होंने खूब कोट किया। उन्होंने कहा कि मोती लाल नेहरू ने मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स, कांग्रेस वर्किंग कमिटी में वर्ष 1929, 1930, 1931 और 1932 में पास किया। हमारा जो बेस है, वह बेस यह है कि हमको मुस्लमान के आधार पर राजनीति करनी है, मुसलमानों को संरक्षण देना है, मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है, उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है और इसी कारण से जब वर्ष 1976 में डिलिमिटेशन आयोग की रिपोर्ट आयी, उसको भी काट-पीट कर इसी पार्लियामेंट में 8 सीटें जबरदस्ती कांग्रेस सरकार ने बढ़ाई।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से सारे अपोजीशन से आग्रह है कि साउथ इंडिया के साथ

अन्याय नहीं कीजिए, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं कीजिए। इस देश में, इस पार्लियामेंट की जो भूमिका है, उसके वर्चस्व को कायम रहने दीजिए। पार्लियामेंट में लोगों का विश्वास रहने दीजिए और माननीय मोदी जी, जो 33 परसेंट महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, उसे वर्ष 2029 में लागू करने के लिए इस बिल का समर्थन कीजिए।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द। जय भारत।

श्री मियां अल्ताफ अहमद (अनन्तनाग-राजौरी) : सर, मुझे बोलने के लिए टाइम देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज यह बिल जो लाया गया है, इस बिल ने हम सबको हैरान कर दिया कि आज से पहले वर्ष 2023 में यह बिल यहां पेश किया गया, पास किया गया और तमाम पार्टियों का यूनेनीमस डिसिजन इस बिल को पास करने का था। अब दोबारा इस बिल को यहां लाने का मतलब, मुझे यकीन है कि जब होम मिनिस्टर साहब जवाब देंगे तो हमें बताएंगे कि तीन दिन के लिए स्पेशल सैशन क्यों बुलाया गया? सिर्फ एक महीने पहले सैशन खत्म हुआ, उस वक्त पेश कर सकते थे। जुलाई में मानसून सैशन आने वाला था, यह बिल उसमें पेश कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शन के कारण विमिन के नाम दोबारा से उनके वोट अट्रैक्ट करने के लिए, उनके वोट लेने के लिए आज यह एक्सरसाइज की जा रही है। जिसके लिए आज कोई मौजूम वक्त भी नहीं था और जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। खास तौर पर ओपोजिशन पार्टीज़ ने रिक्वेस्ट की थी कि यह सैशन बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको पास करवाना चाहते हैं तो मानसून सैशन में इसको पास करवा लीजिएगा। लेकिन ओपोजिशन की बात को हुकूमत ने नहीं सुनी। इससे पहले पार्लियामेंट के सैशन बुलाने के समय में ओपोजिशन की बात को सुना गया है, लेकिन इस मामले में हुकूमत ने ओपोजिशन की बात को भी नहीं सुना।

महोदय, इससे पहले जम्मू-कश्मीर और असम में डिलिमिटेशन हुआ था। वहां डिलिमिटेशन के नाम पर तबाही मचायी गयी। वहां किसी प्रकार की मैरिट नहीं देखी गयी कि कौन सी कंस्टिटुएंसी बनानी है, कौन सी रिजर्व करनी है? जो कुछ भी किया गया, वह लोगों से पूछकर

नहीं किया गया। हालत यह थी कि कमीशन का दफ्तर भी दिल्ली में था। श्रीनगर या जम्मू में उस डिलिमिटेशन का ऑफिस नहीं गया। कमीशन सिर्फ दो दिन के लिए जम्मू-कश्मीर में गया था। आज आप जो डिलिमिटेशन का कानून ला रहे हैं। हमें इसको लाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको डिलिमिटेशन करनी है तो फिर उस तरह से मत कीजिए जैसी आपने असम और जम्मू-कश्मीर में की है। आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं तो उसको करने वाले लोगों की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। पहले उनके बारे में डिसक्शन होना चाहिए। ओपोजिशन को आपको साथ लेना है। आपको देश को यह बताना है कि हमारी हुकूमत डिलिमिटेशन के मामले में कम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। इसी वजह से डिफरेंट आवाजें डिलिमिटेशन के खिलाफ आ रही हैं तो वह इन्हीं खदशाहत के बिनाह पर आ रही हैं और हम हुकूमत से यह कहते हैं कि इन खदशाहत को दूर करना पड़ेगा, अगर आपने डिलिमिटेशन करना है। आप अगर जल्दी में डिलिमिटेशन करना चाहते हैं तो विमिन रिजर्वेशन बिल दोबारा लाना चाहते हैं तो हम इसमें आपका साथ नहीं दे सकते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो मेरिट पर हो, इंसाफ से हो और पॉपुलेशन के हवाले से हो। बहुत-बहुत शुक्रिया।

एडवोकेट प्रिया सरोज (मछलीशहर) : सभापति महोदय, आज आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल कानून बनाने की नहीं होती, बल्कि यह सुनिश्चित करने की होती है कि कानून के पीछे की नीतियां भी उतनी ही साफ़ और ईमानदार हों।

"जल्दबाज़ी में लिए फैसले इतिहास में गलती बन जाते हैं
और सोच-समझकर लिए फैसले देश की तकदीर बन जाते हैं।"

महोदय, आज मैं इस सदन में उस आधी आबादी की आवाज़ बनकर खड़ी हूँ, जिसे लोकतंत्र ने हमेशा ताकत का प्रतीक बनाया है। लेकिन, जब अधिकार देने की बात आती है, तब सरकार उन्हें शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल करती है। हम सब महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में थे, हैं और रहेंगे। उसमें कोई 'इफ एंड बट' की बात नहीं है। लेकिन, सवाल यह है कि

क्या यह बिल सच में महिलाओं को सशक्त करने के लिए है या महिलाओं के नाम पर कुछ राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है? हक़ की बात कही, मगर शर्तों में उलझा दिया। महिलाओं के नाम पर सारा एजेंडा ही बदल दिया। अगर नीतियां साफ़ होतीं तो हक कब का मिल जाता। आपने 'भविष्य' कहकर उनका 'आज' ही टाल दिया।

महोदय, जो तीन बिल इस सदन में लाए गए हैं और उन्हें जिस तरह से वूमेन रिजर्वेशन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, असल में इन बिल्स के ज़रिए देश के राजनीतिक नक्शे, रिप्रेजेंटेशन और पावर स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जा रही है। आप इसकी टाइमिंग को देखिए, राज्यों के चुनाव से ठीक पहले स्पेशल सेशन बुलाया गया है। इसे कोइंसीडेंस नहीं, बल्कि कैल्कुलेशन कहते हैं।

महोदय, इस बिल में बहुत सारी समस्याएँ हैं। जैसे आर्टिकल -82 अमेंडमेंट, महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन को सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। पहले हर सेंसस के बाद यह प्रक्रिया अनिवार्य थी। नए बिल के बाद सरकार जब चाहे तब कर सकती है।

दूसरी बात, पुराने आँकड़ों से नई सीटें तय करने का रास्ता खोल दिया गया है। यानी, वर्ष 2011 जैसे पुराने सेंसस के आधार पर वर्ष 2029 के चुनाव कराए जाएंगे। इस पर मैं दो लाइन कहना चाहूंगी।

"पुराने आंकड़ों से नया इतिहास नहीं लिखा जाता,
सच्चाई छुपाकर लोकतंत्र चलाया नहीं जाता।"

महोदय, तीसरी बात यह है कि लोक सभा की सीटें 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे कुछ राज्यों का प्रभाव बहुत बढ़ सकता है और क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो सकता है।

चौथी बात यह है कि महिलाओं को तुरंत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उसे डिलिमिटेशन से लिंक किया जा रहा है। यानी, अधिकार अभी नहीं मिलेगा। पहले सीटों का नक्शा बदला जाएगा।

पांचवीं बात यह है कि पूरी प्रक्रिया का नियंत्रण संसद, यानी सरकार के हाथ में है। मतलब

सरकार जब चाहे कोई भी सेंसस ले सकती है और कभी भी डिलिमिडेशन कर सकती है। सरकार अपनी मनमर्जी करेगी।

महोदय, डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय स्पष्ट कहा था कि भारत का ढांचा फेडरल रहेगा, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका संतुलित रहेगी। लेकिन, आज जो प्रस्ताव आए हैं, इससे संतुलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। डिलिमिटेशन के बाद कुछ राज्यों का प्रभाव डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से बढ़ सकता है। इससे उत्तर-दक्षिण का असंतुलन और राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। नारी शक्ति के सम्मान को भी सियासत में तौला गया और हक़ के सवाल को तारीख़ों में टाला गया। डिलिमिटेशन के नाम पर नक्शा बदला जा रहा है और इसे ही महिला आरक्षण का चेहरा बताया जा रहा है।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण विषय सोशल जस्टिस है। आज देश की लगभग 40 परसेंट आबादी ओबीसी समुदाय से आती है, लेकिन इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए कोई स्पष्ट सब-कोटा नहीं है।

महोदय, हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं हैं। इसमें हर वर्ग की महिलाएं होनी चाहिए। अगर यह नहीं होगा तो इसका फायदा कुछ सीमित महिलाओं को ही मिलेगा। इसमें मैं दो लाइन कहना चाहूंगी।

"आधी आबादी को हक़ दो, पर उस आधी आबादी के भीतर भी बराबरी हो।"

महोदय, सरकार कहती है कि डिलिमिटेशन के बाद वूमेन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। मेरा सीधा सवाल है कि आज जब 543 सीटें मौजूद हैं, तो उन पर 33 परसेंट रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या महिलाओं का अधिकार किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज का इंतज़ार करेगा?

महोदय, हम महिला आरक्षण के खिलाफ़ नहीं हैं। हम उसके नाम पर हो रहे अप्रोच के खिलाफ़ हैं। अगर आपकी नीयत साफ़ है, तो आने वाले चुनावों में 33 परसेंट रिजर्वेशन लागू कीजिए। डिलिमिटेशन बाद में कराइएगा। महिलाओं का अधिकार पहले दीजिए।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि महिलाओं को उनका अधिकार किसी वादे या फ्यूचर प्लान के रूप में नहीं, बल्कि आज की हकीकत के रूप में मिलना चाहिए। यह सदन तभी सच्चा लोकतांत्रिक कहलाएगा, जब इसमें हर वर्ग, हर समाज और हर महिला की आवाज बराबर सुनी जाएगी।

सभापति महोदय, मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि वर्ष 2023 में वीमेन रिजर्वेशन बिल सरकार और सत्ता ने मिलकर पास किया था, लेकिन अब जिम्मेदारी सरकार की लागू करने की है। मेरा साफ-साफ कहना है कि सरकार इसे ईमानदारी से जल्दी लागू करे, बिना किसी राजनीतिक खेल के लागू किया जाए।

सर, मैं दो मिनट में अपनी बात कन्क्लूड कर रही हूं।

माननीय सभापति : आपकी पूरी बात आ गयी है।

एडवोकेट प्रिया सरोज : सर, मैं इतना कह रही हूं :

हक की बात है, तो उसे आज निभाइए,
वादों के पीछे सच और न छिपाइए,
नारी शक्ति ने नाम पर खेल खेलना बंद कीजिए,
जो वादा किया हक का, उसे तुरंत लागू कीजिए।

जय भीम, जय समाजवाद।

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) : धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर भारतीय नारी शक्ति के सम्मान और समान भागीदारी से जुड़े इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा जो तीन विधेयक लाए गए हैं, मैं उनके पूर्ण समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

पंख मिले जब नारी को, छू लेती है वह आसमान,
उसकी उड़ान में बसता है देश का अभिमान।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है कि नारी शक्ति केवल विकास की भागीदार नहीं है, बल्कि विकास की दिशा तय करने वाली निर्णायक शक्ति भी है। उनके इसी विजन ने इस अधिनियम को एक निर्णायक बदलाव का माध्यम भी बनाया है।

महोदय, हम इस ऐतिहासिक विधेयक पर कल से चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज देख रहे हैं कि कल लगभग रात डेढ़ बजे तक इस पर बहुत सार्थक चर्चा हुई और आज जब मैं थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को सुन रही थी, तो उनके वक्तव्य बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थे और उसके साथ-साथ जिस तरह से हमारी देश की सेनाओं के प्रति, सेना में जो हमारी बहनें हैं उनके प्रति, जो उनके द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य आया, निश्चित रूप से हम इसकी जितनी निन्दा करें, वह कम है। इनको न तो देश की सेना पर भरोसा है, न हमारी बहनों पर भरोसा है। जब नारी शक्ति को अधिकार देने की बात आयी, तो लगातार तीन दशक से हम देख रहे हैं, तरह-तरह की अड़चनें आती रहीं और उसके अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया। आज ओबीसी आरक्षण की बात आ रही है। मैं श्री राहुल गांधी जी से और कांग्रेस के साथियों से यह पूछना चाहती हूं कि आपने 50 वर्षों तक इस देश में शासन किया, उस समय आपको ओबीसी की चिन्ता नहीं हुई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आयी, आपने लम्बे दिनों तक उसको लटकाए रखा, उस समय आपको ओबीसी की चिन्ता नहीं हुयी।... (व्यवधान) उस समय ओबीसी के प्रति आपकी भावना कहां गयी थी।... (व्यवधान) उस समय आपको यह चिन्ता नहीं थी कि ओबीसी के साथियों को उसका सम्मान, उसका अधिकार मिले।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्यामकुमार बर्वे जी, आप बैठे-बैठे मत बोलिए।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा आपने नहीं दिया, आपने 50 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उस ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा आपने नहीं दिया, यह माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने दिया, मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। ये ओबीसी की बात करने वाले हैं, समाजवादी पार्टी भी ओबीसी की बात करती है।

महोदय, मैं भी उसी समाज से आती हूं और मैं यह कहना चाहूंगी कि आधी आबादी को उसका हक मिले, उसके लिए यह जो विधेयक आया है, निश्चित रूप से आज करोड़ों बहनें इस लोक सभा की ओर टकटकी भरी निगाहों से देख रही हैं, उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हैं कि दशकों से जो उसकी अपेक्षा थी, जो संघर्ष था, आज उसे लग रहा है कि अब वह पूरा होता दिख रहा है, लेकिन आज उसे भी विपक्ष की ओर से लटकाने का काम किया जा रहा है और करोड़ों बहनों की जो आशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, आप उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं।

16.00 hrs

अगर आप करोड़ों बहनों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की बहनें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। ये शंकायें जता रहे हैं, डीलिमिटेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं, जबकि कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ सरकार की जो अपेक्षा है, सरकार जो चाहती है, इस सदन के माध्यम से उन्होंने वक्तव्य दिया और बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा और सदन को संतुष्ट करने का काम किया। उनके जो एक-एक शब्द थे, जो उनकी आशंकायें थीं, उन आशंकाओं को भी समाप्त करने का काम किया। कुछ और बातों की आपने चर्चा की है, अब जब सरकार का जवाब होगा, माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे, तो वे उन सारे विषयों पर, उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यह विधेयक केवल कानून नहीं, बल्कि भारत की नारी शक्ति के अधिकार और सम्मान का एक सशक्त प्रमाण है। आने वाले समय में यही नारी शक्ति हमारे लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

महोदय, विपक्षी पार्टी द्वारा जो बातें उठाई जा रही हैं, आशंकायें जाहिर करके अव्यवस्था फैलाई जा रही है और एक ऐतिहासिक निर्णय को यह रोकने का काम कर रही है। ये नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को उसका लाभ मिले, आधी आबादी को उसका हक मिले। ये जानबूझकर इस तरह की अव्यवस्था और इस तरह की बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। जब इन्हें स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया गया तो फिर ये देश की जनता को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? इनकी मंशा साफ है। पहले ये महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते थे। वही इच्छाशक्ति आज भी दिख रही है कि वे इसको

फिर से लटकाना चाहते हैं और उन्हें अवसर नहीं देना चाहते।

महोदय, आज यह केवल एक विधेयक पर चर्चा का अवसर नहीं है, बल्कि उस गौरवशाली यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव है, जहां भारत की नारी शक्ति ने सदियों के संघर्ष, साधना और अटूट संकल्प के बल पर अपने अधिकारों की दिशा में एक स्वर्णिम अध्याय रचा है।

महोदय, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तब दशकों से रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं। यही भावना आज जन-जन के मन में है और "मोदी है, तो मुमकिन है" के रूप में प्रतिबिंबित भी होते हैं।

अगर हम देखें तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आज दुनिया में महिला सांसदों की औसत भागीदारी लगभग 27 प्रतिशत है और ऐसे समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करके भारत एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड स्थापित करने जा रहा है। यह आंकड़ा भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता, उसकी दूरदृष्टि और उसकी समावेशी सोच का सशक्त प्रमाण है। आज दुनिया देख रही है कि भारत केवल अपनी बेटियों के सशक्तीकरण की बात नहीं करता, बल्कि उन्हें नेतृत्व सौंपने का सामर्थ्य भी रखता है। यह महज एक संयोग नहीं, बल्कि मोदी सरकार की इच्छाशक्ति का प्रमाण है कि नारी शक्ति का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

महोदय, तीन दशकों तक हमारी माताओं और बहनों ने नीति-निर्माण में अपने अधिकार की लंबी प्रतीक्षा की। इस दौरान अनेक समितियां बनीं, कई विधेयक सदन के पटल पर रखे गए, किंतु इच्छाशक्ति के अभाव में वे कभी कानून का रूप नहीं ले सके। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि नारी सशक्तीकरण केवल घोषणा नहीं, बल्कि एक ठोस और समयबद्ध प्रतिबद्धता है।

महोदय, यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माण के समय भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रश्न हमारे राष्ट्र के चिंतन का हिस्सा रहा है। संविधान सभा में हंसा मेहता, दुर्गाभाई देशमुख और राजकुमारी अमृत कौर जैसी सशक्त महिलाओं ने अपनी सक्रिय उपस्थिति और विचारों से यह सिद्ध किया कि भारतीय नारी केवल सहभागी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति भी है।

इसी दिशा में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में एक ऐतिहासिक और निर्णायक पहल की गई है, जो भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

महोदय, एक जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ आज जब मैं एक महिला के रूप में इस सदन में खड़ी हूँ, तो यह क्षण मेरे लिए केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि अत्यंत भावनात्मक भी है। लगभग तीन दशक पहले जब मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कदम रखा था, तब गाँवों में महिलाओं, बहनों और बेटियों से जब भी संवाद होता था, तब उनकी बातों में ढेरों आकाँक्षाएँ और सपने झलकते थे। मैं सोचती थी कि कैसे हम उन्हें अपनी नीतियों में समाहित कर पाएँगे।

महोदय, पिछले बारह वर्षों में हमने धरातल पर एक परिवर्तन होते हुए देखा है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी पहल शुरू की गई। जब उस समय की तुलना मैं वर्तमान से करती हूँ, तो महिलाओं के जीवन में आज आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और देश की करोड़ों बहनों को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का वह कवच दिया गया है, जिससे वे आज आत्मनिर्भरता के नए आसमान छू रही हैं। यह युग विमेन-लेड डेवलपमेंट का है, जहाँ नारी नेतृत्व परिवर्तन की दिशा तय कर रहा है।

महोदय, पंचायत से पार्लियामेंट तक परिवर्तन के केंद्र में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह दूरदर्शी नेतृत्व रहा है, जिसने महिलाओं को केवल सशक्त करने की बात नहीं की, बल्कि उन्हें विश्वास, अवसर और मंच प्रदान किया है। महोदय, यह सशक्तिकरण केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। इसकी मजबूत नींव स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय समावेशन पर भी टिकी है। हमारी सरकार ने महिलाओं को वोट बैंक नहीं माना, बल्कि उन्हें भारत की विकास यात्रा का विज़न बैंक बनाया है।

आज हमारी बेटियाँ स्टेम के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। नमो ड्रोन दीदी पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ भी नई तकनीकों को अपनाकर

आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसी के साथ मिशन शक्ति के तहत कई कार्यक्रम वन स्टॉप सेंटर, फास्ट ट्रैक कोर्ट और 181 हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएँ 24/7 महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं।

यह बहुत ही खेद की बात है कि इस ऐतिहासिक बदलाव का उत्सव जहाँ पूरा देश और हमारी बहनें मनाने को तैयार हैं, वहाँ ये प्रतिपक्ष के लोग आज भी इसे अटकाने-लटकाने पर लगे हैं। महोदय, मैं अगर पंचायती राज की बात करूँ, तो पंचायती राज संस्थाओं ने पहले ही यह साबित कर दिया है कि जब महिलाओं को निर्णय और निर्माण में स्थान मिलता है, तो परिणाम अधिक संवेदनशील, समावेशी और प्रभावी होते हैं। उनके नेतृत्व में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्राथमिकता मिली है, जिससे जन-जीवन में वास्तविक परिवर्तन आया है।

माननीय प्रधान मंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि 21वीं सदी भारत की है और यह सदी महिलाओं के नेतृत्व की सदी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक है। माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा यह सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि वैधानिक मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। मोदी सरकार की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है।

महोदय, जब सत्ता पक्ष की नीति और विपक्ष की सहमति एक बिंदु पर मिलती है, तब इतिहास रचा जाता है। आज हम पक्ष-विपक्ष के सभी सांसदों से यह आग्रह करना चाहेंगे कि भेदभाव को मिटाते हुए इस युगांतरकारी निर्णय में आप भी अपनी निर्णायक भूमिका में रहें। नारी शक्ति अधिनियम यानी महिलाओं का जो हक है, जो भागीदारी है, उसे उन्हें देने का काम करें और इस सदन से पारित कराकर उन्हें उनका अधिकार देने का काम करें।

महोदय, मैं दो पंक्तियाँ बोलकर अपनी बात समाप्त करूँगी।

‘आधी आबादी के सपने, अब पूरे होने वाले हैं,
हम नारी शक्ति पंचायत से, संसद जाने वाले हैं,
माँ भारती के वीर सपूतों, समय की यह अंगड़ाई है,
साथ-साथ और संग चलने की, पावन शुभ घड़ी आई है।’

इसी के साथ सभी शक्तिस्वरूपा करोड़ों बहनों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।

__DR. RAJ KUMAR CHABBEWAL (HOSHIARPUR):__ Thank you very much Chairperson Sir. You have given me an opportunity to speak on 131st Constitution Amendment Bill, Delimitation Bill and UT Laws Bill, 2026. I am here to oppose these bills. Undoubtedly, each member of this august House is in favour of the women empowerment in politics. But for any government, only good intention is not sufficient for the achievement of a purpose. It all depends upon the format, design, draft and delivery of the purpose. In the current bill about the amendment, there is suspicion about the design and delivery causing many concerns that leads to opposing it. India is the only country in the world where women have been enjoying the right respect and equality for centuries. India is the land of sages (Rishis, Munis and Peers) and women have also got opportunity of becoming sages and they have been called Rishikasha. Five centuries ago, the first Sikh guru, Dhan Dhan Sri Guru Nanak Dev ji raised his voice in the favour of women. Similarly, the tenth guru Shri Guru Gobind Singh ji accorded respect to the women through his epic, Chandi Di Waar wherein the women were projected as Goddess Durga. The maker of the Constitution, Bharat Ratna Bhim Rao Baba Sahib Ambedakar reflected the great contribution for the empowerment of the women and he is called the champion of women empowerment.

"I measure the progress of the community by the degree of progress which women have achieved."

..... English translation of this part of speech was originally delivered in Punjabi.

Not only this, Savitri Bai Phule became the first woman teacher of the country who established the first school of the country for girls. It is a separate issue that this great woman was not given due recognition and honour by the government. I am of the opinion that as and when this bill takes a formal shape; its title should be in the name of Savitri Bai Phule. Chairman Sir, I fail to understand that what was the urgency to bring these amendment bills.

The Government should have convened an all-party meeting after the current cycle of Assembly elections to discuss the proposals with the Opposition, allowing time for public debate, and then, they should have brought these amendment Bills in the Monsoon Session of Parliament. So, there is simply no justification except publicity and gaining electoral benefits out of it.

Chairperson Sir, I understand that the Census should have been completed by 2021. It has commenced after 5 years. During these 5 years, more than 10 crores people suffered loss because they couldn't be covered under the Food Security Act. I feel that propaganda is being run by the government.

There is a propaganda that caste census will delay the publication of Census 2027, which is not true. The Government's real tension is now to further delay and derail the Census.

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

… (व्यवधान)

..... English translation of this part of speech was originally delivered in Punjabi.

माननीय सभापति : संशोधन से संबंधित आपकी बात आ गई है। कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

***DR. RAJ KUMAR CHABBEWAL:** Chairperson Sir, I want to sum up the issue. One of the earlier speakers who is a woman MP from Punjab, has said that the reservation for women should be from the existing strength of 543 in Lok Sabha. Entire opposition is saying this but I wish to tell her that she was in the BJP government as an alliance partner. Why she couldn't get it earlier?

She is against the economic independence of the women and talks for an assistance of Rs.1000 to Rs.1500 to the women. Economic independence is vital for the women and she never talked on these lines when she was in the government. Thanks.*

#**PROF. VARSHA EKNATH GAIKWAD (MUMBAI NORTH-CENTRAL):** Honorable Chairperson, I stand before you today to speak on this historic and momentous 131st Constitutional Amendment and Delimitation Act. This is not merely a bill; today, the gaze of the entire female population—which constitutes half of our country's populace—is fixed upon this Parliament. Through this medium, they harbor the hope that they will finally receive justice. At this juncture, I wish to state that this land we inhabit has been sanctified by the sacred touch of luminaries such as Krantijyoti Savitribai Phule, the Phule-Shahu-Ambedkar,Ahilyabai Holkar, Rajmata Jijau, and Mata Ramani. We have witnessed that women do not merely manage households or administer states;

..... English translation of this part of speech was originally delivered in Punjabi.

English translation of the speech originally delivered in Marathi.

rather, women govern nations, women fight wars, and women shape history. On the occasion of Dr. Babasaheb Ambedkar's birth anniversary on April 14th—which recently passed—I wish to recall his words: Dr. Babasaheb Ambedkar asserted that women's participation in politics is not merely a necessity, but an integral component of a truly authentic Indian system; furthermore, he emphasized that political empowerment serves as a vital instrument for progress. We are well aware that Bharat Ratna Rajiv Gandhi, through the 73rd and 74th Constitutional Amendments, granted women a 33 per cent reservation in Panchayats, Municipal Corporations, and other local self-governing bodies. Today, 1.5 million women—constituting over 40 per cent of the total membership—are an integral part of these local self-governing institutions. However, the act of conflating the 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' with the process of delimitation has raised doubts in our minds regarding the precise objective behind this move.

Honorable Chairperson, I wish to pose a direct question: Is this bill, perhaps, merely a stratagem designed to corner the opposition and serve as a defensive maneuver for the ruling party? The 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' bill was, in fact, passed by the Upper House back in 2023. Yesterday, I heard the phrase: "Simran, go live your life!" Had this bill been implemented back then—at that very moment—the women present here today would not have numbered merely 74 out of the 543 members; instead, there would have been 180 women representatives. Consequently, in the formulation of laws concerning women and the crafting of welfare schemes intended for their

upliftment, women members would have played a significantly larger and more representative role. Respected Kharge Saheb and Sonia Gandhi had clearly articulated the stance that this Bill should be implemented in 2024, and that the delimitation exercise should be carried out at that very time. However, the government's intentions are far from pure.

Honorable Chairperson, today, elections are underway in five states, yet you are choosing to introduce this Bill right now. The BJP is constantly preoccupied with elections—thinking about them 24/7—and, in doing so, is misleading both the people and the nation regarding its true direction. I wish to highlight a specific concern here: are you not, under the guise of women's reservation, actually paving the way for delimitation? We strongly oppose the unjust delimitation process that you appear to be undertaking through this medium; furthermore, we vehemently oppose this move as a direct assault on the Constitution. I listened to many speeches yesterday. Prior to 2014—that is, before the Bharatiya Janata Party assumed power—women held 50 per cent of the positions in local self-government bodies across 17 states. However, since 2014, women constitute 50 per cent of the workforce in local self-government bodies in only 6 states. If we look at the history of the Indian National Congress, five women have served as its President: Sarojini Naidu, Gupta Ji, Indira Gandhi Ji, and Sonia Gandhi. Furthermore, the Congress party has produced numerous women Chief Ministers—including Sucheta Kripalani, Nandini Satpathy, Anwara Taimur, Rajinder Kaur Bhattal, and Sheila Dikshit—all of whom rose to become both Chief Ministers and Party Presidents. I have

a question for those who extol the virtues of the *Manusmriti*: how many women have *you* appointed as Chief Ministers? Can a woman ever become the Chief of the RSS? What is your stance on this matter? When women leveled allegations of exploitation, you dragged them through the courts; yet, you continue to honor the very individuals against whom those allegations were made. Consider incidents such as those in Kudal, Hathras, and Badnapur, or the horrific episode in Manipur where women were paraded naked. Rapes occur daily across the country, and thousands of women are subjected to exploitation; in fact, a girl in this country falls victim to exploitation every 16 minutes, while the corresponding conviction rate stands at a mere 27.4 per cent. Through this Bill, my sole contention is this: women must be granted reservation—it is our firm stance that this legislation should be enacted. However, in implementing this Bill, it is imperative that you adhere to the provisions of Article 22 of the Constitution of this country—specifically those concerning the conduct of the census—as deliberated upon in 1972, 1973, and 2002. Do not allow the Constitution to come under attack.

Honorable Chairperson, the 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' bill was, in fact, passed by the Upper House back in 2023. Yesterday, I heard the phrase: "Simian, go live your life!" Had this bill been implemented back then—at that very moment—the women present here today would not have numbered merely 74 out of the 543 members; instead, there would have been 180 women representatives. Consequently, in the formulation of laws concerning women and the crafting of welfare schemes intended for their upliftment,

women members would have played a significantly larger and more representative role. Respected Charge Sahib and Sonia Gandhi had clearly articulated the stance that this Bill should be implemented in 2024, and that the delimitation exercise should be carried out at that very time. However, the government's intentions are far from pure. Today, elections are underway in five states, yet you are choosing to introduce this Bill right now. The BJP is constantly preoccupied with elections—thinking about them 24/7—and, in doing so, is misleading both the people and the nation regarding its true direction. I wish to highlight a specific concern here: are you not, under the guise of women's reservation, actually paving the way for delimitation? We strongly oppose the unjust delimitation process that you appear to be undertaking through this medium; furthermore, we vehemently oppose this move as a direct assault on the Constitution. I listened to many speeches yesterday. Prior to 2014—that is, before the Bharatiya Janata Party assumed power—women held 50 per cent of the positions in local self-government bodies across 17 states. However, since 2014, women constitute 50 per cent of the workforce in local self-government bodies in only 6 states. If we look at the history of the Indian National Congress, five women have served as its President: Sarojini Naidu, Gupta Ji, Indira Gandhi Ji, and Sonia Gandhi. Furthermore, the Congress party has produced numerous women Chief Ministers—including Sucheta Kripalani, Indiana Sat pathy, Ankara Timur, Rajinder Kaur Bhatl, and Sheela Dikshit—all of whom rose to become both Chief Ministers and Party Presidents.

Honorable Chairperson, I have a question for those who extol the virtues of the Manusmriti, how many women have you appointed as Chief Ministers? Can a woman ever become the Chief of the RSS? What is your stance on this matter? When women leveled allegations of exploitation, you dragged them through the courts; yet, you continue to honor the very individuals against whom those allegations were made. Consider incidents such as those in kudal, Tarash, and Badnapur, or the horrific episode in Manipur where women were paraded naked. Rapes occur daily across the country, and thousands of women are subjected to exploitation; in fact, a girl in this country falls victim to exploitation every 16 minutes, while the corresponding conviction rate stands at a mere 27.4 per cent. Through this Bill, my sole contention is this: women must be granted reservation—it is our firm stance that this legislation should be enacted. However, in implementing this Bill, it is imperative that you adhere to the provisions of Article 22 of the Constitution of this country—specifically those concerning the conduct of the census—as deliberated upon in 1972, 1973, and 2002. Do not allow the Constitution to come under attack.

Thank you.

श्रीमती रुचि वीरा (मुरादाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे देश के सबसे बड़े सदन में बोलने का अवसर दिया है। हम महिलाओं के आरक्षण के विरोध में नहीं हैं। हम देश की आधी आबादी के साथ हैं, लेकिन 131वें संविधान संशोधन बिल को लेकर मेरा यह दृढ़ मत है कि यह विधेयक केवल महिलाओं को आरक्षण देने का सरल प्रयास नहीं है, बल्कि वे हमारी संविधान की मूल आत्मा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के साथ एक सोची-समझी साज़िश है।

मैं आपके माध्यम से, इस सदन और देश के सामने इस विधेयक की कुछ गंभीर विसंगतियों को लाना चाहती हूँ।

महिला आरक्षण की आड़ में संवैधानिक मनमानी के रूप में सरकार महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और स्वीकार्य मुद्दे को एक कवर की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसकी आड़ में पूरी चुनावी व्यवस्था और प्रतिनिधित्व के ढांचे को बदलने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई यह है कि सरकार ने महिला आरक्षण को पूरी तरह से परिसीमन के नियंत्रण में कर लिया है। इसका मतलब यह है कि आरक्षण कब लागू होगा, यह किन सीटों पर होगा, यह पूरी तरह से सरकार की इच्छा पर निर्भर है।

जनगणनना और परिसीमन का ऐतिहासिक संबंध तोड़ना- अब तक हमारे लोकतंत्र का यह अटल सिद्धांत रहा है कि हर परिसीमन से पहले ताजा जनगणना होती है ताकि प्रतिनिधित्व सही हो और यह अद्यतन रहे। लेकिन यह विधेयक इस अनिवार्य नियम को खत्म कर रहा है। यह परिसीमन एक नियम-निर्धारित प्रक्रिया में न रहकर सरकार की राजनीतिक सुविधा का साधन बन गया है।

पुराने आंकड़ों पर नया भारत बनाने का भ्रम के बारे में बात करूँ, तो मैं कहना चाहूंगी कि यह सरकार वर्ष 2026 में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सीटें तय करना चाहती है। पिछले 15 सालों में जनसंख्या और सामाजिक स्थितियों में भारी बदलाव आये हैं। वर्ष 2011 के आंकड़ों का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य जनगणना और जातिगत आंकड़ों से बचना है। सरकार नहीं चाहती है कि पिछड़ों और वंचितों की सही आबादी का डेटा सबके सामने आए।

संघीय ढांचे और क्षेत्रीय संतुलन पर प्रहार हो रहा है। बिना ताजा जनगणना और अपने मनमाने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन से राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इससे उन राज्यों में गहरा असंतोष पैदा होगा, जिन्होंने विकास और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। दक्षिण भारतीय राज्यों के अधिकारों को कुचलकर यह सरकार किस तरह सबका साथ सुनिश्चित कर रही है।

शक्तियों का केन्द्रीयकरण और अनिश्चितता होगी। यह विधेयक सत्ताधारी दल को असीमित अधिकार देता है। वह खुद तो यह तय करेगा कि किस जनगणना का आंकड़ा इस्तेमाल होगा और परिसीमन कब होगा। इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया में अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा होगी। इसके साथ ही, लोक सभा में 850 सीट्स करने का प्रस्ताव है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है। यह बढ़ी हुई संख्या हमारी संसदीय लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करेगी? वह बताइए।

राज्य सभा की अवहेलना और संयुक्त बैठक का खतरा है। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है कि लोक सभा सदस्यों की संख्या 850 करने से राज्य सभा के सापेक्ष इसका आकार असंतुलित हो जाएगा। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। उसकी आवाज को पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। परिसीमन की आड़ में राज्य सभा की संवैधानिकता समाप्त हो जाएगी और वह शक्तिहीन हो जाएगी।

सभापति महोदय, यह विधेयक नियम आधारित संवैधानिक व्यवस्था से हटकर सरकार निर्भर व्यवस्था की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। हम महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र की बली देकर या पिछड़े और राज्यों के अधिकारों को छीनकर यह दिखावा स्वीकार नहीं करेंगे।

महोदय, मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करती हूं। मैं सरकार से एक मांग करती हूं। यदि सरकार की मंशा वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की है, तो जो आज की परिस्थितियां हैं, आज लोक सभा और देश भर की विधान सभाओं में जो सीट्स हैं, उन पर ही 33 प्रतिशत आरक्षण देना सुनिश्चित करिए।

सभापति महोदय, मैं सत्ता पक्ष में बैठी महिलाओं और विपक्ष में बैठी महिलाओं के संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगी। महिलाओं के सामने तमाम चुनौतियां आती हैं, जिसके बाद उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। मैं आपका संरक्षण चाहती हूं। क़फ़स एक पिंजड़े को कहते हैं, रूढ़िवादिता को कहते हैं, इन परिस्थितियों को कहते हैं।

"मैं क़फ़स की तीलियों से देख लेती हूं चमन को,

इस कदर पाबंदियां हैं, फिर भी मैं आजाद हूं" ।

*SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI (BALASORE):** Honorable Chairperson, I express my deepest gratitude to you for providing me this golden opportunity to speak during this historic session of the Lok Sabha. This historic bill, the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, was introduced in this Parliament on the 19th and 20th of September 2023 and was passed with near-unanimous consent. Even without a two-thirds majority of the NDA government in the House at that moment, this bill was accepted through the 131st Constitutional Amendment Bill with the support of almost all members. After a long journey of struggle spanning many years, this bill has finally been realized. Regarding this, the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, expressed his gratitude to the Lok Sabha, stating that this is a golden moment in India's parliamentary journey. The credit for this golden moment belongs to every member of Parliament, every political party, and every leader.

Through this significant decision, a new energy has been infused into the maternal power (Matru-shakti) of the nation. With its passage in the Rajya Sabha, the self-confidence of our women will soar, reaching new heights of progress and honor. I firmly believe that this will emerge as an unimaginable force for the country.

The Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla, described the 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' as a transformative constitutional reform. This was the first bill passed in the new Parliament building, ensuring one-third (33

---

* English translation of the speech originally delivered in Sanskrit.

per cent) reservation for women in both Parliament and State Legislative Assemblies.

On January 26, 1950, Babasaheb Bhimrao Ambedkar said, We are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality, but in social and economic life we will have inequality. To bridge this gap, the current government, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and Home Minister Shri Amit Shah, has performed this historic task.

Reservation for whom? Is woman weak? A woman is never weak; she is the direct manifestation of Supreme Power (Mahashakti).

The Taittiriya Upanishad commands us:

"मातृदेवो भव। पितृदेवो भव।

आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव॥"

"Let your Mother be a God to you. Let your Father be a God to you. Let your Teacher be a God to you. Let your Guest be a God to you."

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अभी बहुत से स्पीकर्स बोलने के लिए बचे हैं। इसलिए आप कृपया अपनी स्पीच समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

[*]**SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI:** In our Vedic tradition, the woman is accepted as the embodiment of Power. The power of Brahma is Goddess Gayatri; the power of Vishnu is Goddess Lakshmi; the power of Shiva is Goddess Durga; and the power of Indra is Indrani. However, due to centuries of subjugation and atrocities, she had forgotten her inherent strength.

[*] English translation of the speech originally delivered in Sanskrit.

Therefore, the awakening of that inner strength is essential. This bill is a vital step in that direction.

Just as a chariot cannot move on a single wheel, the overall upliftment of society is impossible by neglecting 50 per cent of the population. Our Vedic tradition teaches us "Matru Devo Bhava" (Treat your mother as a Goddess). The Manusmriti states:

"उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्रं तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते ॥"

A teacher is ten times more venerable than a sub-teacher; a father a hundred times more venerable than a teacher; but a mother is a thousand times more venerable than a father.

Even Shri Ramachandra said:

अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते ।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥"

O Lakshmana, even this city of gold, Lanka, does not appeal to me.

The mother and the motherland are greater even than heaven.

In our tradition, the three most powerful portfolios of a kingdom - Education, Defense, and Finance, are held by the feminine power **(**Saraswati, Durga, and Lakshmi**)**. It is said: "Yatra naryastu pujyante ramante tatra devata" **(**Where women are honored, the gods rejoice**)**.

From ancient times to the present, women like Gargi, Maitreyi, Ahalyabai, Lakshmibai, Akkadevi, Kittur Chennamma, and Sarojini Naidu have shown extraordinary capability, surpassing men in various fields. Today,

women occupy positions as Chief Ministers, MPs, Judges, and Directors General of Police. Therefore, this bill is the fulfillment of those aspirations.

Just as nations like America granted these rights many years after their independence, this historic decision in India will enhance the dignity of our Nari Shakti forever.

Thank you.

KUMARI PRIYANKA SATISH JARKIHOLI (CHIKKODI): Sir, I stand before you today to voice a profound concern regarding the proposed Delimitation Bill, 2026. While the periodic redrawing of electoral boundaries is a constitutional mandate intended to ensure “one person, one vote,” we must ask ourselves at what cost to the unity and federal fabric of our great nation this specific exercise comes.

Sir, I would like to suggest you a few points. First one is the penalty for the progress. The primary argument against the current framework of delimitation is that it inadvertently penalizes States that have successfully implemented national goals. For decades, several States, particularly, in the South have stabilized their population growth through rigorous family planning, education, and healthcare reforms. If we base the seat allocation strictly on the previous Census, these States stand to lose significant parliamentary representation. In essence, we would be telling these States that their reward for socio-economic progress is a diminished voice in the highest temple of democracy.

The next point is about the threat to federal equilibrium. Our Union is a

delicate balance of diverse linguistic and cultural identities. The strength of Indian federalism lies in the fact that no single region can dominate the national narrative.

As far as the political marginalization is concerned, a shift in the number of seats toward high-population States could lead to a permanent political imbalance. This would also lead to policy bias-ness. The Central Government might naturally prioritize the needs and sentiments of regions with higher seat counts, leaving the "performing" States, which will make them feel like mere spectators in their own country.

Another point is about the economic contribution *versus* political power. There is an undeniable economic dimension to this debate. The States that are likely to lose relative representation are often the same ones that contribute a disproportionate share to the national GDP and the Central tax pool. To reduce their political legislative power while continuing to rely on their economic output creates a sense of taxation without proportionate representation. This is a recipe for a regional friction that our internal security and national harmony cannot afford.

So, there is a need for a new formula. We are not arguing against the Constitution but we are arguing for its spirit.

The 84th Amendment Act of 2001 froze the seat based on the 1971 Census precisely to avoid this conflict. Before we move forward with the new Bill, we must redefine representation, explore models where seat increase do not result in the loss of relative strength for performing States, strengthen the

Rajya Sabha seats considering the power of the Upper House to act as a more robust safeguard for State interests and build consensus. A change of this magnitude requires a great compromise, not a simple legislative push.

Regarding the women's Bill, I would like to take a moment of the history back to the 13th century. With great pride, I would like to say that Basavanna ji made a Parliament called Anubhava Mantapa in the 13th century where women were included and given voice. It takes immense pride that today this Bill has come into effect but only women Bill needs to be implemented right now, not later.

I would like to conclude by saying that democracy is not just a number game. It is system of equity. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

KUMARI PRIYANKA SATISH JARKIHOLI: Sir, I am winding up.

If we pass the Bill without addressing the deep seated fear of regional marginalisation, we risk transforming Union of States into majoritarian rule of regions. So, let us not rush into exercise that will alienate millions of citizens who have done exactly what the nation asked of them: empower the women, educate the children and stabilise their population. I urge this House to defer the Bill until a formula is found that honours both population equity and federal fairness.

Thank you, Sir.

***SHRI APPALANAIDU KALISETTI (VIZIANAGARAM):** Thank you chairman sir today I extend my support to 131st constitutional amendment Bill. I believe that this decision will change the composition of this House and democratic journey of our country. If this bill is passed today, we will be able to see 270 women members in this House. We will be able to listen to more voices and more opinions which will enable us to take decisions to ensure equality. What we are doing today is not a thought which occurred to us overnight. There is a history to this thought process and the late Shri NT Rama Rao is one important proponent of this thought. Even before gender equality was discussed in this country NT Rama Rao many steps to empower women. In 1986, women in Andhra Pradesh were given right to property which was the first of its kind in our country. A decision was taken to give equal property rights to the daughters as well. Properties were registered in the name of women to provide financial empowerment. Women were provided with 30 per cent reservation in government jobs, which was later on 12 increased to 33 per cent. Exclusive women University, Padmavati University was established to provide opportunities for women in higher education. Special courts were established to deal with crimes against women to provide speedy justice. What our country is doing today for empowering women, our leader NT Rama Rao did many years ago. Our present Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu is also providing opportunities for women in all sectors, as their progress will ensure the progress of our country. Our chief minister is working to promote the self

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

respect and dignity of women. Our chief minister is making special efforts to give recognition to women at National and international levels. Our chief minister Shri Nara Chandrababu Naidu can be credited for giving the first woman speaker to unified Andhra Pradesh's legislative assembly. Women industries are being encourage in Andhra Pradesh Chief Minister and I believe that this moment reservation bill is in line with the spirit of women empowerment. I conclude my speech by extending my support to this bill. Thank you.

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया (साबरकांठा) : माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस पावन सदन में अत्यंत गौरव और भावनाओं के साथ खड़ी हुई हूँ। यह क्षण केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। आज हम इतिहास को पढ़ नहीं रहे, बल्कि उसे इस महान सदन में लिख रहे हैं।

महोदय, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, उनकी दूरदर्शी सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी व समस्त एनडीए परिवार का हृदय से अभिनंदन करती है, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि नया भारत तभी सशक्त होगा, जब उसकी नारी सशक्त होगी।

महोदय, आज हम संविधान के 131वें संशोधन,जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा गया है, पर चर्चा कर रहे हैं। यह केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं को निर्णय-निर्माण की मुख्यधारा में लाने का ऐतिहासिक संकल्प है।

महोदय, मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि एक साधारण शिक्षिका से इस देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच लोक सभा तक आने का मुझे अवसर मिला। यह केवल मेरी यात्रा नहीं, बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है, जो आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की बेटियों पर जताया है।

महोदय, आज हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नारी केवल पूजनीय ही नहीं, बल्कि निर्णय

लेने वाली, नेतृत्व करने वाली और राष्ट्र निर्माण की अग्रदूत भी बनेगी। यही इस 131वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2026 की आत्मा है- सम्मान से आगे बढ़कर अधिकार और अधिकार से आगे बढ़कर नेतृत्व।

महोदय, यह अधिनियम नारी शक्ति के लिए लोक सभा और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है, जिससे आने वाले समय में महिलाओं को नीति-निर्माण में सीधी भागीदारी मिल सकेगी व भारत की महिला राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेगी। आज लोक सभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 15 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक औसत 24 प्रतिशत है। कई राज्यों की विधान सभाओं में यह पांच प्रतिशत से भी कम है। ऐसे में यह कानून केवल एक सुधार नहीं, बल्कि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का यह संकल्प आज का नहीं है। जब वह गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे,तभी से उन्होंने महिला सशक्तिकरण को विकास की धुरी बनाया।

महोदय, तब उन्होंने मिशन मंगलम योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया, सखी मंडल पहल के माध्यम से गाँव-गाँव में महिला नेतृत्व विकसित किया, कन्या केलवणी अभियान चलाकर बेटियों को शिक्षा से जोड़ा।

महोदय, मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि उस समय के मुख्यमंत्री यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी स्वयं गाँव-गाँव, घर-घर जाकर बेटियों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने का आग्रह करते थे। क्या कभी किसी अन्य नेता ने इतनी संवेदनशीलता और समर्पण दिखाया है? चिरंजीवी योजना के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य की रक्षा की, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सशक्त अभियान चलाया। यही दृष्टि आज राष्ट्रीय योजनाओं में दिखती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधान मंत्री जन धन योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, मातृत्व लाभ एवं पोषण अभियान- ये योजनाएं आज उसी संकल्प का सर्वोच्च रूप हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि-

“अब आँधियों से कह दो, अपनी औकात में रहें,
यह नारी की उड़ान है, अब आसमान में रहें।
जो घर की चौखट तक सीमित थी कभी,
आज वही देश की दिशा तय करेगी।’’

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से पूछना चाहती हूं कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद आपने यह ऐतिहासिक निर्णय लेने का साहस क्यों नहीं दिखाया? महिलाओं के नाम पर वायदे हुए, घोषणाएं हुईं, लेकिन निर्णय नहीं हुआ, लेकिन आज राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको सत्यता में धरातल पर लागू होते देखने जा रहा है।

सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहती हूं कि

"जो कर न सके वर्षों में, वो कर दिखाया आज,
ये नया भारत है साहब, बदल चुका है अंदाज़।”

मैं स्पष्ट कहना चाहती हैं यदि आज भी इस अवसर का विरोध किया गया, तो देश की महिलाएँ इसे कभी नहीं भूलेंगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे महापुरुषों ने भी सदैव नारी शक्ति के महत्व को स्वीकार किया है। सरोजनी नायडू जी ने कहा था - “जब महिलाएँ आगे बढ़ती हैं, राष्ट्र आगे बढ़ता है।"

सावित्रीबाई फुले जी ने कहा - "शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो।"

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा- "राष्ट्र की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है।"

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जी ने कहा - “महिलाओं का सशक्तिकरण ही राष्ट्र निर्माण की कुंजी है।"

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के सभी साथियों, विशेषकर विपक्ष की महिला सांसदों से निवेदन करती हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन

करें ताकि यह क्षण देश कि करोड़ों बहनों व आगामी पीढ़ी के लिए भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन जाए। “नारी शक्ति तेरा वंदन है, वंदन है, अभिनंदन है, नारी का मान बढ़ेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा।"

आज हम संकल्प लेते हैं हर बेटी को अवसर मिलेगा, हर महिला को अधिकार मिलेगा, और हर सपना साकार होगा। "नारी शक्ति ही राष्ट शक्ति है।"

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. For the past several hours, we have been discussing about the Bills related to women’s reservation, delimitation, and the extension of seats. First of all, we are confused. The Ruling Party wants to convey to this country that the Opposition is against the Women’s Reservation Bill. That is not correct. The Opposition fully supports the Women’s Reservation Bill. All of us passed the Women’s Reservation Bill in 2023. However, time and again, I have seen speakers from the other side whose only intention appears to be to blame the Opposition, score brownie points, and divert the attention of the people.

Yesterday, I heard a speaker raise an irrelevant issue, relating to the bifurcation of Telangana. Why is that matter being brought up now, when it was settled years ago in this esteemed House? Yesterday, he compared it with the partition of India and Pakistan, calling it worse than what the British did. He was referring to a Bill passed in this very House. What kind of respect are we showing to this House by making such remarks?

Eight Members of Parliament have been elected from Telangana, yet none of them raised their voice on this issue. Whenever the organisation or

formation of Telangana is discussed, it is our responsibility – whether we belong to the ruling side or the Opposition – to respond appropriately. Why is everyone silent? Why did one of the Ministers defend such remarks by saying that nothing wrong was said? I would like to submit that any Bill, which has to passed, must be discussed appropriately.

Our Chief Minister, Shri Revanth Reddy ji, has proposed a hybrid model. He gave his suggestions. Taking suggestions and discussing them here is important. If 50 per cent allocation is to be done on a pro-rata basis, why limit it to that alone? It can be structured more fairly by allocating 50 per cent of additional seats based on population and 50 per cent based on the GSDP. This is not about benefiting Telangana alone; it is a constructive suggestion for the House to consider. Instead of looking at the issue from only one perspective, why not consider alternative approach? What is wrong with that?

Yesterday, a Member from Karnataka unnecessarily spoke at length, perhaps to score some brownie points from his leadership. That is his choice. However, it is not appropriate to blame leaders just because he wanted to score brownie points. He was talking about Revanth Reddy ji's hybrid model and also about the formation of Telangana.

Through you, Sir, I request that the remarks made about Telangana be expunged from the records, and that the Member apologise to the people of Telangana. That is not the right thing he has done. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. I have already given you enough time. There are so many other Members from your Party who are yet

to speak.

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY: Sir, please allow me to complete. I am very thankful to you that you have given me time to speak. I know, there was not time allocated to me, but it is your greatness that you have given me an opportunity to speak.

Sir, I need to tell the facts here. I will not go into the details of the Bill, as it has already been discussed extensively by many speakers. I only request the Government to not confuse the people of this country. Please try to implement the provisions of the Bill which was passed in 2023. We are okay with everything. However, we do not support delimitation or the extension of seats, which is their political agenda. Thank you very much.

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : सभापति महोदय, आपने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद । 131वां संविधान संशोधन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि नारी शक्ति वंदन विधेयक सितम्बर, 2023 में दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पास किया ।

माननीय सभापति : यदि सीटें बढ़ रही हैं, तो क्या आपको दिक्कत है?

श्री नीरज मौर्य : जी मान्यवर, हमें दिक्कत है । जिस तरह से वर्ष 2023 में बिल पास किया और आज फिर संशोधन लेकर आ गए, इस पर तो मुझे भोजपुरी का एक गाना याद आ रहा है कि - 'छिन-छिन बदले तोहार मिजाज रजऊ ।'

मान्यवर, यदि यह संशोधन लाना ही था, तो ओबीसी को भी शामिल कर लेते । कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने सदन में कहा कि देश की जनता ने उनको दायित्व दिया है कि हम सबको साथ लेकर चलें । उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ी जाति के चाहे यादव हों, पटेल हों, शाक्य हों, मौर्य हों, अगर इनमें से कुछ लोग कथावाचक बन गए, तो उनको अपमानित किया जा रहा है । क्या वे इस समाज के नहीं हैं? क्या यह उनका दायित्व नहीं है?

मान्यवर, हम सब लोग देश की मातृशक्ति को संसद में देखना चाहते हैं। महिलाओं की 33 परसेंट नहीं, बल्कि आधी आबादी है। उनको 50 परसेंट आरक्षण दीजिए। हम इसके विरोध में नहीं हैं। महिला आरक्षण का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन परिसीमन की बात, जनगणना की बात अगर स्पष्ट नहीं है, तो फिर जनसंख्या के आधार पर सांसदों की संख्या बढ़ेगी। क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? आज जहां जाइए, जाम लगा है। शहरों का संसाधन कम हो रहा है।

मान्यवर, आप सांसदों की संख्या बढ़ाने के बारे में कह रहे थे। यदि सांसदों की संख्या डेढ़ गुना तक बढ़ती है, तो संसद में गंभीर विचार विमर्श हेतु यह जो मंच बना है, यहां तो सांसदों का मेला लग जाएगा। वैसे भी हर सांसद को अपनी बात रखने का मौका जितना समय चाहिए, उससे कम ही मिलता है। जब भीड़ बढ़ेगी, तब तो नंबर आना बड़ा कठिन हो जाएगा। इससे सरकारी खर्च भी बढ़ेगा। हमारे संसाधन यदि विकास कार्यों में लगाए जाएं, तो देश के गरीब, किसान, युवा और बुनियादी ढांचे को कहीं अधिक लाभ मिल सकता है। सांसद और विधायक बढ़ने से मात्र विकास सुनिश्चित नहीं होता।

मान्यवर, यदि सीटों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य है, तो इसे सीमित दायरे में बढ़ाया जाए। इसे 10 परसेंट या 20 परसेंट बढ़ाया जाए। सदन को मेला न बनाया जाए।

माननीय सभापति : इससे कोरम की कमी नहीं होगी।

श्री नीरज मौर्य : महोदय, जिस प्रकार इस विधेयक को पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया, ठीक उसी प्रकार जैसे आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, जिसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं, के लिए सरकारी नौकरियों में 10 परसेंट आरक्षण को रातों-रात लागू किया गया था। उसका समर्थन ओबीसी, एससी-एसटी सभी वर्गों के सांसदों ने किया था।

मान्यवर, पिछले दिनों एक बहुत गंभीर मुद्दा आया, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह यूजीसी का मुद्दा है। यूजीसी से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को लागू किया जाए, क्योंकि शिक्षा की दिशा में यह बहुत बदलाव करने वाला है तथा शिक्षा को और अच्छा करने वाला है, लेकिन दुर्भाग्य

से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

माननीय सभापति : आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री नीरज मौर्य : महोदय, प्रश्न यह है कि जब सरकार के पास 131वें संशोधन के लिए विशेष सत्र बुलाने का समय और इच्छा शक्ति है, तो फिर शिक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई? इससे सरकार की मंशा प्रकट होती है। इस भेदभावपूर्ण रवैये से सरकार की प्राथमिकता और नीयत का पता चलता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस गंभीरता और तत्परता से यह विधेयक और संशोधन लाया गया है, ठीक उसी प्रकार से यूजीसी से संबंधित विधेयक को भी विशेष सत्र बुलाकर पारित किया जाए।

मान्यवर, इससे हमारे ओबीसी, एससी-अति पिछड़ी जातियों का संरक्षण होगा। मैं सरकार के समक्ष कुछ स्पष्ट सवाल और सुझाव रखना चाहता हूं। क्या सरकार इस आरक्षण के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा तय करेगी? क्या सरकार जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करके कोई ठोस रोडमैप प्रस्तुत करेगी? क्या सरकार ओबीसी, एससी-एसटी महिलाओं के लिए उप-आरक्षण की व्यवस्था करेगी? मैं आपके माध्यम से फिर कहूंगा कि जातिगत जनगणना सहित जब पूरी जनगणना हो जाएगी, तब परिसीमन कराकर इसे लाया जाए। धन्यवाद।

<u>17.00 hrs</u>

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : धन्यवाद सभापति जी। आज का यह दिन स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। मैं यहां संवधिान के तीनों विधेयकों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। ये विधेयक प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नूतन भारत के संकल्प की सिद्धि हैं। ये विधेयक इस सरकार की उस अटूट इच्छा-शक्ति का परिणाम है, जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है।

महोदय, यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। जैसे कि विपक्ष कहते हैं कि चुनाव बा, अब यूपी में चुनाव आई। बंगाल में चुनाव चलत है। य कउनौ चुनाव का मुद्दा नाही बा, ई लोग विरोधी हैं, महिला के आरक्षण का। यह चुनाव का मुद्दा नहीं है।

माननीय सभापति : तो का बात है, बता दें।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन : वाह, बहुत बढ़िया, ई है हमनी का संस्कार। यह भाजपा का संस्कार है। यह मोदी जी के संस्कार का मुद्दा है। ये वही लेकर आए हैं। ये लोग भुला गए, क्योंकि मैं उस दर्द को जानता हूं। विपक्ष के सर्वेसर्वा अभी अपने राजशाही बैकयार्ड की कहानी बोल रहे थे। मैं अपनी गरीबी की कहानी सुनाता हूं। मेरे गांव, मेरे घर में चूल्हा नहीं था। मेरे गांव, मेरे घर में शौचालय नहीं था। मैंने अपने घर की माता-बहनों को अपने गांव की, अपने भोजपुरिया समाज की, बिहार, यूपी और देश के जितने भी गांवों में गरीबी रही, जहां शौचालय नहीं थे, उनके दर्द को देखा है। वह महिला शाम के अंधेरे का इंतजार करती थी कि अंधेरे में शौच के लिए जाएंगे। उस अंधेरे के दर्द को मैंने अपने घर में भी महसूस किया, अपनी दादी की आंखों को भी तकलीफ में देखा। मैंने अपनी दादी को चूल्हा फूंकते हुए देखा।

महोदय, प्रधान मंत्री मोदी जी आए, फिर महिलाओं के उस दर्द का निस्तारण हुआ, निवारण हुआ। 60-65 सालों में विरोधी दलों ने महिलाओं के इस सबसे बड़े दर्द को कभी सोचा नहीं था, जबकि ये इतने बड़े भारत देश को चला रहे थे। आधी आबादी के बारे में जिन लोगों ने नहीं सोचा, वह नेता, विपक्ष अपनी बैकयार्ड की कहानी, अपनी राजशाही कहानी सुनाकर, अपने अंधेरे का डर सुनाकर चले गए, बजाय विधेयक पर बोलने के। विधेयक पर यह बोलना था कि वह महिला, वह शक्ति, जो आज फाइटर जेट उड़ा रही है, जो आज सेना में रहकर सेना का नेतृत्व कर रही हैं। वह महिला आज ग्राम पंचायत में है, आज पढ़ाई में आगे है। स्पोर्ट्स में पैरा ओलंपिक में, क्रिकेट में महिला वर्ल्ड कप जीतकर आ गईं, भारत की उन महिलाओं के आरक्षण की बात को आखिर क्यों ये दरवाजे रोकें? 140 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ महिलाएं हैं।

हमारा जिला गोरखपुर, जहां का मैं सांसद हूँ, वहां की आबादी 50 लाख से ज्यादा है। परिसीमन होगा, तब उन्हें मौका मिलेगा। हमसे गांव की सभी बिटिया, बहनें ऐसा कहती हैं। सिद्धार्थ नगर आपका क्षेत्र है, वह बहुत बड़ा है। देवरिया, कुशीनगर बहुत बड़ा क्षेत्र है। सब बहन, बिटिया कहती हैं। ग्राम पंचायत में सदस्य हैं, महिला मोर्चा में सदस्य हैं। सब कहती हैं कि भईया,

अब हमें भी मौका मिलना चाहिए। भईया, अब हम लोग भी आएंगे। वे कहती हैं कि हम सदन में महिलाओं की आवाज उठाएंगे। अब उन पर अपराध होगा तो दरवाजा नहीं ठोकेंगे।

माननीय सभापति : आपका भी प्रचार तो आपकी पत्नी ही करती हैं।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन : हॉं, हमारा प्रचार वही करती हैं। मुझे लाखों वोट मिलता है। मेरा एक-डेढ़ लाख वोट मेरी धर्मपत्नी लेकर आती है। मैं उनके पैर छूता हूँ।

माननीय सभापति : यह और लोगों के लिए भी संदेश है।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन : मेरी तीन बेटियां हैं। मेरी एक बिटिया स्नाइपर आर्म्ड फोर्स की तैयारी कर रही है।

माननीय सभापति : आप पत्नी के पैर छूते हैं।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन : हम पत्नी के पैर छूते हैं। विरोधी लोगों को बहुत कष्ट होता है। पत्नी के पैर क्यों नहीं छूने चाहिए, वही लक्ष्मी है, वही देवी है। हमारे दुख में, जब मेरे पास पैसा नहीं था, जब मैं सिनेमा में स्ट्रगल करता था, उस गरीबी में मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया। मैं क्यों नहीं उसका पैर छुऊँगा? वह अपने पैर छूने नहीं देती है। जब वह गहरी नींद में रहती है तब हम उनके पैर छूते हैं।... (व्यवधान) पैर छूना चाहिए। विरोधियों को भी छूना चाहिए, जो महिला के विरोधी हैं। तब रवि किशन बनेंगे, तब विश्व आपको जानेगा।

माननीय सभापति : अब आपका काम बन गया है। दूर-दूर तक महिलाओं के बीच में आपका संदेश चला गया है कि ऐसा कोई पत्नीव्रता है।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन : महोदय, आप क्या कह रहे हैं?

माननीय सभापति : मैं कह रहा हूँ कि आप पत्नीव्रता हैं।

... (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन : नहीं-नहीं, यह गीत सुनने का समय नहीं है, यह महिलाओं के दर्द को सुनने का समय है। यहां लोग अपने गार्डन की कहानी सुनाकर चले गए। यहां प्रधानमंत्री जी का अपमान करते गए। ऐसे प्रधानमंत्री का अपमान किया, जिनको देश की जनता ने वोट

दिया। आप उनका अपमान करते हो, यह दुखद है। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाओं को संसद और विधान सभाओं में आना चाहिए। परिसीमन होना चाहिए। नहीं तो यह महिला, जो आज मोदी जी को वोट करने जाती है, कभी भी इस भारत की महिला विपक्षियों को वोट नहीं करेगी। मैं ऐसा दावे के साथ कहता हूँ। अगर यह विधेयक पारित नहीं हुआ तो एक भी महिला का वोट विरोधियों को नहीं मिलेगा। यह मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। हर-हर महादेव। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। परिसीमन भी होना चाहिए। आपकी जय हो।

मेरी एक बात सुन लीजिए।

माननीय सभापति : आपका धन्यवाद। आपकी बात हो गई है। अब आप समाप्त कीजिए। आपकी बहुत सारी बातें हो गई हैं। आपका धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन : परिसीमन होना चाहिए। महोदय, धन्यवाद।

***DR. BACHHAV SHOBHA DINESH (DHULE):** Honorable Chairperson, I rise in this House to speak on the 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' (Women's Reservation) Bill. This is not merely a legislative proposal; rather, it represents a historic milestone aimed at making India's democracy more just, more inclusive, and more representative. If we look back at history, we are reminded of a time—just a century ago—when women did not even possess the right to vote. During our freedom struggle, the Indian National Congress demonstrated its unwavering faith in women's leadership by electing Sarojini Naidu as the President of the All India Congress Committee; that very decision laid the foundation for participatory democracy in India.

Hon. Chairperson, women such as Sarojini Naidu, Aruna Asaf Ali,

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

Kasturba Gandhi, Indira Gandhi, and Sonia Gandhi played pivotal roles in our freedom struggle. However, even today, women's representation in Parliament remains limited. According to recent statistics, women's representation stood at 11.4 per cent in 2014, 14.4 per cent in 2019, and approximately 13.6 per cent in 2024. This situation clearly indicates that the representation of half the population remains inadequate.

Hon. Chairperson, on the international stage, many nations have made remarkable strides in enhancing women's political participation. In Rwanda, for instance, women's representation stands at 60 per cent, while in countries like Sweden, Norway, and Finland, it exceeds 40 per cent. In India, too, we have witnessed positive outcomes in this regard. In 1947, Rajiv Gandhi introduced a 33 per cent reservation for women in local self-governing bodies—encompassing the entire Panchayati Raj system—thereby providing numerous women, ranging from *Sarpanchs* (village heads) to members of Municipal Councils, Municipal Corporations, and District Councils, with the opportunity to hold office and represent their communities. Furthermore, several states have now implemented a reservation quota of up to 50 per cent for women; consequently, women have performed exemplary work in the fields of education, healthcare, water management, sanitation, and social justice.

Honorable Chairperson, I represent the district of Dhule—a region where women engage in farming, nurture their families, and have, in fact, built the very fabric of society; yet, their participation in the decision-making process remains limited. Today, I stand here in this House to articulate the voice of

each and every one of these women. This Bill contains a provision to grant 33 per cent reservation to women in the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies. However, the implementation of this Bill has been inextricably linked to the Census and the Delimitation process. Consequently, there arises a distinct possibility that its implementation may be indefinitely postponed.

Furthermore, it is imperative to draw attention to certain critical aspects within this Bill. In particular, the concept of a separate reservation quota for OBC (Other Backward Classes) women must be given serious consideration. Similarly, the interests of ST (Scheduled Tribes) and NT (Nomadic Tribes) communities must also be taken into account, ensuring that this legislation becomes truly inclusive in every sense of the word.

In the context of this Bill, maintaining a balance of representation across the various states of the nation is of equal importance. Concerns are being raised that the Delimitation process could potentially lead to a reduction in representation for certain states—particularly those in Southern India. It is essential to acknowledge the strides these states have made in the realms of population control and development, and to ensure that they receive equitable representation.

Women's reservation is not merely a question of representation; it is, fundamentally, a question regarding the quality of India's democracy. If we aspire to build a truly inclusive democracy, it is absolutely imperative to empower women immediately and effectively. We must all accept the undeniable reality that a 'complete India' cannot stand tall while the voice of

'half of India' remains suppressed. The dignity of women is not merely a legal matter; it is a matter deeply rooted in our cultural values, in the upbringing of our children, and in the very soul of our nation. This Bill, I fear, is a classic case of misdirection—a deceptive maneuver where "the gaze is fixed elsewhere, while the target lies elsewhere entirely." Under the guise—the mere mask—of a Women's Reservation Bill, an insidious attempt is being made to introduce a Delimitation process that effectively undermines the rights of Southern states, OBC communities, and rural regions. As a woman, I firmly oppose this Bill, which serves political self-interest by using us merely as a tool to advance its agenda.

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश : मैं दो पंक्ति बोलकर अपनी बात समाप्त करती हूँ।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है।

जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है।।

महोदय, धन्यवाद।

***SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR):** Jai Telangana. Thank you, Chairperson Sir, for providing me this opportunity to take part in this discussion on Nari Shakti Adhiniyam 2026 bill. Fulfilling the woman's dreams of decades in 2023 September Nari Shakti Vandan Adhiniyam bill was passed in parliament and through this a promise that was given to women by our Hon'ble Narendra Modi was fulfilled. I am thanking him on behalf of all the women.

..... English translation of this part of speech was originally delivered in Telugu.

For decades, women in politics were having lesser representation. Through this, the voice of women will get stronger in the legislatures. Also, in the decision making there will be balance. For the society development, a new path will be formed. With the intention of implementing this Women reservation bill by 2029, this session is being conducted by coordinating with all the people, for implementing the reservation for women in the upcoming elections. I wholeheartedly welcome this decision sir.

As a member of this house I feel fortunate to participate in this historical women reservation bill. Making me a part of this event which will be written with golden letters in the Indian History, I am wholeheartedly thanking my people of Palamur Constituency. This bill will provide a new direction for the empowerment of women in this country. With the increase of the women participation, the governance in this country will move forward with greater equality. Today, the women who were just confined to the kitchen are proving their strength in all the sectors, let it be on ground or sky. The role of women is very important and necessary in the legislatures.*

महोदय, प्रियंका जी ने कल यह बोला था that Motilal Nehru ji was the first to speak about equal rights for women in politics in 1928. But even here, Priyanka ji has once again put her ‘family first’. Three years before 1928, that is in, 1925, Mahatma Gandhi ji had already declared that as long as women of India do not take part in public life, there will be no salvation for the country. It is no surprise that the historic ‘Salt Satyagraha’ saw participation from nearly 70,000 women. Do not worry, Priyanka ji, whenever you think of keeping

'family first', we will remind you to keep 'India first'.

*People who didn't speak for Telangana that day, today they are talking more about it. It is very unfortunate that people who didn't participate in the Telangana Movement, are speaking today in this house sir. Single Vote, two states motion was adopted in Kakinada by BJP. In Parliament, when the bill was introduced, BJP party has extended its support sir.

Dr. B.R Ambedkar, Mahatma Jyothiba Phule, Dr. APJ Abdul Kalam advocated the equal rights for women and their upliftment in the society. The necessity to provide the equal opportunities to the women was clearly presented by them. Today, in the direction of moving forward to implement the women reservation, their thoughts are serving as inspiration for the women. Through this reservation bill, the dream of women is coming true. In politics, providing a better position for women will lead to their improved participation in the nation's building.*

माननीय सभापति : श्रीमती डी के अरुणा जी, अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती डी. के. अरुणा : सर, बस दो मिनट का समय दीजिए।

माननीय सभापति : नहीं, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

***SHRIMATI D. K. ARUNA :** When the women reservation bill was passed in this parliament, some people have mocked that this bill will come into effect from 2034, and it is for pure political purpose only. But today, to implement this bill from 2029 itself, our Hon'ble Prime Minister Narendra Modi ji has come forward. This shows his commitment towards the women empowerment. We

..... English translation of this part of speech was originally delivered in Telugu.

all should recognise that In the journey of Viksit Bharat women's key role is important and to keep the women in the front of nation's building, this bill has been brought. This is just not a promise; it is an act to build the future of nation with a firm commitment. I am requesting this house not to oppose this bill with a view that If this bill get assented, Hon'ble Prime Minister Modi and NDA will get the credit. On Delimitation, Nari Shakti Adhinayam, seats will increase. If you oppose it, people will oppose you, kindly don't get into that situation. Women have to face many hardships to enter national politics. This reservation bill will help them to come into politics with self respect.*

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (बांदा) : माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया।... (व्यवधान)

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहती हूँ।... (व्यवधान) सबसे पहले, मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर मिलना चाहिए, यह हमारी पार्टी और पूरे विपक्ष की भी प्रतिबद्धता है।... (व्यवधान) सिर्फ घोषणा कर देना और धरातल पर लागू करने को वर्षों तक टाल देना, यह महिलाओं के साथ न्याय नहीं है। सरकार ने 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की बात तो की है, लेकिन इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़कर लागू करने की शर्त लगा दी है। इसका अर्थ यह है कि आज की महिलाओं को अधिकार देने के बजाय उन्हें भविष्य की अनिश्चितता के भरोसे छोड़ दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, देश की महिलाएं आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों से जूझ रही हैं। अगर सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण के प्रति गंभीर है, तो उसे इस कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने की स्पष्ट समय-सीमा बतानी चाहिए। मैं

सरकार से यह भी पूछना चाहती हूँ कि क्या कारण है कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक को लागू करने के लिए अब तक कोई ठोस रोडमैप और तारीख सामने नहीं रखी गई? महिलाओं का सम्मान केवल भाषणों से नहीं, बल्कि ठोस निर्णय और समयबद्ध कार्यवाही से सुनिश्चित होता है।

महोदय, मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि महिला आरक्षण को केवल एक राजनीतिक घोषणा न बनाकर, इसे जल्द से जल्द लागू करने का स्पष्ट और पारदर्शी रास्ता प्रस्तुत करें, ताकि देश की आधी आबादी को उनका अधिकार वास्तव में मिल सके।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : रिप्लाई 6 बजे है और अभी बहुत-से स्पीकर्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप दो-दो मिनट में अपनी बात कहें।

… (व्यवधान)

***SHRIMATI GENIBEN NAGAJI THAKOR (BANASKANTHA):** Thank you, Hon'ble Chairperson Sir, I rise to present my views on the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026. Hon'ble Speaker Sir, today I am not standing here as a Member of Parliament, but to raise the voice of crores of OBC women of the country.

Hon'ble Chairperson Sir, I express my gratitude to the Congress government and to Shri Rajiv Gandhi, who, by providing 33 per cent reservation for women in Panchayati Raj, gave an opportunity to women like me from poor and backward communities to contest elections and participate in public life from the Panchayat level to Parliament, and to serve the people.

Hon'ble Chairperson Sir, some of my fellow women Members of Parliament, that is, the women MPs of the Bharatiya Janata Party, were saying

* English translation of the speech originally delivered in Gujarati.

that Congress women MPs should support this bill. Through you, I would like to inform to the OBC women MPs in the current government that it was the Congress government that ensured reservation for SC, ST, and OBC women in Panchayati Raj. Because of this, about 78 women MPs are there in this House today, including those from SC, ST, and OBC communities. Because of this step, women have been able to rise from local governance to Parliament.

Therefore, through you, I request the government, and particularly the Bharatiya Janata Party, that when in 2023 the bill for reservation for women in Lok Sabha and Vidhan Sabha was passed unanimously, why was this bill not implemented in 2024? After that, many sessions were convened, but even in those sessions, no discussion was held on this bill. Hon'ble Speaker Sir, through you, I urge the government: if you truly intend to provide reservation and rights to women, why was this bill not implemented in 2024?

Hon'ble Chairperson Sir, as an OBC woman, I express my gratitude to Rahul Gandhi for raising the demand for a nationwide caste census for SC, ST, and OBC communities and instructed that a caste census be carried out wherever the Congress government is in power in the states. I thank the Congress government of Telangana, which conducted the caste census and gave rights to the 49 per cent OBC population in the state. This work was done by the Congress government led by Shri Revanth Reddy.

Hon'ble Chairperson Sir, through you, I want to tell the government that in the country, OBCs constitute 50 per cent of the population. Despite 50 per cent OBC population, OBC communities do not get a proper budget in the

states, and OBC women have not even been mentioned in this 33 per cent reservation bill. Therefore, Hon'ble Speaker Sir, through you, I request the government that before bringing this bill, a population census should be conducted in the states, delimitation should be finalized, and only after that, reservation should be provided in proportion to their population.

Finally, as a Gujarati woman and as an OBC woman, I request the Hon'ble Prime Minister that you have repeatedly said in many public meetings that "I am an OBC Prime Minister" and you give the identity of being an OBC Prime Minister. In that case, I urge you to include the OBC women of this country in this 33 per cent reservation bill.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि जब किसी पार्टी का कोई स्पीकर बोल रहा है तो उस स्पीकर और चेयर के बीच से जिस तरह से लोग क्रॉस कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। आप सदन की मर्यादा को समझते हैं। इसलिए, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर कोई स्पीकर बोल रहा है तो आप उनके सामने से क्रॉस करके न जाए। यह मर्यादा के खिलाफ है।

*__SHRI DILIP SAIKIA (DARRANG-UDALGURI):__ Thank you Hon'ble Chairman sir, I am here to speak on a historic, transforming, and a very important bill Nari Shakti Vandan Adhiniyom Amendmenet Bill 2026, which is to strengthen our women, for their social justice, social empowerment, social security and to politically enrich them through their mass participation in the political field of the country. I stand here to support this bill.

Pujo aha Aimatreej charana kamal, uthak baji Jayodhani parrama

---

..... English translation of this part of speech was originally delivered in Assamese.

mangal.*

हमारे देश की महिला शक्ति की मंगल कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश में नारी शक्ति के वंदन के लिए, नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए और नारी शक्ति के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ इस विधेयक को यहां प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी को तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

*Sir, we all know that half of our population is women. Since the first election after independence, in 1952, women got the right to vote. One person, one vote, equal status. This policy has strengthened our democracy. But, unfortunately, till today, our women, have not been able to take the right stand in the political field. Today, therefore, Prime Minister Narndra Modi ji is introducing this bill, and through this bill, 33 percent seats have been reserved in the Loksabha and in the state legislative assemblies. As a BJP worker, today I feel proud because in 1994, Bhartiya Janata Party for the first time took the significant decision of engaging 33 percent women worker in our party organisation. Today the opposition parties are asking why there is so much hurry in bringing this bill. I want to ask them, when Emergency was imposed on 24th June 1975, why they were in a hurry then? In the middle of the night, without cabinet meeting, without cabinet approval, destroying democracy, silencing media, if the opposition parties can declare emergency, they can ask themselves is it not their double standard? Sir, today we are in a hurry for the honour and dignity of our mothers and sisters and to give them important share in the political domain of the country and we will be in a hurry so that not only

..... English translation of this part of speech was originally delivered in Assamese.

33 percent but with more than that they can be a part of the process of our country's growth.

Sir, I represent Assam, north-east. In north-east, Nari shakti vandan, empowerment of women is not a new thing, it is continuing since old days. You can go to Meghalya, you can go to Manipur, you can go to Mizoram, you can go to Tripura, everywhere there is Nari Shakti Vandan, their pariticipation is ensured.*

माननीय सभापति : श्रीमती शताब्दी राय।

श्री दिलीप शइकीया : सभापति महोदय, कृपया मुझे आधा मिनट और बोलने दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude in one line.

***SHRI DILIP SAIKIA:** As a representative of Assam, as a BJP worker, I am asking Rahul Gandhi, Leader of Opposition, that Congress will have to pay a heavy price for insulting our Prime Minister.

Thanks a lot, Jay Bharat Mata, Jay Nari Shakti.*

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी (बीरभूम) : थैंक्यू सर। सर, जो वूमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली सरकार देश को बताना चाहती है कि अपोजिशन वूमेन्स के अगेंस्ट में है, जबकि यह सच नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी रिजर्वेशन बिल पर वर्ष 2003 में साइन कर दिए थे। हम सब लोगों ने उसे एक्सैप्ट कर लिया था। इसके लिए हिन्दी का एक गाना याद आ रहा है-'चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है?' चोली के पीछे मीन्स इस रिजर्वेशन बिल के पीछे डिलिमिटेशन की क्या बात है, क्यों इसे जोड़ दिया गया है? …** इस बिल के अंदर औरत के पीछे क्यों छुपना पड़ रहा है? यह नहीं होना चाहिए था। आप बताइए कि अभी तक सरकार ने कौन से

..... English translation of this part of speech was originally delivered in Assamese.

** Not recorded as ordered by the Chair.

एथिकली काम किए हैं? डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो-जो काम करने हैं, वह सरकार ने किए हैं और अभी तक कर रहे हैं। आप 543 एमपीज़ हैं और उसमें से वन थर्ड यानी 181 महिलाएं हैं। इतनी ही हिम्मत है, तो यहां पर जितने पुरुष एमपीज़ बैठे हुए हैं, आप उनसे बोलिए कि उसे छोड़ दें। आप यदि 181 लड़कियों को लाएं, तो सैक्रिफाइस समझ आएगा। यह सैक्रिफाइस नहीं है। यह औरत को सामने रख कर ...* कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने का फार्मूला कर रहे हैं।

मेरी सदन और देश से यह रिक्वेस्ट है कि नारी शक्ति की बात मत कीजिए। नारी को देवी बनाना, दुर्गा बनाना, काली बनाना मत कीजिए। नारी को इंसान समझिए। इंसानियत दिखाइए, इतना ही काफी है। इतना ऊपर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यही है, तो आपके पुरुष एमपीज़ का क्या मतलब है? आप 543 का हक रख रहे हैं, फिर भी नारी की बात कर रहे हैं। आप फिर भी बोल रहे हैं कि वूमन एम्पावरमेंट कर रहे हैं। यह क्या है? आप एम्पावर करने के लिए कौन होते हैं? आपके आधे एमपीज़ पर ...* हैं, आधे एमपीज़ पर ...* हैं। फिर आपके मुंह से नारी शक्ति की बात शोभा नहीं देती है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी यह बात गलत है। यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर आपको किसी पर आरोप लगाना है तो पहले से लिख कर दें।

... (व्यवधान)

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी : ठीक है सर, जो-जो नाम हैं, वह लिस्ट से बता दीजिए। आप मुझे बताइए कि वर्ष 2047 में क्या विकास होगा? आप उसकी बात अभी कर रहे हैं। वर्ष 2047 तक यहां पर आधे लोग जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन वर्ष 2011 में जो सेंसस हुआ, उसका काम अभी तक चल रहा है, तो वर्ष 2047 तक अगली जिंदगी कैसे देखेंगे? आप लोगों का एक भी काम सही नहीं है।

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude, Satabdi *ji.*

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी : आप लोगों की एक भी बात सच नहीं है। आप पॉपुलेशन के हिसाब

---

* Not recorded.

से करें। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी से एक और लड़की एमपी आए। उसके साथ काम करेंगे। यह सच है। ममता बनर्जी एक हैं, जो सीएम हैं और अपने बलबूते पर सीएम बनीं। कोई दिल्ली के जैसे सीएम नहीं बने। वहां 37 परसेंट रिजर्वेशन है। ऑलरेडी कोई लॉ की जरूरत नहीं हुई, कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं हुई और बिल की कोई जरूरत नहीं हुई। फिर भी हम लोग यहां पर ममता बनर्जी की वजह से हैं, क्योंकि वह बात नहीं करतीं, ड्रामा नहीं करतीं, सिर्फ करके दिखाती हैं। जो बीजेपी वाले करके नहीं दिखाते।

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी : यह सिर्फ इलेक्शन जीतने का तरीका है, लेकिन फिर भी इस टाइम में सब कुछ छोड़कर वॉर इतना इम्पोर्टेंट इश्यू था, तब भी आपने यह सेशन नहीं बुलाया।

HON. CHAIRPERSON: Your time is now over. Kindly conclude.

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी : यह सेशन अभी इसलिए किया गया है, क्योंकि हमें, डीएमके और असम के सदस्यों को यहां आना पड़ेगा और इलेक्शन में डिस्टर्ब होगा। मैं यहां यह बोल कर जाती हूँ कि बीजेपी फिर भी वेस्ट बंगाल में हारेगी।

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे (रामटेक) : धन्यवाद सभापति महोदय, मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यहां नारी शक्ति बिल पर कल से चर्चा शुरु हुई है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि सत्ता पक्ष के हमारे सांसद चाहे वह महिला हों या पुरुष हों, इस तरीके से महिला के हित में बात कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि सारे महिला हितैषी एकतरफ बैठे हुए हैं और इस तरफ सारे विरोध में बैठे हुए हैं। ... (व्यवधान) किंतु उन्हें इतिहास पता नहीं है कि मनुस्मृति में महिलाओं को क्या दर्जा दिया गया है? मनुस्मृति को मानने वाले कौन लोग हैं, यह सबसे पहले पता कीजिए? इन्हें इतिहास पता नहीं है। कोई कलाकार खड़ा हो जाता है और कुछ भी बताता है। कोई और खड़ा हो जाता है और कोई कुछ भी बताता है, लेकिन इसका इतिहास क्या है? इस देश में नारियों को सम्मान देने का काम किसने किया है? यह मनुस्मृति में है कि महिलाओं को क्या सम्मान दिया गया है? आप एक बार मनुस्मृति पढ़कर देखिए। आप संविधान

बाद में पढ़ना पहले मनुस्मृति पढ़िए।

इस संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है, वह हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने और देश के पहले पंत प्रधान जवाहर लाल नेहरू जी ने वर्ष 1952 में महिलाओं को पुरुषों के साथ में वोट का अधिकार दिया, जबकि विश्व में महिलाओं को बहुत बाद में वोट का अधिकार मिला है। आप इतिहास पढ़िए मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब देश के पंत प्रधान मोदी जी यहां बोल रहे थे कि आज 27 लाख महिलाएं हमारे नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में हैं। अगर 27 लाख महिलाएं पद पर हैं, तो वह किसकी वजह से हैं? वह नाम भूल गए थे, वह राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने यह अधिकार महिलाओं को दिया। इन्होंने यह अधिकार नहीं दिया। यह सत्ता पक्ष ने नहीं दिया। उस समय राजीव गांधी जी ने वह अधिकार हमारी महिलाओं को दिया। आज ये लोग बातें बहुत अच्छी करते है, लेकिन जब महिला सम्मान की बात आती है तो ये लोग इतने पीछे क्यों दिखते हैं। ये …* का साथ देते हैं। इनके विधायक और सांसद …* का साथ देते हैं, उनका सत्कार करते हैं। यह कैसा न्याय है? … (व्यवधान) जी, बिल्कुल मुझे पता था इनको तीखा लगेगा, बुरा लगेगा, जो सच है, वह बता रहा हूँ। … (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं पूछना चाहूंगा इस सदन में कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति किस पार्टी ने दी? … (व्यवधान)

कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) : सर, यह संसद हमारे लिए बहुत बड़ा मंदिर है। ऐसा बोलना कि संसद के सदस्य बलात्कारियों को सपोर्ट करते हैं, सभी सांसदों का, मेरा ही नहीं, सभी सांसदों का अपमान कर रहे हैं, इसको डिलीट करना चाहिए, यह बहुत ही गलत है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा।

… (व्यवधान)

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे : सर, अगर मैंने गलत बोला होगा तो रिकॉर्ड से निकाल देना, कोई

* Not recorded as ordered by the Chair.

दिक्कत नहीं है। इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति किस पार्टी ने दी? देश की पहली महिला पंत प्रधान किस पार्टी ने दिया? पहली लोक सभा महिला स्पीकर किस पार्टी ने दी? पहली महिला मुख्य मंत्री इस देश में किसने बनाई? इन सभी का एक ही जवाब है – कांग्रेस ने यह सब इस देश को दिया और ये लोग महिलाओं की बात करते हैं?

सभापति महोदय, मैं खुद का उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि आज मैं सांसद के नाते से यहां पर बोल रहा हूँ, इस जगह पर एक महिला बोल रही होती। ... (व्यवधान) मेरी धर्मपत्नी, जिसके साथ अन्याय करने का काम वहां की राज्य सरकार ने किया, जो कि बीजेपी की थी। वर्ष2024 में कांग्रेस पार्टी ने रश्मि बर्वे को लोक सभा की टिकट दी थी। मेरे पास एविडेंस है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए, राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी हार गई। एक महिला को रोक कर ...* करने वाली सरकार यह है। ... (व्यवधान)

सर, मैं एक मिनट में कनक्लूड कर रहा हूँ। और जो भी बातें बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हमारे पंत प्रधान मोदी जी ने कल कुछ वायदे किए। एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। आपने वायदे किए – उनको याद दिलाना चाहता हूँ – 15 लाख रुपये, दो करोड़ नौकरी, काला धन वापस। ... (व्यवधान)

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया (भावनगर) : सभापति महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर मैं अपनी बात बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। आज मैं नारी शक्ति के इस निर्णय का समर्थन करने खड़ी हुई हूं।

आज इस सदन में, इस विधेयक पर चर्चा करते हुए देश की सारी महिलाओं को अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। यह केवल एक विधेयक नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीय महिलाओं के संघर्ष की विजय है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज नारी शक्ति के लिए एक नए युग का उदय हुआ है। यह निर्णय इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

रहते हुए ही नारी सशक्तिकरण की इस यात्रा की शुरुआत कर दी थी। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं के लिए कई क्रांतिकारी निर्णय लिए थे, जिनका प्रभाव आज हम पूरे देश में देख रहे हैं। चाहे बेटियों की पढ़ाई के लिए, 'कन्या केलवणी' और 'शाला प्रवेशोत्सव' हो या संकट के समय मदद के लिए 'अभयम-181' हेल्पलाइन। मोदी जी ने गुजरात में महिलाओं को हर स्तर पर सुरक्षा और शिक्षा का कवच दिया।

उनका समर्पण ऐसा था कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी भेंट और सौगातें मिलती थीं,वे उनकी नीलामी करते थे और उससे मिलने वाला सारा पैसा 'कन्या केलवणी निधि' में जमा कराते थे, ताकि बेटियों की उच्च शिक्षा में कोई रुकावट न आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली है नारी शक्ति के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज मोदी सरकार ने बेटियों को खुले आसमान में उड़ने के लिए पंख दिए हैं। आज खेल के मैदान से लेकर स्टार्टअप्स की दुनिया तक, सरकार हर बेटी के पीछे ढाल बनकर खड़ी है। रक्षा क्षेत्र में तो हमने इतिहास रच दिया है। आज सैनिक स्कूलों के द्वार बेटियों के लिए खुल चुके हैं। सेना में महिलाओं को ‘स्थायी कमीशन’ दिया जा रहा है और भारत की बेटियां फाइटर पायलट बनकर आसमान की ऊंचाइयों में देश की सुरक्षा कर रही हैं। यह “नया भारत” है, जहाँ ग्रामीण, शहरी, आदिवासी और दलित, हर वर्ग की महिला देश के निर्माण में अपना गर्व से योगदान दे रही है।

सभापति महोदय, इस कानून की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका ‘सामाजिक न्याय’ है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है, जिससे समाज के सबसे पिछड़े वर्ग की महिलाओं की आवाज भी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में गूंजेगी। महिलाओं में निर्णय लेने की अद्भुत संवेदनशीलता होती है। जब वे नीति निर्धारण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएंगी, तो हमारे लोकतंत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा और जनता का संसद के प्रति विश्वास और भी मजबूत होगा। मैं स्वयं इस विजन का एक जीता-जागता उदाहरण हूँ। मैं एक अत्यंत साधारण परिवार से आती हूँ, जिसका राजनीति से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था। मेरी राजनीतिक यात्रा भावनगर में एक पार्षद के रूप में शुरू हुई थी। आज

अगर मुझ जैसी एक सामान्य कार्यकर्ता केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रही हैं, तो यह प्रधान मंत्री मोदी जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है।

उन्होंने केवल सशक्तिकरण की बातें नहीं कीं, बल्कि उसे वास्तविकता में बदलने के लिए क्रांतिकारी निर्णय लिए। संसद ने 2023 में, 'नारीशक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया था। यह अधिनियम लागू करने का सही समय है। करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का यह सही समय है। मैं विपक्ष के सभी साथियों से विनम्र अपील करती हूँ कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करें और देश की मातृशक्ति के सशक्तिकरण के संकल्प को साकार करें। यह आरक्षण विधेयक, हमारी माताओं-बहनों को राजनीतिक भागीदारी का अटूट भरोसा देगा। मैं इस ऐतिहासिक कदम का पूर्ण समर्थन करती हूँ। मैं मेरे देश की माताओं-बहनों को बहुत- बहुत बधाई देती हूँ। मैं पूरे देश की महिलाओं की ओर से प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि इस अधिकार का सही उपयोग करेंगे, देश के विकास में भागीनार बनेंगे और एक मजबूत, सशक्त और समान भारत का निर्माण करेंगे।

श्री अजेन्द्र सिंह लोधी (हमीरपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको और अपनी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करता हूँ। हमारा देश वह देश है, जहाँ नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। जैसा कि हमारी परंपरा में देवियों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह वह देश है, जहाँ कृष्ण जी से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है, राम जी से पहले सीता जी का नाम लिया जाता है, लेकिन यह केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान है, जमीनी सच्चाई इससे अलग है। सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण महिलाओं को राजनीति में वह उचित स्थान नहीं मिल पाया, जिसकी वे हकदार हैं। इसलिए यह विधेयक देश और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, इस विचार को सबसे पहले सन् 1987 में माननीय राजीव गांधी जी ने सामने रखा था। उस समय से लेकर आज तक लगभग 37 साल का लंबा समय बीत चुका है। यह

अपने आप में बताता है कि महिलाओं को उनका अधिकार देने में कितनी देरी की गई। हम सबको उम्मीद थी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह विधेयक लेकर आएगी, तो वह महिलाओं को वास्तविक और तत्काल आरक्षण देगी।

महोदय, जब हमने इस विधेयक को गहराई से पढ़ा, तो हमें महसूस हुआ कि यह विधेयक महिलाओं को सशक्त करने के बजाय, उन्हें भ्रमित करने का काम कर रही है। यह बिल महिलाओं को तुरंत आरक्षण नहीं देता है, बल्कि इसे जनगणना और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं से जोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को आरक्षण का अधिकार अभी नहीं, बल्कि अनिश्चित भविष्य में मिलेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए हमें और इंतजार करना चाहिए? क्या यह न्याय है कि 37 वर्ष तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें अभी नहीं बाद में अधिकार दिया जाए।

महोदय, इस बिल में रोटेशन का प्रावधान जिस तरीके से रखा गया है, वह भी कई सवाल खड़े करता है। वर्ष 2008 के पहले जो विधेयक आए थे, उनमें रोटेशन का प्रावधान स्पष्ट रूप से परिभाषित था। वह सही था या गलत, वह अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन कम-से-कम स्पष्टता थी। लेकिन, इस बार कहा गया है कि डिलिमिटेशन के बाद हर बार रोटेशन होगी।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल हॉल में कहा था कि कोई 'इफ' और 'बट' नहीं होना चाहिए। सीधा काम होना चाहिए, लेकिन जो बिल लाया गया, उसमें जनगणना और डिलिमिटेशन जैसे कई 'इफ' एंड 'बट' जोड़ दिए गए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर क्यों है?

अब मैं नारी सम्मान के मुद्दे पर आना चाहता हूं। महोदय, सवाल यह है कि सरकार ने जमीन पर क्या किया है, जिससे महिलाओं का सम्मान वास्तव में बढ़ा हो? कुछ समय पहले हरियाणा में हमारी महिला पहलवान सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रही थीं। पूरा देश उनके साथ खड़ा था। लेकिन, क्या प्रधानमंत्री जी के पास उनके लिए एक शब्द भी नहीं था? क्या कारण है

कि ...* पूर्व सांसद को बचाया गया? क्या यही नारी सम्मान है। देश में किसी भी हिस्से को देख लीजिए - हाथरस, मणिपुर, हरियाणा, यह सूची खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर है। नारी सम्मान का जो नारा दिया जाता है, वह केवल पैकेजिंग बन कर रह गया है और जब उस पैकेज को खोला जाता है, तो अंदर से पुरानी सच्चाई निकलती है। इसका मतलब है कि यह वन टाइम अपॉर्चुनिस्ट बन कर रह गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री अजेन्द्र सिंह लोधी जी, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

****SHRIMATI PRATIBHA SURESH DHANORKAR (CHANDRAPUR):** Honorable Chairperson, I Stand before you today to speak on the 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' (Women's Reservation Bill). Respected Rajiv-ji had introduced this bill back in 1987, and it is only now—nearly 37 years later—that this legislation is finally being debated. In truth, all of us public representatives from Maharashtra—irrespective of our political affiliations, including members of the Congress party and the Maha Vikas Aghadi—have consistently strived to deliver genuine justice to women. In this regard, you may recall that in 1994, while serving as the Chief Minister of Maharashtra, the Honorable Sharadchandra Pawar-saheb enacted a law granting 33 percent reservation for women in the Legislative Assembly and in local self-governing bodies.

Subsequently, in 2011, when the Honorable Prithviraj Chavan became the Chief Minister of Maharashtra, he extended the benefit of 50 percent reservation to all our mothers and sisters. Furthermore, —and this is a point to note regarding the present bill—while we are certainly not opposed to this

---

* Not recorded.

** English translation of the speech originally delivered in Marathi.

significant legislation, nor are we against women's empowerment, we are, in fact, fighting a battle for women's rights. Yet, in waging this battle, we do not perceive a need for reservation ourselves.

As you have observed, even in the absence of a reservation, women have served with distinction in this country; for instance, Indira Gandhi served as the Prime Minister, and Pratibha Patil served as the President. It is precisely because of this capability that we—including colleagues like Varsha Gaikwad—have been elected as Members of Parliament and Members of the Legislative Assembly; we secured our seats by contesting from the general category constituencies. Thus, we have never felt the need for reservation. You may have noticed that in constituencies reserved for women, men are barred from contesting; however, today, the effective reservation for women is not merely 50 percent, but arguably 100 percent—for we have successfully secured seats as MPs even by contesting against men in general constituencies. My question today is this: Does this bill truly empower women, or is it merely a theatrical facade of women's reservation? While claiming to grant 33 percent reservation, you are attempting to pass this legislation by inextricably linking it with two other processes: the Census and Delimitation. When, exactly, do you intend to conduct the census in this country? Furthermore, when will the delimitation exercise take place? As you may have observed, we are currently passing this Bill based on the census conducted in 2011. The resolution passed in 2023—along with the Bill introduced last night and the subsequent notification—stipulates that the existing reservation

framework will remain unchanged, while adjustments will be made to the electoral constituencies.

Honorable Chairperson, it appears that this census is being undertaken in a manner that sidelines the OBC community; moreover, this Bill makes no provision whatsoever for OC women. The OC community constitutes the largest demographic segment of this nation; yet, the BJP is conspiring to deny women from this community their rightful representation. This movement stands in direct opposition to the principles of social justice and progressive thought. We must also seriously consider whether reservation should, in fact, be limited to a period of 15 years. None of the elected representatives present in this House today owe their victory solely to reservation; rather, they have been elected on the strength of their own capabilities and self-reliance.

Therefore, we do not seek reservation; if you truly wish to empower us, provide us instead with protection—protection against the atrocities currently being inflicted upon women. Atrocities against women are occurring on a daily basis, with new cases of violence surfacing constantly; you must first demonstrate what concrete measures you intend to implement to ensure our safety. You must have observed that in this country, many elected representatives secure their seats by invoking the name of 'women' as a constituency. My humble submission is this: the people of this nation have embraced the leadership of the Honorable Rahul Ji and the Honorable Priyanka Ji; it is this very leadership that you fear as you look ahead to the 2029 elections. Thank you.

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर) : महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, दो दिन से सुन रहा हूं और विपक्ष वाले महिला रिजर्वेशन बिल बता रहे हैं, जबकि महिला रिजर्वेशन बिल तो चर्चा में ही नहीं है। चर्चा में दो विषय हैं- सीट बढ़ाने और डिलिमिटेशन करना। महिला रिजर्वेशन का अधिनियम बन चुका है और उसको लागू करने के लिए सीटें बढ़ानी हैं। अगर सीट बढ़ानी है तो डिलिमिटेशन करना होगा, जिसके लिए कमीशन बनाना होगा। कमीशन गठन करने और सीट बढ़ाने के लिए यहां चर्चा हो रही है। लोगों को महिला रिजर्वेशन के नाम पर गुमराह कर रहे हैं और ओबीसी के लिए उसमें रिजर्वेशन के लिए कह रहे हैं, अन्य के लिए रिजर्वेशन के लिए कह रहे हैं, जिसकी चर्चा वर्ष 2023 के विधेयक में हो चुकी है और महिला रिजर्वेशन एक्ट बन चुका है। विपक्ष ने इस पर बहुत समय बर्बाद किया है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। विपक्ष के परिवारवाद वाले इसमें राजनीति कर रहे हैं। उनकी मां और बहनें तो सीट जीतकर आ रही हैं, लेकिन वे अन्य को लड़ने का मौका नहीं दे रहे हैं।

महोदय, मैं बहुत पिछड़े एरिया से आता हूं और मैं अपने परिवार से पहला व्यक्ति हूं। जो राजनीति में आया है। मेरा एरिया बहुत पिछड़ा है और वहां के लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वहां के लोगों को मौका दिए जाने की जरूरत है। लेकिन जो लोग पुरखों से राजनीति कर रहे हैं, वे अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने के लिए और अपनी राजनीति चलाने के लिए अन्य को मौका न मिले, पिछड़ों को मौका न मिले, इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। रिजर्वेशन की बात करके कांग्रेस क्रेडिट लेना चाह रही है। मैं ओडिशा से आता हूं और ओडिशा में एसटी 22.5 परसेंट हैं और एससी 16.25 परसेंट हैं। हायर एजुकेशन, मेडिकल और इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए कांग्रेस सहित ओडिशा में जितनी पार्टियों ने बीते 77 साल में शासन किया है, उन्होंने एससी के लिए 12 परसेंट और एसटी के लिए 8 परसेंट ही हायर एजुकेशन और मेडिकल-इंजीनियरिंग में रिजर्वेशन रखा था। ओडिशा में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद, मोहन माझी जी की सरकार आने के बाद से एसटी के लिए मेडिकल- इंजीनियरिंग और हायर एजुकेशन में 22.5 परसेंट और एससी के

लिए 16.25 परसेंट किया है। ओबीसी के लिए हम बार-बार मांग कर रहे थे कि इनको नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाए, अभी तक इन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद 11.25 रिजर्वेशन दिया गया है।

महोदय, बाकी क्लैरीफिकेशन गृह मंत्री जी देंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : माननीय सभासदों, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही इन तीनों विधेयकों पर सभा के निर्णय तक बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

माननीय सभापति: श्रीमती बाग मिताली जी।

आपके पास दो मिनट का समय है।

<u>18.00 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

***SHRIMATI BAG MITALI (ARAMBAG):** Namaskar, Sir. Thank you for allowing me to speak. Today in this House, many things have been discussed since morning regarding women's power and empowerment. We are ashamed and astonished by the fact that in BJP-ruled states, women are being tortured, yet here they are saying great things about women's empowerment. We will not forget what happened in Hathras and Manipur. Therefore, talking about women's empowerment does not suit them.

I am proud because my CM is Mamata Banerjee. Eleven women MPs have been sent to this Parliament by her. Out of those 11 MPs, three belong to the SC category. I, too, belong to the SC women category. This has become possible only because of Mamata Banerjee. On the other hand, the BJP is hostile towards different races and tribes. The BJP is inherently misogynistic.

---

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

A few minutes ago, one of our colleagues spoke about Goddess Lakshmi, Goddess Durga, Goddess Saraswati, and Maa Kali. They chant 'Jai Shri Ram' everywhere but have completely forgotten Maa Sita. This is the greatest shame in this Parliament House. The talk of women's power does not suit them. One more thing I would add here: 'No matter how many attacks you make, Bengal will win again.' Smt. Mamata Banerjee will win again and continue to work for the women of Bengal.

Thank you very much for giving me the opportunity to speak.

***KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI):** Hon. Speaker Sir, through you I would like to remind this august House some of the Acts that were passed in the past. Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, The Sexual Harassment of Women at Work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013, The Dowry Prohibition Act, The Maternity Benefit Act, The National Commission for Women Act 1990, Abolition of Sati Act, Devadasis (Prevention of Dedication) Act are some of the Acts legislated to protect the rights of our women. You came to power in the year 2014. Out of the Acts listed by me, can you state one Act that was brought during the tenure of the Government led by Shri Narendra Modi since 2014 for the protection of women? If you can say so, I am ready to make a walkout from this House. Similarly, in the year 2010, when the Women's Reservation Bill was brought in this House by *Annai* Sonia Gandhi those who are now sitting on the other side of us blocked the passage of that Bill. You were adamant at that time to deny the rights for women.

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

Today you have brought a Bill to provide reservation for women in Lok Sabha and State Legislatures. Why are you bringing this now? Because elections are taking place in five States of our country. You are definitely going to lose the elections in all these five States. In all these States there is a fight between NOTA and BJP. In that fight NOTA will definitely win. Sir, just give me a minute. Southern States would be severely affected by this amendment. All the southern States together will get only 63 to 65 seats. But Northern States will get 200 more seats. We strongly condemn this. Our constant demand is that every State should get equal representation. You cannot differentiate one State from the other. Particularly Tamil Nadu went for population control. Instead of rewarding you are punishing us for such an act of controlling population. This is totally unacceptable and wrong. Constitution of India is for all the people of our country. This Bill does not talk about the internal reservation to be provided to SC, ST, Adivasi and OBC women. You are trying to amend this Bill with the Census taken in 2011, almost fifteen years ago, and trying to amend the Article 82 of the Constitution. This is violation of the Constitution. Violating the provisions of the Constitution is a routine affair for you.

Hon. Dr. B.R. Ambedkar framed this Constitution of India with noble thoughts and with the good intention that this House should run smoothly. People should get justice. Indian Constitution should be protected. You have been continuously attempting to demolish the Constitution. We condemn you and your actions. Similarly, our *Bharat Ratna* Rajiv Gandhi should be

remembered now. All the women of our country should remember him now. Hon. Rajiv Gandhi was instrumental in providing 33 per cent reservation for women in all the local bodies and as a result of that 15 lakh women are serving as representatives in the panchayats of our country. This was the dream of Shri Rajiv Gandhi. Congress party has been continuously making efforts to take his legacy forward.

Sir, just give me a minute. Congress Governments in the past have passed several legislations in several spheres aimed at providing political empowerment to women ensuring their participation in nation building. They gave opportunities for women to serve in Local Bodies. Therefore, we welcome this women's reservation. But we strongly oppose your deceitful action betraying some States in the name of delimitation. Every State should get their representation that is due for them. I wish to say that this should be everybody's Government and everyone's Constitution. Smt. Indira Gandhi was the woman Prime Minister of this country. Smt. Pratibha Patil was the first woman President of this country. Even Smt. Meira Kumar was the first woman Speaker of our Lok Sabha. Justice Fathima Beevi was the first woman Judge of the hon. Supreme Court. Congress Party had given due recognition to women of our country by keeping them in different top positions in different fields. We are ready to accept this Women's Reservation Bill. We are ready to support this Bill. But you should give up delimitation through which you are working against certain States of the country, particularly the southern States. If you are not mending your ways, you will definitely be wiped out from this

country. With this I conclude.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : सदन के अंदर 56 महिला सदस्यों ने अपनी बात रखी है और मुझे लगता है कि जो भी महिला सदस्य बोलना चाहती थी, उन सभी को अवसर दिया गया है।

कल रात में भी 1 बजकर 25 मिनट तक सभी को बोलने का अवसर दिया गया है। सबके मत आए हैं, सबके दृष्टिकोण आए हैं, सबके विचार आए हैं, सबके सुझाव आए हैं, क्योंकि जब महत्वपूर्ण विधेयक होता है, संविधान संशोधन महत्वपूर्ण विधेयक होता है, तो सभी को मत और विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया है, लेकिन कोई कहता है कि अवसर नहीं दिया, तो इसलिए नहीं दिया कि महिला विधेयक से इधर-उधर बोलने का अवसर नहीं दिया। अब पुरुषों को बोलने का मौका नहीं है, कोई महिला होगी, तो बोलने का मौका दिया जाएगा।

अब मंत्रियों को भी बोलने का मौका नहीं है, अब गृह मंत्री जी बोलेंगे।

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस विषय पर सरकार की ओर से मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका दिया। इसके साथ-साथ मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस सदन के अभिभावक हैं, आपकी ही निश्रा में सदन की कार्यवाही, सदन के नियम और संविधान के हिसाब से चलती है। इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पर आपने करीब-करीब 130 सदस्यों को बोलने का मौका दिया है। जैसे अभी आपने बताया कि इसमें से 56 सदस्य महिलाएं हैं, यह एक प्रकार से शायद बहुत बड़ा रिकार्ड बनेगा, ऐसा मुझे लगता है।

माननीय अध्यक्ष : संविधान संशोधन 33 पर्सेंट का है, लेकिन 75 पर्सेंट को मौका दिया है।

श्री अमित शाह : मान्यवर, अगर इस चर्चा को कोई बारीकी से शब्दों में ही सुनेगा, तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है, तो इसका किसी ने विरोध नहीं किया। सबने बोलने के लिए तो बोला है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं और जो संविधान संशोधन आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। मगर उसको बारीकी से देखें तो इंडी एलायंस के सभी सदस्यों ने

… (व्यवधान) अगर, मगर, किन्तु, परन्तु का उपयोग करके स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है।… (व्यवधान)

मान्यवर, कई जगह पर ऐसा दिखाई पड़ा कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर है। मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह जो विरोध है, वह इंप्लीमेंटेशन का नहीं है, यह विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध है।… (व्यवधान)

मान्यवर, मैं इस बात को बोलता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस सदन को इस बात से मैं कंविंस करूं कि यह तरीकों का विरोध नहीं है, बिल के तत्वों का, महिलाओं के आरक्षण का विरोध है।… (व्यवधान) इन तीन विधेयकों में … (व्यवधान) धैर्य रखो भैया।… (व्यवधान) अखिलेश जी, समझाओ जरा। … (व्यवधान)

मान्यवर, इन तीन बिलों का उद्देश्य मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला उद्देश्य है सरकार का और हमारे नेता नरेन्द्र मोदी जी का, कि महिला सशक्तीकरण करने वाले इस संविधान सुधार को समयबद्ध तरीके से लागू करके वर्ष 2029 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराया जाए। … (व्यवधान) इसका दूसरा उद्देश्य है - एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य, यह सिद्धान्त हमारे लोकतंत्र की नींव में जो हमारी संविधान सभा ने तय किया था, उस सिद्धान्त की स्पिरिट को यहां पर लागू किया है।

मान्यवर, इस पूरे सदन में 543 सदस्य बैठते हैं। किसी की सीट में वोटर्स की संख्या 39 लाख है, किसी की 60 हजार है और ढेर सारी सीट्स ऐसी हैं, जो 70 के दशक में फ्रीज़ हो गईं, तब से लेकर आज तक वे इतनी बड़ी हो गई हैं कि सांसद अपने मतदाता को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को वह कैसे संभाल पाएगा?… (व्यवधान)

मान्यवर, जो मतदाता हैं, उनकी अपेक्षायें होती हैं, उनकी समस्यायें होती हैं और समस्याओं के निराकरण के लिए वह सांसद के पास भी जाना चाहता है और मिलना भी चाहता है। क्या इस सदन में जो विरोध करते हैं, उनमें से कोई मुझे समझा सकता है कि जिस सांसद की

कांस्टीट्युएंसी में 39 लाख वोटर्स हों, वह किस प्रकार से सांसद की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा? इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है। परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी, जिनकी संख्या बढ़ती है, उनकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे एससी और एसटी सीटों की बढ़ोत्तरी का विरोध कर रहे हैं, वे यह ध्यान में रखें।

मान्यवर, संतुलित, समावेशी और व्यावहारिक लोकतात्रिक ढाँचा तैयार करने की जिम्मेदारी संविधान ने जो सरकार अधिकार में होती है, उसे दी है। अभी यह जिम्मेदारी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को दी गई है। उनको पसन्द नहीं है, मगर यह तो देश की जनता निर्णय करती है। वह वंश परंपरागत नहीं होता है। लोग चुनकर भेजते हैं। संघीय संतुलन बनाए रखना, लोक सभा में जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व आना और राज्यों की शक्तियों के बीच में भी संतुलन बनाना, ये परिसीमन के उद्देश्य, संविधान सभा की चर्चा और हमारे संविधान में परिसीमन का जो जिक्र है, उसमें कहे गए हैं। इसके साथ-साथ भूगोल, प्रशासनिक वास्तविकताओं, शहरीकरण, रोड, रास्ते, रेल से बढ़ी हुई कनेक्टिविटी, नए जिले आदि इन सबका संज्ञान परिसीमन में लेना होता है। ये सारी चीजें सांसद को अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं।

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 के अंदर इन सारे सिद्धांतों को समाहित किया गया है। उसी के निर्वहन के लिए नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार यह संवैधानिक सुधार लेकर आई है। वह महिला सशक्तिकरण, समान प्रतिनिधित्व और संतुलित संघीय ढाँचे का निर्माण करने की जिम्मेदारी के निर्वहन से ही आएगा।

मान्यवर, कई सदस्यों ने अनेक प्रकार की आशंकाएँ व्यक्त कीं। उन्होंने यह कहा कि अभी क्यों लाए हैं? मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, उसमें जिक्र है कि वर्ष 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित होगा। अब ये पूछते हैं और कई सदस्यों ने यह पूछा कि बिल लाते वक्त आपने ये वर्ष 2026 के बाद की जनगणना का जिक्र क्यों किया?

मान्यवर, यह हमने नहीं किया है। वर्ष 1971 में इनकी सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी। तब इनको फ्रीज करके गई थी, उस फ्रीज के कारण हमें इसका जिक्र करना पड़ा। वह फ्रीज की हुई सीटों की संख्या उठाते हैं, तभी इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इम्प्लिमेंटेशन होता है। इसलिए हम इसे लेकर आए हैं। वर्ष 1971 से अब तक सीटों की संख्या फ्रीज रही। मैं कुछ सीटों का नाम बोलना चाहता हूँ। मलकाजगिरी, तेलंगाना में मतदाताओं की संख्या 48 लाख, बंगलुरु उत्तर में मतदाताओं की संख्या 29 लाख, बंगुलुरु दक्षिण में मतदाताओं की संख्या 29 लाख, गाजियाबाद, जहाँ से कभी रक्षा मंत्री जी भी सांसद रहे हैं, वहाँ मतदाताओं की संख्या 28 लाख और उत्तर पश्चिम दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 27 लाख है।

मान्यवर, 127 सीटें ऐसी हैं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। अब भला कोई मुझे बताए कि जहाँ 48 लाख वोटर्स हैं, वह सांसद कैसे 48 लाख मतदाताओं की अपेक्षाओं के साथ अपने आप को मैच कर पाएगा? इसकी पूर्ति ... (व्यवधान) अरे, अखिलेश भाई, एक लेवल की बात चल रही है, आप कहाँ केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं? इसका समय आएगा। ... (व्यवधान) मान्यवर इन्हें अपनी बात कहने दीजिए, तो पूरे देश को जरा स्तर मालूम पड़े। ... (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो आंकड़े बता रहे हैं, हम केवल जानना चाहते हैं कि किस सेंसस के आधार पर बता रहे हैं? गाजियाबाद का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, बहुत कम बताया जा रहा है। आज की परिस्थिति में हो सकता है कि यह दुगना हो।

श्री अमित शाह : मैं यही कह रहा हूं कि यह पुराना है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर डिलिमिटेशन करने देंगे तो नया आ जाएगा और एक की जगह दो सीटें बन जाएंगी। इनको यह भी पता नहीं है कि वह अपने स्टैंड के पक्ष में आर्ग्युमेंट्स दे रहे हैं या विपक्ष में दे रहे हैं। ... (व्यवधान)

मान्यवर, 127 सीटें ऐसी हैं जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। अब इसमें 'एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य' सिद्धांत का पूर्णतया उल्लंघन होता है क्योंकि कहीं तो 45 लाख मतदाताओं

के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है और कहीं 6 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है। मत का मूल्य एक होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये लोग डिलिमिटेशन के लिए सहयोग करें, हम पर भरोसा करें और डिलिमिटेशन करने दें तो यह मूल्य एक समान हो जाएगा। … (व्यवधान)

मान्यवर, मैं इसके इतिहास में जाना चाहता हूं। सबसे पहले वर्ष 1972 में तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया और फिर इसे फ्रीज कर दिया। वर्ष 1976 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधान मंत्री थीं, परिसीमन पर कानून लाकर रोक लगाई। … (व्यवधान) साहब, आप देखिए कि ये कितने शक्तिशाली हैं कि विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है।

मान्यवर, वर्ष 2001 में 84वां संशोधन हुआ और वर्ष 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। ये कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में वर्ष 2026 कहां से आया? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी बताता हूं, ये कह रहे हैं कि वाजपेयी जी थे। वाजपेयी जी बड़े विद्वान पुरुष थे। वे इनको जानते थे। इन्होंने प्रयास ही नहीं किया। …* उन्होंने आगे बढ़ा दिया इंदिरा जी का … (व्यवधान) मगर हम तो समझते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे इसलिए हम बिल लेकर आ गए और अब आप गिराना चाहते हैं। वाजपेयी जी इस बात की कल्पना कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी को हम लोगों से ज्यादा वाजपेयी जी जानते थे क्योंकि 19 महीने जेल में रहे थे। … (व्यवधान) वे बहुत अच्छे से पहचानते थे। 84वें संशोधन में वर्ष 2026 तक इसे फ्रीज कर दिया। 50 वर्षों तक वर्ष 1976 से लेकर वर्ष 2026 तक फ्रीज कर दिया। … (व्यवधान) क्या रिकॉर्ड से हटाना है? … (व्यवधान)

---

* Not recorded.

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) :... * शब्द बोला गया है, इसे एक्सपंज कराइए।

माननीय अध्यक्ष: इसे मुझे तय करने दें, आप मत करें। आप बैठिए।

श्री अमित शाह : मैं इनकी इ़ज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, अभी से लेकर अंत तक अगर फ्लो के कारण कोई असंसदीय शब्द निकल जाता है तो आप स्वयं हटा देना, इनको बोलने का मौका मत देना।

मान्यवर, 50 वर्षों तक वर्ष 1976 से लेकर वर्ष 2026 तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वर्ष 2026 में यह सीमा समाप्त होगी। अब वर्ष 2026 में सीमा समाप्त होने के बाद अगर डी-लिमिटेशन करते हैं, तो डी-लिमिटेशन वर्ष 2029 के पहले समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि परिसीमन आयोग का एक नियम है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर पब्लिक हियरिंग देनी होती है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का पब्लिक हियरिंग वर्ष 2026 के मध्य से लेकर वर्ष 2029 तक नहीं हो सकता है और वर्ष 2027 तक जनगणना के आंकड़े नहीं आ सकते हैं। यह स्वाभाविक है, अगर हम वर्ष 2029 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पिरिट के साथ कराना चाहते हैं, कि इस देश के 50 प्रतिशत मतदाताओं को इस महान सदन में 33 प्रतिशत आरक्षण देना चाहते हैं, तो अभी ही यह लाना पड़ेगा। यह जो पूछ रहे थे कि यह अभी क्यों आ रहा है? इसके लिए मैं पूरी बात समझा रहा हूँ। वैसे मैं मानता हूँ कि यह समझे हुए हैं। मगर मान्यवर कहावत है -

"जो सोता है उसको जगा सकते हैं,
जो जागता ही पड़ा हो, उसको कोई उठा नहीं सकता।"

यह सब समझते हैं, मगर एक भ्रान्ति खड़ी करना चाहते हैं। मान्यवर, वर्ष 1976 में इस देश की आबादी 54.79 करोड़ थी। आज इस देश की आबादी 140 करोड़ है। 54.79 करोड़ की आबादी में जितने सांसद थे, उतने ही सांसद 140 करोड़ लोगों की आबादी के बाद रखना है, यह इनका मानना है।

---

* Not recorded.

मान्यवर, आर्गुमेंट क्या दिए गए? कि सबको बोलने को कम मिलेगा, जीरो ऑवर में मौका नहीं मिलेगा। मान्यवर, सरकार का दायित्व है कि सदन के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार सदन के दिनों की संख्या भी बढ़ाए। मान्यवर, आप तो बड़े दयालु हो, रात को 12-12 बजे तक सबको जीरो ऑवर का मौका देते हो।

एक तीसरा तरीका भी है साहब कि अभी जो समय राहुल गांधी जी के अप्रोच के कारण ज़ाया हो जाता है, वह राहुल जी भी बंद कर दें तो अपने आप सबको बोलने का टाइम मिल जाएगा। यह विरोध कर-कर के स्थगन करा-करा के जो समय बेकार कर देते हैं, वे अगर वह भी बंद कर दें तो कुछ सरकार बढ़ाएगी, कुछ राहुल जी बढ़ाएंगे और कुछ आप बढ़ा लोगे तो समय की चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है।

मान्यवर, परिसीमन आयोग, हर मतदाता को अपना प्रतिनिधित्व समान रूप से प्राप्त करने का एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार है ।120 प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद यह कभी नहीं हो सकता कि एक समान हो। मैं तमिलनाडु का ही उदाहरण देना चाहता हूँ।

मान्यवर, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। अगर डीएमके का मानकर हम इसी 543 सीट में आरक्षण करते हैं, तो 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और 26 सीटें ओपन रहेंगी। अगर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर करते हैं, तो तमिलनाडु की छह सीटें कम हो जाएंगी, परन्तु हम यह नहीं कर रहे हैं। हम हर राज्य की 50 प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं जिससे किसी का प्रो-रेटा कम नहीं होगा। अब क्या होगा? 59 सीटों में 20 सीटें बढ़ेंगी। 39 सीटें ओपन रहेंगी और 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : कौन सा क्लॉज़ है? आदरणीय मंत्री जी ने कहा था कि आप रिप्लाई के समय बता देंगे। हम आपसे वही दरख्वास्त कर रहे हैं। दरख्वास्त दे रहे हैं। दरख्वास्त देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अमित शाह : मैं इससे भी अच्छी दरख्वास्त दूंगा, आप चिन्ता न करें।

मान्यवर, कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि जनगणना समय पर क्यों नहीं हुई? यह सबको

मालूम है कि वर्ष 2021 में जनगणना होनी थी और वर्ष 2021 में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई। कोविड का संकट आया। कोविड के संकट के कारण जनगणना कराना संभव नहीं हो पाया। कोविड का संकट समाप्त होने के बाद इससे उबरने में देश को काफी समय लगा। जब वर्ष 2024 में जनगणना की शुरुआत हुई, तब कुछ दलों ने उचित ही मांग की कि जाति के आधार पर जनगणना करनी चाहिए। सरकार ने अनेक दलों के साथ चर्चा की, अनेक जाति-समूहों के साथ चर्चा की, कई सामाजिक ग्रुप्स के साथ चर्चा की और कुछ राज्य सरकारों से भी चर्चा की। वर्ष 2025 में निर्णय किया गया कि हम जाति जनगणना कराएंगे।

मान्यवर, यह निर्णय होने के बाद, अब जो जनगणना हो रही है, उसमें जब व्यक्तियों की गणना होगी तब उसमें जाति का कॉलम आने वाला है और जाति की भी गणना होगी, यह सुनिश्चित है।

मान्यवर, पहले भी कांग्रेस पार्टी के समय में जो जनगणना हुई है, मैंने उसकी प्रश्नोत्तरी की भी स्टडी की है। जब बिल्डिंग की गणना होती है, उस वक्त तो ये जाति जनगणना करते ही नहीं थे, परन्तु उस समय धर्म भी नहीं पूछा जाता था और कुछ नहीं पूछा जाता था। मगर जब व्यक्ति की जनगणना होती है तब ये सारे सवाल हैं कि कितना पढ़े-लिखे हो, कब जन्म हुआ था, धर्म क्या है। उसी तरह से, अब यह भी पूछा जाएगा कि जाति क्या है। इसमें किसी को संशय करने की जरूरत नहीं है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ आपको पहचानकर, कैबिनेट प्रस्ताव में किया कि जनगणना जाति के साथ होगी, यह प्रस्ताव पारित हुआ।

इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।... (व्यवधान) पीयूष भाई, आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? ये जाति जनगणना की डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये हमें उलझाना चाहते हैं। पीयूष भाई बेचारे भोले हैं, वे कहते हैं कि जाति जनगणना की घोषणा कर रहे हैं, आप ताली बजाओ। हम यह कर रहे हैं, तो ये ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि उनको जाति जनगणना से कोई लेना-देना नहीं है, उनको यहां बैठने से लेना-देना है, जो अभी नहीं होने वाला है।... (व्यवधान)

मान्यवर, मैं एक बार फिर से 140 करोड़ जनता के मन में किसी प्रकार की भ्रांति या

कंफ्यूजन न हो, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी की कैबिनेट ने जाति जनगणना का जो निर्णय किया है, वह कैबिनेट के प्रस्ताव में है कि वर्ष 2026 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, यह बिल जब आया है, तब से विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाना शुरू की। सबसे पहले यह भ्रांति फैलाई कि जाति जनगणना को टालने के लिए यह कर रहे हैं। जाति जनगणना को टालने के लिए हम यह संविधान संशोधन बिल लेकर आए हैं।

मान्यवर, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम तीन माह पहले जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल घोषित कर चुके हैं। उसे टालने का सवाल ही नहीं है। जातिवार जनगणना की शुरुआत हो गई है। अभी उसका पहला चरण चल रहा है। फिर कहा गया कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो जाएगा। कल मुझे थोड़ा भय महसूस हुआ कि एक रात के लिए भी उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव दक्षिण भारत के राज्यों में नहीं होना चाहिए।

मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि दक्षिण भारत के राज्यों का इस सदन पर उतना ही अधिकार है, जितना उत्तर भारत के राज्यों का अधिकार है। अरे, दक्षिण भारत छोड़िए, छोटा-सा केन्द्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप का भी उतना ही अधिकार है, जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का अधिकार है। उत्तर-दक्षिण के नैरेटिव से देश के टुकड़े-टुकड़े नहीं करने चाहिए। हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं? इस सदन में जो व्यक्ति बैठता है, वह यह सोचता है कि मैं किस राज्य से आ रहा हूं।

मान्यवर, हम मन से शपथ लेते हैं। जिन्होंने अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली है, वे उत्तर-दक्षिण में भेद कराना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहां पर जो भी सदस्य शपथ लेता है, वह भारत को अक्षुण्य रखने की शपथ लेता है। वह पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। वह अपने संसदीय क्षेत्र, अपने राज्य, अपना धर्म और अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। क्या नैरेटिव फैलाया जा रहा है? ये मानते हैं कि इस नैरेटिव से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। आपके बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन इस तरफ नहीं बैठ पाओगे। देश का विभाजन करके

कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता है। ... (व्यवधान)

THIRU DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): You are dividing the country. … (*Interruptions*)

श्री अमित शाह : आप बैठ जाइए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया इतना गुस्सा मत करिए। मारन जी, सदन में इतना गुस्सा नहीं करते हैं। आप शांत हो जाइए।

… (व्यवधान)

श्री बी. मणिक्कम टैगोर (विरूधुनगर) : महोदय, यह गलत बात है। मोदी साहब ने चुनाव जीतने के लिए मद्रासियों को बदनाम किया है। ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : क्या आपको बोलना है? मैं बैठ जाता हूं। आप बोलिए।

अध्यक्ष महोदय, आप उनको बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री बी. मणिक्कम टैगोर : महोदय, दक्षिण भारत के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ... (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: He is saying we are dividing the country. … (*Interruptions*) Actually, they are dividing the country. … (*Interruptions*)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, झूठ को जोर से बोलने से वह सच नहीं हो जाता है। सच, सच होता है। ... (व्यवधान) मैं बड़ी शांति से समझा रहा हूं।

एक परिसीमन आयोग और संवैधानिक सुधार के लिए यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आज भी सभी लोगों ने बोला है कि इससे दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व की दृष्टि से नुकसान होगा। मैं यह कह रहा हूं कि वह हकीकत नहीं है। जब मैं यह कहता हूं कि यह हकीकत नहीं है, तो कल मैंने विस्तार से बताया था। मगर फिर भी भविष्य में भाषण पढ़े जाते हैं। यह जरूरी है कि इस नैरेटिव को तोड़ा जाए।

मैं एक लाइन में इसको समझाऊंगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरलम, ऐसे पांच राज्य हैं, जिनमें काल्पनिक दक्षिण और उत्तर भारत किया गया है, अभी 543

सीट्स में उनकी संख्या 129 है।

अब 129 की जो स्ट्रेन्थ है, उसका हम 543 से प्रतिशत निकालते हैं, तो 23.76 प्रतिशत होता है। अब 50 टका वृद्धि करके जब पांचों राज्यों की सीटों का हम आवंटन करते हैं, तो सीट्स की स्ट्रेन्थ 129 से बढ़कर 195 होती है। इसका जब 816 से प्रतिशत भाग निकालते हैं, तो 23.87 प्रतिशत आएगा। … (व्यवधान) अत: पहले 23.76 था और अब थोड़ा सा बढ़कर 23.87 होगा। … (व्यवधान) इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी का नुकसान नहीं है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप पारित कराने के लिए सहमति दीजिए, अभी पेश करवा देंगे। चलो, एक घंटा रुक जाएंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी, इनको बता दीजिए कि अगर ये तैयार हैं, तो एक घंटे के लिए रुक जाएंगे। बिल में 50 परसेंट करने के लिए हम एक घंटे के लिए रुक जाएंगे। अगर ये तैयार हों, तो ऐसा कर दें? इनको बता दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : राजा जी, एक मिनट के लिए बैठ जाइए और मेरी बात सुनिए। … (व्यवधान)

मान्यवर, अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50 प्रतिशत लिखित में चाहिए, तो एक घंटे के लिए सदन बंद कर दीजिए। मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं, मगर ये बिल पारित कराने का वादा करें। … (व्यवधान) अब वेणुगोपाल जी बताएं, क्या बिल पारित कराएंगे? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, क्या आप सब सहमत हैं? सदन में बात कर लेते हैं। अभी अमेंडमेंट लेकर आएंगे। चलो, आगे शुरू करते हैं।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, from yesterday, ever since the Bill was introduced, the entire Opposition has been demanding that these two

provisions be incorporated into the legislation. First, we seek constitutional protection in the delimitation process to ensure that the number of seats allocated to each State is safeguarded. We are asking the Home Minister whether you are ready to delink the delimitation process from the process of women's reservation.

Second, we wish to know whether the Government is prepared to proceed with delimitation alongside the implementation of women's reservation. We want to know whether you are prepared to incorporate, within the legislation itself, the provision for increasing the number of seats in each State by 50 per cent. Are you ready to do these two things?

श्री अमित शाह : गोगोई जी, अब आप बैठ जाओ। आपकी पार्टी के नेता ने बोल लिया है। … (व्यवधान)

मान्यवर, वेणुगोपाल जी ने दो शार्प क्वेश्चन्स पूछे हैं। … (व्यवधान) गोगोई साहब, बैठ जाओ, 4 तारीख को काउंटिंग है। … (व्यवधान)

मान्यवर, मैं इनको जवाब देता हूं, लेकिन आप इनको बैठा दीजिए। … (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : अगर एक घंटा चाहिए तो सेंसस और डीलिमिटेशन से महिला आरक्षण को हटा दीजिए। … (व्यवधान) परिसीमन विधेयक से महिला आरक्षण को हटा दीजिए। … (व्यवधान) फिर हम इसको पारित कराएंगे। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अखिलेश जी से पूछ लीजिएगा।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, मुझे लगता है कि आपके नसीब में 'यस' लिखा है। … (व्यवधान) शायद यह बिल पारित हो जाएगा। … (व्यवधान)

मान्यवर, वेणुगोपाल जी ने दो बातें कहीं। … (व्यवधान) उन्होंने 50 प्रतिशत आरक्षण के

बारे में कहा। ... (व्यवधान) अगर 50 प्रतिशत सीट्स बढ़ाई जाएंगी, तो उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो? हां जी, मैं तैयार हूं। ... (व्यवधान)

मान्यवर, आप एक घंटे के लिए सदन स्थगित कर दीजिए। ... (व्यवधान) एक घंटे में मैं अपना ऑफिशियल अमेंडमेंट तैयार करके सभी माननीय सदस्यों को सर्क्युलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50 प्रतिशत सीट्स बढ़ानी हैं। ... (व्यवधान) हमें कुछ छिपाना नहीं है, हमें कोई चोरी नहीं करनी है, इसलिए हम ऐसा कर देंगे। ... (व्यवधान)

वेणुगोपाल जी ने वर्ष 2026 की जनगणना से डीलिमिटेशन के लिए कहा है। ... (व्यवधान) इस झांसे में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि इसके माध्यम से ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कई बार सदन में भी फैसले हो जाते हैं, इसलिए सदन में फैसला कर लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने कहा है और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं या हमारी तरफ से कोई बात आई है, तो अभी तक जो 11 सालों का अनुभव है, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी यह लिखकर दे देगी कि हम महिला प्रधान मंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : इसलिए ऑफिशियल अमेंडमेंट ला रहे हैं।

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं बाद में इस बात का जवाब दूंगा। मैं इस देश की मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह महिला आरक्षण को फिर से एक बार वर्ष 2029 से पहले नहीं होने देने का एक बहुत सुहाना जाल है। इसलिए ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों का समान भार होना चाहिए, मैं उससे सहमत हूं। महिला आरक्षण वर्ष 2029 से पहले ही करना चाहिए, वर्ष 2029 के बाद ले जाने का इनका षडयंत्र सफल नहीं होने देंगे। मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे, तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनके रास्ते का रोड़ा कौन है। वे देख रही हैं। ... (व्यवधान)

मान्यवर, यहां पर तो शोर-शराबा करके बच जाएंगे, मगर माताओं और बहनों का जो

आक्रोश आपके खिलाफ है, जब आप मैदान में जाओगे, तब मालूम पड़ेगा। आपको भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। जब आप चुनाव में जाएंगे, तब मालूम पड़ेगा और मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। … (व्यवधान) भाई साहब, मैं बताता हूं।

मान्यवर, यहां पर कुछ सदस्यों ने दूसरी भ्रांति फैलाई है कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। … (व्यवधान) मैं उस बात पर आता हूं। अखिलेश जी बैठे हैं, तो पहले उनकी बात करूं। देखिए, वह पहली बेंच पर बैठे हैं। मैं यहां सरकार, संविधान और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। इसके दो कारण हैं। … (व्यवधान) पप्पू यादव, सुन लिया न अब। अब शांति रखो, ठण्ड रखो यार।

मान्यवर, पहला कारण है कि आरक्षण पाने की योग्यता ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिसको कोई प्राप्त कर सके। मैं यह संविधान की बात कर रहा हूं। अगर आज कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है, जिसको आरक्षण मिलता है, लेकिन यहां नहीं मिलता है और अगर वह मुस्लिम बन जाता है, तो उसको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण जन्म से ही मिलता है, किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए वहां पर उसको सील किया गया है।

ओवैसी जी ध्यान से सुनना। दूसरा, अनुच्छेद 15(4) के अनुसार आरक्षण उन लोगों के लिए है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में पैदा हुए हैं। अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण पिछड़े वर्ग के नागरिकों को दिया जाता है। अब संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मान्यता नहीं है। यह इंडी अलायंस वाले अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इस देश में मुस्लिम आरक्षण की डिमांड खड़ी करना चाहते हैं और ये संविधान की बात करते हैं।… (व्यवधान) मुझे कोई संविधान पढ़ कर बता दे कि संविधान के किस आर्टिकल से धर्म के आधार पर आप आरक्षण देंगे? मुझे कोई भी बता दे। एक भी आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं है। … (व्यवधान) इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार दोनों की नीति स्पष्ट है, जो संविधान सम्मत नहीं है, धर्म के आधार पर

आरक्षण न हम देंगे और न कभी किसी को देने देंगे। ... (व्यवधान)

मान्यवर, अब मैं ओबीसी की बात करता हूं। आप सुनो। पप्पू जी, सीट बदल देनी पड़ेगी। ... (व्यवधान) इस देश में ओबीसी की सबसे बड़ी कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी जी दोनों को कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। वर्ष 1957 में, आप ध्यान से सुनना, अखिलेश जी आप कहां बैठे हो, आपको मालूम होना चाहिए। वर्ष 1957 में काकासाहेब कालेलकर समिति के सुझाव आए, जो ओबीसी के आरक्षण से संबंधित थे। उन्होंने काकासाहेब कालेलकर समिति के पूरे सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया।... (व्यवधान) उस समय जवाहरलाल जी थे। वर्ष 1980 में इंदिरा जी आईं। उस समय मंडल आयोग का सुझाव आया और मंडल आयोग के सुझाव को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। वर्ष 1990 में जब वीपी सिंह जी आए, तब वे मंडल आयोग का इम्प्लिमेंटशन नहीं करा पाए।... (व्यवधान) उस वक्त विपक्ष के नेता राजीव गांधी जी थे। नेहरू जी, इंदिरा जी और अब राजीव गांधी जी ने यहां पर अपने जीवन का सबसे लम्बा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में किया।... (व्यवधान) कांग्रेस ने वर्ष 1951 और 1971 दोनों में जाति जनगणना का भी विरोध किया। चूंकि अब मेल नहीं खा रहा है, 15-20 बार चुनाव हार गए तो अब ये ओबीसी के हितैषी बनने आए हैं।... (व्यवधान)

मान्यवर, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधान मंत्री नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेन्द्र मोदी जी बनाया है और अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाया है।... (व्यवधान) इन्होंने काकासाहेब कालेलकर समिति में विरोध किया, मंडल आयोग की रिपोर्ट को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाला और जब लागू होने वाला था, तो राजीव गांधी जी ने भी विरोध किया।... (व्यवधान) आज मैं बताना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, जो 40 प्रतिशत होता है। ... (व्यवधान) मान्यवर, नरेन्द्र मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। नरेन्द्र मोदी सरकार ने ओबीसी की सूचियों को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को देकर

एंपावर किया और14 से 18 के बीच में 16 जातियों को ओबीसी जनजाति में शामिल किया । … (व्यवधान) क्या बात है? मेरा भाषण समाप्त हो जाने के बाद आप पूछिएगा । … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी ।

… (व्यवधान)

श्री बी. मणिक्कम टैगोर : टी. आर. बालू जी को माइक क्यों नहीं दिया जा रहा है?… (व्यवधान) इतने सीनियर नेता का आप अपमान कर रहे हैं ।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, जाति जनगणना चल रही है, … (व्यवधान) जाति जनगणना की रिपोर्ट भी जाति के साथ ही आएगी । इस पर सदन विचार करेगा और जब विचार करेगा, तो जो सामूहिक मत बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ आगे बढ़ेगी । इसमें किसी को संशय रखने की आवश्यकता नहीं है ।

मान्यवर, उनके लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की जनता सर्वोपरि है । … (व्यवधान) राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व और इसकी भागीदारी का हित सबसे जरूरी है । … (व्यवधान) संविधान को लागू करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और समान अवसर व न्याय की रक्षा, यह हमारे लिए बेहद जरूरी है । इसलिए मैं इन लोगों को कहता हूं, विशेषकर कांग्रेस के मित्रों को कि सिर्फ भाषण में नारे लगाने से इस देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा । वर्ष 1947 से लेकर 2014 तक आप ओबीसी का विरोध करते रहे । जब इसका परिचय आ गया कि ओबीसी के बगैर सत्ता नहीं मिलेगी, प्रधान मंत्री, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कमीशन बनाया, तब आप ओबीसी की माला जप रहे हैं ।

मान्यवर, यह जो दिखावटी प्रेम है, वह इस देश का पिछड़ा वर्ग भी जानता है, पूरे देश की जनता भी जानती है और आज से देश की महिला भी जानेगी कि हमारा अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना ।

मान्यवर, अब मैं महिला आरक्षण पर बताना चाहता हूं । सबसे पहले 1991 में श्री नरसिम्हा राव 72वां और 73वां संविधान संशोधन लेकर आए और माताओं-बहनों को पंचायतों में 33

प्रतिशत आरक्षण देने का स्तुत्य काम नरसिम्हा राव जी ने किया । नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, पर उन्हें कांग्रेस में कभी स्वीकार नहीं किया कि वह हमारे प्रधान मंत्री हैं । … (व्यवधान) यहां तक कि संस्कार में किसी को जाने नहीं दिया । इसके बाद 1996 में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने और 81वां संशोधन विधेयक 12 सितंबर,1996 को यहाँ पर रखा । वहां कुछ पार्टियों ने विरोध किया । मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि सब उछल पड़ेंगे । फिर एक गीता मुखर्जी की कमेटी बनी । उस कमेटी को यह विधेयक दे दिया गया, जो आज इनकी दरख्वास्त है कि समिति को दे दीजिए । फिर गीता मुखर्जी समिति की रिपोर्ट आई । तब तक 11वीं लोक सभा का विघटन हो गया और बिल लैप्स हो गया । फिर 1998 में 84वां संशोधन आया । फिर वही पार्टियां उसका विरोध करती रहीं । बिल का विरोध किया, तो बिल को सदन में प्रस्तुत करने की सहमति नहीं रही और 12वीं लोक सभा के विघटन पर वह बिल लैप्स हो गया ।

<u>19.00 hrs</u>

मान्यवर, वर्ष 1999 से वर्ष 2003 में 85वां संविधान संशोधन विधेयक आया । फिर से उन्हीं पार्टियों ने विरोध किया और बिल लैप्स हो गया । वर्ष 2008 से 2014 में 108वां संविधान संशोधन विधेयक मनमोहन सिंह जी लेकर आए और राज्य सभा में प्रस्तुत किया । राज्य सभा में बिल पारित भी हुआ, मगर लोक सभा का दरवाजा कभी उस बिल ने नहीं देखा और किसने विरोध किया, उन्हीं लोगों ने विरोध किया ।… (व्यवधान)

मान्यवर, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं । वे भले ही माइक के बगैर बोले हैं । बीजेपी ने इस बिल का कभी विरोध नहीं किया है । मैं यह रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं । मान्यवर, जब यह लोक सभा में आया तब सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियों ने इसका विरोध किया । मानो अभी कांग्रेस पार्टी कर रही तो हम नहीं समझा सकते हैं । मगर भला ललन सिंह जी कैसे विरोध करेंगे, यह तो हमारे साथ हैं । यह बिल का समर्थन करेंगे ।

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी की समर्थक पार्टियों ने मनमोहन सिंह जी की सरकार के इस बिल का विरोध किया । इसका स्पष्ट अर्थ है कि सरकार के ही इशारे पर सरकार का हिस्सा बनी हुई पार्टियों

ने लोक सभा में इस बिल को पेश नहीं होने दिया। वर्ष 2023 में मोदी जी जानबूझकर विधायक लाए। उनको मालूम था कि वर्ष 2024 में चुनाव है। कितनी भी मंशा हो, कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर पाएगी तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सर्वानुमति से यही सदन जब नया बना, तो सबसे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होगा और राज्य सभा में भी होगा।

मान्यवर, हम मानते थे कि अब हो गया। मगर जब इंप्लीमेंटेशन कराने में आए तो किंतु-परंतु, मगर-अगर, ये सारी चीजें जोड़कर आज फिर से ये विरोध कर रहे हैं। पांचवीं बार इंडी एलायंस की पार्टियां विरोध कर रही है।

मान्यवर, यह देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी। जब ये चुनाव में जाएंगे तो उनको महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा और रास्ता नहीं मिलेगा। यह बदलाव की जरूरत क्या है? पहली लोक सभा में 22 महिला माननीय सदस्य चुनकर आईं, छठी लोक सभा में 19 महिला माननीय सदस्य आईं, आठवीं में 44 महिला माननीय सदस्य आईं, 14वीं लोक सभा में 51 महिला माननीय सदस्य आईं, 17वीं लोक सभा में रिकॉर्ड 78 महिला माननीय सदस्य चुन कर आईं और 18वीं लोक सभा में 75 महिला माननीय सदस्य चुनकर आईं।

मान्यवर, हमारे ये आंकड़े हमारी माताओं-बहनों की राजनीति में हिस्सेदारी लेने की उत्सुकता को प्रदर्शित करते हैं। आपने यहां पर माननीय महिला सांसदों को कई बार बोलने का मौका दिया है और आज भी उन्हें बोलने का मौका दिया है। बिल के विषय पर बोलकर, जो विषय पर चर्चा हो, उस पर बोलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

मान्यवर, हमने लेटर एंड स्पिरिट में वूमेन-लेड डेवलपमेंट का अनुसरण किया है। प्रधानमंत्री जी के पहले मंत्रिमंडल में 10 महिलाएं थीं। अखिलेश जी कह रहे थे कि आपने सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री दिया है। हमारे यहां सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं, वसुंधरा राजे जी राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं, आनंदीबेन पटेल जी गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं।

मान्यवर, मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सब जगह भाजपा की महिला नेत्रियां

पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनीं। ये पहली बार बनीं, इसका मतलब क्या है? 70 सालों में कांग्रेस ने कभी उन राज्यों में महिला मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी, इसलिए हमारा नंबर लगा। आज भी रेखा गुप्ता जी दिल्ली की पहली महिला मुख्य मंत्री नहीं हैं, वह चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। … (व्यवधान) वह पहली मुख्यमंत्री नहीं हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूं। वह चौथी महिला मुख्य मंत्री हैं। … (व्यवधान)

मान्यवर, हमने इस देश की पहली आदिवासी महिला को श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से महामहिम द्रौपदी मुर्मु बना दिया। हमने तीन दशकों से जो बिल चर्चा में आता था, वह नूरा-कुश्ती वाले प्यार व अभाव से रिजेक्ट हो जाता था। हम इसे लेकर आए, मगर मुझे दुख है कि पहले भी इस बिल को जिन्होंने पारित नहीं करने दिया, वे ही आज इसका किंतु-परंतु, अगर-मगर से विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं।

मान्यवर, 14 लाख महिलाएं अब तक जनप्रतिनिधि के रूप में देश की पंचायतों में काम कर चुकी हैं। … (व्यवधान) जोतिमणि जी, मार्क्स कट जाएंगे। नरसिम्हा राव जी लाए थे। टिकट कट जाएगा, अगर आप नरसिम्हा राव जी का नाम बोलेंगी। इन 11 सालों में केवल महिला प्रतिनिधित्व की बात नहीं हुई। इस देश की माताओं-बहनों का, मातृ-शक्ति का, महिलाओं का जीवन सुचारु रूप से चले, इसलिए इन 11 सालों में 15 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचाया गया। नल से पानी जब पहुंचता है, तो सबसे ज्यादा फायदा माताओं और बहनों को होता है। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया। 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। 7 करोड़ 26 लाख सुरक्षित मातृत्व दिया गया। पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ महिलाओं को साहसिक बनाया गया। 4 करोड़ में से 75 प्रतिशत माताओं-बहनों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।

मान्यवर, जेंडर बजटिंग में 97 हजार करोड़ रुपये का बजट नरसिम्हा राव जी के समय था। निर्मला जी ने 5 लाख करोड़ रुपये का बजट इस देश की महिलाओं को दिया। हमारे लिए यह कुछ भी मायने नहीं रखता कि महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उनका संबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए तथा विधायी संस्थाओं में उनको हिस्सेदारी देने के लिए चाहे जिस

तरह के विरोध का सामना करना पड़े, हम करेंगे, लड़ेंगे और महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे।

मान्यवर, आज मुझे एक पत्रकार का फोन आया कि कल की स्पष्टता के बाद विरोध का तो कोई कारण ही नहीं बनता है। आखिर क्यों विरोध हो? मैंने बोला कि यह रॉंग नंबर है। आपको यह राहुल जी से पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मगर उसने कहा कि आपको क्या लगता है? मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये केवल महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हमने धारा 370 समाप्त किया, इन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, इन्होंने विरोध किया। सीएए लाए, विरोध किया, ट्रिपल तलाक समाप्त किया, इन्होंने विरोध किया। जीएसटी लाए, इन्होंने विरोध किया। आयुष्मान भारत योजना लाए, इन्होंने विरोध किया। नया संसद भवन बनवाया, इन्होंने विरोध किया। मत्स्य पालन, सहकारिता मंत्रालय बनाया, इन्होंने विरोध किया। सीडीएस बनाया, इन्होंने विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, इन्होंने विरोध किया। आतंकवाद को सकते में डाला, इन्होंने विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक की, इन्होंने विरोध किया। एयर स्ट्राइक किया, इन्होंने विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर कराया, इन्होंने विरोध किया। … (व्यवधान)

मान्यवर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा-बुरा सोचे बगैर इन्होंने विरोध करना ठान लिया।

मान्यवर, मुझे तो यह था कि आज देश की माताओं-बहनों के लिए आरक्षण आ रहा है, यह विरोध आज नहीं होगा।… (व्यवधान) मगर ये आज भी विरोध कर रहे हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नारेबाजी मत कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : समझदारों को इशारे में कहा जाता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये कन्विंसिंग कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुरेश जी, आप कन्विंसिंग मत कीजिए, वोटिंग होने वाली है। आप कन्विंसिंग

मत कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, यह जो बिल मेरे साथी अर्जुन राम मेघवाल जी लेकर आए हैं, इसमें अनुच्छेद 81/1 में संशोधन प्रस्तावित है। इससे 550 लोक सभा के सदस्यों की संख्या 850 तक की जायेगी।

मान्यवर, अनुच्छेद 81(2)बी को भी कोई बदलाव के बगैर हम कह रहे हैं। इसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। अनुच्छेद 81(3) में जनसंख्या को नवीन जनगणना के अनुसार परिभाषित करने का जो है, उसमें हम प्रोविजो क्लॉज लगाते हैं और इसको समाप्त करते हैं। इसके साथ 170ए, जो राज्य विधान सभाओं की न्यूनतम और अधिकतम सीटों को निर्धारित करता है, उसको जस का तस रखते हैं। 170(2) समानता के सिद्धांत, राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो हैं, इसके अंदर हम बदलाव करते हैं और इन सारे बदलावों का मूल उद्देश्य है कि 50 टका सीटें हर विधान मंडल और संसद में बढ़ाकर माताओं-बहनों को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

मान्यवर, मैंने अभी बताया कि वर्ष 2023 में सर्वसम्मति से यह बिल पारित हुआ है। मगर आज किन्तु-परन्तु, अगर-मगर से कांग्रेस पार्टी पीछे हो रही है।

मान्यवर, मुझे इसके दो ही कारण दिखते हैं कि यह बिल नरेन्द्र मोदी जी ला रहे हैं। अगर यह महिला आरक्षण होता है तो देश की माताओं-बहनों में मोदी जी को यश मिलेगा।… (व्यवधान)

मान्यवर, मोदी जी ने बड़ा हृदय करके, विज्ञापन देकर उनको यश देने की बात कह दी है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते हैं।… (व्यवधान)

मान्यवर, उनको लगता है कि महिलाएं ज्यादा मोदी जी को वोट देती हैं। उनको भला क्यों रिजर्वेशन दें?… (व्यवधान) मैं बताता हूँ कि आप रोक नहीं पाओगे।… (व्यवधान) वर्ष 2023 में इस सदन से देश की महिलाओं से जो 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया था, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इररेस्पेक्टिव ऑफ मेंबर्स पूरे सदन ने यह वादा किया था, इससे ये पीछे हट रहे हैं।

मान्यवर, यह पहली बार नहीं हुआ है। ये शाहबानो में भी पीछे हटे थे। ये ट्रिपल तलाक में

भी पीछे हटे थे और अब तक जितनी बार महिला आरक्षण आया है, ये पीछे हटे हैं।

मान्यवर, मैं अभी भी कहता हूँ, हमारे नेता ने तो कहा है कि अंतरआत्मा की आवाज से वोट कीजिए। यह अंतरआत्मा की आवाज का नारा नरेन्द्र मोदी जी का नहीं है, यह नारा इंदिरा गांधी जी का है। मगर मोदी जी को थोड़ा समझ फेर हो गई। उस वक्त विरोध पक्ष में अटल जी, आडवाणी जी थे। यहां आत्मा ही नदारद है, अंतरआत्मा कहां से लाना है।

मान्यवर, ये रुथलेस पॉलिटिक्स करते हैं। महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, इसका यश किसको मिलेगा, इसके लिए आप महिलाओं का आरक्षण लटका रहे हो। आप चुनाव में जहां-जहां जाओगे, इस देश की महिलाओं का आक्रोश आपको सहन करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा और रास्ता भी नहीं मिलेगा।

मान्यवर, आप इस सदन के कस्टोडियन हो, अभिभावक हो। मैं टीवी पर विपक्ष के नेता का भाषण सुन रहा था। आपकी जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा पूरे देश और विश्व में बनी रहे। यह जो भाषा है, सदन की मर्यादा तोड़ने वाली भाषा है। … (व्यवधान) आप क्या भाषा बोल रहे हो? आप कायर हो, आप सरेंडर कर रहे हो, आप मुझसे डरते हो, अपशब्दों का प्रयोग होता है। … (व्यवधान) असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है।… (व्यवधान) सदन में कोई आंख मारता है। कोई मुस्कुराकर बैठता है।

मान्यवर, सदन के रास्ते पर चाय, पकोड़े खाते हैं। … (व्यवधान) यह किस प्रकार का विपक्ष के नेता का बिहेवियर है। … (व्यवधान) किस प्रकार की भाषा है। क्या वे समझते हैं कि इस भाषा को देश नहीं सुन रहा है। … (व्यवधान) इस भाषा को देश सुन रहा है। आपका और आपकी पार्टी दोनों का परिचय देश को हो रहा है।

मान्यवर, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। … (व्यवधान) फ्लाइंग किस कर देते हैं। धक्का-मुक्की करते हैं। … (व्यवधान) बाहर जाकर बयानबाजी करते हैं कि सरेंडर हो गए हैं। स्पीकर को बार-बार रोकना पड़ता है और सत्र छोड़कर विदेश चले जाते हैं। … (व्यवधान)

मान्यवर, मैं इतना जरूर कहता हूं कि भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है।

सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख लीजिए और यदि सीनियर लोग न हों, तो प्रियंका जी से ही सीख लें कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। … (व्यवधान)

मान्यवर, ये कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने वाला यह बिल क्रूर बिल है। आप उत्तर और दक्षिण के बीच भेदभाव कर रहे हो। दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। कल इतना समझाने के बाद भी ऐसा स्टेटमेंट आता है, तो मैं मानता हूं कि यह जान-बूझकर दिया गया स्टेटमेंट है।

मान्यवर, मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के कूनबे को इस देश का परिचय कराना चाहता हूं कि हजारों साल पहले रामसेतु बनाने के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया था, उस गिलहरी को भी इस देश में अवध्य माना जाता है। इतना उपकार याद कीजिए। हवन में हड्डियां डालने वाली ताड़का को हजारों साल के बाद भी याद रखा जाता है। महिलाओं को आरक्षण देने वाला, यह यज्ञ रूपी पवित्र बिल है, इसमें विरोध की हड्डियां डाल रहे हैं, इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। … (व्यवधान)

महोदय, समय देने के लिए आपका धन्यवाद।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, (संविधान 131वां संशोधन विधेयक, 2026) पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं विधेयक को विचार किए जाने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूं, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मतदान मत-विभाजन द्वारा होगा।

प्रवेश-कक्ष (लॉबीज़) खाली कर दी जाएं।

अब लॉबीज खाली हो गई हैं।

माननीय अध्यक्ष : अब महासचिव मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे।

महासचिव : माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिन्दुओं की ओर आकर्षित किया जाता है: -

1. प्रत्येक माननीय सदस्य को मत-विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए।

2. जब माननीय अध्यक्ष 'अब मत विभाजन' बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ-साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी।

3. मतदान के लिए "केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही; कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाई ओर लगे "वोट सेक्योर" बटन

और

हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ-साथ दबाएं।

हाँ	:	हरे रंग के स्टिकर के नीचे
नहीं	:	लाल रंग के स्टिकर के नीचे
मतदान में भाग नहीं लेना	:	पीले रंग के स्टिकर के नीचे

4. **गोंग** ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है।

5. माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे:

   (1) यदि बटनों को पहली गोंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है; या

   (2) दोनों बटनों को दूसरी माँग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता

है।

6. माननीय सदस्य दूसरी गोंग ध्वनि के कुछ सेकेंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में, "देख" सकते हैं।

7. माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ/नहीं/मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन, जैसा भी मामला हो, पर अपने मत की जांच कर सकते हैं।

8. मत दर्ज नहीं होने की दशा में, अथवा यदि कोई सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की माँग कर सकते हैं।

Kind attention of the hon. Members is invited to the points in the operation of the Automatic Vote Recording System.

1. Before a division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.

2. When the hon. Speaker says, ‘Now Division’, the Secretary General will activate the voting button and a **GONG** sound will be heard simultaneously.

3. For voting, only after the sound of the **GONG**; repeat, only after the sound of the **GONG**, hon. Members may simultaneously press the “**VOTE SECURE**” button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate:

Yes	:	Below Green colour sticker,
No	:	Below Red colour sticker,
Abstain	:	Below Yellow colour sticker.

4. It is essential to keep both the buttons pressed till another **GONG** is heard.

5. Hon. Members may please note that their votes will not be registered:

(i) If buttons are kept pressed **before** the first **GONG**; or

(ii) Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second **GONG**.

6. Hon. Members can actually "**SEE**" the final result after a gap of a few seconds after the second **GONG**.

7. Hon. Members can check their vote on individual result display boards installed on either side of the hon. Speaker's Chair, the multimedia device and also on the **Yes/No/Abstain** button as the case may be.

8. In case vote is not registered or if any Member wishes to change their vote, they may call for voting through slips.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने
वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

DIVISION **AYES** **19:29 HRS.**

Adhikari, Shri Soumendu

Agrawal, Shri Brijmohan

*Agrawal, Shri Damodar

---

* Voted through slip for Ayes.

Anand, Shrimati Lovely

Aruna, Shrimati D. K.

Awasthi, Shri Ramesh

Babu, Shri M. Mallesh

*Baghel, Prof. S. P. Singh

Baghel, Shri Vijay

Balayogi, Shri G. M. Harish

Baluni, Shri Anil

Bambhaniya, Shrimati Nimuben Jayantibhai

Baraiya, Shrimati Shobhanaben Mahendrasinh

Barne, Shri Shrirang Appa Chandu

Baruah, Shri Pradan

Basumatary, Shri Joyanta

Behera, Dr. Rabindra Narayan

*Bhabhor, Shri Jaswantsinh Sumanbhai

Bharadwaj, Dr. Rajeev

Bharti, Shri Arun

*Bhatt, Shri Ajay

Bhonsle, Chh. Udayanraje Pratapsinha Maharaj

Bhumare, Shri Sandipanrao Asaram

*Bidhuri, Shri Ramvir Singh

* Voted through slip for Ayes.

*Bind, Dr. Vinod Kumar

Bista, Shri Raju

Bommai, Shri Basavaraj

Chahar, Shri Rajkumar

Chandolia, Shri Yogender

Chaudhary, Shri P. P.

Chauhan, Shri Chandan

Chauhan, Shri Devusinh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choudhary, Dr. Raj Bhushan

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Chandra Prakash

Choudhary, Shri Darshan Singh

Choudhary, Shri Lumbaram

Choudhary, Shri Pankaj

Choudhary, Shrimati Roopkumari

Choudhury, Shri Phani Bhusan

Chouhan, Shri Shivraj Singh

Chouhan, Shrimati Anita Nagarsingh

Chowta, Captain Brijesh

Chudasama, Shri Rajeshbhai Naranbhai

---

* Voted through slip for Ayes.

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Dalal, Shri Mukeshkumar Chandrakaant

Deb, Shri Biplab Kumar

Debbarman, Shrimati Kriti Devi

Delkar, Shrimati Kalaben Mohanbhai

Deo, Shrimati Sangeeta Kumari Singh

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Malvika

Devi, Shrimati Veena

Devi, Shrimati Vijaylakshmi

Dharmapuri, Shri Arvind

Dhotre, Shri Anup Sanjay

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Ashish

Dubey, Shri Vijay Kumar

Dutta, Shri Ranjit

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri Parvatagouda Chandanagouda

Gadkari, Shri Nitin Jairam

Gangopadhyay, Shri Abhijit

Gangwar, Shri Chhatrapal Singh

Gao, Shri Tapir

Garg, Shri Atul

Gautam, Shri Satish Kumar

Gond, Dr. Anand Kumar

Gopi, Shri Suresh

Govil, Shri Arun

Goyal, Shri Piyush

Gupta, Shri Sudheer

Gurumoorthy, Shri Maddila

Hema Malini, Shrimati

Jadav, Shri Rajpalsinh Mahendrasinh

Jadhav, Shri Prataprao Ganpatrao

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jaiswal, Shri Manish

Jangde, Shrimati Kamlesh

*Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jindal, Shri Naveen

Joshi, Dr. Hemang

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Kageri, Shri Vishweshwar Hegde

Kalisetti, Shri Appalanaidu

---

* Voted through slip for Ayes.

Kamait, Shri Dileshwar

Karandlaje, Kumari Shobha

Karjol, Shri Govind Makthappa

Kashyap, Shri Mahesh

Kashyap, Shri Suresh Kumar

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

*Khan, Shri Saumitra

Khandelwal, Shri Praveen

Kishan, Shri Ravindra Shukla Alias Ravi

Kishore, Shri Jugal

Kulaste, Dr. Faggan Singh

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Putta Mahesh

Kumar, Shri Sunil

Kumaraswamy, Shri H. D.

Kushwah, Shri Bharat Singh

Lakshminarayana, Shri G.

Lal, Shri Manohar

Lalwani, Shri Shankar

* Voted through slip for Ayes.

Lodhi, Shri Rahul Singh

*Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Maharaj, Shri Chintamani

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahato, Shri Dulu

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Balabhadra

Majhi, Shri Naba Charan

Majumdar, Dr. Sukanta

Makwana, Shri Dineshbhai

Malhotra, Shri Harsh

Mallah, Shri Kripanath

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandal, Shri Ramprit

Mandaviya, Dr. Mansukh

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Mani, Shri Shashank

Manjhi, Shri Jitan Ram

Manjunath, Dr. C. N.

---

* Voted through slip for Ayes.

Mathukumilli, Shri Sribharat

Medhi, Shrimati Bijuli Kalita

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mewar, Shrimati Mahima Kumari

Mhaske, Shri Naresh Ganpat

Mishra, Dr. Rajesh

Mishra, Shri Janardan

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P. C.

Mohol, Shri Murlidhar

Murmu, Shri Khagen

Nag, Shri Bhojraj

Nagar, Shri Rodmal

Nagaraju, Shri Bastipati

Nagesh, Shri Godam

*Naidu, Shri Kinjarapu Rammohan

Naik, Shri Shripad Yesso

Nayak, Shri Ananta

Oram, Shri Jual

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

---

* Voted through slip for Ayes.

Panda, Shri Baijayant

Pandey, Shri Santosh

Panigrahi, Shri Sukanta Kumar

Panigrahy, Dr. Pradeep Kumar

Pany, Shri Rudra Narayan

Pardhi, Shrimati Bharti

Parthasarathi, Shri B. K.

Paswan, Shri Chirag

*Paswan, Shri Kamlesh

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Shri Dhaval Laxmanbhai

Patel, Shri Gajendra Singh

Patel, Shri Haribhai

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Praveen

Patel, Shri Umeshbhai Babubhai

Patel, Shrimati Anupriya

Patil, Shri C. R.

*Patil, Shri Gyaneshwar

Patra, Dr. Sambit

Paul, Shri Kartick Chandra

---

* Voted through slip for Ayes.

Pemmasani, Dr. Chandra Sekhar

Poojary, Shri Kota Srinivasa

Pradhan, Shri Dharmendra

Prakash, Shri Jai

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prasada, Shri Jitin

Purandeswari, Shrimati Daggubati

Purohit, Shri Pradeep

*Raghavendra, Shri B. Y.

Rai, Shri Nityanand

Rajender, Shri Eatala

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramesh, Dr. C. M.

Ranaut, Sushri Kangna

Rane, Shri Narayan Tatu

Rani, Dr. Gumma Thanuja

Rao, Shri Daggumalla Prasada

Rao, Shri Madhavaneni Raghunandan

Rathiya, Shri Radheshyam

Rathva, Shri Jashubhai Bhilubhai

---

* Voted through slip for Ayes.

Rawat, Dr. Manna Lal

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Trivendra Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shrimati Sandhya

Reddy, Shri G. Kishan

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri P. V. Midhun

Reddy, Shri Y. S. Avinash

Rijiju, Shri Kiren

*Roy, Dr. Jayanta Kumar

Rudy, Shri Rajiv Pratap

*Rupala, Shri Parshottambhai

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu, Shri Bunty Vivek

Sahu, Shri Tokhan

Saikia, Shri Dilip

Sangwan, Dr. Rajkumar

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Sarangi, Shrimati Aparajita

---

* Voted through slip for Ayes.

Sarkar, Shri Jagannath

Savara, Dr. Hemant Vishnu

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Sehrawat, Shrimati Kamaljeet

Seth, Shri Sanjay

Sethi, Shri Avimanyu

Shabari, Dr. Byreddy

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajyalaxmi

Shambhavi, Shrimati

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Alok

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Vishnu Datt

Sharma, Shrimati Manju

*Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shettar, Shri Jagadish

Shihora, Shri Chandubhai Chhaganbhai

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Singh, Dr. Bhola

---

* Voted through slip for Ayes.

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Devendra Singh Alias Bhole

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kali Charan

Singh, Shri Karan Bhushan

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh *alias* Lalan

Singh, Shri Rao Rajendra

Singh, Shrimati Himadri

Sivanath, Shri Kesineni

Solanky, Shri Mahendra Singh

Somanna, Shri V.

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Tangella Uday

Subba, Dr. Indra Hang

Subhadarshini, Shrimati Anita

Sudhakar, Dr. K.

Suklabaidya, Shri Parimal

Suman, Dr. Alok Kumar

Surya, Shri Tejasvi

Sutariya, Shri Bharatbhai Manubhai

Swaraj, Ms. Bansuri

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shri Bibhu Prasad

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

*Tatkare, Shri Sunil Dattatrey

Tenneti, Shri Krishna Prasad

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur, Shri Devesh Chandra

Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

Thakur, Shri Vivek

*Thakur, Shrimati Savitri

*Tigga, Shri Manoj

Tisso, Shri Amarsing

Tiwari, Shri Manoj

---

* Voted through slip for Ayes.

Tomar, Shri Shivmangal Singh

Uikey, Shri Durga Das

*Vallabhaneni, Shri Balashowry

Valmiki, Shri Anoop Pradhan

Vanlalhmangaiha, Shri Richard

Varma, Shri Bhupathi Raju Srinivasa

Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Vemireddy, Shri Prabhakar Reddy

Verma, Shri Rajesh

Wadiyar, Shri Yaduveer

Wagh, Shrimati Smita Uday

Waikar, Shri Ravindra Dattaram

Wankhede, Dr. Lata

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Dinesh Chandra

Yadav, Shri Giridhari

---

* Voted through slip for Ayes.

NOES

Ahirwar, Shri Narayandas

Ahmad, Shri Mian Altaf

Ahmed, Shrimati Sajda

Akoijam, Dr. Angomcha Bimol

Anand, Shri D. M. Kathir

Annadurai, Shri C. N.

Ansari, Shri Afzal

Antony, Shri Anto

*Anwar, Shri Tariq

Arthur, Shri Alfred Kanngam S.

Aujla, Shri Gurjeet Singh

Azad, Shri Kirti

Baalu, Shri T. R.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

*Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Kalyan

*Banerjee, Shri Prasun

Banerjee, Shrimati Satabdi Roy

Barve, Shri Shyamkumar Daulat

Basheer, Shri E. T. Mohammed

* Voted through slip for Noes.

*Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Beniwal, Shri Ummeda Ram

Bhadauria, Shri Anand

Bhagare, Shri Bhaskar Murlidhar

Bhagat, Shri Sukhdeo

Bharti, Shrimati Misha

Bose, Shri Sunil

Brahamchari, Shri Satpal

C., Shri Robert Bruce

Chabbewal, Dr. Raj Kumar

Chakraborty, Shri Arup

Channi, Shri Charanjit Singh

Chaudhary, Shri R. K.

Chaudhary, Shri Ram Prasad

Chaudhry, Shri Varun

Chavan, Shri Ravindra Vasantrao

Chhatrapati, Shri Shahu Shahaji

Chhotelal, Shri

Chidambaram, Shri Karti P.

Choudhary, Sushri Iqra

---

* Voted through slip for Noes.

Choudhury, Shri Isha Khan

D., Shri Malaiyarasan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Desai, Shri Anil Yeshwant

Deshmukh, Shri Sanjay Uttamrao

Dhanorkar, Shrimati Pratibha Suresh

Dinesh, Dr. Bachhav Shobha

Dohare, Shri Jitendra Kumar

Eden, Shri Hibi

Fernandes, Captain Viriato

Gaddam, Shri Vamsi Krishna

*Gaikwad, Prof. Varsha Eknath

Gandhi, Dr. Dharamvira

Gandhi, Shri Rahul

*George, Adv. Francis

Ghubaya, Shri Sher Singh

Gogoi, Shri Gaurav

Gopinath, Shri K.

Haldar, Shri Bapi

Haneefa, Shri Mohmad

Hansdak, Shri Vijay Kumar

* Voted through slip for Noes.

Hitnal, Shri K. Rajashekar Basavaraj

Hooda, Shri Deepender Singh

Hussain, Md. Rakibul

Indora, Shri Kuldeep

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Jagathrakshakan, Thiru Dr. S.

Jamir, Shri S. Supongmeren

Jarkiholi, Kumari Priyanka Satish

Jatav, Shri Bhajan Lal

Jatav, Shrimati Sanjna

Jawed, Dr. Mohammad

Jothimani, Sushri S.

K., Shri Eswarasamy

K., Shri Navaskani

K., Shri Subbarayan

Kale, Dr. Kalyan Vaijinathrao

Kale, Shri Amar Sharadrao

Kalge, Dr. Shivaji Bandappa

Kang, Shri Malvinder Singh

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kaswan, Shri Rahul

*Kavya, Dr. Kadiyam

* Voted through slip for Noes.

Khan, Shri Abu Taher

Khandre, Shri Sagar Eshwar

Kherwal, Shri Kalipada Saren

Kirsan, Dr. Namdeo

Kolhe, Dr. Amol Ramsing

Kumar, Dr. D. Ravi

Kumar, Shri Manoj

Kuriakose, Adv. Dean

Kushwaha, Shri Babu Singh

Lal, Shri Kishori

Lanke, Shri Nilesh Dnyandev

*Lodhi, Shri Ajendra Singh

M. S., Shri Tharaniventhan

Madhur, Shri Utkarsh Verma

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Majhi, Shrimati Joba

Mal, Shri Asit Kumar

Maliah, Shrimati June

Malik, Shri Harendra Singh

Mallikarjun, Dr. Prabha

Mani, Shri A.

---

* Voted through slip for Noes.

Manickam Tagore, Shri B.

Maran, Thiru Dayanidhi

Masood, Shri Imran

Maurya, Shri Neeraj

Meena, Shri Harish Chandra

Meena, Shri Murari Lal

Meet Hayer, Shri Gurmeet Singh

Mehdi, Shri Aga Syed Ruhullah

Mhatre, Shri Balya Mama Suresh Gopinath

Mitali, Shrimati Bag

Mohibbullah, Shri

Mohite-Patil, Shri Dhairyasheel Rajsinh

Moitra, Sushri Mahua

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Kali Charan

Naik, Shri G. Kumar

Nehru, Shri Arun

Nishad, Shri Laxmikant Pappu

Nishad, Shri Rambhual

Ola, Shri Brijendra Singh

Owaisi, Shri Asaduddin

P., Dr. Ganapathy Rajkumar

Padavi, Adv. Gowaal Kagada

*Padole, Dr. Prashant Yadaorao

Pandey, Shri Sanatan

Parambil, Shri Shafi

Parkash, Shri Jai

Patel, Dr. Shiv Pal Singh

Patel, Shri Naresh Chandra Uttam

Patel, Shri Shreyas M.

*Patel, Shrimati Krishna Devi Shivshankar

Patil, Shri Nagesh Bapurao Aashtikar

Patil, Shri Sanjay Dina

Patil, Shri Vishaldada Prakashbapu

Porika, Shri Balram Naik

Prakash, Shri K. E.

Prasad, Dr. M. K. Vishnu

Prasad, Shri Awadhesh

Prasad, Shri Sudama

Premachandran, Shri N. K.

Punia, Shri Tanuj

R., Kumari Sudha

R., Shri Sachithanantham

Radhakrishnan, Shri K.

---

* Voted through slip for Noes.

Raghavan, Shri M. K.

*Raghuveer, Shri Kunduru

Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Rajeev

*Raja, Shri A.

Rajbhar, Shri Ramashankar Vidyarthi

Rajenimbalkar, Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan

Ram, Shri Amra

Randhawa, Shri Sukhjinder Singh

*Ranjan, Shri Rajesh

Rathor, Shri Rakesh

Ravi, Dr. Mallu

Ray, Prof. Sougata

Reddy, Shri Chamala Kiran Kumar

Reddy, Shri Ramasahayam Raghuram

Rehman, Shri Zia Ur

Roat, Shri Rajkumar

Roy, Shrimati Mala

S., Shri Matheswaran V.

S., Shri Murasoli

Samadani, Dr. M. P. Abdussamad

---

* Voted through slip for Noes.

*Sangma, Shri Saleng A.

Sarkar, Dr. Sharmila

Saroj, Adv. Priya

Saroj, Shri Daroga Prasad

Saroj, Shri Pushpendra

Sawant, Shri Arvind Ganpat

Sayeed, Shri Hamdullah

Selja, Kumari

Selvaganapathi, Shri T. M.

Selvam, Shri G.

Senthil, Shri Sasikanth

Shakya, Shri Devesh

Sheikh, Shri Abdul Rashid

Shekhar, Adv. Chandra

*Shetkar, Shri Suresh Kumar

Shinde, Sushri Praniti Sushilkumar

Singh, Dr. Amar

Singh, Shri Raja Ram

Singh, Shri Sudhakar

Singh, Shri Ujjwal Raman

Singh, Shri Virendra

---

* Voted through slip for Noes.

Sinha, Shri Abhay Kumar

Sinha, Shri Shatrughan

Sonwane, Shri Bajrang Manohar

*Soren, Shri Nalin

Sreekandan, Shri V. K.

Srikumar, Dr. Rani

*Sudhakaran, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya

*Suresh, Shri Kodikunnil

Tewari, Shri Manish

Thakor, Shrimati Geniben Nagaji

Thanga, Shri Tamilselvan

Thangapandian, Dr. T. Sumathy *alias* Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Dr. Thol

Tukaram, Shri E.

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

V., Shri Selvaraj

Vadra, Shrimati Priyanka Gandhi

Vaiko, Shri Durai

---

* Voted through slip for Noes.

Vaithilingam, Shri Ve.

Vasanth, Shri Vijayakumar *Alias* Vijay

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

Venkatesan, Shri S.

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Shri Lalji

Verma, Shri Ram Shiromani

Vira, Shrimati Ruchi

Waje, Shri Rajabhau Parag Prakash

Wakchaure, Shri Bhausaheb Rajaram

Wankhade, Shri Balwant Baswant

Warring, Shri Amrinder Singh Raja

Yadav, Shri Aditya

Yadav, Shri Akhilesh

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

*Yadav, Shri Surendra Prasad

Yadav, Shrimati Dimple

---

* Voted through slip for Noes.

माननीय अध्यक्ष : शुद्धि के अध्यधीन**, मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ : 298

नहीं : 230

प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब इस संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्यवाही करना संभव नहीं है।

अत: अब संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा परिसीमन विधेयक, 2026 के संबंध में आगे की कार्यवाही पर निर्णय लेना है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Hon. Speaker, Sir, besides the Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026, we have two other Bills, namely, the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2026 and the Delimitation Bill, 2026 which are intrinsically interrelated with the

---

** The following Members also recorded their votes through slip:

Ayes: 278+ Shri Ramvir Singh Bidhuri, Shrimati Poonamben Maadam, Shri Kamlesh Paswan, Shrimati Savitri Thakur, S/Shri Ramesh Chandappa Jigajinagi, Parshottambhai Rupala, B. Y. Raghavendra, Gyaneshwar Patil, Dr. Jayanta Kumar Roy, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Prof. S. P. Singh Baghel, S/Shri Jaswantsinh Sumanbhai Bhabhor, Saumitra Khan, Dr. Vinod Kumar Bind, S/Shri Kinjarapu Rammohan Naidu, Ajay Bhatt, Balashowry Vallabhaneni, Damodar Agrawal, Manoj Tigga, Sunil Dattatrey Tatkare=298

Noes:211+ S/Shri Sudip Bandyopadhyay, Prasun Banerjee, Nalin Soren, Rajesh Ranjan, Shrimati Krishna Devi Shivshankar Patel, S/Shri Surendra Prasad Yadav, Ajendra Singh Lodhi, Dr. Kadiyam Kavya, Dr. Prashant Yadaorao Padole, Shri Kodikunnil Suresh, Prof. Varsha Eknath Gaikwad, Adv. Francis George, S/Shri Saleng A. Sangma, A. Raja, Tariq Anwar, K. Sudhakaran, Benny Behanan, Suresh Kumar Shetkar, Kunduru Raghuveer=230

Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026. So, it cannot be viewed in isolation.

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो नतीजा आया है, इतने ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल के द्वारा देश की महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का जो बिल है, उस पर विपक्ष ने साथ नहीं दिया है। … (व्यवधान) यह खेद की बात है। इस ऐतिहासिक पल में उनके पास एक मौका था, जिसे उन्होंने गंवाया है।

आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम आगे अधिकार देकर ही रहेंगे। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, शेष जो दो बिल हैं, मैं उनको आगे नहीं बढ़ाने का अनुरोध करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2026 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>19.44 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, April 18, 2026/ Chaitra 28,1948 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website at the following address:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Seventeenth Edition)